CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 15-02-2026 Zone: Mahanagar Edition: 2 Page: NBTMAJK1 User: cci Time: 02-14-2026 23:18 Color:

नई दिल्ली > रविवार, 15 फरवरी 2026 > माघ 26, शक संवत 1947, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, विक्रम संवत 2082

WATCH GOD WATCHDOG

वर्ष 22, संख्या 7 > पेज 32* > मूल्य ₹6.00 या ₹12.50* संडे टाइम्स ऑफ इंडिया सहित
*मासिक खरीद पर ही लागू

www.nbt.in

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

NBT संडे नवभारत टाइम्स

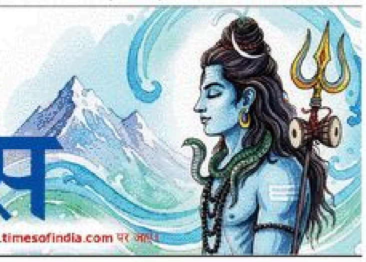

एनबीटी में विज्ञापन देने के लिए 18001205474 पर कॉल करें। नवभारत टाइम्स का अंक प्राप्त करने के लिए 18001200004 पर कॉल करें या subscribe.timesofindia.com पर जाएं

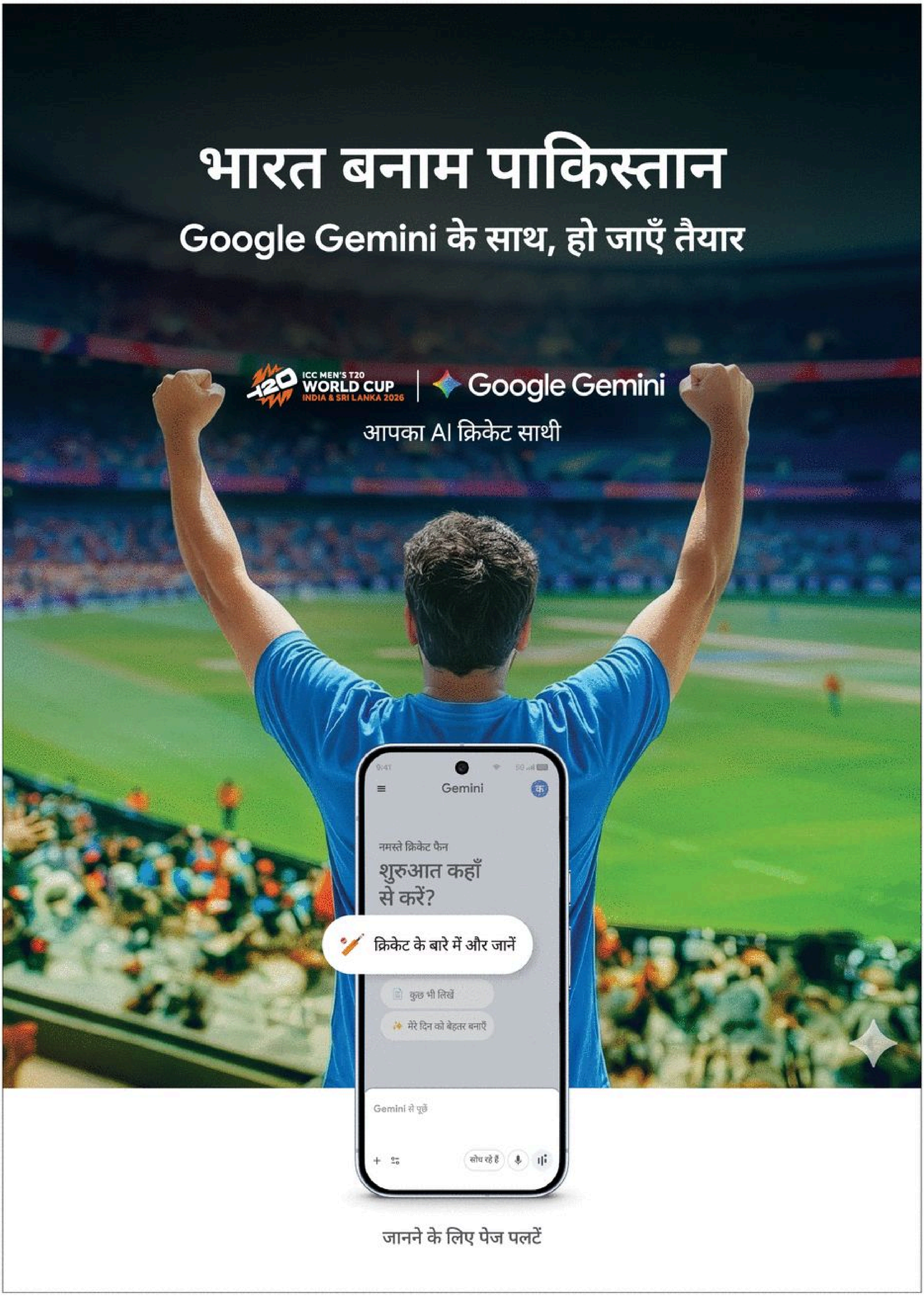

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 15-02-2026 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH08 User: cci Time: 02-14-2026 21:58 Color:

भोले हैं, पर अन्याय के सामने प्रचंड

महाशिवरात्रि पर विशेष

शिव के कई रूप हैं। एक तरफ भोले शंकर हैं तो दूसरी ओर रुद्र। दोनों बिलकुल अलग-अलग छोर पर दिखते हैं, लेकिन इनके बीच एक संतुलन भी है। हमारे अंदर भी ऐसी ही भावनाएं होती हैं, कभी नर्म, कभी गर्म। तो यह संतुलन हम कैसे सीख सकते हैं शिव से? इस सवाल का जवाब दिया आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और सद्गुरु ने:

रुद्र भी हमारे ही अंदर हैं और भोले भी

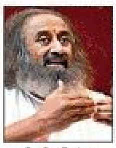

श्री श्री रविशंकर

आपने क्या कभी सोचा है कि एक ही चेतना कैसे भोली भी हो सकती है और प्रचंड भी? जब हम शिव की बात करते हैं तो हमारे सामने दो बिलकुल अलग लगने वाले स्वरूप आते हैं - एक भोलेनाथ और दूसरा रुद्र। एक ओर करुणा, सरलता और निष्कपटता, दूसरी ओर प्रचंडता, तीव्रता और परिवर्तन की अग्नि। पहली दृष्टि में ये दोनों ध्रुव विरोधाभासी लग सकते हैं, परंतु वास्तव में यही जीवन का संतुलन है। शिव हमें सिखाते हैं कि इन दोनों छोरों को कैसे साधा जाए।

रुद्र है परिवर्तन की शक्ति

रुद्र का नाम सुनते ही भीतर एक कंपन-सा होता है। रुद्र वह शक्ति है जो जड़ता को तोड़ती है। जैसे बीज जब अंकुरित होता है तो उसका आवरण टूटता है। वह टूटना विनाश नहीं, नवजीवन की शुरुआत है। प्रकृति में हर परिवर्तन पहले किसी पुराने रूप के विसर्जन से ही आता है। जब जीवन में परिस्थितियां हमें झकझोरती हैं - संबंध टूटते हैं, अहंकार टूटता है, योजनाएं विफल होती हैं तो समझिए रुद्र सक्रिय है। वह हमें दंड देने नहीं, हमें नया आयाम देने आए हैं। अक्सर लोग परिवर्तन से डरते हैं। हमारा अधिकांश भय मृत्यु से जुड़ा है- उस अज्ञात से जो निरंतर घट रहा है। पर मृत्यु केवल शरीर की नहीं होती, हर दिन हमारे भीतर कुछ न कुछ समाप्त होता है। पुरानी आदतें, पुरानी धारणाएं, पुरानी पहचानें - सब धीरे-धीरे मिटती रहती हैं। इस सतत परिवर्तन के अधिपति रुद्र हैं। अगर हम इस सत्य को स्वीकार लें तो डर खत्म हो जाता है। जिससे हम भागते हैं, वही हमारा पीछा करता है, जिसे हम स्वीकारते हैं, वही हमें ऊपर उठाता है।

भोलापन यानी उदारता

शिव भोले हैं - भोले भंडारी। इस भोलेपन का मतलब मूर्खता नहीं है, बल्कि निष्कपटता है। वह अतीत को पकड़े नहीं रहते। जो उनके पास आता है, उसे आशीर्वाद दे देते हैं। यह सहजता, यह उदारता, यह विशाल हृदय-मानव जीवन की सर्वोच्च संपत्ति है। मानव स्वभाव में भी ये दोनों छोर मौजूद हैं। कभी हम अत्यंत कोमल होते हैं, कभी अत्यंत कठोर। कभी क्षमा करने वाले, कभी क्रोधित। सवाल यह नहीं कि क्रोध क्यों आता है? क्रोध भी ऊर्जा है। यदि उसमें जागरूकता न हो तो वह विनाशकारी बन जाता है, यदि उसमें करुणा और विवेक जुड़ जाएं तो वही क्रोध अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति देता है। यही रुद्र का संतुलित रूप है।

ऐसे सीखें संतुलन

संतुलन का रहस्य भीतर की शून्यता में है। जब तक 'मैं' बहुत बड़ा है - मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरा अहंकार - तब तक रुद्र का रूप हमें डराता है और भोलेपन को हम कमजोरी समझते हैं। पर जैसे ही ध्यान के माध्यम से हम भीतर स्थिर होते हैं, एक चौथी अवस्था का अनुभव होता है - जहां न पूरी तरह जाग्रत हैं, न स्वप्न में, न गहरी नींद में। उस मौन में दोनों छोर एक हो जाते हैं। वही शिव का अनुभव है। जब आप भीतर से शांत होते हैं, तब आवश्यकता पड़ने पर स्पष्ट और दृढ़ हो सकते हैं, बिना क्रोध के। और जब प्रेम की आवश्यकता हो, तब सहज और कोमल हो सकते हैं, बिना असुरक्षा के। यही जीवन की कला है - स्थिति के अनुसार रूप बदलना पर तत्व में स्थिर रहना।

कोई गलती करे तो भोले बनें

यदि कोई अन्याय हो रहा है तो रुद्र बनिए - स्पष्ट बोलिए, सत्य के लिए खड़े रहिए पर भीतर द्वेष मत रखिए। यदि कोई गलती कर दे तो भोले बनिए - क्षमा कीजिए, आगे बढ़िए। यही संतुलन व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि अच्छा और बुरा सापेक्ष है। जो आज विनाश लगता है, वही कल सृजन का आधार बन सकता है। जो आज कठोर निर्णय है, वही भविष्य में किसी के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। इसलिए जीवन को व्यापक दृष्टि से देखें। शिव बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। रुद्र भी भीतर है और भोले भी। जब हम इन दोनों को पहचान लेते हैं, स्वीकार लेते हैं और सजगता से जीते हैं, तब जीवन सहज हो जाता है। तब न हम अपनी शक्ति से डरते हैं, न अपनी सरलता से। शक्ति और करुणा, तीक्ष्णता और निष्कपटता- इनका संगम ही पूर्ण मनुष्य का निर्माण करता है।

भीतर हो आकाश-सी विशालता

मैं अक्सर कहता हूं बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए, पर हृदय कोमल। आमतौर पर तीक्ष्ण बुद्धि के साथ कठोरता आ जाती है और सरलता के साथ गहराई कम हो जाती है। पर शिव में दोनों का अद्भुत संगम है। वह अत्यंत ज्ञानी हैं पर उतने ही निष्कपट भी। वह समाधि में मौन बैठ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तांडव भी कर सकते हैं। यह लचीलापन ही पूर्णता है। आज की दुनिया में हम या तो बहुत आक्रामक हो जाते हैं या बहुत संवेदनशील। दोनों ही स्थितियां असंतुलन पैदा करती हैं। केवल कठोरता संबंधों को तोड़ देती है, केवल सरलता व्यक्ति को शोषण का शिकार बना सकती है। शिव हमें सिखाते हैं कि भीतर आकाश जैसी विशालता हो तभी हम अग्नि को भी धारण कर पाएंगे और शीतलता को भी। शिव के मस्तक पर चंद्रमा है - मन की शीतलता का प्रतीक। उनकी जटाओं से गंगा बहती है - ज्ञान की धारा। गले में विष धारण है - जीवन की कटुता को स्वीकारने की क्षमता। हाथ में त्रिशूल है - सत्व, रज और तम तीनों गुणों पर संतुलन। और वह श्मशान में भी विराजते हैं - यह स्मरण कराने के लिए कि जीवन और मृत्यु अलग नहीं हैं।

Adobe Stock

शिव: सारे विरोधाभास जहां हो जाते हैं विलीन

योगिक संस्कृति में शिव को भगवान के रूप में नहीं देखा जाता। 'शिव' यानी 'वह जो नहीं है।' आधुनिक विज्ञान यह साबित कर रहा है कि सब कुछ शून्य से आता है और शून्य में वापस चला जाता है। तो अस्तित्व का आधार और ब्रह्मांड का मूल गुण विशाल शून्यता है, जिसे शिव कहा जाता है। सब कुछ शिव से आता है और शिव में चला जाता है।

जब शिव ने गर्जना की

योग कथाओं में हम कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत गर्जना से हुई, रुद्र के रूप में यानी बिलकुल शून्य से, शिव सृष्टि के पहले रूप में जीवंत हुए। कहानी कुछ इस तरह है: जब शिव सो रहे थे तो शक्ति उन्हें ढूंढते हुए आई। वह चाहती थीं कि वह जाग जाएं क्योंकि वह उनके साथ नृत्य करना और खेलना चाहती थीं। अगर आप गहरी नींद में हों और कोई आकर आपको जगा दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति कितना सुंदर है, आपको गुस्सा आएगा। तो शिव गुस्सा हुए, गरजे और उठ खड़े हुए। इसीलिए उनका पहला रूप और उनका पहला नाम रुद्र है। 'रुद्र' यानी वह जो गर्जना करता है।

आज भौतिक विज्ञान इस बात से सौ फीसदी सहमत है। मैं जाने-माने वैज्ञानिक के भाषण में उपस्थित था। सत्र का नाम 'बियॉन्ड द बिग बैंग' था क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक समाज का मानना था कि सब कुछ बिग बैंग की वजह से हुआ था। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं, "यह सिर्फ एक बिग बैंग नहीं था, कई धमाके हुए होंगे।' अगर आपने कभी बिना साइलेंसर के मोटरसाइकिल या कार चलाई हो तो आप देखेंगे कि वह 'बैंग, बैंग, बैंग' की आवाज करेगी, लेकिन आप थ्रोटल बढ़ाएंगे तो वह गरजेगी। गर्जना कई धमाकों का मिला-जुला रूप है। मैंने उस वैज्ञानिक से पूछा, 'अगर धमाकों की एक श्रृंखला है तो क्या वह गर्जना हो सकती है? क्या वह सिर्फ एक धमाका था या लगातार हो रहा था?' उसने सोचा और कहा, 'यह सिर्फ एक नहीं हो सकता, यह एक पल से ज्यादा लंबा रहा होगा।' यह मेरे लिए दिलचस्प था क्योंकि यह सिद्धांत अब बिलकुल योगिक कथाओं जैसी लगने लगी है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम योगी हमेशा से जानते हैं। लेकिन धीरे-धीरे, आधुनिक विज्ञान न सिर्फ योगिक कथाओं की तरह बात करने लगा है, बल्कि वह उन्हीं रूपों और आकृतियों के बारे में भी बताने लगा है जिन्हें हमने हमेशा पवित्र माना है और जिनकी पूजा की है। मुझे नहीं पता कि विज्ञान ने इन चीजों को खोजने में कितना पैसा, समय और ऊर्जा खर्च की है, अगर आप अपने अंदर झांकने को तैयार हैं तो हर इंसान के लिए इसे देखना मुमकिन है।

भोलेनाथ - मासूम प्राणी

भारत के कुछ हिस्सों में शिव को भोलेनाथ के रूप में पूजा जाता है। भोलेनाथ का मतलब है 'मासूम।' शिव और पार्वती बद्रीनाथ में रहते थे। एक दिन जब वे टहलकर लौटे तो उनके घर के द्वार पर एक छोटा बच्चा रो रहा था। इस बच्चे को फूट-फूटकर रोता देखकर पार्वती ने बच्चे को उठाना चाहा। शिव ने कहा, 'यह बच्चा नहीं है। इसे मत उठाओ।' पार्वती ने नहीं सुना। उन्होंने जवाब दिया, 'बच्चा रो रहा है। मुझे इसे उठाना होगा।' वह उसे घर के अंदर ले गईं, उसे अच्छे-से खिलाया। फिर उसे घर में छोड़कर शिव के साथ बाहर चली गईं।

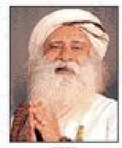

सद्गुरु

जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे अंदर से बंद थे। पार्वती हैरान थीं, 'घर को अंदर से किसने ताला लगाया है?' शिव ने कहा, 'मैंने तुमसे कहा था, बच्चे को मत ले जाओ।' पार्वती ने कहा, 'दरवाजा खोलो। कौन है? अंदर कौन है?' वह बच्चे के वेश में विष्णु थे। उन्हें वह जगह पसंद आई और उस पर कब्जा करना चाहते थे। फिर शिव ने कहा, 'चलो, कहीं और चलते हैं। घर में कोई रह रहा है।' तब शिव और पार्वती कहीं और चले गए।

शिव सबसे शक्तिशाली हैं, फिर भी कोई भी उन्हें धोखा दे सकता है क्योंकि जब हम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, तो हम बुद्धिमत्ता को तार्किक सोच के तौर पर नहीं देख रहे होते। हम बुद्धिमत्ता को जीवन का जरिया और बुनियादी स्रोत मान रहे होते हैं। एक तरह से आत्मज्ञान का मतलब बस यही है। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति तार्किक रूप से चतुर नहीं हो सकता, लेकिन उनकी बुनियादी जीवन बुद्धिमत्ता उनके अंदर पूरी तरह से बह रही है। बाहर, अगर वे चतुर बनना चाहें, तो बन सकते हैं। लेकिन कई बार, उन्हें बाहरी दुनिया में चतुर होने की परवाह नहीं होती।

शिव यानी संपूर्ण समावेशी जीवन

आमतौर पर, दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में, जिसे भी लोग भगवान कहते हैं, उसे हमेशा अच्छा कहा जाता है। लेकिन आप शिव की पहचान अच्छे व्यक्ति या खराब व्यक्ति के तौर पर नहीं कर सकते। वह एक ही व्यक्ति में मौजूद सारे गुणों का मिलाजुला रूप हैं। अगर आप इस एक व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हैं तो आपने जीवन को ही पार कर लिया है। वह सबसे सुंदर हैं, लेकिन सबसे बदसूरत भी हैं। वह महान तपस्वी हैं और पारिवारिक इंसान भी। वह सबसे ज्यादा अनुशासित हैं, लेकिन शराबी और नशेड़ी भी हैं। वह नर्तक हैं और बिल्कुल निश्चल भी हैं। देवता, राक्षस और दुनिया के हर तरह के जीव उनकी पूजा करते हैं। तथाकथित सभ्यता ने उन सभी हजम न होने वाली कहानियों को सुविधानुसार निकाल देने की कोशिश की है, लेकिन शिव का सार यही है। वह सर्वसमावेशी किस्म के हैं, करुणा या किसी दूसरी भावना से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वह जीवन की तरह हैं।

संडे स्पेशल

प्यार अपराध है, हिंसा परंपरा?

■ नमिता जोशी

जहां मिलेंगे बंटी-बबली, तोड़ देंगे हड्डी-पसली। जहां मिलेंगे बाबू-सोना, तोड़ देंगे कोना-कोना।

यह कोई मामूली मंत्र नहीं, लट्ठ पूजा के जादुई मंत्र हैं। दरअसल, हमारे देश में पूजा-पाठ का बड़ा लोकतांत्रिक स्वरूप है। कोई फूल चढ़ाता है, कोई दीप जलाता है और कोई डंडा पूजता है। जी हां, लट्ठ पूजा। यह पूजा प्रेम के खिलाफ, मुस्कान के खिलाफ और दो हाथ थामे खड़े युवाओं के नाम समर्पित है। वैलंटाइन वीक आते ही अचानक कुछ लोगों के अंदर का संस्कृति-प्रेम छलांगें मारने लगता है। इतना कि वे कानून से खिलवाड़ करने से भी नहीं घबराते और बस थाम लेते हैं लट्ठ और फिर जपते हैं यह मंत्र सीना चौड़ा करके, न्यूज चैनलों के सामने।

स्टाइल ऐसा मानो कि वे समाज सुधारक हैं। तर्क यह कि वे अश्लीलता के खिलाफ हैं। डर यह कि कहीं दो लोग हंसते हुए पार्क या रेस्टोरेंट में बैठ न जाएं और विश्वास यह कि पश्चिमी संस्कृति सिर्फ चॉकलेट और गुलाब के साथ आती है, इंसानियत, बराबरी और निजी आजादी साथ नहीं लाती। बंटी बबली की हड्डी पसली के नाम यह मंत्र कोई डायलॉग या नारा नहीं, बल्कि धमकी है। यह संस्कृति नहीं, सरेआम डर का प्रदर्शन है। यह आस्था नहीं, आक्रोश की राजनीति है।

लट्ठ पूजन दस्ते खास तौर पर अपनी नजर होटल, मॉल और पार्क पर रखते हैं क्योंकि उनके अपराध वहीं होते हैं। अपराध यानी साथ बैठना, हंसना, तस्वीर लेना। अपराध यानी सहमति से जीने की कोशिश। अपराध यानी यह मान लेना कि किसी और की अनुमति के बिना भी जीवन जिया जा सकता है। दिलचस्प यह है कि यही लोग लव जिहाद का नारा लगाते हैं। एक ऐसा शब्द जो डर पैदा करने के लिए गढ़ा गया, पर किसी अदालत में साबित नहीं हुआ। प्रेम यहां राष्ट्रद्रोह बन जाता है, लेकिन नफरत देशभक्ति। और हिंसा? वह तो 'संस्कृति की रक्षा' का साधन है।

पुलिस-प्रशासन कहते हैं - हम निगरानी रख रहे हैं। निगरानी किस पर? प्रेमियों पर या लाठियों पर? क्योंकि अगर निगरानी सच में कानून पर होती तो लट्ठ पूजा सार्वजनिक तमाशा न बनती। इनके रील सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होते। अगर कानून बोलता, तो डंडा चुप हो जाता। लेकिन यहां उलटा है। डंडा बोलता है, कानून चुप रहता है। और तब सवाल उठता है, क्या हमारे समाज में प्यार करना गुनाह है? अगर हां, तो बलात्कार क्या है? रिवाज? अगर पार्क में हाथ पकड़ना अपराध है, तो सड़कों पर महिलाओं को डराना क्या है? संस्कृति?

अजीब न्याय है यह। जहां अपराधी नहीं, प्रेमी विलन हैं, जहां सहमति संदिग्ध है, पर जबरदस्ती पर शोर नहीं। जहां 'सभ्यता' का पैमाना यह तय करता है कि कौन किससे प्यार करे और कब, कहां कैसे करे। इन लट्ठधारियों से एक सीधा-सा सवाल है कि कभी आपने डंडा उठाकर रेपिस्टों के खिलाफ मार्च किया? कभी आपने बलात्कारियों के पोस्टर फाड़े? कभी आपने पीड़िताओं के लिए न्याय मांगा? या वहां संस्कृति

आड़े आ जाती है?

अफसोस की बात देखिए। एक ओर दुनिया भर में जेन-जी सवाल पूछ रही है - सत्ताओं से, परंपराओं से, पाखंड से। स्वीडन में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ स्कूल स्ट्राइक से लेकर अमेरिका में गन कंट्रोल, नस्लवाद और महिलाओं के अधिकारों तक, हांगकांग में लोकतंत्र की रक्षा के लिए छात्र आंदोलन, ईरान में 'वुमन, लाइफ, फ्रीडम' के नारे के साथ हिजाब कानून के खिलाफ युवतियों का आंदोलन, श्रीलंका में आर्थिक बदहाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता को झुकाने वाला युवा विद्रोह, चिली में शिक्षा और असमानता पर संविधान तक बदल देने वाला दबाव और फ्रांस और जर्मनी में जलवायु और सामाजिक न्याय के लिए निरंतर छात्र प्रदर्शन यानी एक पूरी पीढ़ी सत्ता, पाखंड और असमानता को चुनौती दे रही है और हमारे यहां की जेन-जी? वह यह सीख रही है कि कब नजरें झुका ले, कब रास्ता बदल ले, कब पार्क की बेंच खाली छोड़ दे ताकि किसी 'संस्कृति रक्षक' का लट्ठ न चल जाए।

यह सिर्फ वैलंटाइंस डे की बात नहीं है। यह उस मानसिकता की कहानी है जो प्रेम से डरती है, क्योंकि प्रेम सवाल करता है। प्रेम बराबरी सिखाता है। प्रेम आजादी मांगता है। और जहां सवाल, बराबरी और आजादी हों, वहां लट्ठ की राजनीति नहीं चलती। वे कहते हैं - हम तो अश्लीलता के खिलाफ हैं। लेकिन अश्लीलता क्या है? दो लोगों का साथ बैठना? या सरेआम हिंसा की धमकी? अश्लील क्या है? गुलाब देना? या हड्डियां तोड़ने या गंजा कर देने की भाषा? संस्कृति अगर इतनी कमजोर है कि एक कार्ड और एक चॉकलेट से टूट जाए, तो उसे बचाने के लिए डंडे नहीं, आत्ममंथन चाहिए। और अगर संस्कृति मजबूत है तो उसे किसी लाठी की जरूरत नहीं।

लोकतंत्र में आस्था संविधान में होती है, न कि लट्ठ में। समाज सुधार आपसी समझ और बातचीत से होता है, डर से नहीं। नैतिकता तब विश्वसनीय लगती है, जब वह सबसे पहले हिंसा के खिलाफ खड़ी हो, प्यार के खिलाफ नहीं। शायद एक दिन हमारी सड़कों पर यह सीन बदलेगा। शायद एक दिन लट्ठ पूजा की जगह कानून पूजा होगी। शायद एक दिन संस्कृति की रक्षा प्रेम से होगी, नफरत से नहीं। तब तक, हमारे यहां वैलंटाइंस डे नहीं, डर का उत्सव मनाया जाता रहेगा क्योंकि इस देश में अभी भी प्यार सवाल है और लट्ठ जवाब।

जेनरेशन की उलझन | संडे NBT स्पेशल

बदलते वक्त के साथ पैरंट्स और बच्चों के रिश्तों में नई चुनौतियां आ रही हैं। पढ़ाई, करियर, दोस्ती, आजादी और भरोसे जैसे मुद्दों पर अक्सर दोनों पीढ़ियों के बीच दूरियां, गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन उनकी खुलकर बातचीत कम ही हो पाती है। हमारे इस स्पेशल कॉलम में रीडर्स बेझिझक अपने सवाल पूछ सकते हैं। जाने-माने एक्सपर्ट्स उनका जवाब देंगे। आज सवालों के जवाब दे रही हैं, चाइल्ड साइकॉलजिस्ट व एडोलसेंट काउंसलर प्रीति श्रीवास्तव

बेटा बातें छिपाने लगा है, गलत आदतों में पड़ने का भी डर है...

■ मेरा बेटा पिछले 3 साल से हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है। उसके बर्ताव में बदलाव आ गया है। वह हमसे बातें छिपाने लगा है, झूठ भी बोलता है और परिवार से पहले जैसा जुड़ाव नहीं रखता। शायद उसे कुछ गलत आदतें पड़ गई होंगी, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। अब उससे कैसे बात करें और उसे सही दिशा में कैसे लाएं? क्या हॉस्टल भेजना हमारा गलत फैसला था? - एक पाठिका

यह समझ लीजिए कि आपने कोई गलती नहीं की। हर माता-पिता अपने बच्चे के बेहतर फ्यूचर के लिए ही फैसले लेते हैं और हॉस्टल भेजना भी उसी सोच से लिया गया फैसला होगा। लेकिन जब बच्चे के बर्ताव में बदलाव दिखता है तो चिंता होना स्वाभाविक है। 3 साल हॉस्टल में रहना बच्चे को बदल देता है। वह थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है, कभी-कभी इमोशनली दूर भी लग सकता है। इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वह गलत रास्ते पर है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि बताऊंगा तो डांट पड़ेगी या मम्मी-पापा समझ नहीं पाएंगे। इस उम्र में वे खुद भी कन्फ्यूज रहते हैं। अभी आपको उससे पूछताछ करने के बजाय कनेक्शन बढ़ाने की जरूरत है। उससे ऐसे बात करें कि उसे महसूस हो कि घर सेफ प्लेस है, कोई कोर्ट रूम नहीं। 'तुम बदल गए हो' कहने की जगह कहें, 'हमें तुम्हारी याद आती है', 'कोई बात है तो हम तुम्हारे साथ हैं।' अगर पढ़ाई बहुत गिर रही हो या बर्ताव में तेज बदलाव दिखे तो शांति से किसी प्रफेशनल से गाइडेंस ली जा सकती है, लेकिन तुरंत हॉस्टल का फैसला गलत मानना सही नहीं। कई बार समस्या जुड़ाव की होती है। हफ्ते में एक बार उससे बिना पढ़ाई की बात किए सिर्फ उसकी लाइफ, दोस्तों और फीलिंग्स पर बात करें।

जेनरेशन की उलझन

हमें ऐसे भेजें अपने सवाल

यह कॉलम पैरंट्स और बच्चों दोनों के लिए है। अगर आपके भी कुछ सवाल हो तो हमें sundaynbt@timesofindia.com पर ईमेल करें या वॉट्सऐप नंबर 89298-16941 पर मंगलवार तक भेज दें। चुने हुए सवालों पर एक्सपर्ट्स से बात करके जवाब पब्लिश किए जाएंगे।

पैरंट्स हर बात पर टोकते हैं, अपनी बात कहने से डरता हूं...

■ मैं एक स्टूडेंट हूं। मेरे पैरंट्स हर छोटी-बड़ी बात में टोका-टाकी करते हैं। वे पढ़ाई, दोस्तों, मोबाइल के इस्तेमाल या बाहर जाने जैसी हर चीज पर लगातार कंट्रोल रखना चाहते हैं, जिससे मुझे झुंझलाहट होती है। कई बार अपनी बात कहने का मन भी नहीं करता क्योंकि डर रहता है कि वे समझने के बजाय डांट देंगे। मैं चाहता हूं कि वे मुझ पर भरोसा करें। उनसे इस बारे में कैसे बात करूं? -एक पाठक

सबसे पहले यह समझ लो कि जो तुम महसूस कर रहे हो, वह गलत नहीं है। हर बात पर टोका-टाकी होना सच में इरिटेट करता है और ऐसा लग सकता है कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा रहा। इसलिए मन करता है कि कुछ भी शेयर न करो। यह एक नेचरल रिएक्शन है। लेकिन अक्सर पैरंट्स में यह कंट्रोल रखने की इच्छा उनके डर से आती है। उन्हें लगता है कि आज की दुनिया में मोबाइल, दोस्त और बाहर का माहौल बच्चों को भटका सकता है या उनके फ्यूचर पर असर डाल सकता है, इसलिए वे जरूरत से ज्यादा सख्त हो जाते हैं। अगर तुम गुस्से में कहोगे कि 'आप बहुत कंट्रोल करते हैं', तो वे तुरंत डिफेंसिव हो जाएंगे, लेकिन अगर शांति से बात शुरू करो जैसे कि 'मुझे आपसे एक बात करनी है', 'पहले पूरी सुन लीजिए' और फिर समझाओ कि ज्यादा रोकने से तुम्हें लगता है कि भरोसा नहीं किया जा रहा और तुम्हें थोड़ा स्पेस चाहिए तो बात ज्यादा असर करती है। याद रखो, ट्रस्ट मांगने से नहीं, धीरे-धीरे जिम्मेदारी दिखाने से बनता है। समय पर घर आना, पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद लेना, मोबाइल का कम इस्तेमाल, ये सब पैरंट्स को दिखाता है कि तुम संभलकर फैसले ले सकते हो, तब वे खुद ढील देंगे।

डेडली कॉम्बो: जलेबी + रबड़ी

आजकल शादियों का सीजन है। वहां खूब मसालेदार खाना मिलता है और होती हैं मिठाइयां, जैसे - जलेबी और रबड़ी। इस बार डेडली कॉम्बो में हम इनकी ही बात करेंगे। इसे बहुत थोड़ी मात्रा में खा लें तो चल सकता है, लेकिन ज्यादा खाने से न सिर्फ वजन बढ़ता है बल्कि फैटी लिवर की परेशानी भी हो सकती है।

जलेबी में कैलरी

150-200 कैलरी 1 पीस मीडियम साइज की जलेबी में

300-400 कैलरी 2 पीस मीडियम साइज जलेबी में

700-800 कैलरी 100 ग्राम जलेबी (5-7 पीस) में

ऐसे होती है तैयार

मैदा: प्रोसेस्ड फूड है। सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है।
रिफाइंड या घी: यह रिफाइंड या घी में डीप फ्राई होती है।
फूड कलर: अच्छी क्वॉलिटी का कलर यूज न करने पर किडनी, लिवर के लिए नुकसानदायक हो सकती है।
चीनी की चाशनी: इससे शुगर तेजी से बढ़ती है।

जलेबी+रबड़ी दोनों जब आएं साथ

400-500 2 जलेबी+ 2 चम्मच रबड़ी में

650-700 2 जलेबी+ आधी कटोरी रबड़ी में

1000-1100 100 ग्राम जलेबी+1 कटोरी रबड़ी में

रबड़ी में कैलरी

200-250 कैलरी आधी कटोरी रबड़ी (100 ग्राम) में

400-500 कैलरी 1 कटोरी (200 ग्राम) रबड़ी में

ऐसे होती है तैयार

फुल क्रीम दूध: रबड़ी बनाने के लिए फुल क्रीम दूध को लंबे समय तक उबाला जाता है जिससे इसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
चीनी: इसे मीठा करने के लिए ज्यादातर जगहों पर चीनी के साथ दूध को उबाला जाता है।

खास बात

1000 कैलरी को बर्न करने के 12 से 15 किलोमीटर की दौड़ या फिर 2 घंटे तक ब्रिस्क वॉक करना होगा या इससे भी कुछ ज्यादा ही करना पड़ सकता है। इसलिए वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो मिठाइयों का सेवन कम करें।

क्या ध्यान रखें?

महीने-दो महीने में 1-2 जलेबी और 1-2 चम्मच से आधी कटोरी रबड़ी खाते हैं तो ज्यादा परेशानी नहीं है। बशर्ते खाने वाले को फैटी लिवर, डायबीटीज न हो।

सोनीपत में पेड़ से टकराई कार, 5 की मौत

■ NBT न्यूज, सोनीपत

जिले के गोहाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात सड़क हादसे में पांच युवकों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं। सात दोस्त शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में गोलू (गांव फुलकानी), अंकुश, दीपक, सागर और साहिल (सभी गांव खिड़वाली) की मौके पर ही मौत हो गई। सभी की उम्र 25 से 28 साल के बीच थी। अंकित और सागर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक रोहतक के गांवों के रहने वाले थे।

सड़क हादसे में 3 जवानों की जान गई

छत्तीसगढ़ में नैशनल हाइवे पर खड़े ट्रक से कार टकरा गई। 3 जवान और कार ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं, जयपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई।

SAHAKAR TAXI COOPERATIVE LIMITED
O/O NCDC, 4 Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi - 110016

Sahakar Taxi Cooperative Limited is engaged in mobility services pan India. For smooth functioning and its operations, it invites applications for the following positions from experienced professionals to give our business a new way.

1. Asstt. Manager (Operations) – Lucknow (1 Post), Mumbai (1 Post), Jaipur (1 Post)
2. Executive (Safety) – 1 Post
3. Executive (Grievance Handling) – 1 Post
4. Executive (Call Centre & Reporting) – 1 Post
5. Executive (HR & Coop. Services) – 1 Post

The complete details of educational qualifications, experience and eligibility criteria is available on **website www.bharattaxiapp.com.**

Last date of receiving applications is 28th February 2026.

Interested and eligible candidates may kindly apply in the format (Available in website) with all supporting documents (qualification, experience & other important documents) at our **email: hr@bharattaxiapp.com.**

VARDHMAN PLAZAS SHOP OFFICE LEADER
SINCE 1981

VARDHMAN OFFERS
SHOPS, OFFICES & SHOWROOMS
RENT / SALE

VARDHMAN premium MALL
OUTER RING ROAD, DEEPALI, PITAMPURA, DELHI

HIGHLIGHTS
PRIME LOCATION • AD JOINING TARUN ENCLAVE
OPPOSITE MAGLAM PLACE DISTRICT CENTRE/KALI MATA MANDIR
NEAR DEEPALI CHOWK METRO STATION
READY POSSESSION WITH COMPLETION CERTIFICATE
FOR ENQUIRY
9818798370, 9810017489
VARDHMAN PLAZAS SHOP OFFICE LEADER
G-9, Vardhman Trade Centre, Nehru Place, New Delhi-110019, Ph.: +91 11-41051190
Email: vardhmanplaza@hotmail.com
Visit us at www.vardhmanplazas.com
BUILD YOUR DREAMS TRUE AT AFFORDABLE PRICES
VARDHMAN
PLAZAS • MALLS • RESIDENTIAL • MULTIPLEXES • HOTELS

आईआईएम मुंबई
भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई
Indian Institute of Management Mumbai
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
विकसित भारत @2047

2026 के लिए प्रवेश शुरू

एमबीए
अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश
(पीआईओ/ओसीआई/एनआरआई/विदेशी नागरिक)

एमबीए
जीमैट श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश

एमबीए
(मीडिया और मनोरंजन)
दो वर्षीय कैंपस गैर-आवासीय
(भारतीय एवं विदेशी नागरिक)

कला प्रदर्शन के लिए रचनात्मक नेतृत्व में एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम
(भारतीय एवं विदेशी नागरिक)

पीएच.डी. कार्यक्रम एवं कार्यपालक पीएच.डी. कार्यक्रम

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:
www.iimmumbai.ac.in/admissions-2026
ईमेल : admissions@iimmumbai.ac.in

celebrate the rich cultural heritage and craftsmanship of 100% pure silk, cotton, linen handloom products across the country.
HAND to HAND
EXHIBITION & SALE
"SILK MARK" certified silk products
Silk Saree | Cotton Saree | Kurti
Dress | Dress Material | Much More
12 TO 19 FEBRUARY
Constitution Club of India
Opp. RBI, Rafi Marg, New Delhi
Entry Free| All UPI / Debit / Credit Cards Accepted | M: 8216201118

Jawahar / Modi Style
JACKETS
SUITS • BLAZERS
ALSO AVAILABLE LONG COATS
upto 60% off
Formal • Casual • Party wear
By Economy Sales: 9212758425
ARROW | Raymond | PARK AVENUE | LOUIS PHILIPPE
• PUNCHKUIAN ROAD, Garwal Bhawan, (Near Jhandewalan, Gole Chkr.)
• GURUGRAM 306, City Center, Sector 29 (Near Hotel Pllazio)
• WAZIRPUR A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh)
• NOIDA, Nirula's Sec-2, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP
• LAJPAT NAGAR, 49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand Crossing

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पश्चिम विहार एवं केंद्रीय विद्यालय शकूरबस्ती, नई दिल्ली - 110087
संपर्क सूत्र: 011-43055822, 011-25269441

संविदा आधारित वाक-इन साक्षात्कार हेतु

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पश्चिम विहार एवं केंद्रीय विद्यालय शकूरबस्ती के लिए शैक्षिक सत्र 2026-27 का अंशकालिक संविदा अनुबंध आधार पर (जैसे और जहाँ आवश्यक हो) शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पैनल बनाने के लिए वाक-इन साक्षात्कार 22 एवं 23 फरवरी को आयोजित होगा।

क्रमांक	दिनांक	पद
1	22 फरवरी 2026	प्राथमिक शिक्षक, बालवाटिका शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, खेल प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, नर्स, विशेष शिक्षक, कौंसलर, इत्यादि।
2	23 फरवरी 2026	स्नातकोत्तर शिक्षक एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हेतु। (विषय हेतु वेबसाइट अवलोकन करें)

इच्छुक अभ्यर्थी विद्यालय की वेबसाइट (घोषणा अनुभाग) पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को विधिवत भरे हुए प्रार्थना पत्र, शैक्षिक, व्यावसायिक मूल प्रमाण पत्र, उनकी स्वप्रमाणित प्रतियाँ तथा पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है।
योग्यता/अर्हता संबंधी जानकारी और अपडेटेड सूचना हेतु हमारी वेबसाइट पर जाएं या विद्यालय सूचनापट्ट देखें।
Website: https://paschimvihar.kvs.ac.in/
पंजीकरण का समय / Registration time: 08:00 am to 10:00 am.

प्राचार्य

सत्यमेव जयते
दिल्ली सरकार

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय।
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय॥

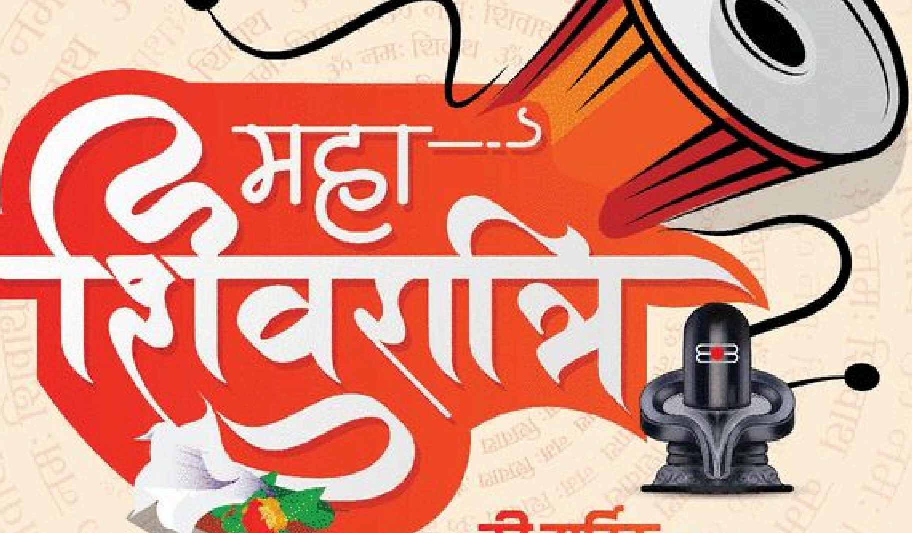

आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से सभी देशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य आए। ॐ नमः शिवाय!
-नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

DIP/Shabdarth/Display/0136/25-26

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 15-02-2026 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH10 User: cci Time: 02-14-2026 22:04 Color:

क्या साथ खाने से प्यार बढ़ता है? क्या जूठा पानी पीना ज्यादा करीब होने की निशानी है? इन सवालों के जवाब चाहे कुछ भी हों लेकिन यह सच है कि ऐसा करने से इन्फेक्शन फैल सकता है। यह रिस्क बच्चों और बड़ों में कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन खतरा तो है। यह जानना जरूरी है कि ऐसी कौन-सी स्थितियां होती हैं जब जूठा खाना ज्यादा रिस्की नहीं होता और कब ऐसा करना बहुत खतरनाक हो जाता है? इस बारे में बेहतरीन डॉक्टरों से बातकर जानकारी दे रहे हैं लोकेश के. भारती

क्या आप भी जूठा खाते या खिलाते हैं?

AI Images

हमारी संस्कृति में साथ खाने, एक-दूसरे का जूठा खाने की मनाही नहीं है। लेकिन सेहत के लिहाज से जूठा यानी किसी के मुंह से लग हुआ खाना या पानी शेयर करना कई बार जोखिम भरा हो सकता है। लोग इसे सच्चे प्यार की निशानी भी कह देते हैं। वैसे अगर एक ही परिवार के लोग, जैसे- पति-पत्नी या पैरंट्स और उनके बच्चे साथ में खाते हैं तो इसलिए परेशानी नहीं होती क्योंकि बीमारी फैलाने वाला वायरस, बैक्टीरिया भी अमूमन परिवार का ही हिस्सा हो जाता है। साथ ही परिवार के हर शख्स के शरीर में अमूमन इनके खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हो चुकी होती है। हां, जब कोई घर में कहीं बाहर से आता है तो मुमकिन है कि वह कोई नया वायरस या बैक्टीरिया लेकर आए। इसलिए बाहर से आने पर अपने हाथों-पैरों आदि को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। फिर भी परिवार में भी ध्यान रखें कि किसी बच्चे, बुजुर्ग या बीमार को जूठा नहीं खिलाना है।

साथ जिएंगे, साथ मरेंगे... इसलिए खाते भी हैं साथ और पीते भी हैं एक ही बोतल से - अपनापन दिखाने का यह अच्छा तरीका है, लेकिन क्या हाइजीन के लिहाज से जूठा खाना-पीना सही है? जानते हैं:

आखिर जूठा खाना है क्या?

जिस भोजन या पानी को कोई शख्स पहले खा-पी चुका हो, चम्मच/गिलास मुंह से लगा चुका हो और वही चीज कोई दूसरा खाए तो उसे 'जूठा' कहते हैं। असल में जब कोई शख्स किसी खाने या पानी को अपने मुंह से लगाता है तो उसकी लार यानी सलाइवा उस भोजन या बर्तन में मिल जाती है। उस लार में सामान्य बैक्टीरिया (जो हर किसी के मुंह में मौजूद रहते हैं), वायरस, फंगस या पैरासाइट भी हो सकते हैं। ये हमारे मुंह में करोड़ों की संख्या में होते हैं। इनमें से ज्यादातर नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ से बहुत नुकसान हो सकता है। वहीं, जब किसी शख्स को इन्फेक्शन हो जाए तो वही लार बीमारी फैलाने का जरिया बन सकती है। इसलिए कमजोर इम्यूनिटी वालों को किसी का जूठा खाना खाने से मना किया जाता है। बच्चों और बुजुर्गों का जरूर ध्यान रखना चाहिए।

जूठा पानी, जूस आदि ज्यादा रिस्की हैं?

यह सच है कि खाने की तुलना में जूठा पानी कई बार ज्यादा रिस्की हो जाता है। इसकी वजह है कि जब हम गिलास या बोतल को मुंह से लगाते हैं तो लार से इनका सीधा संपर्क हो जाता है। वहीं, अगर पानी गुनगुना है तो मुमकिन है कि खतरा कुछ कम हो सकता है, लेकिन सामान्य पानी में या ठंडे पानी में रिस्क ज्यादा रहता है। दूसरी तरफ, पानी में वायरस और बैक्टीरिया के लिए खुद को खत्म होने से बचाना ज्यादा आसान होता है या फिर यह कहें कि सामान्य या कुछ ठंडा पानी इनके सर्वाइव करने के लिए ज्यादा बेहतर माध्यम है तो गलत नहीं होगा। इसलिए इन्फेक्शन फैलने के मामले अक्सर स्कूलों में या ऑफिस आदि में पानी की बोतल आदि शेयर करने से, ट्रेवलिंग के दौरान जूठा पानी पीने से, ज्यादा सामने आते हैं। कई बार एक ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल से पीने में इन्फेक्शन फैल सकता है। वहीं, कुछ मामलों में एक ही लिपस्टिक का उपयोग भी खतरनाक हो सकता है।

प्यार को वक्त दें, जूठन नहीं

कई बार घर में या सफर में दो लोग एक ही फल एक-दूसरे से शेयर कर लेते हैं। ऐसा अक्सर पति-पत्नी या पार्टनर जरूर करते हैं। यह प्यार के लिहाज से अच्छा हो सकता है, लेकिन हाइजीन के लिहाज से सही नहीं। इसलिए जब नई शादी हुई हो या पार्टनर से नई-नई जान-पहचान हुई हो तो एक ही फल को मुंह लगाकर खाने से बचें। कई बार हनीमून पर भी लोग ऐसा करते हैं। ऐसे में कोई एक पार्टनर बीमार हो सकता है। इसलिए जब पहचान पुरानी हो जाए, दोनों के शरीर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया की भी आपस में पहचान हो जाए, साथ ही - दोनों के शरीर में एक-दूसरे के वायरस, बैक्टीरिया आदि के खिलाफ इम्यूनिटी बन जाए तो हो सकता है कि एक ही फल को मुंह लगाकर खाने से बीमारी न फैले।

एक्सपर्ट पैनल

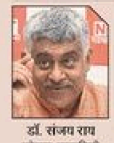

डॉ. संजय राय
प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, AIIMS

डॉ. अंशुल वार्ष्णेय
सीनियर कंसल्टेंट, फिजिशन

डॉ. प्रसन्ना भट्ट
सीनियर कंसल्टेंट, पीडियाट्रिक्स

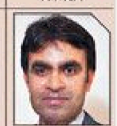

डॉ. चंद्रकांत लहरिया
सीनियर कंसल्टेंट, इंटरनल मेडिसिन

तौलिया भी न करें शेयर

घर में सबका तौलिया अलग-अलग होना चाहिए। जैसे हम किसी दूसरे का टूथब्रश या टंग क्लीनर यूज नहीं करते, ये चीजें किसी से शेयर नहीं करते, इसी तरह तौलिया भी है। कम से कम 13 साल तक के बच्चों या टीनेजर्स के तौलिए जरूर अलग होने चाहिए। इसी तरह बुजुर्ग और बीमार शख्स का तौलिया भी अलग हो। दरअसल, कॉमन टावल की वजह से स्किन से जुड़ी फंगल बीमारियां बहुत फैलती हैं। कुछ घरों में लोग बनियान और जुराबें भी शेयर कर लेते हैं, पर इससे भी बचना चाहिए।

यह है ऑफिस हाइजीन का हिस्सा

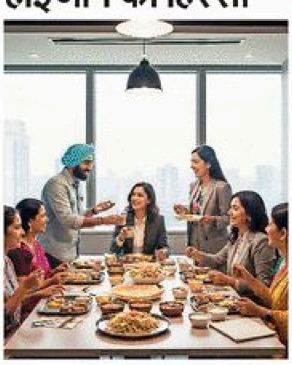

हम खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साफ करते हैं लेकिन खाना शेयर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान लें कि एक ही प्लेट में 3-4 लोग खा रहे हैं। उनमें से अगर 1 को छोड़कर बाकी सभी लोगों ने हाथ धोए हैं तो भी सभी में इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहेगा। फूड शेयरिंग खासकर ऑफिस आदि में जहां लोग एक-दूसरे की फूड हैबिट्स, मसालों आदि के बारे में ज्यादा नहीं जानते, वहां जब वे खाना शेयर करते हैं तो यह खतरा रहता है कि कोई शख्स ऐसा मसाला खा ले जो उसके शरीर में एलर्जी पैदा करता हो। ऐसे में एलर्जी के लक्षण दिख सकते हैं। ऐसा अमूमन मिर्च और गरम मसालों के साथ होता है। इसके अलावा और भी कई दिक्कतें पैदा सकती हैं। जैसे एक ही प्लेट में कोई बड़ा और बच्चा साथ-साथ खा रहे हैं या फिर दो ऐसे लोग खा रहे हैं, जिनकी खाने की स्पीड कम या ज्यादा है, ऐसे में यह मुमकिन है कि किसी एक को ज्यादा खाना मिले और किसी को कम। वहीं, साथ खाने में कई बार खाने की मात्रा का अंदाजा भी नहीं होता। आमतौर पर साथ खाते हुए लोग ज्यादा भी खा लेते हैं।

मामले से समझें

शेयरिंग का सही तरीका

शेयरिंग से परेशानी नहीं है। सही तरीका अपनाना जरूरी है। फैमिली में अगर कोई बीमार, बुजुर्ग या बच्चा न हो तो जूठा खाने या पीने से कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए।

ऋषभ 5वीं क्लास में पढ़ता है। पढ़ने में अच्छा है। दूसरों से घुलने-मिलने वाला बच्चा है। वह स्कूल से छुट्टी नहीं करना चाहता, लेकिन अक्सर उसे छुट्टी लेनी पड़ती है क्योंकि बार-बार सर्दी-जुकाम, बुखार जैसी परेशानी हो जाती है। कई बार डायरिया भी। इन वजहों से ऋषभ के पैरंट्स को डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कुछ दिन दवा खाने के बाद वह ठीक होता है। पिछले दिनों जब ऋषभ और उनके पैरंट्स डॉक्टर के पास गए तो बातों-बातों में पता चला कि ऋषभ की दोस्ती बड़ी पक्की है। वह अपना लंच हमेशा दोस्तों से शेयर करता है। उसके कई फ्रेंड्स तो उसके लंच बॉक्स से चीजें उठाकर खा लेते हैं। डॉक्टर ने जब ये बातें सुनीं तो ऋषभ से कहा कि शेयर करना अच्छी बात है। यह हमारी सोसायटी के लिए भी बढ़िया है। सभी को फूड शेयर करना चाहिए, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हारे लंच बॉक्स से तुम्हारे फ्रेंड्स सीधे हाथों से उठाकर खा लेते हैं? क्या वे तुम्हारी चम्मच से ही खा लेते हैं? इस पर ऋषभ ने 'हां' में सिर हिलाया और यह भी बताया कि मैं भी उनके लंच बॉक्स से ऐसे ही खाता हूं। तब डॉक्टर ने कहा कि आगे से खाना शेयर करना, लेकिन लंच बॉक्स से सीधे उठाकर खाने से तुम भी बचना और उन्हें भी रोकना। इसके लिए तुम उनके लंच बॉक्स में थोड़ा खाना या फ्रूट्स रख देना। वे भी तुम्हारे लंच बॉक्स में ही खाना रखें। फिर डॉक्टर ने पूछा कि क्या तुम पानी भी शेयर करते हो? ऋषभ ने फिर 'हां' कहा। इस पर डॉक्टर ने कहा कि खाना शेयर करने से ज्यादा रिस्की है पानी की बोतल या गिलास शेयर करना। फिर डॉक्टर ने ऋषभ के पैरंट्स को बताया कि इस उम्र में बच्चों की इम्यूनिटी विकसित हो रही होती है। कुछ बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा कमजोर हो सकती है। कोई बैक्टीरिया या वायरस जो एक बच्चे की उंगलियों या फिर मुंह में मौजूद है, हो सकता है कि उनका शरीर उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना चुका हो, लेकिन जब वही दूसरे बच्चों के शरीर में पहुंचता है तो उन्हें बीमार कर सकता है। जैसे ऋषभ के केस में अभी शरीर इम्यूनिटी विकसित नहीं कर पाया है। इसलिए उसे बार-बार इन्फेक्शन हो जाता है। पैरंट्स ने पूछा कि क्या यह बात किसी अडल्ट पर भी लागू होती है? डॉक्टर ने कहा कि अडल्ट की इम्यूनिटी अमूमन विकसित हो चुकी होती है। फिर भी बुजुर्ग और बीमार लोगों को इस तरह की शेयरिंग से जरूर बचना चाहिए। अगर फैमिली में बुजुर्ग, बच्चे और बीमार न हों तो अमूमन पूरी फैमिली की एक ही तरह की इम्यूनिटी बन जाती है। वे साथ में खाएं तो कम बीमार पड़ते हैं। लेकिन आमतौर पर पानी की बोतल, गिलास आदि घर पर भी जूठा शेयर करने से बचना चाहिए, वहीं स्कूल में तो इस तरह से जूठा पानी बिलकुल नहीं पीना चाहिए।

...तब जूठा हरगिज़ नहीं

कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जूठा खाना या पानी परिवार में शेयर करना पड़ जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि परिवार में भी अपना जूठा शेयर नहीं करना है, जैसे:

इनका जूठा न खाएं...

जिनको बुखार या वायरल इन्फेक्शन हो
सर्दी-जुकाम, फ्लू, गले में इन्फेक्शन हो। ऐसी परिस्थितियों में जूठा बिलकुल न खाएं। ये बहुत ज्यादा संख्या में वायरस को फौरन ही दूसरे शरीर में पहुंचा देते हैं। ऐसा कई बार पास सोने से भी फैल सकता है।

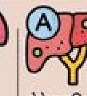

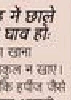

मुंह में छाले या घाव हों: जूठा खाना बिलकुल न खाएं। क्योंकि हर्पीज जैसे वायरस आसानी से फैल सकते हैं।

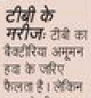

टीबी के मरीज: टीबी का बैक्टीरिया अमूमन हवा के जरिए फैलता है। लेकिन लार से भी खतरा बढ़ सकता है।

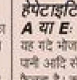

हेपेटाइटिस A या E: यह गंदे भोजन-पानी आदि से फैलता है। कोई इन्फेक्टेड है तो फैल सकता है।

बर्तन हों अलग और सफाई हो बढ़िया

जूठा खाने का जोखिम इस बात पर निर्भर करता है कि उस शख्स को कौन-सी बीमारी है। दूसरी अहम बात है कि फूड सॉलिड या लिक्विड है और कितना गर्म है? साथ ही इसकी मात्रा पर भी इन्फेक्शन निर्भर कर सकता है। अगर भोजन की मात्रा कम है तो मुमकिन है कि कम मात्रा में वायरस या बैक्टीरिया दूसरे शख्स के शरीर में पहुंचा हो जिसमें वायरल या बैक्टीरियल लोड कम होता है। ऐसे में मुमकिन है कि दूसरे शख्स का शरीर बीमारी से लड़ ले।

घर में इन्फेक्शन से बचने के लिए

बीमारी में बर्तन अलग
अगर कोई बीमार है और वह बीमारी फैलने वाली हो तो उस शख्स के खाने के बर्तन को अलग कर दें। उनकी अलग-से सफाई करें।

एक ही चम्मच न हो
अगर साथ-साथ खा रहे हैं तो भी मुमकिन है कि इन्फेक्शन न हो। लेकिन एक ही चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई बीमार हो तो खतरा बहुत बढ़ जाता है।

पानी की बोतल अलग
कोई बीमार हो या न हो, कोशिश करें कि हर एक शख्स की पानी की बोतल अलग हो।

टूथब्रश सबका अपना
यह ऐसी चीज है जो सबकी अपनी पर्सनल होती है। इसे तो हरगिज शेयर न करें।

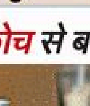

वायरल इन्फेक्शन

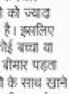

इनमें सर्दी-जुकाम, फ्लू, कोरोना, हर्पीज आदि शामिल हैं। ये सबसे कॉमन बीमारियां हैं। ये अमूमन कमजोर इम्यूनिटी वालों को ज्यादा परेशान करती हैं। इसलिए घर में अगर कोई बच्चा या बड़ा बार-बार बीमार पड़ता हो तो इन बातों के साथ खाने से पहले हाथों की सफाई का ध्यान भी जरूरी है।

बैक्टीरियल इन्फेक्शन

टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, स्किन इन्फेक्शन (फंगल) आदि। यह अमूमन खराब खाने, गंदे पानी आदि की वजह से फैलते हैं। अगर किसी के मुंह या हाथों में इन्फेक्शन है तो यह भी फैल सकता है। यहां इम्यूनिटी फैक्टर भी बहुत अहम है। जूठे खाने से दांतों में कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया भी फैल सकते हैं, मसूढ़ों का इन्फेक्शन हो सकता है।

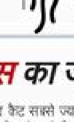

घर से बाहर ध्यान रखें

ऑफिस, हॉस्पिटल, होटल, मीटिंग या ट्रेवलिंग के दौरान इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल, कई बार अनजाने में हम दूसरों की बोतल से पानी पी लेते हैं या किसी का कप इस्तेमाल कर लेते हैं या होटल में खुले गिलास से पानी पी लेते हैं। ये छोटी-छोटी आदतें सामान्य लगती हैं, लेकिन सेहत के लिहाज से इनमें छिपे खतरों को समझना भी जरूरी है।

चूहे, कॉक्रोच से बचें

Adobe Stock

हम जाने-अनजाने में कई बार चूहे या कॉक्रोच का जूठा खा लेते हैं। किचन में इनकी मौजूदगी खतरनाक होती है। ये कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं। इनमें टाइफाइड सबसे अहम है। अगर घर में या किचन में इनकी मौजूदगी हो तो इन्हें भगाने के उपाय होने चाहिए। साथ ही खाने की चीजों को पूरी तरह से ढककर या पैक करके रखें।

पेट्स का जूठा न लें

घर में डॉग और कैट सबसे ज्यादा कॉमन पेट्स होते हैं। खरगोश आदि भी पाले जाते हैं। कई बार बच्चे और बड़े भी इनके साथ अपना खाना शेयर कर लेते हैं। ऐसा भी होता है कि उन्हें प्यार से कुछ खाने के लिए देते हैं तो उसी में से खुद भी खा लेते हैं। बच्चे ऐसा ज्यादा करते हैं जबकि उस खाने पर पेट्स की लार, बाल आदि हो सकते हैं। इससे एलर्जी समेत कई परेशानियां हो सकती हैं।

इन्हें बिलकुल न दें जूठा

छोटे बच्चे: बच्चों की इम्यूनिटी पूरी तरह विकसित नहीं होती।

बुजुर्ग: कमजोर इम्यूनिटी के कारण बुजुर्ग जल्दी बीमार पड़ सकते हैं।

प्रेग्नेंट लेडीज: कुछ इन्फेक्शन गर्भ में बच्चे पर भी असर डाल सकते हैं।

डायबीटीज या कैंसर मरीज: अगर कोई शुगर का पुराना मरीज है और उसकी शुगर काबू में नहीं रहती है तो कमजोर इम्यूनिटी की वजह से खतरा ज्यादा है।

फटाफट खबरें

शरद पवार को मिली अस्पताल से छुट्टी

■ भाषा, पुणे : सीने के संक्रमण के इलाज के लिए यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए राकांपा (शप) के अध्यक्ष शरद पवार को शनिवार दोपहर छुट्टी दे दी गई। राज्यसभा सदस्य पवार (85) दोपहर करीब एक बजे अस्पताल से रवाना हुए। पवार की बेटी और राकांपा (शप) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्हें तीन से चार दिन आराम करने की सलाह दी गई है।

US में भारतीय स्टूडेंट लापता

■ पीटीआई, न्यू यॉर्क : अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में 22 साल के इंडियन स्टूडेंट साकेत श्रीनिवासैया लापता हो गए हैं। कर्नाटक के साकेत US में पीजी स्टूडेंट हैं। IIT मद्रास से ग्रैजुएट होने के बाद वे अमेरिका गए थे। पुलिस के अनुसार, उन्हें आखिरी बार इवाइट वे इलाके में देखा गया था। पार्क हिल्स में उनका बैग मिला, जिसमें पासपोर्ट-लैपटॉप था। भारतीय दूतावास ने कहा कि वह परिवार और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है।

पोलिंग बूथ में था बच्चा, 2 पर ऐक्शन

■ भाषा, मुंबई : महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने सोलापुर में जिला परिषद चुनाव के एक उम्मीदवार के साथ उसके बेटे को मतदान केंद्र के भीतर जाने की अनुमति देने पर एक मतदान अधिकारी और पुलिस कॉन्स्टेबल को निलंबित करने का आदेश दिया है। विडियो में एनसीपी (शप) के अर्जुन सिंह मोहिते पाटिल का 14 साल का बेटा उनके साथ ईवीएम का बटन दबाते नजर आ रहा है।

हिमंता के खिलाफ कल सुप्रीम सुनवाई

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है, जिनमें असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मामला एक वायरल विडियो से जुड़ा है, जिसमें कथित रूप से उन्हें एक विशेष समुदाय के लोगों पर गोली चलाते दिखाया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच मामले की सुनवाई कर सकती है।

मणिपुर में फिर से हुई गोलीबारी

■ पीटीआई, इंफाल: मणिपुर पुलिस ने शनिवार को कहा कि उखरुल जिले के लितान सारेइखोंग इलाके में ताजा गोलीबारी हुई। आरोप है कि यह गोलीबारी तांगखुल नगा गांव के स्वयंसेवकों ने की, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस ने लितान और उसके आसपास रहने वाले कुकी और नगा समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं।

कांग्रेस ने उग्रवाद को दिया बढ़ावा : PM

असम में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे

■ पीटीआई, गुवाहाटी

PTI

पीएम मोदी का स्वागत करते सीएम हिमंता, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल

असम दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उस पर पूर्वोत्तर की उपेक्षा करने और अपने शासनकाल के दौरान असम में उग्रवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मोदी ने यहां एक रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है और असम में उसके कार्यकाल के दौरान भय और असुरक्षा का माहौल बना रहा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने सात दशकों में ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल तीन पुलों का निर्माण कराया, लेकिन बीजेपी सरकार ने 10 साल में ही पांच पुल बनवाए। बीजेपी सरकार के प्रयासों से असम में चौतरफा विकास हो रहा है।

> कहा- BJP सरकार के प्रयासों से असम में हो रहा विकास

उन्होंने कहा, 'कांग्रेस ने ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति में लिप्त होकर ऐसे निर्णय लिए, जिनसे इन चीजों को बढ़ावा मिला। देश का विभाजन मुस्लिम लीग के कारण हुआ था, लेकिन अब एमएमसी यानी माओवादी, मुस्लिम, कांग्रेस हैं और लोगों को इनके बारे में जागरूक होना चाहिए।' प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए अगले पांच साल राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, 'असम में 10 साल सत्ता से बाहर रहने के कारण कांग्रेस और अधिक खतरनाक हो गई है। यह बात उसके नेताओं के जहरीले बयानों से स्पष्ट है।' उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने सात दशकों में ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल तीन पुलों का निर्माण किया, लेकिन भाजपा सरकार ने 10 वर्षों में पांच पुलों का निर्माण किया। भाजपा सरकार के प्रयासों से असम में चौतरफा विकास हो रहा है। उन्होंने कहा, 'भाजपा असम की पहचान और उसकी परंपराओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा की सफलता का श्रेय केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को जाता है और पार्टी संगठनात्मक शक्ति में भरोसा रखती है।

इन परियोजनाओं का लोकार्पण

■ **छह लेन वाला पुल:** ब्रह्मपुत्र नदी पर लगभग 3,030 करोड़ रुपये की लागत से बने छह लेन वाला यह पूर्वोत्तर का पहला एक्सट्राडोज्ड प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट पुल' है, जो गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा। पीएम मोदी ने पुल पर चहलकदमी भी की। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा उनके साथ थे।

■ **IIM गुवाहाटी :** 555 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए आईआईएम गुवाहाटी के अस्थायी परिसर से पूर्वोत्तर में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

■ **डेटा केंद्र :** प्रकाशस्तंभ जिले स्थापित राष्ट्रीय डेटा केंद्र की कुल स्वीकृत क्षमता 8.5 मेगावाट और औसत रैक क्षमता 10 किलोवाट प्रति रैक है।

■ **225 इलेक्ट्रिक बसें :** मोदी ने पीएम-ई बस सेवा योजना के तहत 225 इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई। 100 बसें गुवाहाटी, 50-50 नागपुर, भावनगर के लिए।

नई इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी से राफेल ने भी उड़ान भरी।

झूठ बोल गुमराह करना राहुल की नीति : शाह

■ पीटीआई, कराईकल (पुडुचेरी)

PTI

रैली संबोधित करते अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि हाल में हुए मुक्त व्यापार समझौतों और भारत-अमेरिका ट्रेड डील में देश के किसानों और मछुआरों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर झूठ बोलकर किसानों और मछुआरों को गुमराह करने, भ्रम पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता पर तीखा हमला बोलते हुए शाह ने आरोप लगाया कि उन्होंने रोजाना झूठ बोलने की नई परंपरा शुरू कर दी है। वह पुडुचेरी के कराईकल में बीजेपी की रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, 'झूठ बोलना, जोर-जोर से झूठ बोलना और उसे दोहराना राहुल गांधी की नीति है, लेकिन लोग आपकी झूठ गढ़ने वाली फैक्टरी को पहचान चुके हैं।'

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपरिपक्व बताते हुए कहा कि उन्हें अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। गोयल ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास नरेन्द्र मोदी सरकार की आलोचना के लिए कोई रचनात्मक एजेंडा नहीं है।

किसानों, कपड़ा उद्योग को नुकसान: राहुल

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि दूरदर्शी और राष्ट्रहित में सोचने वाली कोई सरकार अमेरिका के साथ ऐसा व्यापार समझौता करती, जो कपास किसानों और कपड़ा निर्यात दोनों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करता लेकिन मोदी सरकार ने इसके बिल्कुल उलट काम किया है। उन्होंने यह दावा भी किया कि सरकार ने व्यापार समझौते के इन पहलुओं को छिपाया है।

AI लाने वाला है दुनिया की 5वीं औद्योगिक क्रांति: वैष्णव

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

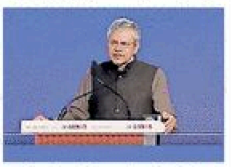

समिट को संबोधित करते अश्विनी वैष्णव

ET NOW ग्लोबल बिजनेस समिट के दूसरे दिन शनिवार को केंद्रीय मंत्रियों ने विकसित भारत के विजन के बारे में बताया और विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) यात्रा शानदार है। दिल्ली में हो रही एआई इंपैक्ट समिट को लेकर वैष्णव ने कहा कि एआई दुनिया की पांचवीं औद्योगिक क्रांति लाने वाला है। समिट में दुनिया देखेगी कि एआई सॉल्यूशन का इस्तेमाल कैसे समाज के भले के लिए किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर बीते दिनों सदन में उनके एक बयान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'क्या वह जानते हैं कि हमारी आईटी इंडस्ट्री डेटा के फ्री प्रवाह पर आधारित है। दुनियाभर का डेटा भारत लाया जा रहा है और उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। ग्लोबल कंपनियों, ग्लोबल बैंकों, इन्श्योरेंस फर्म, ग्लोबल रिटेल, ग्लोबल लॉजिस्टिक का सारा डेटा भारत आता है और प्रोसेस होता है। यह हमारी आईटी इंडस्ट्री की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नहीं जानते कि डेटा का ये प्रवाह रुकना भारत के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। इसके साथ ही वैष्णव ने भारत की ओर से डेटा सेंटर्स को प्रोत्साहन देने पर कहा कि बजट में भी इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिससे दुनियाभर की एआई बेस्ड सेवाओं को भारत में आकर्षित किया जा सके। दरअसल, बीते दिनों लोकसभा में राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका-भारत व्यापार अंतरिम समझौते पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने भारत के डेटा ट्रेड पर अमेरिका को कंट्रोल दे दिया है।

THE TIMES GROUP
ET NOW GBS Global Business Summit
Spark Capital

5-G डिजिटल क्रांति का प्रतीक : सिंधिया

ईटी समिट में टेलिकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में देश में एक अदृश्य डिजिटल हाईवे सामने आया है। यह ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जिससे बिजनेस, कॉमर्स और इकॉनमी और सशक्त होते हैं। सिंधिया ने तेज 5जी रोलआउट को देश की डिजिटल क्रांति का प्रतीक बताया। कहा कि बीते एक दशक में देश के बुनियादी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में जो परिवर्तन दिखे हैं, उन्होंने आर्थिक विस्तार, तकनीकी से जुड़े नेतृत्व और ग्लोबल प्रभाव की मजबूत आधारशिला रखी है।

'विकसित भारत में रहेगी हरियाणा की भूमिका'

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे पूरा करने में हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रदेश सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। पिछले बजट में घोषित 6 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही अलग-अलग क्षेत्रों में 10 ऐसे सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है। इन टाउनशिप में उद्योगों को किसी भी विभाग से अलग-अलग NOC लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

कैबिनेट बैठक के फैसले

दिल्ली-अंबाला रूट पर नई रेल लाइन

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली : मंत्रिमंडल ने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमिटी की बैठक में 18,509 करोड़ रुपये की लागत वाले तीन रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें कसारा-मनमाड (तीसरी और चौथी लाइन), दिल्ली-अंबाला (तीसरी और चौथी लाइन), बल्लारी-होसपेट (तीसरी और चौथी लाइन) शामिल हैं। तीनों रेलवे प्रोजेक्ट्स दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 जिलों से गुजरेंगे और इससे रेलवे का नेटवर्क करीब 389 किमी बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली-अंबाला 194 किलोमीटर लंबी परियोजना की लागत 5,983 करोड़ होगी। इसे यात्री सुविधाओं और सैन्य बलों की आवाजाही के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।

> दिल्ली-अंबाला रूट के लिए 5,983 करोड़ रुपये की दी गई मंजूरी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि यह परियोजना दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र और हरियाणा के अन्य जिलों के रास्ते जम्मू तक सैनिकों की आवाजाही के लिए रणनीतिक रूप से अहम है।

'स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0' को मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में 'स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0' योजना की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने लिए इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही एक लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 'अर्बन चैलेंज फंड' (यूसीएफ) शुरू करने को मंजूरी मिली।
नॉर्थ और साउथ ब्लॉक संग्रहालय का हिस्सा : साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रस्ताव पास किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने संकल्प लिया है कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का हिस्सा बनाया जाए, जो हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता से प्रेरित करता रहेगा।

योगी बोले- दिल्ली की हवा दमघोंटू, UP में ऐसा नहीं

■ NBT न्यूज, गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदूषण की है। दिल्ली की हवा की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि वहां डॉक्टर दमा रोगियों, बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह देते हैं। उन्होंने संतोष जताया कि उत्तर प्रदेश में दमघोंटू वातावरण नहीं है।

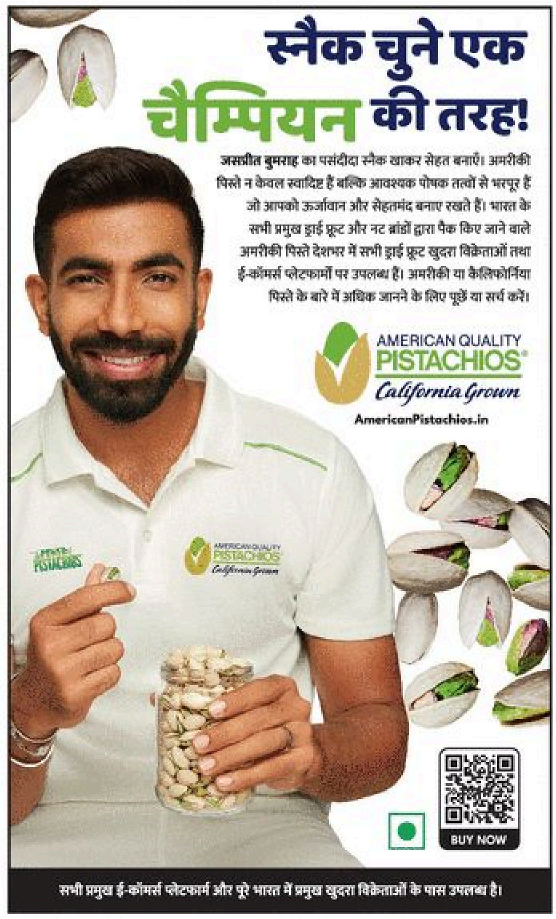

जनरल कोच में हर घंटे सफाई, निगरानी भी होगी

■ पीटीआई, नई दिल्ली

रेल मंत्रालय ने शनिवार को एक सुधार शुरू किया, जिसका मकसद लंबी दूरी की ट्रेनों में सफाई बढ़ाना है। इसके लिए टेक-इनेबल्ड प्रोफेशनल टीमों को तैनात किया जाएगा। इस सुधार को पेश करते हुए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनरल क्लास समेत सभी कोचों की सफाई जरूरत पड़ने पर हर घंटे की जाएगी।

> लंबी दूरी तक जाने वाली की ट्रेनों में सफाई बढ़ाना है इसका मकसद

यह तैनात सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए साफ जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करके और प्रोफेशनल, सेल्फ-डिसिप्लिन्ड और प्रोडक्टिव टीमों को लगाकर किया जाएगा, जो यात्रियों की उम्मीदों से बढ़कर काम करेंगी। मौजूदा क्लीन ट्रेन स्टेशन स्कीम के तहत, ट्रेनों को उनके रूट पर तय स्टेशनों पर साफ किया जाता है। वैष्णव ने आगे कहा कि नए सुधार के तहत, सफाई पूरे सफर में हर घंटे या जरूरत के हिसाब से ट्रेन में तैनात ट्रेंड स्टाफ द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की मदद से रियल-टाइम बेसिस पर मॉनिटरिंग, फीडबैक और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया जाएगा। इन सर्विस में सभी कोच, टॉयलेट और केबिन की सफाई, कचरा इकट्ठा करना, छोटी-मोटी मरम्मत करना, जरूरत के हिसाब से पानी भरने का काम कोऑर्डिनेट करना और सेफ्टी इक्विपमेंट की स्थिति की जांच करना और रिपोर्ट करना शामिल होगा।

पुडुचेरी में महिला वोटर्स अधिक

■ पीटीआई, पुडुचेरी : विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुडुचेरी और लक्षद्वीप में चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी की। पुडुचेरी में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। केंद्र शासित प्रदेश में कुल 9.44 लाख वोटर हैं, जिनमें 4.44 लाख पुरुष, 5 लाख महिलाएं और 139 थर्ड-जेंडर कैटेगरी के तहत रजिस्टर्ड वोटर शामिल हैं। वहीं, लक्षद्वीप में कुल मतदाताओं की संख्या 57,607 है। इनमें 29,222 पुरुष मतदाता और 28,385 महिला मतदाता शामिल हैं। तीसरे लिंग वर्ग में कोई पंजीकृत मतदाता नहीं है। विशेष रूप से 18-19 वर्ष आयु वर्ग के 1,268 मतदाता सूची में शामिल हुए हैं।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

171, पुराना मम्फोर्डगंज, प्रयागराज—211002

संख्या—2719 / दस—लाइसेंस—367 / सुझाव आबकारी नीति(संशो.) / 2026—2027
प्रयागराज : दिनांक: 12—02—2026

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2026—2027 के लिये देशी शराब, कम्पोजिट दुकान, मॉडल शॉप्स, प्रीमियम रिटेल वेण्ड व भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग के थोक / बाण्ड अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन और ब्राण्ड—लेबिल पंजीकरण / अनुमोदन हेतु आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026—2027 हेतु देशी शराब, कम्पोजिट दुकान, मॉडल शॉप व भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर के थोक / बाण्ड अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन और ब्राण्ड—लेबिल पंजीकरण / अनुमोदन सुसंगत नियमावलियों के प्राविधानों के अन्तर्गत आबकारी नीति वर्ष 2026—27 से संबंधित शासनादेश संख्या—9 / 2026 / 62 ई—2 / तेरह—2026—01 / 2026—2018003 दिनांक 12—02—2026 के निम्नांकित सुसंगत शर्तों / प्रतिबंधों / प्राविधानों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1.1.1 (क) देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. की श्रेणियां

यू.पी.एम.एल., की बिक्री देशी मदिरा दुकानों से ही अनुमन्य होगी। इसके प्रतिफल शुल्क का समायोजन लाइसेंस फीस में किया जायेगा। देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. की निम्नांकित श्रेणियां वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित की जाती हैं :-

क्र.सं.	तीव्रता (प्रतिशत वी/वी)	प्रयुक्त ई.एन.ए. तथा मदिरा का प्रकार	धारिता (एम.एल.)	पैकिंग का प्रकार
1	25	शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित फ्रूट फ्लेवर युक्त (सुवासित)	200	एसेप्टिक ब्रिक पैक
2	36	शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित कैरामल युक्त (मसाला)	200	एसेप्टिक ब्रिक पैक
3	42.8	ग्रेन ई.एन.ए. आधारित कैरामल युक्त (मसाला)	200	एसेप्टिक ब्रिक पैक
4	42.8	ग्रेन ई.एन.ए. आधारित कैरामल युक्त (मसाला)	100	एसेप्टिक ब्रिक पैक
5	28	ग्रेन ई.एन.ए. आधारित कैरामल युक्त (मसाला)	200	एसेप्टिक ब्रिक पैक

(ख) यू.पी.एम.एल. एवं देशी मदिरा की उपर्युक्त श्रेणियों के लिये एसेप्टिक ब्रिक पैक के बार्डर के रंग व रंग संयोजन के निर्धारण तथा रंग व रंग संयोजन में परिवर्तन का अधिकार आबकारी आयुक्त को प्रतिनिधानित किया जाता है।

1.1.2 देशी मदिरा दुकानों के वार्षिक एम.जी.क्यू./M.G.Q. (न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/Minimum Guaranteed Quantity) का निर्धारण

(क) राजस्वहित एवं व्यवस्थापनहित में, वर्ष 2025-26 में व्यवस्थित देशी मदिरा दुकानों के वार्षिक एम.जी.क्यू. में निम्नानुसार वृद्धि करते हुये और प्राप्त एम.जी.क्यू. को 100 बल्क लीटर के अगले गुणक तक राउण्ड आफ कर वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक एम.जी.क्यू.(36 प्रतिशत वी.वी के टर्म में) का निर्धारण किया जाता है:-

क्र.सं.	वर्ष 2025-26 में व्यवस्थित देशी मदिरा दुकान की श्रेणी	वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक एम.जी.क्यू. के निर्धारण के लिए वर्ष 2025-26 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. में की जाने वाली वृद्धि का प्रतिशत
1	श्रेणी-1	04 प्रतिशत
2	श्रेणी-2	05 प्रतिशत
3	श्रेणी-3	05 प्रतिशत
4	श्रेणी-4	06 प्रतिशत
5	श्रेणी-5	08 प्रतिशत

(ख) उपरोक्तानुसार आगणित दुकानवार वार्षिक एम.जी.क्यू. का मासिक विभाजन निम्नवत् होगा:-

क्र.	माह	वार्षिक एम.जी.क्यू. का प्रतिशत
1.	अप्रैल	8.5 प्रतिशत
2.	मई	9.5 प्रतिशत
3.	जून	9.0 प्रतिशत
4.	जुलाई	8.0 प्रतिशत
5.	अगस्त	6.5 प्रतिशत
6.	सितम्बर	6.5 प्रतिशत
7.	अक्टूबर	8.5 प्रतिशत
8.	नवम्बर	9.5 प्रतिशत
9.	दिसम्बर	9.5 प्रतिशत
10.	जनवरी	9.0 प्रतिशत
11.	फरवरी	8.0 प्रतिशत
12.	मार्च	7.5 प्रतिशत

मासिक विभाजन के पश्चात् माहवार आगणित एम.जी.क्यू. को निकटतम अगले पूर्णांक तक राउण्ड आफ किया जायेगा और इनके योग के समतुल्य संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु दुकानवार अंतिम रूप से वार्षिक एम.जी.क्यू. का निर्धारण किया जायेगा।

(ग) नवसृजित देशी मदिरा दुकानों (प्रस्तर-1.11.2 (1) के प्रकरणों को छोड़कर) का एम.जी.क्यू. प्रस्तर-1.9.2.1 में प्रावधानित न्यूनतम एम.जी.क्यू. से कम नहीं होगा तथा इस संबंध में प्रचलित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा, ताकि कोई अन्य दुकान कुप्रभावित न हो एवं निर्धारित एम.जी.क्यू. तर्कसंगत हो। यह एम.जी.क्यू. 36 प्रतिशत वी.वी. तीव्रता की मदिरा के संदर्भ में होगा। जिले में नवसृजित दुकानों (प्रस्तर-1.11.2 (1) के प्रकरणों को छोड़कर) का एम.जी.क्यू. प्रस्तर-1.1.2 के अनुसार निर्धारित एम.जी.क्यू. के अतिरिक्त होगा।

1.1.3 (क) देशी मदिरा दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस

वर्ष 2026-27 हेतु देशी मदिरा दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस की व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

1. देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस की दर ₹32/- प्रति बल्क लीटर वार्षिक एम.जी.क्यू. के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो किसी दुकान के लिये ₹1,000/- के गुणक में न आगणित होने पर अगले ₹1,000/- के गुणक में निर्धारित की जाएगी।

2. देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. के मासिक एम.जी.क्यू. से अधिक उठान पर अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस न लिये जाने की व्यवस्था को यथावत् रखा जाता है।

3. नवसृजित देशी मदिरा दुकानों एवं मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस भी ₹32/- प्रति ब.ली. वार्षिक एम.जी.क्यू. के आधार पर अगले ₹1,000/- के गुणक में निर्धारित की जाएगी।

4. मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली दुकानों के संबंध में देय बेसिक लाइसेंस फीस, वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि हेतु प्रस्तर-1.1.2(ख) के अनुसार निर्धारित एम.जी.क्यू. के आधार पर आगणित की जायेगी और अगले ₹1,000/- के गुणक में निर्धारित की जाएगी। इस हेतु माह के शेष दिवसों हेतु एम.जी.क्यू. का निर्धारण संबंधित माह हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. के आधार पर माह के दिवसों की संख्या के सापेक्ष समानुपातिक रूप से किया जायेगा।

(ख) देशी मदिरा की फुटकर दुकानों, जिनके 3 कि.मी. की परिधि में कोई कम्पोजिट दुकान अथवा मॉडल शॉप व्यवस्थित नहीं है, को राजस्वहित में बीयर की फुटकर बिक्री करने की अनुमति, अनुज्ञापी द्वारा आवेदन करने पर प्रदान की जा सकेगी। ऐसी देशी मदिरा दुकानों पर बीयर की बिक्री अनुमन्य किये जाने हेतु उनके सी.एल.-5सी अनुज्ञापन के अतिरिक्त उन्हें सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापन भी प्रदान किया जायेगा। इस हेतु लाइसेंस प्राधिकारी(कलेक्टर) द्वारा जनपद में सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापन हेतु अर्ह देशी मदिरा दुकानों की सूची प्रकाशित करते हुए इच्छुक देशी मदिरा अनुज्ञापियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। ऐसी दुकानों पर बीयर की बिक्री के संबंध में न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व/Minimum Guaranteed Annual Revenue(MGR) निर्धारित किया जायेगा, जिसका मासिक/त्रैमासिक विभाजन प्रस्तर-1.6.1 में उल्लिखित बीयर की तालिका के अनुसार होगा; परन्तु यह न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व, जनपद की कम्पोजिट दुकानों के एम.जी.आर.(बीयर) के औसत न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व प्रति कम्पोजिट शॉप का 10 प्रतिशत होगा और इसे एम.जी.आर.(सी.एल.-बीयर) कहा जायेगा, जो जनपद में अतिरिक्त रूप से आरोपित होगा। बीयर की बिक्री की अनुमन्यता हेतु ऐसी दुकानों से अतिरिक्त लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस-3) ली जायेगी जिसकी दर प्रस्तर-1.2.1(1) के अनुसार होगी और जिसे ₹1,000/- के अगले निकटतम गुणक तक राउण्ड आफ करते हुए निर्धारित किया जायेगा। सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापित दुकानों पर बीयर का उपभोग अनुमन्य होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा। सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापित दुकानों हेतु निर्धारित एम.जी.आर.(सी.एल.-बीयर) एवं लाइसेंस फीस-3 का लेखाजोखा प्रत्येक स्तर पर रखा जाना अनिवार्य होगा। सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापित दुकानों हेतु लाइसेंस फीस-3 के 10 प्रतिशत के समतुल्य प्रतिभूति भी नियमानुसार अतिरिक्त रूप से जमा करायी जायेगी। देशी मदिरा की प्रतिभूति की व्यवस्था यथावत् रहेगी।

वर्ष 2025-26 में प्रदत्त सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु उसी स्थिति में किया जा सकेगा, यदि दुकान उपरोक्तानुसार अर्ह हो, परन्तु सी.एल.-5सी अनुज्ञापियों को अपने सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण कराये जाने की बाध्यता नहीं होगी और न ही नवीनीकरण का अधिकार होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सी.एल.-5सीसी के नवीन स्वीकृति के प्रकरणों में भी 3 कि.मी. की परिधि में कोई कम्पोजिट शॉप अथवा मॉडल शॉप व्यवस्थित नहीं होने के प्रतिबंध का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापन की समस्त देयताओं का निर्धारण प्रस्तर-1.2 एवं इस प्रस्तर के प्राविधानों के सापेक्ष किया जायेगा।

1.1.4 देशी मदिरा दुकानों की लाइसेंस फीस

(क) 36 प्रतिशत तीव्रता की मदिरा के संदर्भ में गत वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस/लाइसेंस फीस की दर में वृद्धि करते हुये वर्ष 2026-27 हेतु प्रतिफल फीस/लाइसेंस फीस की दर ₹273/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

(ख) देशी मदिरा दुकान की मासिक लाइसेंस फीस, जो मासिक एम.जी.क्यू. में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य होगी, प्रतिमाह अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु उपरोक्तानुसार आगणित मासिक एम.जी.क्यू. की निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य मासिक लाइसेंस फीस के समायोजन का अनुज्ञापी हकदार होगा। मासिक लाइसेंस फीस के उपरोक्तानुसार भुगतान या समायोजन में विफल रहने पर संगत नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञापी द्वारा मासिक एम.जी.क्यू. का पूर्ण रूप से उठान न किये जाने की स्थिति में अनुज्ञापी को, न उठाये गये एम.जी.क्यू. के समतुल्य 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की मदिरा के 200 एम.एल. के एसेप्टिक ब्रिक पैक की कुल संख्या की निकासी में सन्निहित कुल प्रतिफल शुल्क व कुल अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु अन्य तीव्रताओं में उठान को 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता में परिवर्तित कर कुल उठान का आगणन किया जायेगा।

1.1.5 लाइसेंस फीस का समायोजन

(क) किसी माह में एम.जी.क्यू. से अधिक उठायी गयी देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. पर उद्ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का समायोजन अगले महीनों हेतु निर्धारित मासिक लाइसेंस फीस के सापेक्ष नहीं होगा।

(ख) सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापन के संबंध में न्यूनतम त्रैमासिक/मासिक प्रत्याभूत राजस्व एम.जी.आर. (सी.एल.-बीयर) के उठान के संबंध में प्रस्तर-1.6.3 के प्रावधान भी लागू होंगे।

1.1.6 देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. पर अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क लिया जाना

(क) वर्ष 2026-27 के लिये 25 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की देशी मदिरा को छोड़कर यू.पी.एम.एल. एवं देशी मदिरा की अन्य तीव्रताओं की एम.आर.पी. ₹10/- के अगले गुणक में रखी जायेगी। आगणित एम.आर.पी. और ₹10/- के अगले गुणक में निर्धारित एम.आर.पी. के अंतर को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में वसूला जायेगा।

(ख) 25 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की देशी मदिरा की एम.आर.पी. ₹5/- के अगले गुणक में रखी जायेगी। आगणित एम.आर.पी. और ₹5/- के अगले गुणक में निर्धारित एम.आर.पी. के अंतर को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में वसूला जायेगा।

1.1.9 देशी मदिरा फुटकर दुकानों द्वारा किसी एक आसवनी के यू.पी.एम.एल. एवं/अथवा शीरा आधारित समस्त ब्राण्डों (समस्त सी.एल.बी.-1 एवं सी.एल.बी.-2 अनुज्ञापनों में उत्पादित) की मदिरा की निकासी अपने मासिक एम.जी.क्यू. के अधिकतम 75 प्रतिशत तक ही ली जायेगी। एम.जी.क्यू. के शेष 25 प्रतिशत के सापेक्ष शीरा आधारित देशी मदिरा एवं/अथवा यू.पी.एम.एल. के किसी ब्राण्ड/ब्राण्डों की निकासी अन्य आसवनी/आसवनियों से लिया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त प्राविधानों का पालन न करने पर एम.जी.क्यू. तक की निकासी में अनियमित रूप से ली गयी निकासी पर बेसिक लाइसेंस फीस की दो गुनी दर अर्थात ₹ 64/- प्रति बल्क लीटर अर्थदण्ड के रूप में संबंधित अनुज्ञापी द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अर्थदण्ड के अतिरिक्त अनुज्ञापी के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। एम.जी.क्यू. से अधिक उठान पर एम.जी.क्यू. से अतिरिक्त ली गयी निकासी की मात्रा पर उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे। देशी मदिरा के प्रत्येक थोक अनुज्ञापन को भी उपरोक्त प्रावधान के अनुसार मांगपत्र प्रस्तुत होने पर आपूर्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

1.1.12 देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. को बोतलों में भरने हेतु लाइसेंस तथा बॉटलिंग फीस:-

(क) देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. को बोतलों में भरने हेतु प्रदान किये जाने वाले सी.एल.बी.-1 एवं सी.एल.बी.-2 अनुज्ञापनों से निम्नानुसार बाटलिंग फीस भराई के समय ही ली जायेगी:-

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. की बोतल भराई की दर वर्ष 2026-27
1	सी.एल.बी.-1	04 पैसा प्रति 200 एम.एल.
2	सी.एल.बी.-2	10 पैसा प्रति 200 एम.एल.
3	सी.एल.बी.-1	02 पैसा प्रति 100 एम.एल.
4	सी.एल.बी.-2	05 पैसा प्रति 100 एम.एल.

उक्त दरों का अधिरोपण वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम मास में वित्तीय वर्ष 2026-27 की आपूर्ति हेतु की जाने वाली भराई पर भी किया जायेगा।

सी.एल.बी.-1 एवं सी.एल.बी.-2 लाइसेंस की लाइसेंस फीस संपूर्ण वित्तीय वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिये ₹2,00,000/- निर्धारित की जाती है।

(ख) वर्ष 2026-27 में सी.एल.बी.-2 लाइसेंस के अंतर्गत शीरा आधारित ई.एन.ए. से निर्मित देशी मदिरा की बोतलों की भराई तभी अनुमन्य होगी जब सी.एल.बी.-2 लाइसेंसधारी की अपनी आसवनी में शीरा आधारित ई.एन.ए. उत्पादन हेतु प्लांट मशीनरी संचालित हो।

1.2 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की फुटकर बिक्री हेतु कम्पोजिट दुकान (एफ.एल.-5डीबी):-

1.2.1 कम्पोजिट दुकानों की लाइसेंस फीस:-

कम्पोजिट दुकानों की लाइसेंस फीस वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी:-

(1) जनपद की प्रत्येक कम्पोजिट दुकान के वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व (विदेशी मदिरा) अर्थात एम.जी.आर. (एफ.एल.) में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए प्राप्त राशि को ₹5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त राशि संबंधित कम्पोजिट दुकान की वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित वार्षिक एम.जी.आर. (एफ.एल.) होगी।

(2) जनपद की प्रत्येक कम्पोजिट दुकान के वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व(बीयर) अर्थात एम.जी.आर. (बीयर) में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए प्राप्त राशि को ₹5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त राशि संबंधित कम्पोजिट दुकान की वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित वार्षिक एम.जी.आर. (बीयर) होगी।

(3) वर्ष 2025-26 के व्यवस्थापन हेतु निर्धारित 'लाइसेंस फीस की दर-1' के आधार पर विदेशी मदिरा की वर्ष 2026-27 हेतु लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस-1) का आगणन किया जायेगा। प्राप्त धनराशि को ₹5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड आफ करते हुए अंतिमीकृत लाइसेंस फीस-1 निर्धारित की जायेगी।

(4) वर्ष 2025-26 के व्यवस्थापन हेतु निर्धारित 'लाइसेंस फीस की दर-2' के आधार पर बीयर की वर्ष 2026-27 हेतु लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस-2) का आगणन किया जायेगा। प्राप्त धनराशि को ₹ 5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड आफ करते हुए अंतिमीकृत लाइसेंस फीस-2 निर्धारित की जायेगी।

(5) इस प्रकार आगणित अंतिमीकृत लाइसेंस फीस-1 एवं अंतिमीकृत लाइसेंस फीस-2 का योग कम्पोजिट दुकान की वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस होगी। प्रत्येक कम्पोजिट दुकान की अंतिमीकृत लाइसेंस फीस-1 एवं अंतिमीकृत लाइसेंस फीस-2 और संबंधित एम.जी.आर. (एफ.एल.) एवं एम.जी.आर.(बीयर) का प्रत्येक स्तर पर लेखाजोखा रखा जाना अनिवार्य होगा।

(6) उपर्युक्त समस्त कार्यवाही पर लाइसेंस प्राधिकारी (कलेक्टर) का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(7) यदि किसी कम्पोजिट दुकान के परिसर में मॉडल शॉप हेतु आवश्यक अर्हताएं विद्यमान हों और संबंधित अनुज्ञापी द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि उसकी कम्पोजिट दुकान को मॉडल शॉप में परिवर्तित करते हुए परिसर में मदिरा पान की सुविधा प्रदान की जाय, तब मदिरा पान शुल्क लेकर संबंधित कम्पोजिट दुकान को मॉडल शॉप में परिवर्तित किया जाना निम्नांकित समस्त मार्गदर्शक सिद्धांतों का क्रम से अनुपालन करते हुए तत्काल प्रभाव से (इस आबकारी नीति के प्रख्यापन के दिनांक से) अनुमन्य होगा:-

1. कम्पोजिट दुकान का परिसर मॉडल शॉप हेतु अर्हकारी होना चाहिये।

2.(क) मॉडल शाप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस, इससे 200 मीटर तक की परिधि में स्थित गतवर्ष से संचालित मॉडल शॉप की कुल लाइसेंस फीस के 80 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त 200 मीटर की परिधि में गतवर्ष से संचालित एक से अधिक मॉडल शाप हों, तब मॉडल शाप में परिवर्तित की जाने वाली कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस, उक्त समस्त मॉडल शाप की औसत लाइसेंस फीस के 80 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी।

(ख) 200 मीटर की परिधि में कोई भी गतवर्ष से संचालित मॉडल शाप नहीं होने की स्थिति में मॉडल शाप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस, इससे 200 मीटर तक की परिधि में स्थित इस कम्पोजिट दुकान से सर्वाधिक कुल लाइसेंस फीस वाली किसी अन्य कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस के 90 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त क्षेत्र में चालू वर्ष में कोई कम्पोजिट दुकान इस प्रकार मॉडल शाप में परिवर्तित हो चुकी है, तो इस परिधि में स्थित किसी अन्य कम्पोजिट दुकान के मॉडल शॉप में परिवर्तित होने की स्थिति में इस द्वितीय कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस पहले से परिवर्तित मॉडल शाप की लाइसेंस फीस का 90 प्रतिशत या इस परिधि में स्थित अन्य कम्पोजिट दुकानों में से सर्वाधिक लाइसेंस फीस वाली कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस का 90 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम निर्धारित नहीं की जायेगी।

(ग) बिन्दु (क) एवं (ख) की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पर मॉडल शाप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस, इससे 200 मीटर से अधिक तथा 500 मीटर तक की परिधि में स्थित गतवर्ष से संचालित मॉडल शॉप की कुल लाइसेंस फीस के 70 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त क्षेत्र में गतवर्ष से संचालित एक से अधिक मॉडल शाप हों, तब मॉडल शाप में परिवर्तित की जाने वाली कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस, उक्त समस्त मॉडल शाप की औसत लाइसेंस फीस के 70 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी।

(घ) बिन्दु (क), (ख) एवं (ग) की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पर मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस, इससे 200 मीटर से अधिक तथा 500 मीटर तक की परिधि में सर्वाधिक कुल लाइसेंस फीस वाली किसी अन्य कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस के 75 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त क्षेत्र में चालू वर्ष में कोई कम्पोजिट दुकान इस प्रकार मॉडल शाप में परिवर्तित हो चुकी है, तो इस परिधि में स्थित किसी अन्य कम्पोजिट दुकान के मॉडल शॉप में परिवर्तित होने की स्थिति में इस द्वितीय कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस पहले से परिवर्तित मॉडल शाप की लाइसेंस फीस का 75 प्रतिशत या इस परिधि में स्थित अन्य कम्पोजिट दुकानों में से सर्वाधिक लाइसेंस फीस वाली कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस का 75 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम निर्धारित नहीं की जायेगी।

(ङ) बिन्दु (क), (ख), (ग) एवं (घ) की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पर मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस, इससे 500 मीटर से अधिक तथा 1000 मीटर तक की परिधि में स्थित गत वर्ष से संचालित मॉडल शॉप की कुल लाइसेंस फीस के 60 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त क्षेत्र में गत वर्ष से संचालित एक से अधिक मॉडल शॉप हों, तब मॉडल शॉप में परिवर्तित की जाने वाली कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस, उक्त समस्त मॉडल शॉप की औसत लाइसेंस फीस के 60 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी।

(च) बिन्दु (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पर मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस, इससे 500 मीटर से अधिक तथा 1000 मीटर तक की परिधि में सर्वाधिक कुल लाइसेंस फीस वाली किसी अन्य कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस के 60 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त क्षेत्र में चालू वर्ष में कोई कम्पोजिट दुकान इस प्रकार मॉडल शॉप में परिवर्तित हो चुकी है, तो इस परिधि में स्थित किसी अन्य कम्पोजिट दुकान के मॉडल शॉप में परिवर्तित होने की स्थिति में इस द्वितीय कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस पहले से परिवर्तित मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस का 60 प्रतिशत या इस परिधि में स्थित अन्य कम्पोजिट दुकानों में से सर्वाधिक लाइसेंस फीस वाली कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस का 60 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम निर्धारित नहीं की जायेगी।

3. उपर्युक्त बिन्दु (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) एवं (च) के अनुसार मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की निर्धारित कुल लाइसेंस फीस यदि उसी अवस्थिति(श्रेणी) में नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम आती है, तब इसमें उसी अवस्थिति(श्रेणी) में नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की सीमा तक वृद्धि की जायेगी।

परन्तु यह कि यदि मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान के 1000 मीटर तक यदि कोई गतवर्ष से संचालित मॉडल शॉप अथवा कोई अन्य कम्पोजिट दुकान न हो और उक्त दुकान की कुल लाइसेंस फीस उसी अवस्थिति(श्रेणी) में नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम हो, तब कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस में उसी अवस्थिति(श्रेणी) में नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की सीमा तक वृद्धि की जायेगी।

उपर्युक्त समस्त मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार मॉडल शॉप में परिवर्तन हेतु किसी कम्पोजिट दुकान की निर्धारित की जाने वाली कुल लाइसेंस फीस के संबंध में निम्नांकित स्थितियाँ लागू हो सकती हैं:-

(I) 1000 मीटर तक की परिधि में कोई अन्य कम्पोजिट दुकान अथवा गतवर्ष से संचालित एक या अधिक मॉडल शॉप संचालित होने की स्थिति में उपर्युक्त बिन्दु (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) एवं (च) के अनुसार निर्धारित कुल लाइसेंस फीस तथा 1000 मीटर तक की परिधि में कोई अन्य कम्पोजिट दुकान अथवा गतवर्ष से संचालित एक या अधिक मॉडल शॉप संचालित न होने की स्थिति में इस उप प्रस्तर के परन्तुक के अनुसार निर्धारित कुल लाइसेंस फीस।

(II) मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित कुल लाइसेंस फीस।

(III) संबंधित श्रेणी (अवस्थिति) में नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दु-(I), (II) एवं (III) के आगणित कुल लाइसेंस फीस में से अधिकतम कुल लाइसेंस फीस को ही अंतिम रूप से निर्धारित किया जायेगा। किसी भी दशा में किसी कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस मॉडल शॉप में परिवर्तन हेतु कम नहीं की जायेगी।

इस प्रकार अंतिम रूप से निर्धारित लाइसेंस फीस को निकटतम रुपया 5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा। इस प्रकार देय अंतिमीकृत लाइसेंस फीस और पूर्व निर्धारित कुल लाइसेंस फीस का अंतर(यदि कोई हो) आबकारी वर्ष की शेष अवधि के अनुपात में अग्रिम रूप से जमा कराया जायेगा।

4. उपर्युक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार मॉडल शॉप में परिवर्तित होने वाली कम्पोजिट दुकान की कुल लाइसेंस फीस में होने वाली वृद्धि को कम्पोजिट दुकान की पूर्व निर्धारित लाइसेंस फीस-1 एवं लाइसेंस फीस-2 के अनुपात में विभक्त किया जायेगा। तत्पश्चात्, जैसा कि आबकारी नीति के प्रस्तर-1.2.1 में वर्णित है, लाइसेंस फीस-1 में होने वाली वृद्धि के सापेक्ष लाइसेंस फीस की दर-1 के अनुसार पूर्व निर्धारित एम.जी.आर.(एफ.एल.) में भी वृद्धि की जायेगी। इसी प्रकार लाइसेंस फीस-2 में होने वाली वृद्धि के सापेक्ष लाइसेंस फीस की दर-2 के अनुसार पूर्व निर्धारित एम.जी.आर.(बीयर) में भी वृद्धि की जायेगी और वृद्धि के पश्चात् प्राप्त कम्पोजिट दुकान का नवीन एम.जी.आर.(एफ.एल.) एवं एम.जी.आर.(बीयर) का योग दुकान का कुल एम.जी.आर. (मॉडल शॉप के रूप में) निर्धारित किया जायेगा, जिसे निकटतम ₹5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा।

5. किसी कम्पोजिट दुकान का इस प्रकार मॉडल शॉप में परिवर्तन किये जाने के पश्चात, संबंधित कम्पोजिट दुकान का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

6. परिवर्तित मॉडल शॉप हेतु बीयर एवं एफ.एल. का न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व पृथक-पृथक नहीं निर्धारित होगा। अनुज्ञापी को प्रोसेसिंग फीस, लाइसेंस फीस, प्रतिभूति का अंतर तथा अन्य देयताओं के अंतर (यदि कोई हो) की धनराशि भी जमा करनी होगी। मदिरा पान शुल्क भी प्रचलित दर से देय होगा।

(8) कम्पोजिट दुकानों की प्रतिभूति उनकी लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस-1+लाइसेंस फीस-2) का 10 प्रतिशत होगी।

(9) यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित एम.जी.आर. (एफ.एल.) अथवा एम.जी.आर. (बीयर) से अतिरिक्त उठान पर अतिरिक्त लाइसेंस फीस, पूर्व की भाँति वित्तीय वर्ष 2026-27 में नहीं ली जायेगी।

(10) कम्पोजिट दुकानों पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(11) मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली कम्पोजिट दुकान की देय लाइसेंस फीस, वर्ष की अवशेष अवधि हेतु प्रस्तर-1.6.1 के अनुसार निर्धारित एम.जी.आर.(एफ.एल.) और एम.जी.आर.(बीयर) के आधार पर लाइसेंस फीस-1 एवं लाइसेंस फीस-2 के अनुसार निर्धारित की जायेगी। इस हेतु माह के आंशिक भाग के लिए एम.जी.आर.(एफ.एल.) और एम.जी.आर.(बीयर) का निर्धारण संबंधित माह हेतु निर्धारित एम.जी.आर.(एफ.एल.) और एम.जी.आर.(बीयर) (जिसका निर्धारण चलित त्रैमास हेतु निर्धारित एम.जी.आर.(बीयर) को दैनिक आधार पर समानुपातिक रूप से आगणित करते हुए किया जायेगा) के आधार पर माह के अवशेष दिवसों की संख्या के आलोक में समानुपातिक रूप से किया जायेगा।

1.2.5 (क) एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए (आसवनी स्तर से विदेशी मदिरा, बीयर की आपूर्ति के थोक अनुज्ञापन) की लाइसेंस फीस का निर्धारण:-

वर्ष 2026-27 हेतु एफ.एल.-1 अथवा एफ.एल.-1ए की लाइसेंस फीस ₹ 11,00,000/- से बढ़ाकर ₹11,50,000/-(रुपया ग्यारह लाख पचास हजार मात्र) एवं प्रतिभूति धनराशि ₹ 1,10,000/- से बढ़ाकर ₹1,15,000/- (रुपया एक लाख पन्द्रह हजार मात्र) प्रति अनुज्ञापन निर्धारित की जाती है, परन्तु ऐसे एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों, जिनका नवीनीकरण वर्ष 2026-27 अथवा अग्रेतर वर्षों के लिए पूर्व में ही हो चुका है, पर उक्त प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। नये एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों हेतु आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस ₹100,000/- (रुपया एक लाख मात्र) होगी। नवीनीकरण फीस भी ₹100,000/- (रुपया एक लाख मात्र) होगी परन्तु नवीनीकरण की दशा में प्रोसेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(ख) एफ.एल.-3ए की लाइसेंस फीस/नवीनीकरण फीस का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	अनुमानित वार्षिक बाटलिंग फीस (रुपये में)	एफ.एल.-3ए लाइसेंस की लाइसेंस फीस/नवीनीकरण फीस (रुपये में)
1	एक करोड़ तक	4 लाख
2	एक करोड़ एक से दो करोड़ तक	8 लाख
3	दो करोड़ एक से तीन करोड़ तक	12 लाख
4	तीन करोड़ एक से चार करोड़ तक	16 लाख
5	चार करोड़ से अधिक	30 लाख

(ग) एफ.एल.-3 एवं एफ.एल.-3ए की लाइसेंस फीस/नवीनीकरण की फीस के संबंध में अधिकतम लाइसेंस फीस से संबंधित श्रेणी को छोड़कर, किसी श्रेणी की अधिकतम सीमा से अधिक बाटलिंग फीस जमा करने वाली इकाइयों से संबंधित उच्च श्रेणी की लाइसेंस फीस चलित वर्ष में ही ली जायेगी। यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु लाइसेंस फीस के संबंध में भी लागू होगा।

(घ) एफ.एल.-3ए अनुज्ञापन में उत्तर प्रदेश की आपूर्ति हेतु भरी जाने वाली विदेशी मदिरा अथवा बीयर पर फ्रैन्चाइजी फीस वर्ष 2026-27 में वर्ष 2025-26 की भाँति निम्नांकित दर से आरोपित किये जाने का प्रावधान किया जाता है :-

क्र. सं.	बोतलों/कैनों में भरी जाने वाली मदिरा का प्रकार	उपभोग का प्रकार	वर्ष 2025-26 में एफ.एल.-3ए हेतु फ्रैंचाइजी फीस की दर	वर्ष 2026-27 में एफ.एल.-3ए हेतु फ्रैंचाइजी फीस की दर
1	बीयर	प्रदेश में उपभोग हेतु	₹0.80 प्रति ब.ली.	₹0.80 प्रति ब.ली.
2	विदेशी मदिरा (प्रीमियम एवं उच्च श्रेणी)	प्रदेश में उपभोग हेतु	₹4.00 प्रति ब.ली.	₹4.00 प्रति ब.ली.
3	विदेशी मदिरा (ईकोनामी, मीडियम एवं रेगुलर श्रेणी)	प्रदेश में उपभोग हेतु	₹3.00 प्रति ब.ली.	₹3.00 प्रति ब.ली.

1.2.6 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम:-

(1) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम के अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी एवं 2एए) का व्यवस्थापन:-

वर्ष 2026-27 में वर्ष 2025-26 की भाँति ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के नये बंधित गोदामों का व्यवस्थापन, उत्तर प्रदेश आबकारी(विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2011 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(2) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी एवं 2एए) का नवीनीकरण:-

वर्ष 2025-26 में स्वीकृत बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी एवं 2एए अनुज्ञापनों का, वर्ष 2026-27 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों, प्रतिबंधों से सहमति की दशा में संबंधित अनुज्ञापी द्वारा आवेदन करने पर वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा। नवीनीकरण हेतु वर्ष 2025-26 में निर्धारित की गयी व्यवस्था को वर्ष 2026-27 में यथावत् रखा जाता है।

1.2.7 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी एवं 2एए) हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क, प्रतिभूति एवं अन्य व्यवस्थाएं:-

(1) अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस गतवर्ष की भाँति वर्ष 2026-27 हेतु ₹1,00,000/- निर्धारित की जाती है।

(2) नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय गतवर्ष की भाँति वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण फीस ₹1,00,000/- निर्धारित की जाती है। नवीनीकरण की स्थिति में प्रोसेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(3) वर्ष 2026-27 हेतु उपरोक्त अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	अनुज्ञापन का विवरण	वर्ष 2026-27 हेतु लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	वर्ष 2026-27 हेतु प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)	वर्ष 2025-26 हेतु लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	वर्ष 2025-26 हेतु प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	BWFL-2A	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	18.50	9.00	17.50	9.00
2.	BWFL-2B	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	13.50	6.00	12.50	6.50
3.	BWFL-2C	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	3.00	1.50	3.00	1.50
4.	BWFL-2D	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	3.00	1.50	3.00	1.50

(4) अन्य व्यवस्थाएं:-

(क) यदि प्रदेश के बाहर की कोई इकाई प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बॉण्ड अनुज्ञापन लेना चाहे, तो उसे विभिन्न जनपदों में बाण्ड अनुज्ञापन दिया जाएगा एवं इस निमित्त उससे प्रत्येक अनुज्ञापन हेतु निर्धारित प्रासेसिंग फीस अथवा नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस ली जाएगी।

बॉण्ड अनुज्ञापनों से विक्रय किये जाने वाले ब्राण्ड्स, उनके लेबिलों एवं एम.आर.पी. का अनुमोदन उत्पादक, बाटलिंग इकाई द्वारा ब्राण्डवार कराया जायेगा।

(ख) गत वर्ष की भाँति मास्टर वेयरहाउस (Master Warehouse) पंजीकरण अनुमन्य होगा एवं वर्ष 2026-27 हेतु पंजीकरण फीस ₹2,00,000/-(दो लाख मात्र) प्रति वेयरहाउस रखी जाती है। गत वर्ष पंजीकृत मास्टर वेयरहाउस द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु रुपया ₹2,00,000/-(दो लाख मात्र) नवीनीकरण फीस जमा करने पर आबकारी आयुक्त द्वारा उसके पंजीकरण का नवीनीकरण अनुमन्य किया जाएगा; परन्तु यह कि नवीनीकरण की स्थिति में प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(ग) नवीनीकृत बॉण्ड अनुज्ञापनों पर वर्ष 2025-26 में प्रतिफल शुल्क अथवा अन्य शुल्कों के मद में अग्रिम रूप से जमा और अप्रयुक्त धनराशियों को वर्ष 2026-27 में अग्रेनीत कर समायोजित किया जाएगा।

(घ) बॉण्ड अनुज्ञापनों पर प्रदेश के बाहर से प्राप्त होने वाले पारेषणों पर देय समस्त प्रकार के प्रतिफल शुल्क आदि आयात परमिट प्राप्त करते समय अग्रिम रूप से जमा कराये जायेंगे।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2026-27 में समस्त श्रेणी की मदिरा के बाण्डों एवं एफ.एल.-1/1ए हेतु भी मास्टर वेयर हाउस का पंजीकरण कराया जाना अनुमन्य होगा। मास्टर वेयरहाउस की व्यवस्था में एक ही स्वामित्व वाले बॉण्ड अनुज्ञापनों, एफ.एल.-1/1ए अनुज्ञापनों के साथ उसी स्वामित्व वाले बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन को भी सम्मिलित किया जाना अनुमन्य होगा और ऐसी व्यवस्था करने हेतु ऑनलाइन सुविधा विकसित की जायेगी।

1.2.9 विदेशी मदिरा की 90 एम.एल. व 60 एम.एल. की धारिता में बिक्री:-

वर्ष 2026-27 में विदेशी मदिरा की रेगुलर श्रेणी में 90 एम.एल. की धारिता एवं उससे ऊपर की श्रेणियों में 60 एम.एल. एवं 90 एम.एल. की धारिता की शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरींज पैक में भी बिक्री अनुमन्य की जाती है।

1.5 मॉडल शॉप्स और प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स:-

1.5.1 मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस

(क) वर्ष 2026-27 हेतु मॉडल शॉप्स की वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित की गयी लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए निर्धारित की जायेगी। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रुपया 5,000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है, तो उसे बढ़ाकर रुपया 5,000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जायेगा। वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति में नवीनीकृत मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस संबंधित प्राधिकारी, निकाय के लिए नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम नहीं होने की व्यवस्था को समाप्त किया गया था। उक्त निर्णय वर्ष 2026-27 में यथावत् रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मॉडल शॉप के परिसर का न्यूनतम आवश्यक कार्पेट क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट निर्धारित किया जाता है।

(ख) यदि नगर निगम क्षेत्रों अथवा गौतमबुद्धनगर के विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रांतर्गत किसी मॉडल शॉप के परिसर का कार्पेट क्षेत्रफल (प्रयुक्त समस्त तलों के क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए) 3,000 वर्ग फुट अथवा अधिक है, तब अनुज्ञापी के आवेदन पर इस मॉडल शॉप को प्रीमियम मॉडल शॉप का अनुज्ञापन एफ.एल.-4एए अनुज्ञापन प्रदान किया जा सकेगा तथा इसे 2027-28 तक नवीनीकृत किया जायेगा। ऐसी मॉडल शाप्स की संख्या में से जनपद की अधिकतम राजस्व(न्यूनतम निर्धारित प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व एवं लाइसेंस फीस का योग) वाली 02 दुकानों को ही एफ.एल.-4एए अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा। उक्त अनुज्ञापी को उक्त सुविधा हेतु ₹ 5,00,000/-(रुपया पाँच लाख मात्र) अतिरिक्त रूप से जमा करना होगा। ऐसी प्रीमियम मॉडल शॉप का नवीनीकरण संबंधित वर्ष की देयताओं पर अनुज्ञापी की सहमति की दशा में ही किया जायेगा। उक्त प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होंगे।

(ग) राजस्वहित में प्रदेश के समस्त नगर निगम क्षेत्रों एवं संपूर्ण जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित मॉडल शॉप एवं प्रीमियम मॉडल शॉप द्वारा अपने निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के न्यूनतम 5 प्रतिशत के समतुल्य समुद्रपार आयातित मदिरा एवं न्यूनतम 2 प्रतिशत के समतुल्य भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रीमियम एवं उच्च श्रेणी की निकासी दुकान पर प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रदेश के समस्त प्रीमियम रिटेल वेण्ड द्वारा अपने निर्धारित न्यूनतम एम.जी.आर. के न्यूनतम 05 प्रतिशत के समतुल्य समुद्रपार आयातित मदिरा एवं न्यूनतम 02 प्रतिशत के समतुल्य भारत निर्मित विदेशी मदिरा के सुपर प्रीमियम एवं उच्च श्रेणी की निकासी दुकान पर प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) मॉडल शॉप और प्रीमियम मॉडल शॉप पर वार्षिक मदिरा पान का शुल्क रुपया 3,00,000/- निर्धारित किया जाता है। मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली मॉडल शॉप से न्यूनतम 6 माह का मदिरा पान शुल्क लिया जायेगा। जिस छमाही में दुकान व्यवस्थित होगी, उस छमाही का भी मदिरा पान शुल्क देय होगा अर्थात 01.04.2026 से 30.09.2026 तक की अवधि में व्यवस्थित होने वाली मॉडल शॉप को संपूर्ण वार्षिक मदिरा पान शुल्क देना होगा और दिनांक 01.10.2026 से 31.03.2027 तक की अवधि में व्यवस्थित होने वाली मॉडल शॉप को अर्द्धवार्षिक मदिरा पान शुल्क देना होगा। किसी माह में दैनिक आधार पर व्यवस्थित मॉडल शॉप पर न्यूनतम 01 माह का मदिरा पान शुल्क(वार्षिक मदिरा पान शुल्क का 1/12 भाग) अधिरोपित होगा। यदि दैनिक संचालन अगले माहों में भी होता है, तब माहवार मदिरा पान शुल्क लिया जायेगा। किसी भी स्थिति में एक माह से कम का मदिरा पान शुल्क अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

1.5.2 प्रीमियम रिटेल वेण्ड

(1) लाइसेंस फीस

(क) वर्ष 2025-2026 में प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु ₹ 25.0 लाख वार्षिक लाइसेंस फीस निर्धारित है, जिसे वर्ष 2026-27 हेतु गतवर्ष के समान ही निर्धारित किया जाता है। मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों की लाइसेंस फीस, वर्ष के अवशेष दिवसों के आधार पर समानुपातिक रूप से देय होगी।

(ख) किसी व्यक्ति अथवा एकल स्वामित्व वाली पंजीकृत फर्म को 02 से अधिक प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे। परन्तु यह प्रावधान संगत नियमावली, 2020(यथासंशोधित) के नियम-5 में वर्णित अन्य श्रेणियों के आवेदकों पर लागू नहीं होगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(ग) माल्स के मल्टीप्लेक्स एरिया में प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुमन्य नहीं होंगे।

(घ) माल्स में स्वीकृत बार अनुज्ञापनों के परिसर को छोड़कर अन्य कहीं मदिरा का उपभोग किया जाना पूर्णतया निषिद्ध होगा।

(ङ) मॉल की परिभाषा से आच्छादित एवं संचालित हो रहे शापिंग काम्प्लेक्सों में प्रीमियम रिटेल वेण्ड खोले जाने के उद्देश्य से उनके अधिसूचित वाणिज्यिक क्षेत्रों में होने की अनिवार्यता नहीं होगी। यह प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(2) (क) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर वोदका एवं रम के ₹700/-प्रति 750 एम.एल. या इससे अधिक एम.आर.पी. प्रति 750 एम.एल. वाले ब्राण्डों और बीयर के ₹140/- प्रति 500 एम.एल. केन के एम.आर.पी. या इससे अधिक एम.आर.पी. प्रति 500 एम.एल. केन वाले ब्राण्ड की बिक्री की जायेगी। इस श्रेणी की अन्य धारिताओं के अनुमन्यता के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वोदका एवं रम की प्रति बोतल एवं बीयर प्रति केन निर्धारित दरों पर जो ब्राण्ड अनुमन्य हैं, उन ब्राण्डों की सभी धारिताएं बिक्री के लिए अनुमन्य होंगी।

(ख) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर (1) आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्डों (2) सुपर प्रीमियम या इससे उच्च श्रेणी के भारत निर्मित विदेशी मदिरा ब्राण्डों एवं (3) ब्राण्डी, जिन और वाइन के समस्त श्रेणियों की बिक्री अनुमन्य होगी।

(ग) समस्त प्रकार के कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.) की बिक्री भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड में अनुमन्य होगी।

(घ) सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त होने पर हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशन/रेलवे स्टेशन पर इनके मुख्य भवन में प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुमन्य होंगे। इस आशय का प्रतिबंध कि हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशन/रेलवे स्टेशन पर इनके मुख्य भवन में खुलने वाले प्रीमियम रिटेल वेण्ड का द्वार मुख्य भवन के अंदर की ओर होगा, को समाप्त किया जाता है।

(ङ) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर पृथक कक्ष में केवल वाइन टेस्टिंग की सुविधा अनुमन्य होगी, किन्तु टेस्टिंग कक्ष में विक्रय प्रतिबंधित होगा।

(3) जनपद-गौतमबुद्धनगर, और समस्त नगर निगमों में प्रीमियम रिटेल वेण्ड (एफ.एल.-4सी) हेतु उपयुक्त पाये जाने वाले परिसरों के समान अन्य परिसरों में प्रीमियम रिटेल वेण्ड (एफ.एल.-4सी) हेतु अनुमन्य श्रेणी की वाइन एवं एल.ए.बी./RTD की बिक्री हेतु एक अन्य प्रकार के प्रीमियम रिटेल वेण्ड के

Continued On Next Page

Continued From Previous Page

लिये एफ.एल.-4डी अनुज्ञापन भी स्वीकृत किये जायेंगे। एफ.एल.-4डी अनुज्ञापन पर समस्त एम.आर.पी. की बीयर की बिक्री अनुमन्य होगी। एफ.एल.-4डी अनुज्ञापन केवल मल्टीप्लेक्स युक्त शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों के परिसर हेतु ही स्वीकृत किये जायेंगे। एफ.एल.-4डी अनुज्ञापन की वार्षिक लाइसेंस फीस ₹5,00,000/-(रुपया पाँच लाख मात्र) निर्धारित की जाती है, परन्तु मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाले एफ.एल.-4डी अनुज्ञापन द्वारा देय लाइसेंस फीस का आगणन एफ.एल.-4सी की भाँति ही किया जायेगा। एफ.एल.-4डी अनुज्ञापनों को न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व के निर्धारण से मुक्त रखा जायेगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अनुज्ञापन सिनेमा हाल या सिनेमा हाल परिसर में अनुमन्य नहीं होगा तथा सिनेमा हाल में मदिरापान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।

1.6 कम्पोजिट दुकानों, प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं मॉडल शॉप में मासिक/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व के उठान की अनिवार्यता:-

1.6.1 वर्ष 2026-27 हेतु कम्पोजिट दुकानों का वार्षिक एम.जी.आर.(एफ.एल.) एवं वार्षिक एम.जी.आर.(बीयर) प्रस्तर-1.2.1 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। प्रीमियम रिटेल वेण्ड और मॉडल शॉप का न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व, वर्ष 2025-26 में निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व पर 7.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ निर्धारित किया जायेगा। वर्ष 2026-27 में नवसृजित कम्पोजिट दुकानों एवं मॉडल शॉप का यथास्थिति वार्षिक एम.जी.आर.(एफ.एल.) एवं वार्षिक एम.जी.आर.(बीयर) अथवा न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व निर्धारित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व के आधार पर दुकानों हेतु मासिक राजस्व/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व का निम्नानुसार निर्धारण किया जायेगा :-

(क) मॉडल शॉप एवं प्रीमियम मॉडल शॉप का मासिक प्रत्याभूत राजस्व, वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का 1/12 भाग होगा; परन्तु प्रीमियम रिटेल वेण्ड के वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का विभाजन त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा, जो वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का 1/4 भाग होगा।

परन्तु यह कि किसी भवन में नवस्वीकृत प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकान का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व उसी भवन में पूर्व से संचालित सर्वाधिक वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व वाली प्रीमियम रिटेल वेण्ड के वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व के 80 प्रतिशत से कम निर्धारित नहीं किया जायेगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(ख) कम्पोजिट दुकानों के वार्षिक एम.जी.आर. (एफ.एल.) का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	माह	वार्षिक एम.जी.आर.(एफ.एल.) का प्रतिशत
1.	अप्रैल	7 प्रतिशत
2.	मई	10 प्रतिशत
3.	जून	8 प्रतिशत
4.	जुलाई	6 प्रतिशत
5.	अगस्त	6 प्रतिशत
6.	सितम्बर	6 प्रतिशत
7.	अक्टूबर	10 प्रतिशत
8.	नवम्बर	10 प्रतिशत
9.	दिसम्बर	10 प्रतिशत
10.	जनवरी	10 प्रतिशत
11.	फरवरी	9 प्रतिशत
12.	मार्च	8 प्रतिशत

(ग) कम्पोजिट दुकानों के वार्षिक एम.जी.आर. (बीयर) का त्रैमासिक विभाजन निम्नानुसार किया जायेगा:-

क्र.सं.	माह	न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का प्रतिशत
1.	प्रथम त्रैमास	38 प्रतिशत
2.	द्वितीय त्रैमास	26 प्रतिशत
3.	तृतीय त्रैमास	17 प्रतिशत
4.	चतुर्थ त्रैमास	19 प्रतिशत

किसी त्रैमास में न्यूनतम त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व के उठान में कमी को अगले त्रैमास तक पूर्ण कर लिया जाना प्रस्तर-1.6.3 के अधीन अनुमन्य होगा।

1.6.2 मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप और प्रीमियम रिटेल वेण्ड के वार्षिक/मासिक/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व में विदेशी मदिरा तथा बीयर, वाइन और एल.ए.बी. इत्यादि का राजस्व सम्मिलित माना जायेगा।

1.6.3 किसी भी माह/त्रैमास हेतु निर्धारित प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने के प्राविधान का पालन न किये जाने की स्थिति में यह व्यवस्था की जाती है कि संबंधित माह/त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने हेतु 10 बैंक कार्य दिवस का अवसर दिया जायेगा और तदुपरान्त अतिरिक्त प्रतिभूति जमा न होने की स्थिति में दुकान के अनुज्ञापन के निरस्तीकरण की कार्यवाही लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार की जायेगी और कुल राजस्व क्षति की नियमानुसार वसूली की जायेगी। दुकान पर उपलब्ध अविक्रीत स्टाक को जब्त कर लिया जायेगा। संबंधित माह/त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति समयान्तर्गत जमा करने की दशा में अगले माह हेतु निर्धारित प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य निकासी एवं पिछले माह/त्रैमास तक के बकाया राजस्व के समतुल्य निकासी अनुज्ञापी द्वारा ली जा सकेगी। किसी माह/त्रैमास तक निर्धारित कुल वांछित राजस्व के समतुल्य निकासी ले लिये जाने पर पूर्व में जमा अतिरिक्त प्रतिभूति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अन्य कोई बकाया न रहने की स्थिति में अविलम्ब वापस कर दी जायेगी। अगले माह/त्रैमास में आवश्यक राजस्व (पिछले माह/त्रैमास के बकाया राजस्व सहित) का उठान न करने पर प्रशमन की कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रस्तर के प्रयोजनार्थ किसी माह/त्रैमास में न उठाये गये एम.जी.आर. का प्रतिशत आगणित किया जायेगा और प्रशमन धनराशि का निर्धारण ₹ 50,000/- के उसी प्रतिशत के समतुल्य अथवा ₹ 5,000/- जो भी अधिक हो, होगा।

परन्तु यह कि प्रतिफल शुल्क से छूट प्राप्त वाइन की बिक्री करने वाला फुटकर लाइसेंसधारी, यथास्थिति मासिक/ त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (एमजीआर) (यदि लागू हो) के समायोजन का दावा करने के लिए पात्र होगा। इस प्रतिफल शुल्क-मुक्त वाइन के संपूर्ण प्रतिफल शुल्क घटक (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क, विशेष प्रतिफल शुल्क और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क सहित) के समायोजन की कुल मात्रा वास्तविक उठान की सीमा तक या एफएल-2 लाइसेंसों से उठाने के मामले में कुल मासिक एमजीआर के अधिकतम 0.05 प्रतिशत तक, और एफएल-2बी लाइसेंसों से उठाने के मामले में त्रैमासिक एमजीआर के अधिकतम 0.05 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, होगी। किसी भी स्थिति में, किसी भी फुटकर लाइसेंसधारी के लिए प्रतिफल शुल्क मुक्त वाइन के सापेक्ष कुल मासिक/त्रैमासिक समायोजन 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उक्त सीमा से अधिक प्रतिफल शुल्क की वाइन की निकासी किये जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा, किन्तु ऐसी स्थिति में वाइन के प्रतिफल शुल्क के घटक का समायोजन एम.जी.आर. में किया जाना अनुमन्य नहीं होगा। किन्तु सामान्यिक रूप से अधिरोपित किये गये अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क और विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का समायोजन अनुमन्य होगा।

1.7 समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की आपूर्ति:-

1.7.1 वर्ष 2026-27 में समुद्रपार आयातित मदिरा की आपूर्ति हेतु निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाती है:-

(1) आयातक इकाई का तात्पर्य वैध आयात/निर्यात प्रमाण पत्र (आई.ई.सी.) धारक से है।

(2) समुद्रपार आयातित मदिरा का आयात करने वाली ऐसी समस्त आयातक इकाइयों (क) जो प्रदेश में सीधे अपने किसी कस्टम बॉण्ड में आयात कर अथवा (ख) अन्य प्रांतों में स्थित किन्हीं अन्य आयातक इकाइयों के कस्टम बाण्डों से स्थानांतरण प्राप्त कर अथवा (ग) अन्य प्रांतों में स्थित किसी आयातक इकाई के कस्टम बॉण्ड से स्थानांतरण कर अथवा (घ) प्रदेश में स्थित किसी अन्य आयातक इकाई के कस्टम बॉण्ड से मदिरा का स्थानांतरण कर अथवा (ड़) प्रदेश में समुद्रपार आयातित मदिरा का किसी प्रकार से कार्य करती हो, को उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग के विहित पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। आयातक इकाई एवं उसके किसी एक कस्टम बॉण्ड के युग्म का एक पंजीकरण किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त पंजीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क रूपया 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) निर्धारित किया जाता है, जो ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

(4) आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत आयातक इकाइयों को परस्पर प्रदेश के अंदर एवं प्रदेश से बाहर अथवा प्रदेश के बाहर से प्रदेश के अंदर कस्टम बॉण्ड से कस्टम बॉण्ड समुद्रपार मदिरा का स्थानांतरण/लेन-देन/व्यापार आदि का विवरण विभागीय पोर्टल पर भरा जाना अनिवार्य होगा।

(5) प्रदेश के किसी कस्टम बॉण्ड के माध्यम से समुद्रपार आयातित मदिरा का व्यवसाय करने वाली आयातक इकाइयों को प्रदेश के थोक अथवा विहित फुटकर अनुज्ञापनों को समुद्रपार आयातित मदिरा की बिक्री करने हेतु बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन लेना अनिवार्य होगा।

(6) बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन का लाइसेंस शुल्क ₹10,00,000/-(रूपया दस लाख मात्र) एक आबकारी वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिये निर्धारित किया जाता है। प्रतिभूति धनराशि ₹5,00,000/- (रूपया पाँच लाख मात्र) निर्धारित की जाती है।

चूँकि परिषण अत्यंत छोटे होते हैं अतः आपूर्ति को सुचारु बनाये जाने के उद्देश्य से बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों को प्रदेश में न्यूनतम 3 मास्टर गोदाउन, जहाँ डिवोल्डेड (समस्त देय भुगतानित) समुद्रपार आयातित मदिरा संचित की जा सकेगी और जहाँ से विहित फुटकर दुकानों और थोक अनुज्ञापनों को आपूर्ति की जा सकेगी, लेना अनुमन्य किया जाता है। ऐसे प्रत्येक मास्टर गोदाउन को बी.आई.ओ.-1(बी) अनुज्ञापन निर्गत किया जायेगा, जो पैत्रिक बी.आई.ओ.-1 से संबद्ध होंगे और जहाँ से परिषण प्राप्त किये जा सकेंगे। थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों द्वारा अपने मांग पत्र पैत्रिक बी.आई.ओ.-1 पर ही प्रस्तुत किये जायेंगे। तीन मास्टर गोदाउन हेतु निर्गत तीन बी.आई.ओ.-1बी लाइसेंसों की सम्मिलित लाइसेंस फीस ₹10,00,000/- (रूपया दस लाख मात्र) देय होगी। उक्त प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होंगे।

(7) किसी जनपद के बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन के अंतर्गत उसी जनपद में स्थित मात्र एक कस्टम बॉण्ड ही संबद्ध किया जायेगा, परन्तु किसी एक कस्टम बॉण्ड में एक से अधिक आयातक इकाइयों द्वारा पृथक-पृथक स्पेस आवंटित कराकर उन्हें अपने बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों से संबद्ध कराया जा सकता है।

(8) बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के अंतर्गत अपेक्षित सूचनाओं के अतिरिक्त संबद्ध किये जाने वाले कस्टम बॉण्ड का अपेक्षित विवरण एवं इसमें स्पेस आवंटित होने का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन के संचालन हेतु एक डिवोल्डेड मदिरा का गोदाम अनिवार्य होगा, जिसका परिसर उसी जनपद में तथा संबद्ध कस्टम बॉण्ड के परिसर से बाहर होगा। बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन का संचालन उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत समस्त आयातक इकाइयों द्वारा प्रदेश में स्थित अपने बी.आई.ओ.-1 से प्रदेश के बाहर के किसी थोक विक्रेता/फुटकर विक्रेता (कस्टम बॉण्ड को छोड़कर), जिसके पास वैध आयात परमिट हो, को कस्टम ड्यूटी पेड मदिरा के निर्यात हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी से ऑनलाइन निर्यात परमिट अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा तथा संबंधित मदिरा की निकासी (निर्यात) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल द्वारा निर्गत परिवहन पास के माध्यम से ही की जायेगी। उपरोक्त निर्यात (कस्टम बॉण्ड से अन्य कस्टम बॉण्ड को आपूर्ति को छोड़कर) पर ₹ 300/- प्रति बल्क लीटर परमिट फीस देय होगी।

(10) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को प्रदेश में स्थित अपने कस्टम बॉण्ड से किसी अन्य आयातक इकाई के कस्टम बॉण्ड को मदिरा के स्थानांतरण हेतु पोर्टल पर अपेक्षित समस्त सूचनाओं को भरा/अपलोड किया जायेगा तथा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी का निःशुल्क अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(11) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को प्रदेश के बाहर की किसी आयातक इकाई जो उत्तर प्रदेश के विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत हो, से ही पोर्टल पर विहित प्रक्रिया के अनुसार मदिरा का एक बॉण्ड से दूसरे बॉण्ड में स्थानांतरण प्राप्त करना होगा अथवा स्थानांतरित करना होगा तथा इस हेतु प्रदेश में स्थित इकाई को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करना होगा।

(12) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को विदेश से सीधे मदिरा आयात किये जाने की स्थिति में पोर्टल पर विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करना होगा।

(13) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को अपने कस्टम बॉण्ड में प्राप्त मदिरा एवं इससे निकासी का वांछित विवरण, अपेक्षित प्रपत्रों के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(14) उत्तर प्रदेश के थोक अनुज्ञापनों एवं विहित फुटकर अनुज्ञापनों को समुद्रपार आयातित मदिरा की बिक्री किये जाने वाले समस्त ब्राण्डों एवं लेबिलों का प्रत्येक बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञापन वार अनुमोदन/पंजीकरण निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया एवं निर्धारित शुल्क जमा करते हुए, कराया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु ब्राण्ड स्वामी अथवा भारत में संबंधित ब्राण्ड के प्रमुख आयातक/ब्राण्ड स्वामी का प्राधिकार पत्र अनिवार्य नहीं होगा। इस हेतु भारत सरकार से निर्गत ट्रेड मार्क प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी। इस हेतु विदेश से निर्गत कोई सम्यक प्रमाण पत्र ही आवश्यक होगा, परन्तु किसी विवाद की स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(15) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों के प्रदेश में स्थित कस्टम बाण्डों में संचित किये जाने वाले ऐसे समस्त ब्राण्डों एवं लेबिलों, जिनकी बिक्री उत्तर प्रदेश के थोक अनुज्ञापनों एवं विहित फुटकर अनुज्ञापनों को नहीं की जानी होगी, का भी ऑनलाइन अनुमोदन/पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह अनुमोदन/पंजीकरण निःशुल्क होगा।

(16) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को एक कस्टम बॉण्ड से दूसरे कस्टम बॉण्ड को निकासी हेतु संबंधित रीएक्सपोर्टिंग प्रमाण पत्र पोर्टल पर निर्गत परमिट/अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्रदेश के किसी कस्टम बॉण्ड से किसी अन्य कस्टम बॉण्ड हेतु जाने वाले समस्त परिषणों को उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा निर्गत एफ.एल.-36 परिवहन पास के अंतर्गत ही प्रेषित किया जायेगा।

(17) समुद्रपार विदेशी मदिरा अथवा बीयर के परिषण छोटे होते हैं, अतः बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन से कई गंतव्य स्थानों हेतु एक ही वाहन से मदिरा का परिवहन किये जाने की अनुमन्यता प्रदान की जायेगी।

(18) वर्ष 2026-27 हेतु गतवर्ष के बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों का नवीनीकरण उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत कराया जाना अनुमन्य होगा। नवीनीकरण फीस ₹ 1,00,000/- (रूपया एक लाख मात्र) निर्धारित की जाती है। नये बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹ 1,00,000/- (रूपया एक लाख मात्र) होगी। नवीनीकरण के मामलों में प्रासेसिंग फीस नहीं ली जायेगी।

(19) यदि उत्तर प्रदेश के किसी कस्टम बाण्ड के माध्यम से मदिरा व्यवसाय करने वाली आयातक इकाई द्वारा विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया जाता है, तब उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

(20) बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापी यदि किसी अन्य नगर निगम के जनपद अथवा मण्डल मुख्यालय के जनपद में भी अनुज्ञापन लेना चाहता है, तब उसे बी.आई.ओ.-1ए अनुज्ञापन स्वीकृत किया जायेगा, जिसकी लाइसेंस फीस ₹5,00,000/- (रूपया पाँच लाख मात्र) होगी। इस लाइसेंस को बी.आई.ओ.-1 की समस्त सुविधाएं प्राप्त होंगी।

(21) बी.आई.ओ.-1 के गोदाम तक, बी.आई.ओ.-1 से सबद्ध कस्टम बाण्ड से आने वाले परिषणों तथा प्रदेश में एक कस्टम बाण्ड से दूसरे कस्टम बाण्ड को जाने वाले परिषणों से संबंधित वाहनों में जी.पी.एस. डिवाइस का प्रयोग अनिवार्य होगा।

1.8 भांग

1.8.1 (क) लाइसेंस फीस

भांग की फुटकर दुकानों की वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस, वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए निर्धारित की जाती है, जिसे ₹1,000/- के अगले गुणक में राउण्ड आफ किया जायेगा। वर्ष 2025-26 में जिन भांग दुकानों का नियमित व्यवस्थापन नहीं हो सका, उन्हें समाप्त किया जाता है।

(ख) भांग की फुटकर दुकानों से संबंधित प्रतिफल शुल्क की मासिक किश्तों में पूर्व माहों में जमा अधिक धनराशि का समायोजन अनुमन्य होगा।

1.8.2 भांग की थोक आपूर्ति

वर्ष 2025-26 में भांग की थोक आपूर्ति के संबंध में की गयी व्यवस्था को वर्ष 2026-27 में इस संबंध में कोई नवीन व्यवस्था लागू होने तक यथावत रखा जाता है। नवीन व्यवस्था लागू होने की कट आफ तिथि का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा। भांग की थोक आपूर्ति हेतु आपूर्तिकों के चयन और प्राप्त दरों का अनुमोदन आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

1.9 कम्पोजिट दुकानों, भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप का सृजन

1.9.1 वर्ष 2025-26 हेतु में व्यवस्थित देशी मदिरा दुकानों, कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप की कुल दुकानों की संख्या के 3 प्रतिशत तक के समतुल्य दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को दिया जाता है। इससे अधिक दुकानों के नवसृजन की आवश्यकता पड़ने पर शासन की अनुमति से नई दुकानों का सृजन किया जा सकेगा।

1.9.2 नवसृजित देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों का न्यूनतम एम.जी.क्यू./बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस

1.9.2.1 वर्ष 2026-27 हेतु अपेक्षित क्षेत्र में नवसृजित देशी मदिरा की दुकानों का न्यूनतम एम.जी.क्यू., लाइसेंस फीस-3(यथास्थिति) एवं नवसृजित कम्पोजिट दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस-1 एवं लाइसेंस फीस-2 निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	नवसृजित दुकान की प्रास्थिति	न्यूनतम एम.जी.क्यू. (36 प्रतिशत वी./वी.) (ब.ली.में) एवं यथास्थिति लाइसेंस फीस-3	न्यूनतम लाइसेंस फीस (₹)
		देशी मदिरा	कम्पोजिट दुकान
1.	जनपद गौतमबुद्ध नगर के प्राधिकरण क्षेत्रों एवं इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर के नगर निगम आच्छादित क्षेत्र व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत (श्रेणी-1)	1-एम.जी.क्यू.-26,600 2-लाइसेंस फीस-3-प्रस्तर-1.1.3(ख) के अनुसार	1-लाइसेंस फीस-1-₹13,60,000/- 2-लाइसेंस फीस-2-₹2,60,000/-
2.	श्रेणी-1 को छोड़कर अन्य नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत (श्रेणी-2)	1-एम.जी.क्यू.-26,600 2-लाइसेंस फीस-3-प्रस्तर-1.1.3(ख) के अनुसार	1-लाइसेंस फीस-1-₹13,60,000/- 2-लाइसेंस फीस-2-₹2,60,000/-
3.	नगर पालिका व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत (श्रेणी-3)	1-एम.जी.क्यू.-19,000 2-लाइसेंस फीस-3-प्रस्तर-1.1.3(ख) के अनुसार	1-लाइसेंस फीस-1-₹4,65,000/- 2-लाइसेंस फीस-2-₹1,40,000/-
4.	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत (श्रेणी-4)	1-एम.जी.क्यू.-11,500 2-लाइसेंस फीस-3-प्रस्तर-1.1.3(ख) के अनुसार	1-लाइसेंस फीस-1-₹2,25,000/- 2-लाइसेंस फीस-2-₹85,000/-
5.	अन्य क्षेत्रों (श्रेणी-1,2,3,4 को छोड़कर)में (श्रेणी-5)	1-एम.जी.क्यू.-4,000 2-लाइसेंस फीस-3-प्रस्तर-1.1.3(ख) के अनुसार	1-लाइसेंस फीस-1-₹1,20,000/- 2-लाइसेंस फीस-2-₹75,000/-

नोटः- 1- नवसृजित कम्पोजिट दुकानों की लाइसेंस फीस के निर्धारण के साथ ही उनकी लाइसेंस फीस-1 तथा लाइसेंस फीस-2 का निर्धारण करते हुए तदनुसार एम.जी.आर.(एफ.एल.) एवं एम.जी.आर. (बीयर) का निर्धारण भी किया जायेगा।

2- नवसृजित देशी मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन के पश्चात अनुज्ञापी के आवेदन करने पर ही लाइसेंस फीस-3(जैसा कि प्रस्तर-1.1.3(ख) में परिभाषित है) का निर्धारण, इस हेतु दुकान की उपयुक्तता के आधार पर, करते हुए तदनुसार एम.जी.आर. (सीएल-बीयर) भी निर्धारित किया जायेगा।

1.9.2.2 नवसृजित मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस

वर्ष 2026-27 हेतु नवसृजित मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस गतवर्ष की भाँति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	क्षेत्र की श्रेणी	लाइसेंस फीस (रूपये में)
1.	श्रेणी-1	न्यूनतम ₹75.00 लाख।
2.	श्रेणी-2	न्यूनतम ₹65.00 लाख।
3.	श्रेणी-3	न्यूनतम ₹40.00 लाख।
4.	श्रेणी-4	न्यूनतम ₹35.00 लाख।
5.	श्रेणी-5	न्यूनतम ₹30.00 लाख।

मॉडल शॉप की प्रतिभूति धनराशि कम्पोजिट दुकानों की भाँति लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

1.10 देशी मदिरा दुकानों, कम्पोजिट दुकानों, भांग दुकानों, प्रीमियम मॉडल शॉप तथा मॉडल शॉप दुकानों का वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन ई-लॉटरी के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2026-27 के व्यवस्थापन के संबंध में आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के प्रस्तर-5.11 का सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

" अनुज्ञापियों के व्यवसाय में स्थायित्व लाने, दुकानों में किये जाने वाले निवेश को प्रोत्साहित करने तथा राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 में *ई-लॉटरी* द्वारा व्यवस्थित समस्त दुकानों का वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण का विकल्प उपलब्ध होगा। प्रस्तर 5.5.1(ब) में उल्लिखित प्रीमियम मॉडल शॉप्स को निर्धारित देयताओं एवं प्रतिबंधों/शर्तों पर नवीनीकरण कराने का विकल्प वर्ष 2026-27 के साथ वर्ष 2027-28 के लिये भी उपलब्ध होगा। वर्ष 2026-27 तथा प्रीमियम मॉडल शॉप की स्थिति में वर्ष 2027-28 हेतु नवीनीकरण किये जाने की अनुमन्यता पर अंतिम निर्णय लिये जाने का सर्वाधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा।"

अतः वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप, देशी मदिरा एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन प्रथमतः ई-लॉटरी पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करते हुए नवीनीकरण के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया जाता है।

1.10.1 कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप, देशी मदिरा एवं भांग की फुटकर दुकानों का वर्ष 2026-27 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जायेगा:-

1. अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।
2. वर्ष 2025-26 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।
3. नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी को ₹10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र, जिसका प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, भी देना होगा।

पूर्व के भवन/परिसर की अनुपलब्धता की स्थिति में दुकानों का नवीनीकरण इस शर्त के साथ कि उक्त दुकान की अवस्थिति में परिवर्तन न हो, परिवर्तित चौहद्दी पर भी किया जा सकता है और इस संबंध में लाइसेंस प्राधिकारी (कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।

1.10.2 देशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट दुकान, भांग दुकान, मॉडल शॉप, और प्रीमियम मॉडल शॉप, के वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण की प्रक्रिया

(क) संबंधित जिले के जिला कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और जिले की वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति, जिसका सामान्य प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रकाशित कराकर जिले की व्यवस्थित और नवीनीकरण हेतु अर्ह दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि दुकानों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जिले की वेबसाइट तथा आबकारी विभाग के ई-लॉटरी पोर्टल से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ख) वर्ष 2025-26 की अर्ह दुकानों के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र अपलोड किया जायेगा तथा प्रोसेसिंग फीस की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की प्रासेसिंग फीस वर्ष 2026-27 हेतु निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	फुटकर दुकान का प्रकार	आवेदन पत्र की प्रासेसिंग फीस (रुपये में)				
		जनपद गौतमबुद्ध नगर के प्राधिकरण क्षेत्रों एवं इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर के नगर निगम आच्छादित क्षेत्र व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-1)	श्रेणी-1 को छोड़कर अन्य नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-2)	नगर पालिका व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-3)	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-4)	अन्य क्षेत्रों (श्रेणी-1,2,3,4 को छोड़कर)में स्थित दुकानें (श्रेणी-5)
1	देशी मदिरा दुकान	₹65,000/-	₹60,000/-	₹50,000/-	₹45,000/-	₹40,000/-
2	कम्पोजिट दुकान	₹90,000/-	₹85,000/-	₹75,000/-	₹65,000/-	₹55,000/-
3	मॉडल शॉप अथवा प्रीमियम मॉडल शॉप	₹1,00,000/-	₹90,000/-	₹80,000/-	₹70,000/-	₹60,000/-
4	भांग	₹25,000/-	₹25,000/-	₹25,000/-	₹25,000/-	₹25,000/-

नोटः- 1- ई-लॉटरी हेतु भी उपरोक्तानुसार प्रासेसिंग फीस ली जायेगी।

2- उक्त प्रासेसिंग फीस नॉन-रिफण्डेबुल होगी।

आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुए संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि को 03 बैंक कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक एवं निर्धारित रीति से जमा की जा सकेगी। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि को निर्धारित अवधि तक न जमा करने पर ₹ 2,000/- प्रति दिवस की दर से अर्थदण्ड आरोपित होगा। अर्थदण्ड सहित मात्र 15 बैंक कार्य दिवस की अवधि प्रतिभूति का अंतर जमा करने हेतु अनुमन्य होगी और इस अतिरिक्त अवधि में भी प्रतिभूति का अंतर जमा न करने पर नवीनीकरण निम्नानुसार निरस्त कर दिया जायेगा और दुकान का अग्रेतर व्यवस्थापन किया जायेगा।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि अनुमन्य समयान्तर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2025-26 की प्रतिभूति, जो 2026-27 के लिए अग्रेनीत की जानी थी, का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2026-27 की नवीनीकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी दुकान का वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण संपन्न होने के पश्चात वर्ष 2025-26 के अनुज्ञापन की शर्तों के उल्लंघन अथवा अन्य किसी अनियमितता से उस दुकान का अनुज्ञापन वर्ष 2025-26 में निरस्त कर दिया जाता है, तब उस दुकान के लिए वर्ष 2026-27 हेतु जमा बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति का अंतर (यदि जमा किया गया हो) राज्य सरकार के पक्ष में जब्त नहीं किया जायेगा, परन्तु नवीनीकरण एवं प्रासेसिंग फीस वापस नहीं होगी। इस वापसी के पूर्व वर्ष 2025-26 की बकाया देयताओं का समायोजन भी किया जायेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दुकान को उचित अवस्थिति में खोलने और संचालित करने का संपूर्ण दायित्व अनुज्ञापी का होगा।

1.10.3 देशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट दुकान, भांग दुकान, मॉडल शॉप और प्रीमियम मॉडल शॉप की नवीनीकरण फीस

वर्ष 2026-27 हेतु देशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट दुकान, भांग दुकान, मॉडल शॉप, और प्रीमियम मॉडल शॉप, की नवीनीकरण फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

क्र. सं.	फुटकर दुकान का प्रकार	नवीनीकरण फीस (रुपये में)				
		जनपद गौतमबुद्ध नगर के प्राधिकरण क्षेत्रों एवं इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर के नगर निगम आच्छादित क्षेत्र व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-1)	श्रेणी-1 को छोड़कर अन्य नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-2)	नगर पालिका व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-3)	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-4)	अन्य क्षेत्रों (श्रेणी-1,2,3,4 को छोड़कर)में स्थित दुकानें (श्रेणी-5)
1	देशी मदिरा दुकान	₹1,00,000/-	₹1,00,000/-	₹90,000/-	₹70,000/-	₹40,000/-
2	कम्पोजिट दुकान	₹1,05,000/-	₹1,05,000/-	₹95,000/-	₹70,000/-	₹55,000/-
3	मॉडल शॉप अथवा प्रीमियम मॉडल शॉप	₹1,05,000/-	₹1,05,000/-	₹95,000/-	₹70,000/-	₹55,000/-
4	भांग	₹6,500/-	₹6,500/-	₹6,500/-	₹6,500/-	₹6,500/-
5	सी.एल.-5सीसी	₹2,000/-	₹2,000/-	₹2,000/-	₹2,000/-	₹2,000/-

1.10.4 प्रीमियम रिटेल वेण्ड (एफ.एल.-4सी), प्रीमियम रिटेल वेण्ड (एफ.एल.-4डी), बार अनुज्ञापन एवं बी-5 आदि का नवीनीकरण

(क) प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ.एल.-4सी एवं एफ.एल.-4डी) तथा बार अनुज्ञापनों का नवीनीकरण नियमानुसार निर्धारित देयताओं पर अनुज्ञापी द्वारा 28 फरवरी, 2026 तक प्रस्तुत किये गये आवेदनों पर निर्णय लेते हुए संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ.एल.-4सी) की प्रासेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस वर्ष 2026-27 के लिये गतवर्ष के समान ₹75,000/- निर्धारित की जाती है। प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ.एल.-4सी) की नवीन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस की दर ₹ 75,000/- निर्धारित की जाती है। प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ.एल.-4डी) की प्रासेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस वर्ष 2026-27 के लिए गतवर्ष के समान ₹15,000/- निर्धारित की जाती है। प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ.एल.-4डी) की नवीन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस की दर ₹15,000/- निर्धारित की जाती है।

(ख) प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ.एल.-4डी) तथा बी-5 लाइसेंसों का नवीनीकरण भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड(एफ.एल.-4सी) की ही भाँति किया जायेगा।

1.10.5 अन्य फुटकर लाइसेंसों, जिनके नवीनीकरण शुल्क की दर पृथक से निर्धारित नहीं है का नवीनीकरण, लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत की दर से नवीनीकरण शुल्क जमा कराते हुए नियमानुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

1.11 ई-लॉटरी द्वारा दुकानों का व्यवस्थापन

नवीनीकरण से अवशेष देशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट दुकान, भांग दुकान, मॉडल शॉप और प्रीमियम मॉडल शॉप का वर्ष ई-लॉटरी हेतु व्यवस्थापन, ई-लॉटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। उक्त ई-लॉटरी का प्रथम चरण वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू./निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस की दर/लाइसेंस फीस/ वार्षिक राजस्व (जिसका मासिक/त्रैमासिक विभाजन यथास्थिति प्रस्तर-1.1.2(ख) अथवा प्रस्तर-1.6.1 के अनुसार किया जायेगा) पर होगा।

नोट:- (1) व्यवस्थापन एवं राजस्वहित में प्रथम चरण की ई-लॉटरी के पश्चात् यथावश्यकता ई-लॉटरी के प्रत्येक चरण हेतु एम.जी.क्यू./लाइसेंस फीस/वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व के तदनुसार निर्धारण के संबंध में पृथक-पृथक आदेश आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

1.11.2 (1) ई-लॉटरी के चतुर्थ चरण के पश्चात् तत्समय की स्थिति में कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा/एवं लाइसेंस फीस के व्यवस्थापन हेतु जिले में आवश्यक नयी दुकानों का सृजन कर कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस को व्यवस्थित कराने हेतु अग्रेतर चरण(पंचम चरण) का व्यवस्थापन कराया जायेगा। इस हेतु अव्यवस्थित/नवसृजित देशी मदिरा दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस रूपया 32/- प्रति लीटर एम.जी.क्यू. (पुनरावंटित) के आधार पर निर्धारित की जायेगी। अव्यवस्थित एवं नवसृजित दुकानों के मध्य अव्यवस्थित कुल वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व/ एम.जी.आर. (एफ.एल.) एवं एम.जी.आर. (बीयर) का पुनरावंटन तर्कसंगत ढंग से किया जायेगा।

(2) ई-लॉटरी के पंचम चरण के व्यवस्थापन में कतिपय जिलों में व्यवस्थापन पूर्ण हो चुके होने के पश्चात अपेक्षित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नवसृजित की गयीं दुकानों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

(3) उपरोक्त उप प्रस्तर-(1) से आच्छादित अव्यवस्थित एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन ई-लॉटरी के पंचम चरण के माध्यम से किया जाएगा और ई-लॉटरी के अंतिम चरण (पंचम चरण) के पश्चात् अव्यवस्थित समस्त दुकानें समाप्त हो जायेंगी।

1.11.3 (1) वर्ष 2026-27 हेतु ई-लॉटरी में किसी आवेदक को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट दुकान, एवं मॉडल शॉप तथा भांग को मिलाकर 02 से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। प्रतिबंध यह होगा कि यदि किसी को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वर्ष 2025-26 में 02 अथवा इससे अधिक दुकानें आवंटित अथवा मृतक वारिस के रूप में नामांतरित थी, तब उनका वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकता है। अग्रेतर प्रतिबंध यह होगा कि यदि आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में 02 या 02 से अधिक दुकानों का नवीनीकरण करा लिया गया है, तो वह अवशेष दुकानों के आवंटन के लिए ई-लॉटरी हेतु अर्ह नहीं होगा। ऐसे आवेदक को प्रदेश में कोई अन्य दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। अनुज्ञापी की मृत्यु के फलस्वरूप विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में अनुज्ञापन के नामांतरण वाले मामलों में उक्त प्रतिबंध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

चयनोपरांत चयनित आवेदक द्वारा देय बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि 03 बैंक कार्यदिवसों के अंदर ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।

(2) ई-लॉटरी प्रक्रिया में किसी दुकान के लिये किसी आवेदक द्वारा 01(एक) ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदन पर पृथक-पृथक प्रासेसिंग फीस देय होगी। एक दुकान हेतु 01 से अधिक आवेदन एक ही आवेदक का पाये जाने पर 01 से अधिक समस्त अतिरिक्त आवेदन पत्रों को निरस्त करते हुये इनकी प्रासेसिंग फीस समपहृत कर ली जायेगी।

(3) ईज आफ डूइंग बिजिनेस की दृष्टि से ई-लॉटरी हेतु आवेदन प्रक्रिया में धरोहर धनराशि का प्रावधान वर्ष 2025-26 में समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय वर्ष 2026-27 में यथावत् लागू रहेगा।

(4) आवेदकों के पैन का अधिप्रमाणन ई-लॉटरी पोर्टल पर किया जायेगा।

(5) (क) ई-लॉटरी से व्यवस्थित होने वाली दुकान की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत ई-लॉटरी की तिथि से 10 बैंक कार्य दिवस के अंदर, 30 प्रतिशत ई-लॉटरी की तिथि से 25 बैंक कार्य दिवस के अंदर एवं अवशेष 20 प्रतिशत ई-लॉटरी की तिथि से 35 बैंक कार्य दिवस के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। इस समय सारिणी से विचलन की स्थिति की दशा में ₹2,000/- प्रति दिवस की दर से अर्थदण्ड आरोपित होगा। प्रतिभूति की समस्त धनराशि निर्धारित रीति से उक्त समय सारिणी के अंतर्गत एकमुश्त जमा किया जाना भी अनुमन्य होगा। राजस्व हित में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रतिभूति के रूप में केवल ऑनलाइन सत्यापन योग्य जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड ई-बैंक गारण्टी ही स्वीकार की जायेगी। विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर राजस्वहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पूर्व की भाँति सावधि जमा रसीद लिये जाने की अनुमति दिये जाने हेतु आबकारी आयुक्त को अधिकृत किया जाता है। नवीनीकृत अनुज्ञापनों के प्रकरणों में पूर्व से जमा प्रतिभूति तब तक मान्य होगी जब तक उसकी वापसी न कर दी गयी हो। प्रत्येक अनुज्ञापी को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह अपने अनुज्ञापन के संबंध में प्रतिभूति के रूप में ई-बैंक गारण्टी जमा कर अपनी पुरानी प्रतिभूति (जो सावधि जमा रसीद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा नगद के रूप में जमा हुई हो और विभाग के पास सुरक्षित हो) की वापसी की मांग करे। ऐसी स्थिति में भुगतानकर्ता अधिकारी द्वारा तत्काल भुगतान/वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

(ख) ई-लॉटरी का प्रत्येक चरण सम्पूर्ण प्रदेश में एक ही दिन में संपन्न कराया जाएगा। ई-लॉटरी प्रणाली से दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष की भाँति एन.आई.सी. द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा। ई-लॉटरी से संबंधित सुसंगत सूचना को आबकारी विभाग की वेबसाइट के अतिरिक्त प्रत्येक जनपद की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा।

(ग) दुकानों को दैनिक आधार पर चलाया जाना

फुटकर दुकानों के दैनिक आधार पर संचालन के संबंध में वर्ष 2025-26 की व्यवस्था को यथावत् रखा जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्वहित में दैनिक व्यवस्थापन की प्रक्रिया में प्राप्त एकल ऑफर भी स्वीकार किये जायेंगे। यह ऑफर कम से कम निर्धारित देयताओं के समतुल्य होना चाहिए। यदि लगातार 2 बार ऑफर मांगने की प्रक्रिया में भी निर्धारित देयताओं के समतुल्य आफर प्राप्त नहीं होता है, तब तीसरे चरण में राजस्वहित में निर्धारित देयताओं से कम के ऑफर भी स्वीकार किये जाने का अधिकार लाइसेंस प्राधिकारी को प्रदान किया जाता है। किसी भी स्थिति में निर्धारित देयताओं के 80 प्रतिशत से कम पर ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(घ) दुकानों का मध्य सत्र में व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन

दुकानों का मध्य सत्र में यथावश्यकता पुनर्व्यवस्थापन वर्ष 2026-27 में ई-लॉटरी की निर्धारित प्रक्रिया से ही कराया जायेगा। पुनर्व्यवस्थापन हेतु समस्त लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों में सन्निहित समस्त दुकानों की ई-लॉटरी हेतु यथावश्यकता प्रत्येक माह में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-सारिणी जारी की जायेगी।

(ड़) प्रतिभूति की धनराशि को जमा किये जाने की प्रक्रिया

वर्ष 2026-27 हेतु प्रतिभूति की धनराशि को प्रस्तर 1.11.3(5)(क) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार ई-बैंक गारण्टी के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। प्रीमियम रिटेल वेण्ड के संबंध में पूर्व में अन्य प्रकार से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी जब तक उसकी वापसी न कर दी गयी हो। नवीनीकरण कराने वाले समस्त प्रकार की फुटकर दुकानों के अनुज्ञापियों को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह प्रतिभूति के रूप में ई-बैंक गारण्टी जमा कर अपनी पुरानी प्रतिभूति की वापसी की मांग करे। ऐसी स्थिति में भुगतानकर्ता अधिकारी द्वारा तत्काल भुगतान/वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

(च) अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण

Continued On Next Page

CCING 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 15-02-2026 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH14 User: vivekkumar4@timesofindia.com Time: 02-14-2026 21:16 Color:

Continued From Previous Page

(1) वर्ष 2026-27 में मदिरा/भांग की फुटकर दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र तथा आयकर रिटर्न का विवरण अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) देशी मदिरा की दुकान के लिये दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस के योग की धनराशि के 1/6 भाग के समतुल्य तथा कम्पोजिट दुकान और भांग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप्स के लिए दुकान की लाइसेंस फीस की धनराशि के अन्यून धनराशि का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूल रूप में) वांछित होगा तथा चयन होने की दशा में इसे मूल रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किया जाएगा। ई-लॉटरी की तिथि से न्यूनतम 3 माह तक की वैधता अवधि वाले हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने से पूर्व नवीन और संबंधित वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति किसी अन्य जिला के आबकारी कार्यालय में जमा है, तब इसकी प्रमाणित छाया प्रति, जिसे मूल प्रति प्राप्तकर्ता जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शपथ-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(4) वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकृत होने वाली समस्त फुटकर दुकानों के संबंध में वर्ष 2025-26 हेतु व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैल्युअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र, जिसकी वैधता समाप्त न हो, तो मान्य होंगे। वैधता समाप्त होने की स्थिति में नया हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.12 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2,एफ.एल.-2,एफ.एल.-2बी) का नवीनीकरण/नवीन स्वीकृति

1.12.1 वर्ष 2025-26 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों के इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2026-27 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों एवं प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अपने थोक अनुज्ञापनों का वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण गत वर्ष की भाँति अनुमन्य किया जाता है।

वर्ष 2025-26 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों को निम्नांकित शर्तों के अधीन 2026-27 हेतु नवीनीकृत किया जा सकेगा :-

(1) वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु संबंधित थोक अनुज्ञापन की नवीन स्वीकृति हेतु आवश्यक अर्हताएं पूर्ण हों।

(2) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(3) वर्ष 2025-26 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(4) अनुज्ञापी के विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2025-26 में न पायी गयी हो।

(5) अनुज्ञापी को इस आशय का ₹10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र, जिसका प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, भी देना होगा कि वह वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित समस्त देयताएं देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उक्त थोक अनुज्ञापन के लिए आवश्यक सभी अर्हताएं रखता है। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2026 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जावे तथा उसकी वर्ष 2025-26 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2026-27 की नवीनीकरण फीस एवं लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जावे। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2025-26 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

गतवर्ष की भांति थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार तथा उसके अनुमोदन हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त संबंधित जोन को प्राधिकृत किया जाता है।

1.12.2 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर के थोक अनुज्ञापनों एवं बॉण्ड अनुज्ञापनों के नवीनीकरण की प्रक्रिया

(1) सर्वप्रथम आबकारी आयुक्त द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर प्रदेश में व्यवस्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और बीयर के थोक अनुज्ञापनों एवं बॉण्ड के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि उक्त अनुज्ञापनों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण आबकारी आयुक्त कार्यालय एवं विभागीय पोर्टल से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(2) थोक अनुज्ञापनों अथवा बॉण्ड अनुज्ञापनों के वर्ष 2025-26 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड किया जायेगा तथा नवीनीकरण शुल्क की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 07 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुए संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को संबंधित अनुज्ञापन की वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की धनराशि 03 बैंक कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं माध्यम से अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति की तिथि से 15 बैंक कार्य दिवस तक जमा की जा सकेगी।

प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि निर्धारित अवधि तक न जमा करने पर ₹ 2,000/- प्रति दिवस की दर से अर्थदण्ड आरोपित होगा। अर्थदण्ड सहित मात्र 15 बैंक कार्य दिवस की अवधि धनराशि के अंतर की धनराशि जमा करने हेतु अनुमन्य होगी और इस अतिरिक्त अवधि में भी प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि जमा न करने पर नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुमन्य समयांतर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2025-26 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2026-27 की नवीनीकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

1.12.3 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी) के आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस

2026-27 हेतु थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी) हेतु आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस ₹1,50,000/-(रुपया एक लाख पचास हजार मात्र) निर्धारित की जाती है।

1.12.4 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की नवीनीकरण फीस

वर्ष 2026-27 हेतु थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की नवीनीकरण फीस ₹1,50,000/-(रुपया एक लाख पचास हजार मात्र) निर्धारित की जाती है। थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर प्रोसेसिंग फीस देय नहीं होगी।

1.12.5 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की स्वीकृति

(क) वर्ष 2026-27 हेतु थोक अनुज्ञापनों की स्वीकृति संगत नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अर्ह आवेदकों के पक्ष में की जायेगी।

परन्तु यह कि वर्ष 2026-27 हेतु एफ.एल.-2/एफ.एल.-2बी अनुज्ञापन प्रदेश में स्थापित भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर उत्पादक आसवनियों/यवासवनियों के पक्ष में भी स्वीकृत किये जा सकेंगे। इसी प्रकार सी.एल.-2 अनुज्ञापन प्रदेश में स्थापित देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. उत्पादक आसवनियों के पक्ष में भी स्वीकृत किये जा सकेंगे। सी.एल.बी.-2, एफ.एल.-3ए अनुज्ञापियों के पक्ष में सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

(ख) एफ.एल.-2बी अनुज्ञापनों पर वाइन की बिक्री भी अनुमन्य रहेगी।

(ग) एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों पर एल.ए.बी. की बिक्री भी अनुमन्य रहेगी।

गत वर्ष की भाँति आवेदक को वैध हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। थोक अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने अथवा वापस लिये जाने की स्थिति में इस संबंध में जमा की गयी धनराशियों की वापसी के अनुरोध मान्य नहीं होंगे।

1.12.6 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की लाइसेंस फीस, अतिरिक्त लाइसेंस फीस और प्रतिभूति

(1) वित्तीय वर्ष 2026-27 में सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी की लाइसेंस फीस निम्नानुसार ली जायेगी-

(क) नवीन स्वीकृति अथवा नवीनीकरण होने पर नियत लाइसेंस फीस निम्नांकित दर से ली जायेगी-

1. सी.एल.-2 हेतु ₹2,00,000/- संपूर्ण वित्तीय वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिए।

2. एफ.एल.-2 हेतु ₹ 2,00,000/- संपूर्ण वित्तीय वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिए।

3. एफ.एल.-2बी हेतु ₹ 2,00,000/- संपूर्ण वित्तीय वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिए।

(ख) सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी द्वारा निम्नानुसार दर से मांग पत्र प्रस्तुत करते समय अतिरिक्त लाइसेंस फीस जमा करना अनिवार्य होगा-

1. सी.एल.-2 हेतु मांग पत्र में सन्निहित 36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की देशी मदिरा अथवा इसके समतुल्य देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. पर ₹0.95/- प्रति बल्क लीटर की दर से।

2. एफ.एल.-2 हेतु मांग पत्र में सन्निहित कुल प्रतिफल शुल्क के 0.40 प्रतिशत की दर से।

3. एफ.एल.-2बी हेतु मांग पत्र में सन्निहित कुल प्रतिफल शुल्क के 0.50 प्रतिशत की दर से।

उपरोक्त उपप्रस्तर-(ख) के अनुसार अतिरिक्त लाइसेंस फीस की वसूली सुनिश्चित किये जाने हेतु आन लाइन व्यवस्था पोर्टल पर विकसित की जायेगी। मांग पत्र में अतिरिक्त लाइसेंस फीस जमा किये गये होने का विवरण भी वर्णित होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि मांग पत्रों के सापेक्ष जमा की गयी अतिरिक्त लाइसेंस फीस में प्रस्तर-1.12.6(1)(क) में उल्लिखित नियत लाइसेंस फीस का समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(ग) सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी अनुज्ञापनों की प्रतिभूति धनराशि ₹5.0 लाख निर्धारित की जाती है। परन्तु आसवनियों/यवासवनियों को स्वीकृत होने वाले सी.एल.-2/एफ.एल.-2/एफ.एल.-2बी की स्वीकृति/नवीनीकरण के प्रकरणों में, चूँकि पूर्व से ही एक भारी धनराशि विभाग के पास प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित होती है, प्रतिभूति धनराशि ₹1.0 लाख निर्धारित की जाती है।

(घ) सी.एल.-2 अनुज्ञापन हेतु ₹50 लाख मूल्य के हैसियत प्रमाण पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे। एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी अनुज्ञापनों हेतु ₹60 लाख मूल्य के हैसियत प्रमाण पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे। नवीनीकरण के मामलों में पूर्व में अधिक मूल्य के प्रस्तुत किये गये हैसियत प्रमाण पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु वैध हों, मान्य होंगे अन्यथा की दशा में नवीन हैसियत प्रमाण पत्र अथवा धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(2) आसवनियों/यवासवनियों को स्वीकृत होने वाले सी.एल.-2/एफ.एल.-2/एफ.एल.-2बी अनुज्ञापनों की स्वीकृति/नवीनीकरण के प्रकरणों में आवेदक का आसवनियों/यवासवनियों के निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत् प्राधिकृत होना अनिवार्य होगा।

(3) आसवनियों/यवासवनियों को स्वीकृत होने वाले सी.एल.-2/एफ.एल.-2/एफ.एल.-2बी अनुज्ञापनों की स्वीकृति/नवीनीकरण के प्रकरणों में आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(4) आसवनी/यवासवनी के प्रकरणों को छोड़कर अन्य आवेदकों (फर्म/व्यक्ति) को विगत कर निर्धारण वर्ष की आयकर विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिभूति अथवा प्रतिभूति के अंतर आबकारी आयुक्त को स्केन्ड ई-बैंक गारण्टी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। नवीनीकृत अनुज्ञापनों के प्रकरणों में पूर्व से जमा प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक उसकी वापसी न कर दी गयी हो। प्रत्येक अनुज्ञापी को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह अपने अनुज्ञापन के संबंध में प्रतिभूति के रूप में ई-बैंक गारण्टी जमा कर अपनी पूर्व में जमा प्रतिभूति (जो सावधि जमा रसीद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा नगद के रूप में जमा हुई हो और विभाग के पास सुरक्षित हो) की वापसी की मांग करे। ऐसी स्थिति में भुगतानकर्ता अधिकारी द्वारा तत्काल भुगतान/वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

विशेष परिस्थितियों में राजस्वहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ई-बैंक गारण्टी के स्थान पर पूर्व की भांति सावधि जमा रसीद भी जमा करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आबकारी आयुक्त को प्राधिकृत किया जाता है।

1.13 ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबल अनुमोदन तथा एम.आर.पी. अनुमोदन/आपूर्ति के संबंध में अन्य व्यवस्थाएं:-

1.13.1(क) ब्रांड पंजीकरण एवं लेबल अनुमोदन/नवीनीकरण के संबंध में वर्ष 2025-26 में लागू व्यवस्था को वर्ष 2026-27 में यथावत रखा जाता है तथा वर्ष 2026-27 में किसी ब्राण्ड के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) यदि किसी मदिरा ब्राण्ड के लेबिल/एम.आर.पी. के अनुमोदन के दौरान अथवा बाद में आबकारी विभाग को यह प्रतीत होता है कि भविष्य में इसके संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है अथवा उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो लेबिल/एम.आर.पी. अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

(ग) यदि किसी आयातक इकाई द्वारा समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा के 1200 नग एवं समुद्रपार आयातित बीयर के 1500 नग (प्रत्येक धारिता को सम्मिलित करते हुए) तक ही बिक्री करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ब्राण्ड पंजीकरण की फीस विदेशी मदिरा हेतु ₹30,000/- और बीयर हेतु ₹15,000/- प्रतिब्राण्ड होगी। यह व्यवस्था प्रथम आवत प्रथम पावत सिद्धांत के तहत अधिकतम 02 आयातक इकाइयों को ही अनुमन्य होगी। इससे अधिक की बिक्री होने पर ब्राण्ड पंजीकरण की फीस प्रस्तर-1.13.2 की तालिका के अनुसार ली जायेगी। इस श्रेणी में वर्ष 2025-26 में पंजीकृत ब्राण्डों का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

चूँकि एक ही समय पर इस श्रेणी तथा सामान्य श्रेणी दोनों में एक ही ब्राण्ड का पंजीकरण विधिक दृष्टि से उचित नहीं है, अतः यदि कालांतर में उक्त श्रेणी के किसी पंजीकृत ब्राण्ड का सामान्य श्रेणी में पंजीकरण किसी अन्य इकाई द्वारा कराया जाता है, तो पूर्व में इस श्रेणी में पंजीकृत ब्राण्ड का सामान्य पंजीकरण शुल्क एवं इस श्रेणी के पंजीकरण शुल्क का अंतर वसूल किया जायेगा। इस श्रेणी में पंजीकृत किसी ब्राण्ड का पंजीकरण इकाई के अनुरोध पर सामान्य श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकेगा और इस स्थिति में सामान्य पंजीकरण शुल्क एवं इस श्रेणी के पंजीकरण शुल्क का अंतर वसूल किया जायेगा।

(घ) पैरामिलिट्री को आपूर्ति हेतु मदिरा के लेबिलों पर, सी.एस.डी. आपूर्ति के लेबिलों पर अपेक्षित सीजेएल में, यथासंभव पैरामिलिट्री शब्द अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ङ) लेबिलों की संख्या के संबंध में पृथक से आदेश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे तथा इस संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

(च) सी.एस.डी. अथवा पैरामिलिट्री को मदिरा की आपूर्ति के मामलों में इन संस्थाओं के सक्षम स्तर से अनुमोदित धारिताओं में ब्राण्ड पंजीकरण/लेबिल अनुमोदित किये जा सकेंगे तथा तदनुसार प्रतिफल शुल्क का निर्धारण भी किया जायेगा। इस हेतु सक्षम स्तर का निर्धारण संबंधित विभाग से आबकारी आयुक्त द्वारा कराया जायेगा।

(छ) वर्ष 2025-26 में किसी पंजीकृत ब्राण्ड के लेबिल में यदि कोई परिवर्तन न होने का शपथ-पत्र आपूर्तिक/उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तब ऐसे ब्राण्ड-लेबिल के स्वतः ऑनलाइन नवीनीकरण की सुविधा प्रदान की जायेगी।

1.13.2 ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबल अनुमोदन फीस

(1) वर्ष 2026-27 हेतु ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबल अनुमोदन फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	ब्राण्ड पंजीकरण फीस (रुपये में)	लेबल अनुमोदन फीस (रुपये में)
1.	देशी मदिरा	1,00,000	1,00,000
2.	भारत निर्मित मदिरा		
क	विदेशी मदिरा	1,25,000	1,25,000
ख(1)	यू.पी. निर्मित बीयर (ख(2) को छोड़कर) तथा यू.पी. के बाहर निर्मित बीयर	75,000	75,000
ख(2)	यू.पी. निर्मित बीयर (500 पेटी तक)	15,000	15,000
ग(1)	वाइन (यू.पी.निर्मित)	1,100	1,100
ग(2)	वाइन (यू.पी.निर्मित को छोड़कर)	10,000	10,000
ग(3)	फोर्टिफाइड वाइन	20,000	20,000
घ	एल.ए.बी.	20,000	20,000
3.	अन्य देशों से आयातित मदिरा		
क	विदेशी मदिरा	1,00,000	लेबल अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
ख	बीयर	50,000	
ग	वाइन	10,000	
घ	फोर्टिफाइड वाइन	20,000	
ङ	एल.ए.बी.	20,000	

नोट:- 1. ब्राण्ड एवं लेबल के पंजीकरण/अनुमोदन के नवीनीकरण हेतु भी उपरोक्तानुसार फीस ली जाएगी।

2. 2ख(2) के प्रकरणों में 4क(1) एवं ख(2) में प्रस्तर-1.13.1(ग) में उल्लिखित शपथ पत्र तथा अन्य प्राविधान भी लागू होंगे।

3. 2ख(2) के अंतर्गत पंजीकृत ब्राण्ड का परिवर्तन 2ख(1) श्रेणी में कराये जाने पर ब्राण्ड पंजीकरण शुल्क का अंतर वसूल किया जायेगा।

4. सी.एस.डी. एवं पैरामिलिट्री की आपूर्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले लेबिलों की अनुमोदन फीस सिविल आपूर्ति हेतु निर्धारित फीस का 60 प्रतिशत होगी।

(2) वर्ष 2025-26 में पंजीकृत ब्राण्डों के नवीनीकरण एवं एम.आर.पी. के अनुमोदन माह 31 मई, 2026 तक ही सामान्यतः कराये जा सकेंगे। दिनांक 01 जून, 2026 से 30 जून, 2026 तक नवीनीकरण कराये जाने की स्थिति में 1.5 गुना नवीनीकरण फीस ली जायेगी। दिनांक 01 जुलाई, 2026 के पश्चात 02 गुना नवीनीकरण फीस ली जायेगी। ऐसे ब्राण्ड जिनका नवीनीकरण उक्त व्यवस्था के अनुसार नहीं कराया गया होगा, उनका नये ब्राण्ड के रूप में पंजीकरण वर्ष 2026-27 में अनुमन्य नहीं होगा।

(3) सी.एस.डी. अथवा पैरामिलिट्री की आपूर्ति हेतु ब्राण्ड पंजीकरण तभी अनुमन्य होगी जब इन ब्राण्डों का पंजीकरण और एम.आर.पी. का अनुमोदन सिविल आपूर्ति के लिए करा लिया गया हो।

(4) भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और एल.ए.बी. के ब्राण्डों के वैरिएंट की एम.आर.पी. अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

(5) यदि भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार अथवा केन्द्र शासित राज्य के नियंत्रणाधीन किसी सक्षम संस्था द्वारा अथवा किसी आयातक देश द्वारा अपने नियमों के अधीन किसी पंजीकृत लेबिल में कोई परिवर्तन किये जाने का निर्देश दिया जाता है, तब उत्पादक द्वारा उक्त के अनुपालन में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित लेबिल की अनुमोदन फीस नहीं ली जायेगी।

1.13.3 एम.आर.पी. अनुमोदन/आपूर्ति के संबंध में अन्य व्यवस्थाएं

प्रदेश की सिविल/सी.एस.डी. आपूर्ति हेतु बोतलबंद समस्त प्रकार की मदिरा के एम.आर.पी. अनुमोदन/आपूर्ति के संबंध में 2026-27 हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं निर्धारित की जाती है :-

(1) वर्ष 2026-27 हेतु कांच और पेट बोतलों एवं एसेप्टिक ब्रिक पैक में भारत निर्मित विदेशी मदिरा अनुमन्य होगी। इकोनामी श्रेणी के 180 एम.एल. धारिता की भारत निर्मित विदेशी मदिरा की आपूर्ति एसेप्टिक ब्रिक पैक में किया जाना अनिवार्य होगा। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादित एल्युमिनियम कैन में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की आपूर्ति तभी अनुमन्य की जायेगी, जब संबंधित ब्राण्ड की आपूर्ति करने के लिए एल्युमिनियम कैन की अनुमन्यता/ उपयुक्तता तथा इसमें आपूर्ति करने हेतु अधिकतम शेल्फ लाइफ के संबंध में सी.एफ.टी.आर.आई., मैसूर से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। एल्युमिनियम कैन में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की आपूर्ति के प्रकरणों में शेल्फ लाइफ 09 माह अथवा सी.एफ.टी.आर.आई. द्वारा संस्तुत शेल्फ लाइफ में से जो कम हो, अनुमन्य की जायेगी एवं संबंधित उत्पादक द्वारा लेबिल पर बड़े अक्षरों में शेल्फ लाइफ अंकित की जायेगी।

(2) वर्ष 2026-27 हेतु कांच की बोतलों और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादित एल्युमिनियम कैन में वाइन और एल.ए.बी./आर.टी.डी. की आपूर्ति अनुमन्य होगी। कैन में आपूर्ति इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य की जायेगी कि शेल्फ लाइफ अधिकतम 9 माह तक अनुमन्य होगी एवं संबंधित उत्पादक की ओर से लेबिल पर बड़े अक्षरों में शेल्फ लाइफ अंकित की जायेगी। वर्ष 2026-27 में वर्ष 2025-26 की भाँति वाइन और एल.ए.बी./आर.टी.डी. की बिक्री कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप, प्रीमियम रिटेल वेण्ड और बार में अनुमन्य होगी।

(3) वर्ष 2026-27 में बीयर की आपूर्ति कांच की बोतलों और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादित एल्युमिनियम कैन में अनुमन्य होगी। केग में बीयर (माइक्रोब्रिवरी से उत्पादित बीयर को छोड़कर) की आपूर्ति हेतु 5 लीटर के गुणक में 50 लीटर तक की धारिताओं को अनुमन्य किया जाता है, जिनकी ई.डी.पी. यवासवक द्वारा पृथक से प्रस्तुत की जायेगी, जिसके आधार पर 500 एम.एल. कैन के सापेक्ष प्रतिफल शुल्क का आगणन किया जायेगा।

(4) बी.आई.ओ.-1/1ए/1बी द्वारा समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की बिक्री सीधे प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं मॉडल शॉप को किये जाने की स्थिति में एम.आर.पी. निर्धारण के अंतर्गत निर्धारित थोक विक्रेता के मार्जिन के समतुल्य धनराशि को प्रतिफल शुल्क के शीर्षक के अंतर्गत राजकोष में जमा कराया जाएगा। बार को सीधे बिक्री के प्रकरणों में थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता के मार्जिन के समतुल्य धनराशि को प्रतिफल शुल्क के शीर्षक के अंतर्गत राजकोष में जमा कराया जाएगा।

(5) भारत निर्मित एवं समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा/ एल.ए.बी./वाइन/बीयर की एम.आर.पी. निर्धारण हेतु आसवनी/ब्राण्डधारक /यवासवनी/द्राक्षासवनी इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का ₹10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.बी. कॉस्ट एकाउटेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं झारखण्ड (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड या उसके समानान्तर ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.बी. के समतुल्य अथवा उससे कम है। उल्लिखित निकटवर्ती राज्यों में यदि किसी ब्राण्ड की ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.बी. वर्ष 2026-27 हेतु अनुमोदित नहीं करायी गयी है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में गत वर्ष की अनुमोदित ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी. एवं इकाई द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.बी. का संज्ञान लेकर आबकारी आयुक्त द्वारा एम.आर.पी. का निर्धारण किया जायेगा, परन्तु उत्तर प्रदेश में एम.आर.पी. का अनुमोदन हो जाने के उपरांत इकाई द्वारा अन्य समीपवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड की उत्तर प्रदेश से कम ई.डी.पी./ ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.बी. नहीं प्रस्तुत की जायेगी। ई.डी.पी./ ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.बी. प्रस्तुत करते समय इसके समस्त कम्पोनेंट का विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा और समीपवर्ती राज्यों में अनुमोदित एम.आर.पी. से संबंधित समस्त विवरणों (कास्ट कार्ड) की तालिका भी प्रस्तुत की जायेगी। ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.बी. के अनुमोदन में निकटवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड के वास्तविक बिक्री मूल्य/न्यूनतम बिक्री मूल्य/अधिकतम बिक्री मूल्य का संज्ञान भी लिया जायेगा, ताकि प्रदेश के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

किसी ब्राण्ड की ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.बी. अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का निर्णय अंतिम होगा।

विभिन्न प्रदेशों में ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.बी.में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबल अनुमोदन फीस, शीरा पर प्रशासनिक फीस, ई.एन.ए./ग्रेन ई.एन.ए. पर वैट/जी.एस.टी., परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि में भिन्नता है। अतः ई.डी.पी./ ई.डब्लू.पी./ ई.बी.पी./ ई.सी.बी.बी. का मिलान करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि जांच में अभिकथन असत्य पाये जाने पर रुपये एक लाख तक का अर्थदण्ड आरोपित करते हुए ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा।

(6) ट्रैक ऐण्ड ट्रेस प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु ट्रैक ऐण्ड ट्रेस फीस ₹0.35/- एवं निर्धारित स्पेशल फीस प्रत्येक धारिता की बोतल की ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.बी. में सम्मिलित होगी।

(7) भारत निर्मित एवं समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा/ एल.ए.बी./वाइन/बीयर के अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य को राउण्ड आफ करते हुये, 10 के अगले गुणांक पर निर्धारित कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में लिया जायेगा।

(8) भारत निर्मित एवं समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा/एल.ए.बी./वाइन/बीयर की ई.डी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.बी.पी./ई.सी.बी.बी. में बार-कोड तथा क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में ₹0.15/- प्रति यूनिट सम्मिलित होगी। उपरोक्त ₹0.15 में से ₹0.09 को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(9) आगणित एम.आर.पी. में नियमानुसार देय विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की राशि को जोड़कर अंतिमीकृत एम.आर.पी. निर्धारित की जायेगी।

(10) समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/एल.ए.बी. के ब्राण्डों हेतु घोषित सी.आई.एफ., मूल्य पंजीकरण के विगत 3 माह के औसत के आधार पर होगा। यदि विगत 3 माह का औसत प्राप्त करने हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न हों तब विगत 12 माह के औसत के आधार पर सी.आई.एफ. मूल्य घोषित किया जायेगा, परन्तु इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी प्रकार की राजस्व हानि न हो।

(11) वर्ष 2026-27 में सी.आई.एफ. (कास्ट इंश्योरेंस फ्रेट) और मार्जिन दोनों का भी परीक्षण किया जायेगा।

(12) नेपाल निर्मित बीयर एवं भूटान निर्मित मदिरा एवं बीयर के आयात को देश के अन्य राज्यों की भाँति आयात/निर्यात माना जाएगा।

(13) समुद्रपार आयातित मदिरा के ब्राण्डों के विभिन्न वैरियेंट्स उनके मेच्योरिशन अवधि के आधार पर मान्य होंगे।

(14) यदि किसी नये ब्राण्ड-लेबिल के पंजीकरण/अनुमोदन की तिथि से एम.आर.पी. अनुमोदन हेतु 03 माह तक ई.डी.पी./ ई.बी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.सी.बी.बी. प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो ब्राण्ड-लेबिल का अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

1.15 अन्य:-

1.15.1(1) देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप्स, प्रीमियम मॉडल शॉप्स, भांग एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स से बिक्री का समय:-

वर्ष 2026-27 में देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप्स, प्रीमियम मॉडल शॉप्स, शापिंग/कामर्शियल काम्प्लेक्सों में स्वीकृत प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं भांग दुकानों की कार्यावधि प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक रहेगी।

(क) मॉल में संचालित प्रीमियम रिटेल वेण्ड की कार्यावधि वही होगी, जो मॉल की संचालन अवधि होगी।

(ख) प्रदेश के एअरपोर्ट्स के परिसर के मुख्य भवन के अंदर संचालित प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स अनुज्ञापनों की संचालन अवधि वही होगी, जो एअरपोर्ट की संचालन अवधि होगी।

(2) वर्ष 2026-27 हेतु एफ.एल.-16 अनुज्ञापनों का वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क ₹1,00,000/- तथा एफ.एल.-17 अनुज्ञापनों का वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क ₹50,000/- निर्धारित किया जाता है। नवीनीकरण की स्थिति में भी उपरोक्त दर से अनुज्ञापन शुल्क जमा कराया जायेगा।

(3) प्रदेश में विकृत सुरा अथवा विशेष विकृत सुरा की उपलब्धता न होने की स्थिती में ही इनके आयात की अनुमति आबकारी आयुक्त द्वारा दी जायेगी। अन्य देय नियमानुसार जमा कराये जायेंगे।

(4) आसवनियों द्वारा सी-हैवी शीरे/बी-हैवी शीरे/केन जूस/केन सीरप आदि से उत्पादित अल्कोहल के भण्डारण हेतु प्रयोग में लाये जा रहे टैंकों के आपस में परिवर्तन की अनुमति के लिये ऑनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु ₹6,000/- प्रासेसिंग फीस ली जाएगी।

(5) एनेनाल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आयल मिक्सिंग डिपोज़ को एथेनाल की आपूर्ति के लिए परमिट प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु ₹7,500/- प्रासेसिंग फीस ली जायेगी।

(6) यू.पी.एम.एल. की आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों में यू.पी.एम.एल. की भराई हेतु बॉटलिंग लाइन/लाइनों के निर्धारण का अधिकार संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त को प्रदान किया जाता है।

(7) देशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/टेट्रा पैक के लेबिल पर दायीं ओर शीर्ष पर 1 से.मी.X1 से.मी. पर स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फॉंट में उसकी एम.आर.पी. अंकित की जायेगी।

(8) (क) ई-लॉटरी पोर्टल पर मोबाइल नं., पैन करेक्शन इत्यादि हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹3,000/- निर्धारित की जाती है। यह व्यवस्था आबकारी नीति वर्ष 2026-27 के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगी।

(ख) बाण्ड अनुज्ञापनों के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम परिवर्तन अथवा चौहद्दी परिवर्तन अथवा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों के साथ प्रासेसिंग फीस के रूप में ₹10,000/- का चालान संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों की चौहद्दी परिवर्तन/विक्रेता परिवर्तन के ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹5,000/- होगी।

(9) (क) बल्क स्प्रिट के आयात की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹6,000/- निर्धारित की जाती है।

(ख) विकृत स्प्रिट के देश के बाहर से आयात के प्रकरणों में अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹5,000/- होगी। इस हेतु अतिशीघ्र पोर्टल पर आवश्यक सुविधा विकसित की जायेगी।

(10) वैयक्तिक होम लाइसेंस के स्थानांतरण हेतु सुसंगत अभिलेखों सहित प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर आवश्यक जाँचोपरांत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु प्रार्थना पत्र अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास) के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, जिनके द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए और संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों की संस्तुति के सापेक्ष यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

(11) (क) इच्छुक फुटकर और थोक अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञापन के नामांतरण के संबंध में एक नामिनेशन शपथ पत्र और प्रथम नामिनी का सहमति शपथ पत्र भी, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि वरीयता क्रम में अपने वारिसों/परिवार के सदस्यों/निकट संबंधियों का नाम, आधार नम्बर, संबंध आदि का उल्लेख किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकेगा। मृत्यु के प्रकरणों में सर्वप्रथम नॉमिनेशन शपथ पत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लिया जायेगा; अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त नामिनेशन नोटेराइज्ड शपथ पत्र एवं सहमति शपथ पत्र लाइसेंस प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा। नामिनेशन शपथ पत्र प्रस्तुत न होने एवं अनुज्ञापी की मृत्यु हो जाने की दशा में मात्र अर्ह एवं उपयुक्त विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में ही नामांतरण करने पर विचार किया जायेगा। निकट संबंधी का अर्थ वही होगा जो आयकर अधिनियम की धारा-2(41) में परिभाषित है। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा।

(ख) ऐसे बार अनुज्ञापन एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापन जो विधिक रूप से किसी व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत किये गये हों, के मामलों में भी इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञापन के नामांतरण के संबंध में एक नामिनेशन शपथ पत्र और प्रथम नामिनी का सहमति शपथ पत्र भी, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि वरीयता क्रम में अपने वारिसों/परिवार के सदस्यों/निकट संबंधियों का नाम, आधार नम्बर, संबंध आदि का उल्लेख किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकेगा। मृत्यु के प्रकरणों में सर्वप्रथम नॉमिनेशन शपथ पत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लिया जायेगा; अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त नामिनेशन नोटेराइज्ड शपथ पत्र एवं सहमति शपथ पत्र लाइसेंस प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा। नामिनेशन शपथ पत्र प्रस्तुत न होने एवं अनुज्ञापी की मृत्यु हो जाने की दशा में मात्र अर्ह एवं उपयुक्त विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में ही नामांतरण करने पर विचार किया जायेगा। निकट संबंधी का अर्थ वही होगा जो आयकर अधिनियम की धारा-2(41) में परिभाषित है। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा।

(12) डिनेचुरेशन फीस की दर वित्तीय वर्ष 2026-27 में गतवर्ष की भाँति ₹0.60/- प्रति लीटर होगी।

(13) भुगतान वापसी के प्रकरणों में कोषवाणी की वेबसाइट में प्रदर्शित सूचना के आधार पर चालानों का विभाग द्वारा किया गया सत्यापन पर्याप्त माना जायेगा। संबंधित कोषागार से चालानों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराये जाने की प्रक्रियागत अनिवार्यता नहीं होगी।

(14) अगले वर्ष के नवीनीकरण हेतु धनराशियों को जमा करने के पश्चात् यदि किसी लाइसेंसी की मृत्यु 1 अप्रैल के पूर्व हो जाती है और उसके किसी विधिक उत्तराधिकारी अथवा नामनिर्देशिती द्वारा अनुज्ञापन के संचालन हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है अथवा किसी उत्तराधिकारी/नामनिर्देशिती को इस हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नवीनीकरण हेतु जमा धनराशियों (प्रासेसिंग फीस को छोड़कर) विधिक उत्तराधिकारी को वापस कर दिया जायेगा।

(15) पूर्व वर्षों से नवीनीकृत होती आ रही दो लाइसेंसियों वाली दुकानों/प्रीमियम रिटेल वेण्ड के प्रकरणों में नवीनीकरण के पूर्व ही किसी एक लाइसेंसी की मृत्यु हो जाने और उसके विधिक उत्तराधिकारी अथवा नामनिर्देशिती द्वारा प्रार्थना पत्र न दिये जाने अथवा उन्हें अनुपयुक्त पाये जाने की स्थिति में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दूसरे जीवित लाइसेंसी के पक्ष में वर्ष 2026-27 हेतु दुकान की संपूर्ण प्रतिभूति, निर्धारित तिथि तक जमा करने के प्रतिबंध के साथ दुकान का नवीनीकरण किया जाना अनुमन्य होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर वर्ष 2025-26 हेतु जमा प्रतिभूति नियमानुसार वापस की जायेगी।

(16) पूर्व वर्षों से नवीनीकृत होती आ रही दो जीवित लाइसेंसियों वाली दुकानों/प्रीमियम रिटेल वेण्ड का नवीनीकरण दोनों ही लाइसेंसियों के मध्य नवीनीकरण हेतु सहमति की दशा में ही किया जायेगा। सहमति न होने की दशा में नवीनीकरण किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

(17) डी.एस.-1 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस ₹1,00,000/- निर्धारित की जाती है। प्रतिभूति धनराशि 10 प्रतिशत होगी। लाइसेंस फीस कोषागार शीर्षक 0039 में निर्धारित उपशीर्षक के अंतर्गत जमा की जायेगी।

(18) आयल मिक्सिंग डिपो के मामलों में ली जाने वाली लाइसेंस फीस गतवर्ष की भाँति ₹ 0.50/- प्रति लीटर यथावत् होगी।

(19) आसवनी के एथनाल एवं ई.एन.ए. उत्पादन के अनुपात का विनिश्चय आसवनी हेतु गठित समिति के स्थान पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग के स्तर से किया जायेगा।

(20) प्रदेश में स्थापित आसवनियों, यवासवनियों और द्राक्षासवनियों की प्रतिभूति केवल ई-बैंक गारण्टी के रूप में जमा की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में राजस्वहित में वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व की भाँति सावधि जमा रसीद के रूप में प्रतिभूति जमा करने की अनुमति दिये जाने का अधिकार आबकारी आयुक्त को प्रदान किया जाता है।

(21) मदिरा और भांग की फुटकर दुकानों की वर्ष 2025-26 की चौहद्दी परिवर्तन किये बिना यदि उनके नाम परिवर्तन की आवश्यकता पायी जाती है, तो इस स्थिति में जिला कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकान के नाम को परिवर्तित किया जा सकेगा। दुकानों की अवस्थिति (जिसमें नाम परिवर्तन हो) में परिवर्तन अथवा स्थानांतरण की प्रक्रिया संगत नियमों के अनुसार संपादित की जायेगी।

(22) (क) यवासवनी की स्थापना हेतु स्वीकृत किये जाने वाले लाइसेंस बी-20 की वैधता एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष होगी। यदि उक्त अवधि में यवासवनी स्थापित नहीं की जाती है तब उक्त अनुज्ञापन की वैधता इकाई द्वारा ₹ 2,50,000(रुपया दो लाख पचास हजार मात्र) जमा करने पर एक वर्ष के लिये तभी बढ़ायी जा सकेगी जब इकाई द्वारा बी-20 की वैधता अवधि में भूमि, प्लांट एवं मशीनरी पर होने वाले कुल व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत व्यय किया जा चुका होना चाहिये। परन्तु यह आवश्यक होगा कि भूमि पर व्यय को छोड़कर केवल प्लांट मशीनरी आदि पर कुल व्यय का 25 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो। उक्त विस्तारित अवधि में भी यदि यवासवनी द्वारा बी-1 लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाता है, और बी-20 लाइसेंस की वैधता बढ़ाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब बी-20 लाइसेंस की वैधता ₹ 2,50,000(रुपया दो लाख पचास हजार मात्र) जमा करने पर एक वर्ष के लिये तभी बढ़ायी जायेगी जब कुल व्यय का 70 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो। तदोपरांत यदि यवासवनी द्वारा बी-1 लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाता है, तो बी-20 लाइसेंस को निरस्त कर दिया जायेगा। यवासवनी की स्थापना के लिये स्वीकृत किये जाने वाले बी-20 लाइसेंस की प्रतिभूति ₹ 10 लाख निर्धारित की जाती है। यह प्रावधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से लागू होगा।

(ख) वित्तीय वर्ष 2026-27 में यवासवनी के बी-1 की लाइसेंस फीस की दर ₹ 40/- प्रति किलोलीटर निर्धारित की जाती है।

(23) (क) आसवनी की स्थापना हेतु स्वीकृत किये जाने वाले लाइसेंस पी.डी.33 की वैधता दो वर्ष हेतु प्रदत्त है। यदि उक्त अवधि में आसवनी स्थापित नहीं की जाती है तब उक्त अनुज्ञापन की वैधता, इकाई द्वारा ₹ 5,00,000 (रुपया पाँच लाख मात्र) जमा करने पर एक वर्ष के लिये तभी बढ़ायी जा सकेगी जब इकाई द्वारा पी.डी.-33 की वैधता अवधि में भूमि प्लांट एवं मशीनरी पर होने वाले कुल व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो। परन्तु यह आवश्यक होगा कि भूमि पर व्यय को छोड़कर केवल प्लांट मशीनरी आदि पर कुल व्यय का 25 प्रतिशत व्यय किया जा चुका होना चाहिये। उक्त विस्तारित अवधि में यदि इकाई द्वारा पी.डी.-2 लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाता है, और पी.डी.-33 लाइसेंस की वैधता बढ़ाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब पी.डी.-33 लाइसेंस की वैधता ₹ 5,00,000 (रुपया पाँच लाख मात्र) जमा करने पर एक वर्ष के लिये तभी बढ़ायी जायेगी जब कुल व्यय का 70 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो। तदोपरांत यदि इकाई द्वारा पी.डी.-2 लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाता है, तो पी.डी.-33 लाइसेंस को निरस्त कर दिया जायेगा। यह प्राविधान इस आबकारी नीति की प्रख्यापन की तिथि से लागू होगा।

(ख) पी.डी.-33 अनुज्ञापन की प्रतिभूति धनराशि ₹10,00,000(दस लाख मात्र) निर्धारित की जाती है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2026-27 में पी.डी.-2 की लाइसेंस फीस की गतवर्ष की भाँति ₹35/- प्रति किलोलीटर निर्धारित की जाती है।

(घ) पी.डी.-33 अनुज्ञापित इकाइयों (जिनके पास पी.डी.-2 अनुज्ञापन नहीं है) के अंतर्गत संचालित सी.एल.बी.-1/सी.एल.बी.-2 अनुज्ञापन को आरक्षित शीरा आवंटित नहीं किये जाने का प्राविधान यथावत रहेगा।

(ङ) पी.डी.-2 अनुज्ञापन धारण करने वाली किसी आसवनी के प्लांट मशीनरी के जीर्ण शीर्ण हो जाने अथवा किसी अन्य कारण से आसवनी में शीरा आधारित ई.एन.ए. का उत्पादन पूर्ण रूप से बंद होने अथवा आसवनी में शीरा आधारित प्लांट मशीनरी स्थापित न होने की स्थिति में आसवनी को आरक्षित शीरा आवंटित नहीं किये जाने का प्रावधान यथावत रहेगा।

(च) पी.डी.-2 अनुज्ञापन धारण करने वाली किसी आसवनी के प्लांट मशीनरी के जीर्ण शीर्ण हो जाने अथवा किसी अन्य कारण से आसवनी में अनाज आधारित ई.एन.ए. अथवा माल्ट स्प्रिट अथवा शीरा आधारित ई.एन.ए. का उत्पादन पूर्ण रूप से बंद होने की स्थिति में अथवा पी.डी.-2 धारक बंद आसवनी के पुनर्संचालन किये जाने की तिथि से अधिकतम 2 वर्षों तक अथवा 31.03.2027 तक जो भी बाद में हो, ग्रेन ई.एन.ए./अनारक्षित शीरा आधारित ई.एन.ए. क्रय कर बोतल भराई की अनुमति दी जायेगी। तत्पश्चात भी अनाज आधारित ई.एन.ए./शीरा आधारित ई.एन.ए./माल्ट स्प्रिट का उत्पादन प्रारम्भ न करने पर आसवनी का एफ.एल.-3 अथवा/एवं सी.एल.बी.-1 लाइसेंस निलम्बित कर दिया जायेगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से लागू होगा।

(छ) किसी विदेशी मदिरा निर्माण से संबंधित आसवनी में अधिष्ठापित क्षमता का संपूर्ण उपभोग हो जाने के पश्चात विशेष परिस्थितियों में मदिरा निर्माण की अनुमति आबकारी नीति वर्ष 2026-27 के प्रख्यापन की तिथि से इस प्रतिबंध के साथ आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदान की जा सकेगी कि बल्क स्प्रिट क्रय करके अधिष्ठापित क्षमता से अधिक प्रदेश में आपूर्ति हेतु विदेशी मदिरा की बोतल में भराई के लिए क्रय/प्रयुक्त किये गये ई.एन.ए./अन्य कोई स्प्रिट पर बाटलिंग हेतु निर्धारित फीस की दोगुनी दर से बाटलिंग फीस देय होगी। आसवनी को इस प्रकार अधिष्ठापित क्षमता से 40 प्रतिशत अधिक की सीमा तक ही स्प्रिट क्रय/प्रयुक्त किये जाने की अनुमति होगी। यह सुविधा आसवनी को अपनी क्षमता विस्तार/नवीन इकाई की स्थापना आदि का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है और यह सुविधा सामान्यतः वित्तीय वर्ष में एक बार ही प्रदान की जायेगी। उक्त सुविधा ऐसी आसवनियों को ही अनुमन्य होगी जिनपर अथवा जिनके स्वामी अथवा स्वामी कम्पनी/फर्म आदि की किसी अन्य इकाई/चीनी मिल पर कोई गन्ना मूल्य भुगतान के बकाये के संबंध में अथवा आबकारी विभाग के बकाये के संबंध में वसूली प्रमाण पत्र निर्गत एवं प्रभावी न हो।

(24) पी.डी.-2 अथवा बी.-1 अनुज्ञापन प्राप्त इकाइयों में किसी अतिरिक्त प्लांट मशीनरी, बाटलिंग लाइन, टैंक आदि की स्थापना हेतु प्रदत्त अनुमति में प्रदत्त वैधता अवधि में कार्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। विफलता की स्थिति में अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(25) (क) फुटकर एवं थोक अनुज्ञापनों पर विक्रेताओं के अनुमोदन हेतु ₹500/- जमा करने पर नौकरनामा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(ख) निर्धारित अवस्थिति में ही चौहद्दी परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र के साथ ₹1,000/- का चालान संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(ग) दुकान की अवस्थिति स्थानांतरण के प्रकरणों में आवेदन पत्र के साथ ₹5,000 का चालान संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(26) फुटकर दुकानों एवं बार अनुज्ञापनों में मदिरा बिक्री की समयावधि, विशेष अवसरों पर, एक विनिर्दिष्ट अवधि तक, परिवर्तित करने का अधिकार, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग को दिया जाता है।

(27) त्रुटिपूर्ण कोषागार शीर्षक में जमा किये गये चालानों की धनराशि को सही शीर्षक में पोर्टल पर प्रविष्टि कराने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ ₹2,000/- का चालान प्रासेसिंग फीस के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(28) प्रदेश में स्थापित द्राक्षासवनियों को एफ.एल.-1 अनुज्ञापन स्वीकृति की अनिवार्यता नहीं होगी; ऐसी द्राक्षासवनियों हेतु एफ.एल.-3 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस ₹50,000/- एवं प्रतिभूति ₹25,000/- निर्धारित की जाती है।

(29) मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड तथा बार अनुज्ञापनों को बी.आई.ओ.-1 अथवा बी.आई.ओ.-1ए से सीधे मदिरा क्रय किया जाना अनुमन्य होगा, परन्तु ऐसी आपूर्ति के मामलों में बार अनुज्ञापनों को छोड़कर थोक अनुज्ञापन का मार्जिन राजकोष में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। बार अनुज्ञापनों के मामले में थोक मार्जिन तथा फुटकर मार्जिन दोनों राजकोष में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(30) प्रीमियम रिटेल वेण्ड पर विक्रय हेतु अनुमन्य एसेसरीज़ में टॉनिक वाटर और काकटेल मिक्सर्स सम्मिलित होंगे, परन्तु ऐसे नान एल्कोहलिक पेय पदार्थ अनुमन्य नहीं होंगे, जिनके ब्राण्ड के नाम, पैकिंग, लेबिल आदि किसी मदिरा ब्राण्ड से मिलते जुलते हों और उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो। विवाद की स्थिति में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। मॉडल शॉप पर भी उक्त एसेसरीज़ की बिक्री अनुमन्य होगी।

(31) प्रत्येक फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा रखना अनिवार्य होगा।

(32) प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु प्रावधानित माल की परिभाषा में शॉपिंग/कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी सम्मिलित माने जायेंगे। यह प्रावधान प्रस्तर-1.5.2(5) में उल्लिखित एफ.एल.-4डी दुकानों पर लागू नहीं होगा।

(33) किसी मॉडल शॉप (एफ.एल.-4ए) एवं कम्पोजिट दुकान (एफ.एल.-5डीबी) से 200 मीटर की पथिक मार्ग से दूरी में कोई नवीन प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा, परन्तु पूर्व से स्वीकृत प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर यह प्राविधान लागू नहीं होगा। यह दूरी दोनों दुकानों के मुख्य द्वार के मध्य बिन्दु से पथिक मार्ग से मापी जायेगी। नगर निगम क्षेत्रों एवं गौतमबुद्धनगर के विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में यह दूरी 100 मीटर ही होगी।

(34) आबकारी विभाग की समस्त फुटकर दुकानें, जिनके लाइसेंस प्राधिकारी जिला कलेक्टर प्राविधानित हैं, के अनुज्ञापनों पर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर किये जायेंगे।

Continued On Next Page

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 15-02-2026 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH15 User: anand.soni@timesofindia.com Time: 02-14-2026 21:33 Color:

12 राशियां और आपका दिन

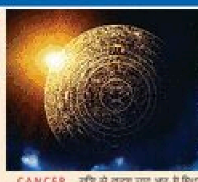

ARIES 21 Mar - 19 Apr
[illegible]

TAURUS 20 Apr - 19 May
[illegible]

GEMINI 21 May - 21 Jun
[illegible]

CANCER 22 Jun - 22 July
[illegible]

LEO 23 July - 22 Aug
[illegible]

VIRGO 23 Aug - 22 Sep
[illegible]

LIBRA 23 Sep - 22 Oct
[illegible]

SCORPIO 23 Oct - 21 Nov
... बढ़ेगी। किसी राजनीतिक से निकटता व दोस्ती होगी और उसके अनुभव का लाभ भी आपको होगा। विद्यार्थियों को सलाह है कि अपना अधिक से अधिक समय अध्ययन में लगाएं। शाम से लेकर रात का समय पाठ पूजा व किसी धार्मिक अनुष्ठान में बीतेगा।

SAGITTARIUS 22 Nov - 21 Dec
[illegible]

CAPRICORN 22 Dec - 19 Jan
[illegible]

AQUARIUS 20 Jan - 18 Feb
... द्वितीय धन कोष में पद्म लाभ पक्ष से हर्ष और लक्ष्मी की बड़ी मात्रा में प्राप्ति से कोष वृद्धि कारक है। अपनी उत्तम कार्यशैली और मृदु व्यवहार का आज भी अपको लाभ मिलेगा। दूसरों से सहयोग लेने में अपको सफलता प्राप्त होगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

PISCES 19 Feb - 20 Mar
[illegible]

कल का पंचांग
(सोमवार, 16 फरवरी 2026)

[illegible] ... होगा। शकुनि करण शाम 5 बजकर 35 मिनट तक के बाद नाग करण का आरंभ होगा। चंद्रमा दिन रात मकर राशि पर संचार करेगा।

आज के व्रत और त्योहार
श्री महाशिवरात्रि व्रत, सर्वार्थ सिद्धि योग

Continued From Previous Page

(35) प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापनों हेतु परिसर का स्थानांतरण किया जाना अनुमन्य होगा, परन्तु इस प्रकार नवीन परिसर हेतु अनुज्ञापन के निर्गमन का प्रकरण प्रस्तर-1.15.1(34) से आच्छादित होगा।

(36) भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतलों पर लगाये जाने वाले ढक्कनों का टैम्परप्रूफ होना अनिवार्य किया जाता है।

(37) मदिरा की समस्त फुटकर दुकानों पर लगे 02 सी.सी.टी.वी. कैमरे, जिन्हें गतवर्ष लगाया जाना अनिवार्य किया गया था, को फुटकर दुकानों के स्वयं के खर्च पर इस प्रकार लगाये जायेंगे, जिससे दुकान के अंदर और बाहर के दृश्य कैप्चर हो सकें। सी.सी.टी.वी. बंद पाये जाने पर ₹2,000/- जुर्माना आरोपित किया जायेगा। सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्थापना एवं संचालन में जानबूझ कर की गयी लापरवाही पाये जाने की दशा में अनुज्ञापी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(38) राजस्व हित में थोक विक्रेता के मार्जिन एवं फुटकर विक्रेता के मार्जिन आगणन हेतु निर्धारित एक्सेल फाइल में इस प्रकार के लॉजिक का उपयोग किया जायेगा, जिससे किसी प्रकार के राजस्व क्षति की सम्भावना न हो।

(39) आसवनी स्थापना हेतु प्रपत्र पी.डी.-32 में आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक द्वारा ओ.ई.एम. (Original Equipment Manufacturer) से स्थापित कराये जाने वाले उपकरणों एवं मशीनरी के आधार पर दैनिक आधार पर उत्पादित होने वाले अल्कोहल (किलोलीटर में) की अधिकतम क्षमता की घोषणा, शपथ पत्र के माध्यम से करनी होगी। [illegible]

(40) वैध पी.डी.-2 अनुज्ञापन रखने वाली इकाइयों को प्लांट मशीनरी के विस्तार हेतु प्रदत्त अनुमतियों [illegible] प्लांट के संचालन के पूर्व भी आसवनी को अतिरिक्त आरक्षित शीरे का आवंटन रोका जा सकेगा।

(41) खाद्य संरक्षा और मानक (अल्कोहलिक पेय) विनियम, 2018 (यथासंशोधित) के अंतर्गत परिभाषित एवं समय समय पर संशोधित विभिन्न प्रकार के अल्कोहलिक पेयों हेतु दी गयी परिभाषाओं एवं मानकों (Alcoholic strengths) को उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के प्रयोजनार्थ यथावत् अंगीकृत किया जायेगा।

(42) द्राक्षासवनी की स्थापना हेतु निर्गत वी-1 लाइसेंस की वैधता अवधि के भीतर द्राक्षासवनी की स्थापना करना अनिवार्य होगा। वी-1 लाइसेंसधारक लाइसेंस की समाप्ति से एक माह पूर्व वी-1 लाइसेंस की वैधता बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकेगा। वी-1 लाइसेंस की वैधता दो बार से अधिक बार नहीं बढ़ायी जायेगी, अर्थात वी-1 लाइसेंस की वैधता अधिकतम 03 वर्ष ही हो सकेगी। इस अवधि के उपरान्त यह लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

(43) फुटकर दुकानों पर पकड़ी गयी तस्कृत/अपमिश्रित मदिरा की बोतलों पर देय प्रतिफल शुल्क की 10 गुनी धनराशि भी पूर्व से प्रावधानित कार्यवाहियों के अतिरिक्त अनुज्ञापी से वसूल की जायेगी।

(44) एफ.एल.-39/40/41 अनुज्ञापनों को विशेष विकृत आसव की निकासी की प्रविष्टि हेतु निर्गत की जाने वाली पास बुक का शुल्क ₹ 500/- निर्धारित किया जाता है।

(45) आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर, अर्थात आसवनी, यवासवनी, द्राक्षासवनी, बाण्ड अनुज्ञापन, बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन और समस्त प्रकार के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन आदि, पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों के विरुद्ध क्रेता को अनियमित रूप से डिस्काउंट या अन्य प्रकार का आर्थिक प्रलोभन दिये जाने के कृत्य को अत्यंत गम्भीरता से लिया जायेगा [illegible] अनुज्ञापन के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही करते हुए लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

(46) पी.डी.-33 अनुज्ञापन के अंतर्गत, निर्धारित पेय क्षमता वाली शीरा आधारित आसवनी इकाइयों को, सी.एल.बी.-1 लाइसेंस के अंतर्गत ग्रेन ई.एन.ए. क्रय कर यू.पी.एम.एल. की भराई करना तभी अनुमन्य होगा [illegible]

(47) पी.डी.-33 अनुज्ञापन के अंतर्गत, निर्धारित पेय क्षमता वाली अनाज आधारित आसवनी इकाइयों को, स्वीकृत किये जाने वाले सी.एल.बी.-1/सी.एल.बी.-2/एफ.एल.-3/एफ.एल.-3ए लाइसेंसों की वैधता, पी.डी.-33 अनुज्ञापन की वैधता अवधि [illegible]

(48) पी.डी.-33 अनुज्ञापन के अंतर्गत, निर्धारित पेय क्षमता वाली डुअल मोड आसवनी इकाइयों को सी.एल.बी.-1/एफ.एल.-3 के अंतर्गत ग्रेन ई.एन.ए./अनाज आधारित शीरे से निर्मित ई.एन.ए. क्रय कर देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. /विदेशी मदिरा की भराई करना [illegible] नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(49) प्रदेश में देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. के निर्माणार्थ प्रयुक्त शीरा आधारित ई.एन.ए./ग्रेन ई.एन.ए. के विक्रय पर ₹ 1.00 प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा निर्माणार्थ प्रयुक्त शीरा आधारित ई.एन.ए./ग्रेन ई.एन.ए. के विक्रय पर ₹ 1.50 प्रति बल्क लीटर की दर से विशेष परमिट फीस देय है। [illegible]

1.16 ईज आफ डूइंग बिजनेस

(1) (क) प्रदेश की आसवनियों/यवासवनियों/बॉण्ड अनुज्ञापनों/ एफ.एल.-1/1ए/ को आबकारी नीति 2026-27 की घोषणा की तिथि से दिनांक 31.07.2026 तक की अवधि हेतु मदिरा/बीयर आदि के अतिम भण्डारण हेतु यथावश्यकता अतिरिक्त अस्थाई गोदाम परिसर ₹1,00,000/-(रुपया एक लाख मात्र) के भुगतान पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(ख) अनुज्ञापियों को दुकान आवंटन/नवीनीकरण के संबंध में प्राप्त पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों पर जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा गुणदोष के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

(ग) ₹3,000/- से अधिक एम.आर.पी.(प्रति बोतल) वाले भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्कॉच एवं सिंगल माल्ट ब्राण्डों की प्रदेश में बिक्री को प्रोत्साहित करने हेतु बी.डब्लू.एफ.एल.-2एए लाइसेंस भी प्रदान किये जायेंगे। [illegible] कुल 10 ब्राण्डों की बिक्री ही अनुमन्य होगी।

(घ) यदि बार अनुज्ञापन हेतु आवेदन करने वाली किसी कम्पनी अथवा फर्म में प्रबंध निदेशक, निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कोई सिविलियन सम्मिलित है तब वह आवेदक कम्पनी अथवा फर्म बार अनुज्ञापन हेतु अर्ह नहीं होगी।

(ङ) जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों हेतु अस्थाई रूप से प्रत्येक 02 माह हेतु अतिरिक्त परिसर की स्वीकृति ₹ 10,000/- के शुल्क के साथ अनुमन्य होगी जिसकी स्वीकृति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त के पूर्वानुमोदन के पश्चात प्रदान की जायेगी। इस सुविधा हेतु फुटकर अनुज्ञापनों को प्रत्येक 02 माह हेतु ₹ 2,000/- देना होगा जिसकी स्वीकृति जिलाधिकारी के पूर्वानुमोदन के पश्चात जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

(च) रात्रि में और अपने परिवहन पास की वैधता अवधि में जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों पर पहुँच गये परेषणों को हर प्रकार से ठीक पाये जाने की दशा में संबंधित परिवहन पासों की वैधता बढ़ाये जाने का अधिकार जिला आबकारी अधिकारी को होगा। इस हेतु पोर्टल पर आवश्यक सुधार किये जायेंगे। परन्तु यह वैधता उस दिवस को 12:00 बजे मध्यान्ह तक ही बढ़ायी जायेगी।

(छ) एक ही स्वामित्व वाले दो अथवा दो से अधिक लाइसेंसों (जनपद स्तरीय थोक अनुज्ञापनों एवं बी.आई.ओ.-1/1ए/1बी को छोड़कर) के परिसर यदि 5 कि.मी. की परिधि में संचालित हों तब इनसे निर्गत परेषणों को किसी एक वाहन से किसी एक परेषिती को भेजे जाने की अनुमति संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

(2) फुटकर दुकानों में परस्पर मासिक एम.जी.क्यू. अथवा निर्धारित मासिक/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व का अंतरण

वर्ष 2026-27 में कम्पोजिट दुकानों और मॉडल शॉप दुकानों के मध्य प्रत्याभूत राजस्व का अंतरण गतवर्ष की भांति अनुमन्य होगा। कम्पोजिट दुकानों द्वारा अपने न्यूनतम निर्धारित यथास्थिति मासिक/त्रैमासिक एम.जी.आर.(एफ.एल.) और एम.जी.आर.(बीयर) के अधिकतम 30 प्रतिशत तक का अंतरण किया जाना अनुमन्य होगा। [illegible] परन्तु अंतरण प्राप्त करने वाली मॉडल शॉप द्वारा अपनी सुविधानुसार बीयर अथवा विदेशी मदिरा का उठान किया जा सकेगा। दो मॉडल शॉप में परस्पर होने वाले अंतरण की पूर्व व्यवस्था यथावत रहेगी। निर्धारित मासिक/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व का अनुमन्य सीमा तक ही अंतरण अनुमन्य होगा परन्तु अंतरण प्राप्त करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। मॉडल शॉप से अंतरण प्राप्त करने वाली कम्पोजिट दुकान द्वारा अपनी सुविधानुसार विदेशी मदिरा अथवा बीयर का उठान किया जा सकेगा।

देशी मदिरा दुकानों के मध्य एम.जी.क्यू. का अंतरण 30 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा परन्तु सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापनों से/को एम.जी.आर. (सी.एल.-बीयर) का अंतरण अनुमन्य नहीं होगा।

(3) (क) समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा एवं भारत निर्मित सुपर प्रीमियम एवं उच्च श्रेणी की विदेशी मदिरा की ऐसी बोतलों जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य ₹2,000/- अथवा अधिक हो, के मोनोकार्टन (एक बोतल) को ही एक सील्ड पेटी अवधारित करते हुये बोतल एवं सील्ड पेटियों हेतु निर्धारित सुरक्षा कोड चस्पा किये जाने के उपरान्त बिक्री अनुमन्य की जाती है।

(ख) वाइन की 750 एम.एल. की बोतल, जिसकी एम.आर.पी. ₹500 से अधिक हो, को भी सील्ड पेटी अवधारित करते हुये इस पर क्यू.आर.कोड एवं बार-कोड चस्पा करते हुये निकासी किया जाना अनुमन्य होगा।

(4) बॉण्ड अनुज्ञापनों/आसवनियों/यवासवनियों आदि से एक वाहन के माध्यम से किसी एक जिले के एक से अधिक थोक अनुज्ञापनों को एक श्रेणी की मदिरा के परेषण अनुमन्य किये जायेंगे। मदिरा के परेषणों से संबंधित वाहनों का अधिकतम पे-लोड परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकतम पे-लोड के अनुसार होगा।

(5) वर्ष 2026-27 की आपूर्ति हेतु उत्पादन प्रारम्भ किये जाने एवं पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत वर्ष 2025-26 हेतु आपूर्ति एवं 2026-27 से संबंधित इण्डेण्टों को लगाने की कट-आफ तिथि आबकारी आयुक्त द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(6) पुलिस अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी फुटकर मदिरा/भांग दुकान अथवा थोक अनुज्ञापन का संचालन बिना लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बंद नहीं किया जायेगा अथवा उसे सील नहीं किया जायेगा। आबकारी विभाग के अधिकारी अथवा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को छोड़कर अन्य किसी अधिकारी द्वारा अनुज्ञापित परिसर का निरीक्षण बिना लाइसेंस प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा। आबकारी विभाग के अधिकारी और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों को छोड़कर प्रत्येक निरीक्षण कार्यवाही की अनिवार्यतः वीडियोग्राफी करायी जायेगी।

(7) विदेशी मदिरा उत्पादक आसवनियों, यवासवनियों और द्राक्षासवनियों में पर्यटकों को भ्रमण कराया जाना और स्वउत्पादित ब्राण्ड की टेस्टिंग कराया जाना अनुमन्य होगा। इस हेतु ₹50,000/- आसवनी से तथा ₹25,000/- यवासवनियों से शुल्क लिया जायेगा। द्राक्षासवनियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। द्राक्षासवनियों में केवल अपने उत्पाद की पर्यटकों को फुटकर बिक्री हेतु फुटकर दुकान संगत नियमावली के अंतर्गत ₹50,000/- की लाइसेंस फीस के साथ अनुमन्य है। यवासवनियों में ₹75,000/- लाइसेंस फीस पर केवल अपने उत्पाद की फुटकर बिक्री हेतु एक फुटकर दुकान का संचालन अपने परिसर के अंदर किया जाना अनुमन्य होगा। द्राक्षासवनी तथा यवासवनी में स्थापित इस फुटकर दुकान से स्वउत्पादित मदिरा की बिक्री एम.आर.पी. पर होगी किन्तु देय प्रतिफल शुल्क एवं अन्य शुल्कों के साथ थोक विक्रेता का मार्जिन भी राजकोष में जमा करना होगा। इन दुकानों को न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व के निर्धारण से मुक्त रखा जायेगा।

(8) आसवनियों के आगामी आबकारी वर्ष के निमित्त लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रतिवर्ष 28 फरवरी को या इससे पूर्व उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(9) State of Tamil Nadu rep by Sec. & Ors Vs K Balu & Anr3 में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2018 के अनुपालन में बार अनुज्ञापनों के प्रकरणों में किसी क्षेत्र के नगर निकाय के समतुल्य विकसित होने पर निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला बार समिति का होगा और जिला बार समिति की संस्तुति पर आबकारी आयुक्त द्वारा तदनुसार आवश्यक आदेश निर्गत किया जायेगा। अन्य फुटकर दुकानों के प्रकरणों में निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला कलेक्टर (लाइसेंस प्राधिकारी) को प्रदान किया जाता है। इस हेतु लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथावश्यकता स्थानीय अधिकारियों से आख्या प्राप्त की जा सकती है।

(10) आसवनियों द्वारा क्रय की गयी विशेष स्प्रिट यथा एच.बी.एस., आदि की मात्रा को आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता के उपभोग में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु इस प्रकार अधिष्ठापित क्षमता से असंबद्ध अतिरिक्त क्रय की गयी विशेष स्प्रिट यथा एच.बी.एस. आदि पर ₹0.50/- प्रति बल्क लीटर की विशेष अतिरिक्त लाइसेंस फीस अधिरोपित की जायेगी।

(11) आसवनी/यवासवनी परिसर में यथावश्यकता 2 प्रवेश और निकास द्वार स्थापित किये जा सकेंगे परन्तु प्रत्येक ऐसे द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित समस्त व्यवस्थाओं का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(12) बॉण्ड अनुज्ञापनों द्वारा प्राप्त किये गये एक्साइज एडेसिव लेबिल्स का पैत्रिक इकाइयों तक परिवहन के विकल्पों, अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं सुरक्षात्मक प्रबन्धों आदि के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा गाइड लाइन जारी की जायेगी जिसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(13) प्रीमियम रिटेल वेण्ड के ऐसे आवेदक जो अन्य प्रदेश के निवासी हैं, को अपने प्रदेश से निर्गत सरकारी बकाया न होने से संबंधित अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता नहीं होगी। ऐसे आवेदक को उसके ऊपर कोई सरकारी बकाया न होने का ₹100/- के नॉनजुडीशियल स्टैम्प पेपर पर एक नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(14) राजस्वहित में गौतमबुद्ध नगर के प्राधिकरण तथा औद्योगिक विकास क्षेत्रों यथा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, YEIDA एवं मण्डी समिति इत्यादि तथा प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरण, नगरीय स्थानीय निकाय एवं औद्योगिक क्षेत्रों एवं मण्डी समिति द्वारा उनकी भूमि पर अनुज्ञापियों को आवश्यकतानुसार मदिरा की दुकान परमानेंट अथवा प्री फैब्रीकेटेड स्ट्रक्चर में खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जा सकेगी कि वह स्थान उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (यथासंशोधित) एवं इस संबंध में निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों को पूर्ण करता हो। इसका किराया संबंधित अर्बन बॉडी/प्राधिकरण को सीधे अनुज्ञापी से प्राप्त होगा। इस हेतु यदि संबंधित प्राधिकरण, औद्योगिक विकास क्षेत्र तथा विकास प्राधिकरण को अपने बाईलाज या नियमावली में परिवर्तन की आवश्यकता हो, वह उसे सक्षम स्तर से परिवर्तित करवायेंगे।

(15) प्रदेश के विकास एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में 20,000 वर्ग मीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के आईटी/आई टी ई एस भूखण्डों में संस्थागत सुविधाओं के अंतर्गत अनुमन्य रेस्टोरेंट कैंटीन के साथ-साथ रेस्टोरेंट बार तथा प्रीमियम रिटेल वेण्ड की सुविधा अनुमन्य किया जाता है।

(16) निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा हेतु वैयक्तिक होम लाइसेंस

निजी प्रयोग हेतु व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने हेतु वैयक्तिक होम लाइसेंस प्रदान किये जाने का प्राविधान है। उक्त व्यवस्था को सरलीकृत करते हुये वैयक्तिक होम लाइसेंस के लिये वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस ₹ 11,000/- एवं प्रतिभूति धनराशि ₹2,500/- निर्धारित की जाती है। प्रतिभूति धनराशि जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड ई-बैंक गारण्टी के रूप में देय होगी। वैयक्तिक होम लाइसेंस हेतु ऐसे आवेदक पात्र होंगे जो विगत 03 वर्षों से आयकर दाता हों। आवेदन पत्र के साथ विगत 03 वर्षों के आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। विगत 03 आयकर निर्धारण वर्षों में से न्यूनतम 02 वर्षों में आवेदक द्वारा न्यूनतम 20 प्रतिशत श्रेणी में आयकर का भुगतान किया गया होना चाहिये। यदि कृषि आय के कारण 20 प्रतिशत आयकर के स्लैब में आने के बावजूद किसी आवेदक पर कर की देयता नहीं बनती हो तब ऐसा आवेदक भी उक्त लाइसेंस हेतु अर्ह होगा।

(17) वर्ष 2026-27 में प्रत्येक पी.डी.-2 अनुज्ञापन प्राप्त आसवनी में शीरा संचय की उचित आवश्यक क्षमता का निर्धारण करते हुये तदनुसार आवश्यक शीरा संचय क्षमता हेतु अतिरिक्त टैंकों की स्थापना कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(18) एक ही वाहन से कई गंतव्य जनपदों को बीयर/प्रदेश में उत्पादित वाइन का परेषण भेजने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, किसी यवासवनी/द्राक्षासवनी को, अनुमति दिये जाने का अधिकार उप आबकारी आयुक्त को प्रदान किया जाता है।

प्रतिबंध यह होगा कि ऐसी अनुमति एक बार में एक वाहन से अधिकतम तीन गंतव्य जनपदों हेतु ही दी जायेगी।

(19) उत्तर प्रदेश में उगाए गए फूलों, सब्जियों, गैर-मादक जड़ी-बूटियों, अंगूर, शहद और अन्य फलों का उपयोग करके वाइन के निर्माण के लिए द्राक्षासवनी के संचालन के वर्ष से 5 वर्षों तक प्रतिफल शुल्क का मुख्य घटक, द्राक्षासवक से नहीं लिया जाएगा। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क, विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क और अन्य शुल्क देय होंगे।

(20) (क) देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. के नमूनों का परीक्षण विभागीय प्रयोगशाला के स्थान पर आबकारी आयुक्त से प्राधिकार प्राप्त कर आसवनी के प्रयोगशाला में सहायक आबकारी आयुक्त/प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में भी किया जाना अनुमन्य किया जाता है। प्रतिबंध यह होगा कि ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार पूर्व से निर्धारित परीक्षण शुल्क यथावत आरोपित होगा। देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. के नमूनों का परीक्षण आसवनी की प्रयोगशाला में किये जाने की स्थिति में संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा परीक्षण रिपोर्ट को सत्यापन स्वरूप प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। इस परीक्षण रिपोर्ट को पोर्टल पर प्रविष्ट कराने हेतु आसवनी द्वारा डिजिटल एल्कोहल मीटर को स्वयं के व्यय पर विभागीय पोर्टल से इण्टीग्रेट कराने की व्यवस्था की जायेगी। यह प्राविधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(ख) देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. के नमूनों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार के नमूनों का परीक्षण विभागीय प्रयोगशालाओं में ही किया जायेगा जिसका परीक्षण शुल्क ₹ 160/- प्रति नमूना से बढ़ाकर ₹ 250/- प्रति नमूना निर्धारित किया जाता है।

(ग) आसवनियों से विशेष विकृत आसव के निकासी पूर्व के नमूनों को परीक्षणार्थ प्रेषित किये जाने का प्राविधान समाप्त किया जाता है। निकासी के पश्चात के नमूनों को यथावत परीक्षणार्थ प्रेषित किया जायेगा। यह प्राविधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(21) फुटकर दुकानों की अवस्थिति में परिवर्तन (दुकान स्थानांतरण) का अधिकार मण्डलायुक्त/ आबकारी आयुक्त के स्थान पर लाइसेंस प्राधिकारी (संबंधित जनपद के कलेक्टर) को प्रदान किया जाता है।

(22) जनपद-गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त प्रकार के प्राधिकरणों अधिसूचित क्षेत्रों को आबकारी विभाग के प्रयोजनार्थ नगर निगम के समकक्ष माना जायेगा। यह प्राविधान इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगा।

(23) वर्ष 2026-27 की आपूर्ति हेतु देशी मदिरा /यू.पी.एम.एल./विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन की समस्त फुटकर दुकानों द्वारा सी.एल.-2/एफ.एल.-2/एफ.एल.-2बी पर आन लाइन प्रस्तुत किये जाने वाले इण्डेण्ट के सापेक्ष इण्डेण्ट प्रस्तुत करते समय ही, थोक अनुज्ञापनों को अनिवार्यतः विभाग द्वारा विहित बैंक के पूल एकाउंट में आनलाइन भुगतान किये जाने की व्यवस्था पोर्टल पर विकसित की जायेगी।

(24) वर्ष 2026-27 में थोक अनुज्ञापनों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मांग पत्रों के सापेक्ष मदिरा मूल्य एवं टी.सी.एस. आदि(कुल देय प्रतिफल शुल्क को छोड़कर) की धनराशियाँ आपूर्तिक/ आसवक को पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन हस्तांतरित करने की व्यवस्था विकसित की जायेगी।

1.17 ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली

(क) सम्प्रति उत्पादन से लेकर फुटकर दुकानों तक मदिरा की आपूर्ति ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत की जा रही है जिसमें मदिरा की बोतलों/पेटियों पर चस्पा कोड्स को स्कैन कर उत्पादन, परेषण, थोक एवं फुटकर दुकान से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फुटकर दुकानों से बिक्री को पी.ओ.एस. मशीन से स्कैन कराकर बिक्री कराये जाने तथा विभाग की समस्त प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराइज्ड कर इन्टीग्रेटेड एक्साइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम (IESCMS) गो-लाइव किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में समस्त देशी मदिरा/कम्पोजिट दुकानों तथा समस्त मॉडल शॉप, प्रीमियम रिटेल वेण्ड और बार अनुज्ञापन और भांग की फुटकर दुकानों की जियो फेंसिंग कराया जाना तथा मदिरा की प्रत्येक फुटकर दुकान पर पी.ओ.एस.(प्वाइंट आफ सेल) मशीनों, जिनके द्वारा विक्रीत मदिरा की बोतल के क्यू.आर. कोड को स्कैन करके सूचना अपलोड की जा सकेगी, के माध्यम से ही बिक्री किये जाने की व्यवस्था लागू की जाती है।

(ख) वर्ष 2026-27 में फुटकर दुकानों से मदिरा की बिक्री पी.ओ.एस. मशीनों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा। इस प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने पर अनुज्ञापी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही सक्षम स्तर से की जायेगी।

(ग) प्रदेश की समस्त आसवनियों/यवासवनियों/द्राक्षासवनियों के प्रवेश/निकास द्वार/द्वारों पर ए.एन.पी.आर. कैमरों, जिनकी लाइव फीड इन्टीग्रेटेड कंट्रोल एण्ड कमाण्ड सेंटर लखनऊ तथा संबंधित डाटा आई.ई.एस.सी.एम.एस. पोर्टल को प्रेषित किया जायेगा, को आसवनी/यवासवनी/ द्राक्षासवनी के स्वयं के खर्च पर स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) आसवनियों/यवासवनियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले पैकिंग मैटीरियल्स का लेखा जोखा विभागीय पोर्टल पर कैप्चर किया जायेगा। साथ ही ग्रेन आधारित आसवनियों द्वारा क्रय किये गये और प्रयोग किये गये विभिन्न प्रकार के अनाजों का लेखा जोखा भी विभागीय पोर्टल पर कैप्चर किया जायेगा।

(ङ) आबकारी आयुक्त द्वारा यथानिर्देशित समस्त डिजिटल डिवाइसों की व्यवस्था/स्थापना संबंधित आसवनी/यवासवनी/द्राक्षासवनी द्वारा अपने व्यय पर की जायेगी।

(च) इन्टीग्रेटेड एक्साइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम (IESCMS) के सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक मदिरा उत्पादक इकाई को एक्साइज एडेसिव लेबिलों की समयान्तर्गत एवं पर्याप्त आपूर्ति करना अनिवार्य है। परन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि एक्साइज एडेसिव लेबिलों की आपूर्ति में उत्पन्न किसी बाधा अथवा सेवा प्रदाता द्वारा एक्साइज एडेसिव लेबिलों की आपूर्ति में असफल रहने के कारण राजस्वक्षति की संभावना होती है अथवा आपूरित एक्साइज एडेसिव लेबिल्स मानक के अनुसार न होने के कारण अप्रयोज्य पाये जाते हों तब ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वे वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित उत्पादक इकाई को समान विशिष्टियों वाले एक्साइज एडेसिव लेबिलों के प्रयोग की अनुमति निर्धारित एक्साइज एडेसिव लेबिलों की आपूर्ति बहाल होने तक राजस्वहित में प्रदान कर सकेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रयोग किये गये एक्साइज एडेसिव लेबिलों के सापेक्ष ₹ 0.09/- राजकोष में नहीं जमा कराया जायेगा और साथ ही किसी माह में वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रयुक्त कुल एक्साइज एडेसिव लेबिलों के सापेक्ष सेवा प्रदाता को प्रति बोतल की स्कैनिंग कर की गयी बिक्री के सापेक्ष भुगतान की जाने वाली निर्धारित धनराशि की कटौती, अन्य शास्तियों के अतिरिक्त उस माह के मासिक भुगतान से की जायेगी।

1.3 आबकारी नीति के प्राविधानों का उल्लंघन पाये जाने पर कार्यवाही

आबकारी नीति वर्ष 2026-27 के किसी प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये राजस्व क्षति(यदि कोई अवधारित होती हो) की वसूली भी की जायेगी।

थोक/बाण्ड अनुज्ञापनों, ब्राण्ड पंजीकरण/लेबुल अनुमोदन के नवीनीकरण/नवीन स्वीकृति, थोक/बाण्ड अनुज्ञापनों के नवीनीकरण/नवीन स्वीकृति तथा थोक मांग की आपूर्ति की व्यवस्था की समय-सारणी:–

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1	थोक/बाण्ड अनुज्ञापनों ब्राण्ड पंजीकरण/लेबुल अनुमोदन के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि	25-02-2026 (प्रातः 10.00 बजे) से
2	थोक/बाण्ड अनुज्ञापनों, ब्राण्ड पंजीकरण/लेबुल अनुमोदन के नवीन स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त करने की अवधि	25-02-2026 (प्रातः 10.00 बजे) से अग्रिम आदेशों तक
3	समस्त प्रकार के थोक अनुज्ञापन/बाण्ड अनुज्ञापनों के नवीनीकरण/नवीन स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त करने की प्रारम्भ तिथि	25-02-2026 (प्रातः 10.00 बजे) से
4	मांग की थोक आपूर्ति हेतु ई-टेण्डर प्राप्त करने की अवधि	25-02-2026 से (प्रातः 11.00 बजे) से दिनांक 09-03-2026 (मध्यान्ह 12.00 बजे तक)
5	मांग की थोक आपूर्ति हेतु प्राप्त ई-टेण्डरों की तकनीकी बिड खोलने की तिथि	दिनांक 09-03-2026 (अपरान्ह 2.00) बजे
6	मांग की थोक आपूर्ति हेतु प्राप्त ई-टेण्डरों की वित्तीय बिड खोलने की तिथि	दिनांक 09-03-2026 (सायं 5.00) बजे

मदिरा एवं भांग की फुटकर दुकानों के ई-नवीनीकरण हेतु समय-सारणी

क्र.	विवरण	दिनांक
1	समस्त देशी मदिरा/कम्पोजिट शॉप/भांग की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स की सूची, सम्बन्धित देयताओं एवं आवश्यक अर्हताओं के विवरण के साथ तैयार करने की अन्तिम तिथि	16.02.2026
2	जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दुकानों का वर्ष 2026-27 का डेटा भरने एवं नवीनीकरण हेतु दुकानों को लॉक करने की अन्तिम तिथि व समय	17.02.2026 को सायं 06.00 बजे तक
3	समस्त देशी मदिरा/कम्पोजिट शॉप/भांग की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स की सूची, सम्बन्धित देयताओं एवं आवश्यक अर्हताओं के विवरण के साथ विभागीय वेबसाइट एवं समाचार पत्रों में सूचना विज्ञप्ति का प्रकाशन और जनपद की वेबसाइट पर विज्ञप्ति का प्रकाशन।	17.02.2026
4	नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन का प्रारम्भ	18.02.2026 को मध्यान्ह 12.00 बजे से
5	नवीनीकरण हेतु प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन जमा करने की सुविधा का प्रारम्भ	18.02.2026 को अपरान्ह 02.00 बजे से
6	ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि व समय	20.02.2026 को सायं 05.00 बजे तक
7	03 कार्य दिवस के अन्दर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये सम्बन्धित इच्छुक अनुज्ञापी को सम्पूर्ण नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/वार्षिक लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत की धनराशि 03 कार्य दिवसों के अन्दर जमा करने का निर्देश दिये जाने की अंतिम तिथि व समय	26.02.2026 को सायं 5.00 बजे तक
8	नवीनीकरण हेतु निर्धारित धनराशियां जमा करने की अन्तिम तिथि व समय (नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्त)	05.03.2026 सायं 5.00 बजे तक
9	अंतिम रूप से नवीनीकृत दुकानों की मार्किंग (जिला आबकारी अधिकारी द्वारा)	06.03.2026 मध्यान्ह 12.00 बजे तक

ई-लाटरी के प्रथम चरण की समय सारिणी

क्र.	प्रथम चरण	दिनांक
1	ई-लाटरी हेतु मार्किंग की तिथि व समय	07.03.2026 को सायं 05.00 बजे तक
2	ई-लाटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारम्भ करने की तिथि व समय	10.03.2026 को मध्यान्ह 12.00 बजे से
3	ई-लाटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	17.03.2026 मध्यान्ह 12.00 बजे तक
4	ई-लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	19.03.2026 को सायं 8.00 बजे तक
5	प्रथम चरण ई-लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	20.03.2026 को प्रातः 11.00 बजे से समाप्ति तक जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर
6	प्रथम चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं को जमा करने की अंतिम तिथि व समय	25.03.2026 को सायं 5.00 बजे तक

नोटः

1- यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद संबंधित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत संपादित किये जायेंगे।

2- उपरोक्त विवरण तथा वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति का विस्तृत विवरण विभागीय पोर्टल **https://cms.upexciseonline.co** पर देखा जा सकता है।

3- मदिरा एवं भांग की फुटकर दुकानों की ई-लाटरी विभागीय पोर्टल **https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in** पर संपन्न करायी जायेगी।

ह0/-
(डा. आदर्श सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

UPID-246248 DT 13.2.2026 www.upgov.nic.in

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 15-02-2026 Zone: Mahanagar Edition: 2 Page: NBTMA16 User: cci Time: 02-14-2026 23:13 Color:

"भारत ने पूर्व में पाकिस्तान पर अपना दबदबा बनाया है। मैच नया है, लेकिन भारतीय टीम बहुत मजबूत है। मैच रोमांचक हो, इसके लिए पाकिस्तान को अच्छा खेलना होगा।"
-सौरव गांगुली, पूर्व कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम

2 प्लेयर पांच-पांच बार शून्य पर आउट हुए हैं टी20 वर्ल्ड कप में। ये हैं शाहीद अफरीदी और तिलकरत्ने दिलशान हैं

वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत 'यू-टर्न' वाले पाकिस्तान पर अपना दबदबा कायम रखने को है तैयार

हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आज कोलंबो में होगा घमासान

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली/कोलंबो: मैच के बॉयकॉट वाले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कोलंबो में भारत-पाकिस्तान घमासान के लिए प्रेमदासा स्टेडियम तैयार है। टीम इंडिया यू-टर्न लेने वाले पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में अपना दबदबा कायम रखने को कमर कस चुकी है। मेंस टी20 वर्ल्ड कप में अब तक दोनों टीमों के बीच हुए आठ मुकाबलों में भारत ने सात जीते हैं। ICC वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, पाकिस्तान अक्सर भारत के खिलाफ अपना बेस्ट नहीं दे पाया है। इस महामुकाबले से पहले अलग-अलग मोर्चों पर दोनों टीमों का एक आकलन:

टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत vs पाकिस्तान

सूर्यकुमार यादव

आमना-सामना

भारत 13 | पाकिस्तान 3 | कुल मैच 16

संभावित प्लेइंग XI

भारत: ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

पाकिस्तान: साईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, उस्मान खान (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक

टेलिकास्ट: शाम 7:00 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार पर

टॉप-ऑर्डर

भारत: भारत के लिए राहत की बात यह रही कि अभिषेक शर्मा ने शनिवार शाम नेट्स में लंबा अभ्यास किया, जो उनकी रिकवरी का संकेत है। वे ईशान किशन के साथ ओपनिंग करेंगे, जो टीम में वापसी के बाद से 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। इन दो युवा धुरंधरों के बाद तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पिछली जीत के नायक रहे तिलक एक बार फिर यादगार प्रदर्शन को बेताब होंगे।

पाकिस्तान: पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में साहिबजादा फरहान फिलहाल सबसे अहम नाम हैं, जो ICC की टी20 रैंकिंग्स में टॉप-5 बैटर्स में शामिल इकलौते पाकिस्तानी बैटर हैं। साहिबजादा ने भारत के खिलाफ तीन मैच खेले हैं और तीनों में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस टूर्नामेंट में भी वह लय में नजर आ रहे हैं। टॉप ऑर्डर में उनके अलावा मौजूद साईम अयूब और कप्तान सलमान आगा टीम को पावरप्ले में तेज शुरुआत दिला सकते हैं।

मिडल ऑर्डर

भारत: भारत के मिडल ऑर्डर में कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं, जो अपने पुराने रंग में लौट चुके हैं। यहां हार्दिक पंड्या भी हैं जिनकी हिटिंग का अपना स्वैग है। पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक कुछ अलग ही लेवल का प्रदर्शन करते हैं। इस विरोधी टीम के खिलाफ उनका बोलिंग औसत, इकॉनमी रेट और स्ट्राइक रेट उनके कुल टी20 अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों से बेहतर है।

पाकिस्तान: मिडल ऑर्डर में बाबर आजम मौजूद हैं शुरुआती झटकों के बाद भी पारी को संभालने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट कम है। शादाब खान अपनी पावर हिटिंग से इस खामी को दूर कर सकते हैं। फखर जमां और मोहम्मद नवाज भी हैं।

मौसम

इस हाईवोल्टेज मैच पर बारिश का खतरा बना हुआ है। कोलंबो में जहां आर प्रेमदासा स्टेडियम स्थित है, वहां रविवार को 50 से 70 प्रतिशत तक बारिश का पूर्वानुमान है। तापमान अधिकतम 30-31 डिग्री तक जा सकता है।

पिच

प्रेमदासा पर 'स्पिन टु विन' की रणनीति टीम के लिए फायदेमंद रही है। साल 2021 से यहां खेले गए 15 टी20I मुकाबलों में कुल 173 विकेट गिरे हैं। स्पिनर्स ने 92 विकेट लिए हैं, जो कुल विकेट का 53.17 प्रतिशत है। पेसर्स के नाम 81 विकेट रहे हैं। मौजूदा टूर्नामेंट में यहां कुल तीन मैच हुए हैं। तीनों में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीत हासिल की है।

बोलिंग अटैक

भारत: भारतीय अटैक में विपक्षी टीम को अकेले ही धराशाई करने की ताकत रखने वाले जसप्रीत बुमराह तो थे ही, अब उनके साथ रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी शामिल हो गए हैं। इसके अलावा भारत के पास हार्दिक हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अच्छी बोलिंग करते हैं।

पाकिस्तान: शाहीन शाह अफरीदी ने 2024 के बाद से टी20I में अपने पहले ही ओवर में 15 विकेट निकाले हैं। अबरार अहमद, उस्मान तारिक, शादाब खान और मोहम्मद नवाज की स्पिन चौकड़ी भी घातक हो सकती है।

हैंडशेक पर कप्तानों की राय

"अब इसके लिए 24 घंटे इंतजार कीजिए। इस पर इतना ध्यान क्यों देना? हम क्रिकेट खेलने आए हैं। हम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। इन सब फैसलों पर हम कल बाद में विचार करेंगे। इंतजार कीजिए। अच्छे से खाइए और सो जाइए।"
-सूर्यकुमार यादव, भारतीय कप्तान

"मेरी व्यक्तिगत राय शायद मायने नहीं रखती। लेकिन क्रिकेट उसी तरीके से खेला जाना चाहिए, जिस तरह से इसे हमेशा खेला जाना चाहिए था। क्या करना है, यह तय करना उन पर निर्भर है। इस बारे में हम कल देखेंगे।"
-सलमान अली आगा, पाकिस्तानी कप्तान

पहले पहुंचने का पाक को होगा फायदा!

पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप की शुरुआत से कोलंबो में है और यहां के माहौल में दो मैच खेलने का उसे फायदा मिला सकता है। वे परिस्थितियों से परिचित हैं, भले ही मैदान अलग रहा हो। पाकिस्तान की यात्रा भी कम रही है, जबकि भारत को अपना पिछला मैच खेलने के बाद सिर्फ तीन दिन के अंतराल में उड़ान भरकर यहां पहुंचना पड़ा है। इसका असर पड़ता है या नहीं, यह देखना बाकी है।

NBT Lens खबरों के अंदर की बात — प्रेशर मैच में गिर जाता है औसत

भारत और पाकिस्तान का मुकाबला दबाव झेलने का टेस्ट भी होता है। टी20I में पाकिस्तान का बैटिंग औसत 22.82 रहता है, लेकिन भारत के खिलाफ यह गिरकर 18.55 हो जाता है। यह किसी भी टीम के खिलाफ पाकिस्तान का दूसरा सबसे खराब बैटिंग ऐवरेज है। भारत की बैटिंग पर भी इस भिड़ंत का असर पड़ता है। आमतौर पर 29.46 बैटिंग ऐवरेज से बैटिंग करने वाली टीम इंडिया का औसत पाकिस्तान के खिलाफ 24.5 का रह जाता है। स्ट्राइक रेट में भी यह अंतर दिखता है। पाकिस्तान का ओवरऑल बैटिंग स्ट्राइक रेट 124.59 है। भारत के खिलाफ यह आंकड़ा 113.81 हो जाता है। भारत 138.56 स्ट्राइक रेट से बैटिंग करती है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का 120.63 रह जाता है।

वर्ल्ड कप स्पेशल QUIZ

इस पेज पर छपी खबरों में ही इन सवालों का जवाब है

1. टी20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर का रेकॉर्ड किस टीम के नाम है?
A) ऑस्ट्रेलिया B) भारत C) श्रीलंका D) अफगानिस्तान

2. भारत और पाकिस्तान के बीच कुल कितने टी20I मुकाबले हुए हैं?
A) 12 B) 16 C) 3 D) 15

कल के जवाब
1. A) 2 2. C) दिलप्रीत सिंह

लकी WINNERS

1 सोनम मित्तल, सुल्तान पुरी, दिल्ली

2 विजय केजरीवाल, लखनऊ, यूपी

3 टीना जैन, बोरिवली, मुंबई

आप अपने जवाब हमें 9319282367
पर अपने नाम, तस्वीर और शहर/गांव के नाम के साथ वॉट्सऐप करें। एक 'लकी विनर' का नाम और तस्वीर हम कल के अंक में छापेंगे। दो अन्य विजेताओं के नाम भी प्रकाशित होंगे।

जीत की राह पर लौट आई इंग्लैंड की टीम

■ एजेंसियां, कोलकाता: आदिल रशिद (3/36) और टॉम बैंटन (63* रन, 41 गेंद) की बदौलत 'करो या मरो' मैच में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हराया। इस जीत के साथ इंग्लैंड सुपर-8 की दौड़ में लौट आया। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 19.4 ओवर में 152 रन पर रोक दिया। कप्तान रिची बेरिंग्टन ने सर्वाधिक 49 रन बनाए। इंग्लैंड एक समय 13 रन पर 2 विकेट गंवा चुका था। बैंटन ने जैकब बेथेल (32) और सैम कुरन (28) के साथ अहम साझेदारियां कर 18.2 ओवर में जीत दिला दी।

इंग्लैंड vs स्कॉटलैंड

टॉम बैंटन

टकर की बड़ी पारी से आयरलैंड जीता

■ एजेंसियां, कोलंबो: कप्तान लोरकान टकर (94* रन, 51 गेंद) की तेज पारी से आयरलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप के मैच में ओमान को 96 रन से मात दी। आयरलैंड ने पांच विकेट पर 235 रन ठोके, जो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में श्रीलंका (260/6) के बाद दूसरा सबसे बड़ा टोटल है। टकर ने गैरेथ डेलेनी (56) के साथ 101 और जॉर्ज डॉकरेल (35) संग 70 रन की साझेदारी की। ओमान 139 रन पर आउट हो गया। आमिर कलीम ने सर्वाधिक 50 रन बनाए।

आयरलैंड vs ओमान

लोरकान टकर

उस्मान के बोलिंग ऐक्शन को चौधरी की हरी झंडी

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: भारत-पाक मुकाबले से पहले स्पिनर उस्मान तारिक का बोलिंग ऐक्शन सुर्खियों में है। पॉज लेकर बोलिंग करने की उनकी रणनीति लीगल है या नहीं? इस पर पूर्व इंटरनैशनल अंपायर अनिल चौधरी ने NBT से खास बातचीत में जानकारी दी।

एक्सपर्ट की राय

अनिल चौधरी

क्या ऐक्शन है लीगल: तारिक के ऐक्शन में कोई खामी नहीं और वह पूरी तरह से नियमों के अनुसार है। क्योंकि तारिक का पॉज लेकर (रुक-कर) बोलिंग करने का ऐक्शन रेग्युलर ऐक्शन है। वह हर गेंद इसी ऐक्शन के साथ डालते हैं इसलिए यह लीगल है। शिकायत करने का कोई मुद्दा नहीं बनता है। यदि तारिक चार गेंद पॉज लेकर डालें और बीच-बीच में कुछ गेंद बिना रुके डालें, तो फिर इस पर अंपायर टोक सकते हैं और लगातार ऐसा करने पर उन्हें बोलिंग से रोक भी सकते हैं।

बैटर हट जाए तो: तारिक पॉज लें तो बैटर भी हट सकता है, लेकिन वह ऐसा सिर्फ एक-दो बार ही कर सकता है। क्योंकि तारिक के ऐक्शन में कोई गलती नहीं है, ऐसे में वहां अंपायर बैटर को ही चेतावनी दे सकता है।

साउथ अफ्रीका की लगातार तीसरी जीत

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: कप्तान एडेन मार्करम (86* रन, 44 बॉल, 8 फोर, 4 सिक्स) और मार्को यानसेन (4/40) की बदौलत साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। टीम ने शनिवार को अहमदाबाद में हुए मैच में न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराया। यानसेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने तीन विकेट पर 178 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने 17.1 ओवर्स में तीन विकेट पर 179 रन बना दिए।

न्यूजीलैंड vs साउथ अफ्रीका

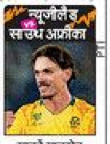

मार्को यानसेन

बंगाल को उसी के घर में चुनौती देगा जम्मू-कश्मीर

■ एजेंसियां, कोलकाता: रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची जम्मू-कश्मीर की टीम अब अपने सपनों को और ऊंचाई देने के इरादे से उतरेगी। उसके पेसर आकिब नबी अब तक सीजन में कुल 46 विकेट झटक चुके हैं। हालांकि, कल्याणी में मेजबान बंगाल की चुनौती कड़ी होगी। बंगाल के सुदीप घरामी और सुमंत गुप्ता भी शानदार फॉर्म में हैं। गेंदबाजी में शाहबाज अहमद (39 विकेट), मोहम्मद शमी (28) और आकाश दीप (19) जम्मू-कश्मीर के बल्लेबाजों पर प्रेशर बना सकते हैं।

रणजी का रण

FILE
जम्मू-कश्मीर के पेसर आकिब नबी

लखनऊ में उत्तराखंड-कर्नाटक की भिड़ंत: दूसरे सेमीफाइनल में उत्तराखंड का सामना आठ बार की चैंपियन कर्नाटक से होगा। जमशेदपुर में झारखंड की पारी और छह रन से हराने के बाद उत्तराखंड का मनोबल ऊंचा है। स्पिनर मयंक मिश्रा 52 विकेट के साथ टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज हैं। टीम के कुणाल चंदेला 709 रन बना चुके हैं।

टेलिकास्ट: सुबह 9:00 बजे से जियोहॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर

जेनरेशन वाइब्स

म्यूज़िक का शौक या फैमिली से दूरी?

यह ट्रेंड बन रहा है बड़ी परेशानी, यह उनकी लत या ज़िद नहीं, खुद को सबसे दूर रखने का है तरीका। जानते हैं इस बारे में:

घर हो या पब्लिक प्लेस, आजकल टीनेजर्स के बीच हर वक्त हेडफोन या ईयरबड्स लगाने का ट्रेंड दिख रहा है। जरूरी नहीं कि वे हमेशा म्यूजिक ही सुन रहे हों। उनके लिए यह खुद को समाज से दूर रख रखने और अपनी ही दुनिया में रहने का जरिया बन गया है। लेकिन पैरंट्स परेशान हैं कि 4 बार पूछो तब जाकर एक बार जवाब मिलता है। आखिर इस पीढ़ी की सोच ऐसी क्यों है? इससे क्या हो रही हैं परेशानियां और कैसे उन्हें दूर करें? एक्सपर्ट्स से बात कर जानकारी दे रहे हैं **वरुण आनंद**

केस स्टडी

मल्होत्रा जी के घर में डिनर टेबल सज चुकी है। आयुष अपने पैरंट्स के साथ खाने के लिए बैठा है। मम्मी मंदिरा पूछती हैं, 'बेटा, आज स्कूल में क्या हुआ?' लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आयुष कानों में ईयरबड्स लगाए अपने मोबाइल फोन पर कुछ देख रहा है। खाना उसके लिए बस एक काम की तरह है, जिसे वह निपटा रहा है। मम्मी फिर पूछती हैं, लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं। जब आयुष के पापा अरविंद उसके एक कान से ईयरबड निकालकर कहते हैं कि मम्मी कुछ पूछ रही हैं तो आयुष झुंझला कर कहता है, 'क्या पापा, मुझे गाने भी नहीं सुनने देते, हां, बोलो मम्मी, क्या कह रही थीं आप?' आयुष के लिए ये केवल ईयरबड्स नहीं बल्कि ऐसा डिजिटल कवच है, जो उसे अपनों के बीच में भी अपनों से दूर रखता है। घर पर रिश्तेदार आएं या पापा के फ्रेंड्स, न कोई नमस्ते, न कोई हाय या हेलो। आयुष बस अपनी ही दुनिया में रहता है। यह कहानी केवल मल्होत्रा फैमिली की नहीं, ज्यादातर उन घरों की है, जहां कोई स्कूल या कॉलेज जाने वाला टीनेजर रहता है।

दिखते हैं कनेक्टिड, पर अंदर से अलग

असल में आज की पीढ़ी स्कूल, कोचिंग, कॉम्पिटिशन, पैरंट्स की उम्मीदों, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स के बीच कूल इमेज बनाए रखने जैसे तमाम दबावों से दो-चार हो रही है। ऐसे में उन्हें लगता है कि हेडफोन दीवार की तरह उन्हें बाहरी हमलों से रोक रहे हैं। यह उनका मौन तरीका है यह कहने का कि 'अभी मुझसे बात मत करो। दुनिया बहुत शोर कर रही है। मुझे थोड़ी शांति चाहिए।' लेकिन उनकी शांति की यह अनकही डिमांड धीरे-धीरे अकेलेपन में तब बदल जाती है, जब वे अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में बिताने लगते हैं। सोशल मीडिया पर कनेक्टिड यह पीढ़ी, सभी रिश्तेदारों के नाम तक नहीं जानती। ऐसे में सोशल आइसोलेशन इन्हें कई परेशानियां दे रहा है।

ये हो रहे हैं नुकसान

हर वक्त कानों को गैजेट से ढके रहना, नॉइस कैंसिलेशन का इस्तेमाल करके बाहरी आवाजों को अंदर न आने देना, इनके लिए कई परेशानियां पैदा कर रहा है। लगातार कुछ सुनते रहने से कानों को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, लेकिन मानसिक और सामाजिक रूप से भी कई परेशानियां उन्हें घेर रही हैं। जैसे-

बातचीत की स्किल घट रही: बातचीत ऐसी स्किल है, जो हमें लोगों से जोड़ती है। भावनाओं को जाहिर करती है। अच्छा स्पीकर बनने के लिए अच्छा लिसनर यानी श्रोता बनना जरूरी है। जब यह पीढ़ी दूसरों की सुन ही नहीं रही तो बातचीत की स्किल घटेगी ही।

रिश्तों की समझ हो रही कम: जब घर के बड़े किसी रिश्तेदार की बात कर रहे होते हैं तो या तो ये सुनते नहीं और अगर सुनते हैं तो खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वे सबको जानते ही नहीं। ऐसे में रिश्तों को लेकर यह पीढ़ी तेजी से कटती जा रही है।

झिझक बढ़ रही: आंखों में आंखें डालकर बात करना तो बहुत बड़ी बात है, यह पीढ़ी पैरंट्स या किसी बड़े के एकदम से आए सवाल से ऐसी झिझक जाती है कि उस बात का क्या जवाब दिया जाए इन्हें समझ ही नहीं आता। ऐसे में चुप्पी ही रह जाती है।

कॉन्फिडेंस की कमी: ये सारी बातें मिलकर उनका कॉन्फिडेंस कम कर रही हैं। धीरे-धीरे सोशल एम्जाइटी, अकेलापन और कई बार यह डिप्रेशन की वजह बन सकता है। दरअसल, सोशल मीडिया पर तो इनके तमाम फ्रेंड्स हैं, पर भावनाएं समझने वाला कोई नहीं।

हमें भेजें अपने सवाल

पैरंट्स और बच्चों की उलझनें, जवाब एक्सपर्ट्स के

अगर आप ऐसे पैरंट्स हैं जो बच्चों की आदतों, बर्ताव या किसी बात से परेशान हैं, किसी उलझन का हल नहीं मिल रहा तो हमें बताएं? बच्चे भी अपने सवाल वॉट्सऐप नंबर **89298 16941** पर मंगलवार शाम 5 बजे तक भेज दें। हम इनके जवाब एक्सपर्ट्स से लेकर पब्लिश करेंगे।

पैरंट्स कहां तक जिम्मेदार

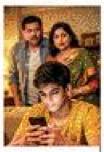

सभी पैरंट्स अपने बच्चों की भलाई ही चाहते हैं, लेकिन बच्चों की नजर में वे ऐसी गलतियां या ऐसे सवाल करते हैं, जो उन्हें नहीं करने चाहिए।

पैरंट्स की गलतियां और गैर-जरूरी सवाल
- टेक्नॉलजी को दुश्मन मान लेना
- हर बार मोबाइल या हेडफोन को दोष देना
- उनकी चुप्पी को बदतमीजी समझना
- हर बात पर रोक-टोक करना
- उनसे पूछना या कहना, 'दिनभर ईयरफोन क्यों लगाए रहते हो? पढ़ाई क्यों नहीं करते? एग्जाम में नंबर कम आए तो यह कहना कि फलां के बेटे ने क्लास में टॉप किया है, कुछ सीखो उससे।'

पैरंट्स की ऐसी सोच, इस तरह के सवाल और बातें उन्हें बच्चों से दूर ले जाती हैं। इससे बच्चे अपनी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच ही नहीं कर पाते और चुप होकर डिस्कनेक्ट होना बेहतर समझते हैं।

एक्सपर्ट पैनल

डॉ. नुपुर सिबल
चीफ क्लिनिकल साइकॉलजिस्ट

गीतांजलि शर्मा
फैमिली-रिलेशनशिप काउंसलर

ये डर हैं मन में

यह समझना बहुत जरूरी है कि ये बच्चे पैरंट्स से नहीं भाग रहे बल्कि उस दुनिया से भाग रहे हैं जो इन्हें भारी लगती है। खुद को अलग-थलग रखने के पीछे की वजहें वे असहज सवाल हैं, जिनका यह पीढ़ी सामना नहीं करना चाहती। 'क्लास में क्या हुआ? नंबर क्यों कम आए?' ऐसे ही तमाम सवालों की बौछार जब उन पर होती है तो उन्हें लगता है कि उनके हर जवाब से उन्हें जज किया जाएगा। दूसरे बच्चों से तुलना की जाएगी। ऐसे में डिजिटल दीवार खड़ी कर देना ही उन्हें सबसे सही तरीका लगता है।

5 तरह से तोड़ें दीवार

1 बातचीत का तरीका बदलें
बच्चों से बातचीत पूछताछ में नहीं, जिज्ञासा के रूप में करें। 'दिनभर फोन में क्या लगा रहता है?', पूछने की जगह कहें कि 'फोन का नया फीचर मुझे भी बताओ।' 'अब कौन-कौन दोस्त हैं?' की जगह पूछें, 'दोस्तों के साथ घूमने का क्या प्लान है?'

2 सुनना सीखें, तुरंत सुधार नहीं
पैरंट्स को पहले उनकी बातों को सुनना सीखना होगा और फिर वे ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे उनकी सोच को समझना होगा। सीधे गलत या सुधार के लिए बोलना सही नहीं।

3 बातें थोपें नहीं, समझाएं
अपनी बातें मनवाने के लिए सीधे उन पर थोपें नहीं। अगर वे कुछ गलत कर रहे हैं तो पहले उनसे पूछें कि वे जो करना चाहते हैं उसके पीछे वजह क्या है? क्या कोई दूसरा रास्ता है?

4 हर दिन थोड़ा-सा फोन-फ्री टाइम
पैरंट्स पहले खुद को उदाहरण के तौर पर पेश करें। खुद डिनर टेबल पर कभी मोबाइल यूज न करें। उनके साथ जहां बैठें, वहां टीवी, म्यूजिक सिस्टम न हो।

5 हर मदद के लिए तैयार रहें
अगर पैरंट्स को यह लगता है कि बच्चा उनकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है और उनकी हर बात पर नाराज हो जाता है, तो किसी काउंसलर या ज्यादा जरूरत होने पर साइकॉलजिस्ट या सायकायट्रिस्ट से भी मदद ले सकते हैं।

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 15-02-2026 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMA17 User: cci Time: 02-14-2026 21:42 Color:

NBT AI टाइम मशीन

कार्टून जगत के दिग्गज का आज बर्थडे

आज मैट ग्रोइनिंग (Matt Groening) का जन्मदिन है। उनकी सबसे बड़ी पहचान दुनिया का सबसे सफल एनिमेटेड शो 'द सिम्पसंस' (The Simpsons) बनाना है, जिसने टीवी पर व्यंग्य और कॉमेडी की नई परिभाषा लिखी। दिलचस्प है कि उन्होंने किरदारों के नाम अपने परिवार के सदस्यों पर रखे थे। वे कई एमी अवॉर्ड्स (Emmy Awards) जीत चुके हैं और आज कार्टून जगत के दिग्गज माने जाते हैं।

NBT
Front Page-2
राष्ट्रीय नवभारत टाइम्स। नई दिल्ली | 15 फरवरी 2026

आगे एनिमेशन होगा एक ज़िंदा अनुभव

ChatGPT के अनुसार, भविष्य में एनिमेशन सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाली फिल्म नहीं, बल्कि एक जिंदा अनुभव होगा। आप सोफे पर बैठकर देखने के बजाय सीधे कहानी के अंदर पहुंच जाएंगे। होलोग्राम और दिमाग से जुड़ी तकनीक आपको किरदारों के साथ चलने-फिरने देगी। आप Spider-Man को देखेंगे नहीं, उसके साथ इमारतों के बीच झूलेंगे। AI आपके मूड के हिसाब से कहानी बदल देगा। कार्टूनिस्ट हाथ से चित्र बनाने के बजाय भावनाओं को रचने वाला बन चुका होगा।

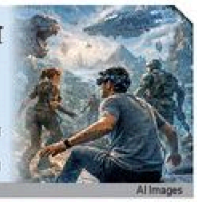

AI Images

NBT इरा

भीड़ का हिस्सा बनना उसकी फितरत नहीं। वह आज की नारी है, वह 'Gen She' है।

IRA 2026

बिना दिखावे के। बिना किसी बनावट के। अपनी शर्तों पर जीने वाली निडर लड़कियां।

सुंदरता अब किसी की मोहताज नहीं।

हुनर और सौंदर्य की मिसाल बनें। आज ही रजिस्टर करें।

वॉट्सऐप नंबर - 7003890071

भारत से रिश्तों पर बोले BNP अध्यक्ष तारिक रहमान

'बांग्लादेश के लोग, हित पहले, यही विदेश नीति'

■ पीटीआई, ढाका

बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी (BNP) के अध्यक्ष तारिक रहमान ने आम चुनावों में बंपर जीत के बाद शनिवार को पहली बार देश को संबोधित किया। उन्होंने मानवता का सम्मान करने वाला देश बनाने में सहयोग की अपील की। इंडिया से रिश्तों पर कहा, देश के लोग और हित पहले हैं और इसी आधार पर विदेश नीति तय होगी। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर कहा कि इसका फैसला कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

बीएनपी ने ऐतिहासिक संसदीय चुनावों में दो-तिहाई से अधिक बहुमत के साथ जीत दर्ज की। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे रहमान पहली बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वह अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस की जगह लेंगे।

यह जीत बांग्लादेश की है, लोकतंत्र की है और लोगों की उम्मीदों की है। - तारिक रहमान, BNP अध्यक्ष

कहा कि स्वतंत्रता प्रेमी लोगों ने जिताया

रहमान ने कहा कि देश के स्वतंत्रता-प्रेमी लोगों ने बीएनपी को विजयी बनाया है। उन्होंने चुनाव परिणाम को जनता की जीत बताया। आज से सभी स्वतंत्र हैं। आप सभी को बधाई। सभी की भागीदारी के साथ देश में फासीवाद-मुक्त सरकार की यात्रा शुरू हो गई है।

'मुश्किल दौर में यात्रा शुरू कर रहे'

उन्होंने कहा, हम अपनी यात्रा ऐसे समय में शुरू कर रहे हैं जब देश की अर्थव्यवस्था कमजोर है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो चुकी हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। यह सब पिछले सत्तावादी शासन की देन है।

कहा, हमें एकजुट रहना होगा

तारिक ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी दुष्ट ताकत दोबारा देश में तानाशाही स्थापित न कर सके हमें एकजुट रहना होगा और जनता की इच्छा का सम्मान करना होगा।

'रूस के विपक्षी नेता को ज़हर दिया गया था'

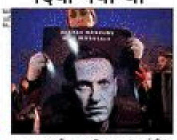

FILE

■ एएफपी, म्यूनिख (जर्मनी): ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड सहित पांच यूरोपीय देशों ने रूस पर आरोप लगाया है कि उसने विपक्षी नेता एलेक्सी नवालनी (Alexei Navalny) को 2024 में जेल में 'दुर्लभ जहर' देकर मार दिया। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान जारी संयुक्त बयान में इन देशों ने कहा कि नवालनी के शरीर से लिए गए नमूनों की जांच के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। बयान के अनुसार, दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली डार्ट फ्रॉग की त्वचा में मिलने वाला 'एपिबैटिडीन' टॉक्सिन नमूनों में पाया गया, जो उनकी मौत का संभावित कारण बना। नवालनी की फरवरी 2024 में आर्कटिक क्षेत्र की जेल में मौत हुई थी।

पांच यूरोपीय देशों ने रूस पर आरोप लगाया

कौन हैं निखिल गुप्ता, जिन्हें पन्नू मर्डर प्लॉट में हो सकती है 40 साल की सज़ा

- निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या की कथित साजिश समेत 3 आरोप स्वीकारे
- इनमें हत्या की सुपारी, मर्डर और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के आरोप
- 26 मई को सुनाई जाएगी सजा

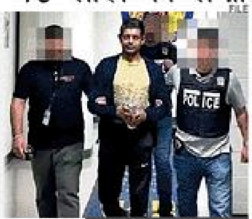

FILE

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

अमेरिका में भारतीय मूल के निखिल गुप्ता ने अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश रचने के मामले में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इस मामले में सुनवाई न्यू यॉर्क की एक अदालत में हो रही है। अटॉर्नी के दफ्तर से जारी हुए बयान के मुताबिक, गुप्ता ने हत्या के लिए सुपारी देने, हत्या की साजिश रचने के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश से जुड़े तीनों आरोपों को स्वीकार कर लिया है। गुप्ता को 26 मई को सजा सुनाई जाएगी। अमेरिका में इन तीनों आरोपों में सम्मिलित तौर पर 40 साल तक की सजा हो सकती है।

भारतीय सरकारी कर्मी रहे शख्स पर भी आरोप

चेक रिपब्लिक से किया था अरेस्ट: गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसका अमेरिका में प्रत्यर्पण किया गया। आरोप है कि गुप्ता ने ये साजिश भारतीय सरकारी कर्मचारी रहे विकास यादव के कहने पर रची, इस संबंध में विकास यादव को सीसी-1 कह कर संबोधित किया गया था।

कहीं से भी खींच लाएंगे... FBI की चेतावनी

अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को 'ट्रांसनैशनल रिप्रेशन का टारगेट' बताया है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को विदेश में भी डराना, दबाना या नुकसान पहुंचाना। FBI ने कहा, अगर किसी ने भी अमेरिकी नागरिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम उसे न्याय तक खींच लाएंगे, चाहे वह कहीं भी हो।

इस संबंध में मार्च 2025 में ही विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वो अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है।

अभियोग पत्र के मुताबिक, 2023 में यादव ने गुप्ता को हत्या का काम सौंपा था। यादव के कहने पर गुप्ता ने एक ऐसे शख्स से संपर्क किया जो असलियत में अमेरिकी जांच एजेंसियों का ही सोर्स था। यादव ने एक सहयोगी के जरिए इस हिटमैन को अग्रिम भुगतान के तौर पर पंद्रह हजार US डॉलर दिए। 2023 में ही विदेश मंत्रालय ने कहा था कि गुप्ता को तीन बार चेक गणराज्य में कॉन्सुलर मदद दी गई।

NBT Lens खबरों के अंदर की बात
टाइमिंग अहम है

यूं तो ये मामला अमेरिका में 2023 से चर्चा में है, लेकिन इस मामले में इस हालिया घटनाक्रम की टाइमिंग को भी अहम माना जा रहा है। जब भारत और अमेरिका के संबंध बहुत सहज नहीं हैं और दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर एक व्यापार के अंतरिम समझौते के अगले महीने तक आखिरी रूप लेने की उम्मीद है, ऐसे में भारत के लिए आगे की राह आसान नहीं दिखती।

नरगिस मोहम्मदी की जेल में सेहत बिगड़ी

■ एपी, पैरिस: ईरान की जेल में बंद नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित नरगिस मोहम्मदी की सेहत लगातार खराब हो रही है। यह जानकारी उनके पति ताघी रहमानी ने दी। कहा कि 12 दिसंबर को उनकी पत्नी को अरेस्ट किया गया, जिसके बाद से वह उनसे बात नहीं कर पाए हैं। नरगिस की खराब सेहत की जानकारी रिहा किए गए कैदियों से मिली है।

ट्रंप ने कही ईरान में सत्ता बदलाव की बात

■ एपी, वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यह बयान ऐसे समय आया है जब US-ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। वहीं, ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन पर कहा कि दुनिया ने इससे अमेरिका की सैन्य शक्ति देखी और संभावित दुश्मनों में डर पैदा हुआ।

15 टेक कंपनियों ने बनाया अलायंस

■ NBT रिपोर्ट : अफ्रीका, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की 15 अग्रणी कंपनियों ने 'ट्रस्टेड टेक एलायंस' (TTA) के गठन की घोषणा की है। यह समान सोच वाले वैश्विक टेक्नोलॉजी प्रदाताओं का एक समूह है। जो कनेक्टिविटी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक फैले टेक्नोलॉजी स्टैक के लिए भरोसेमंद और सत्यापित मानक विकसित करने के लिए साथ आए हैं। एलायंस में भारत की ओर से Jio Platforms शामिल है। जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस एलायंस का ऐलान किया गया।

जियो समेत अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड भी शामिल

AI इंपैक्ट समिट में Nvidia के CEO नहीं आएंगे, बिल गेट्स पर सस्पेंस

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

FILE

16-20 फरवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली एआई इंपैक्ट समिट के लिए एनवीडिया (Nvidia) के सीईओ जेन्सेन हुआंग (Jensen Huang) ने भारत आने की योजना स्थगित कर दी है। इसकी वजह अभी सामने नहीं आ सकी है। वहीं, समिट में ग्लोबल साउथ के एजेंडे को खास जगह मिली है। समिट में कारोबारी बिल गेट्स के आने पर भी सस्पेंस है। उन पर एपस्टीन फाइल का विवाद जुड़ा है। इस पर अधिकारी ने कहा कि वो आएंगे कि नहीं, फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्हें न्योता दिया गया है। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के मुखिया के स्तर पर समिट में शिरकत करने वाले 20 देशों में से 9 ग्लोबल साउथ से थे। वहीं 45 देशों से आने वाले मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल में से 30 देश ग्लोबल साउथ से होंगे।

भारत में दो साल पहले दिल्ली में हुई जी 20 समिट में भी ग्लोबल साउथ के एजेंडे को प्राथमिकता दी थी। अधिकारी ने बताया कि कि इससे पहले जो भी एआई समिट हुई है, उनमें पश्चिमी देशों का नजरिया सुरक्षा के इर्द गिर्द रहा है, लेकिन भारत हमेशा से ही इस बात पर जोर देता रहा है कि एआई का प्रयोग विकास के इर्द गिर्द होना चाहिए। बीते कई महीनों से भारत के एआई विजन के साथ अहम पक्षों पर वर्किंग ग्रुप में जो चर्चाएं हुई हैं, वो इस समिट के नतीजे को एक अहम दिशा देने में मदद करेंगी।

अब फोटो छपवाने का मौका भी

खबरों का ज्ञान

रोज की खबरों पर कितनी पैनी नजर है, आजमाएं

1. नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नरगिस मोहम्मदी किस देश की जेल में बंद है?
   A. इराक B. ईरान C. सीरिया
2. पन्नू मर्डर प्लॉट मामले में आरोपी निखिल गुप्ता को किस देश से गिरफ्तार किया गया था?
   A. चेक रिपब्लिक B. जर्मनी C. रूस
3. रूस के किस विपक्षी नेता की जेल में मौत को लेकर यूरोपीय देशों ने आरोप लगाया?
   A. व्लादिमीर पुतिन B. दिमित्री मेदवेदेव C. एलेक्सी नवालनी
4. पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी किस राज्य में है?
   A. अरुणाचल प्रदेश B. असम C. मणिपुर
5. भारत की पहली अंडरवॉटर ट्विन-ट्यूब रोड-रेल टनल किस नदी के नीचे बनाई जाएगी?
   A. गंगा नदी B. ब्रह्मपुत्र नदी C. गोदावरी

कल के जवाब

A1 A 8,630 A2 B BNP A3 A 75 A4 C अंबेर मोटली A5 B पुनीत आलवाल

लकी विनर्स

1. दीपक गुप्ता, नई दिल्ली
2. हितेंद्र सिंह, गाजियाबाद
3. पिंकी रठौड़, दिल्ली

ऐसे भेजें अपने जवाब

अपने नाम, शहर के साथ जवाब भेजें nbtreader@timesofindia.com पर, साथ में फोटो भी भेजें। सब्जेक्ट में KKG लिखें। हर दिन सभी सही जवाब देने वाले तीन चुनिंदा रीडर्स में से एक का फोटो और दो के नाम छापे जाएंगे। जवाब आज के पेपर की खबरों में ही छिपे हैं।

PARAMETER	VICTORIS S-CNG	COMPETITION MID SUV DIESEL	BENEFIT OF VICTORIS S-CNG OVER DIESEL CARS
Running Cost/km	₹4	~ ₹6.1	✓ More savings per km
Lower Maintenance Cost	✓	✗	✓ Easy on pocket
Reduced Emission	✓	✗	✓ Good for environment
Recovery Period#	~3.8 Yrs	~11.1 Yrs	✓ Faster recovery

Applicable T&C available at your nearest dealership. Creative visualization. Car colour may vary due to printing on paper. Images used are for illustration purposes only. Features may vary by model/conditions. For details on functioning of safety features including airbags, kindly refer to the Owner's Manual. #Considered average daily drive of 35 kms. Fuel Cost calculation done basis fuel prices in Delhi as of 11th Feb 2026 and considered 70% delivery of ARAI tested Mileage. ^The loyalty reward scheme is subject to terms and conditions. For more details visit authorised dealership. The offer is valid only on Victoris. *As certified by Test Agency under Rule 115 (G) of Central Motor Vehicles Rules 1989.

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 15-02-2026 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAJK2 User: vivek.kumar4@timesofindia.com Time: 02-14-2026 21:19 Color:

क्रिकेट के हर ऐक्शन की एक डेस्टिनेशन

Google Gemini

क्रेज़ दिखाएँ, मैच के टिकट जीत जाएँ

अपना क्रेज़ी फ़ैन लुक बनाएँ, सोशल मीडिया पर @googleindia को टैग करें, और T20 विश्व कप के टिकट जीतें

सिर्फ़ स्टैट नहीं, उनके पीछे के स्टार को भी जानें

एक ही जगह पाएँ खिलाड़ियों से जुड़े आँकड़े और मज़ेदार फ़ैक्ट

क्यूआर कोड स्कैन करें और पाएँ T20 विश्व कप का अनुभव, बिलकुल नए अंदाज़ में

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 15-02-2026 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAHBP User: vivek.kumar4@timesofindia.com Time: 02-14-2026 21:19 Color:

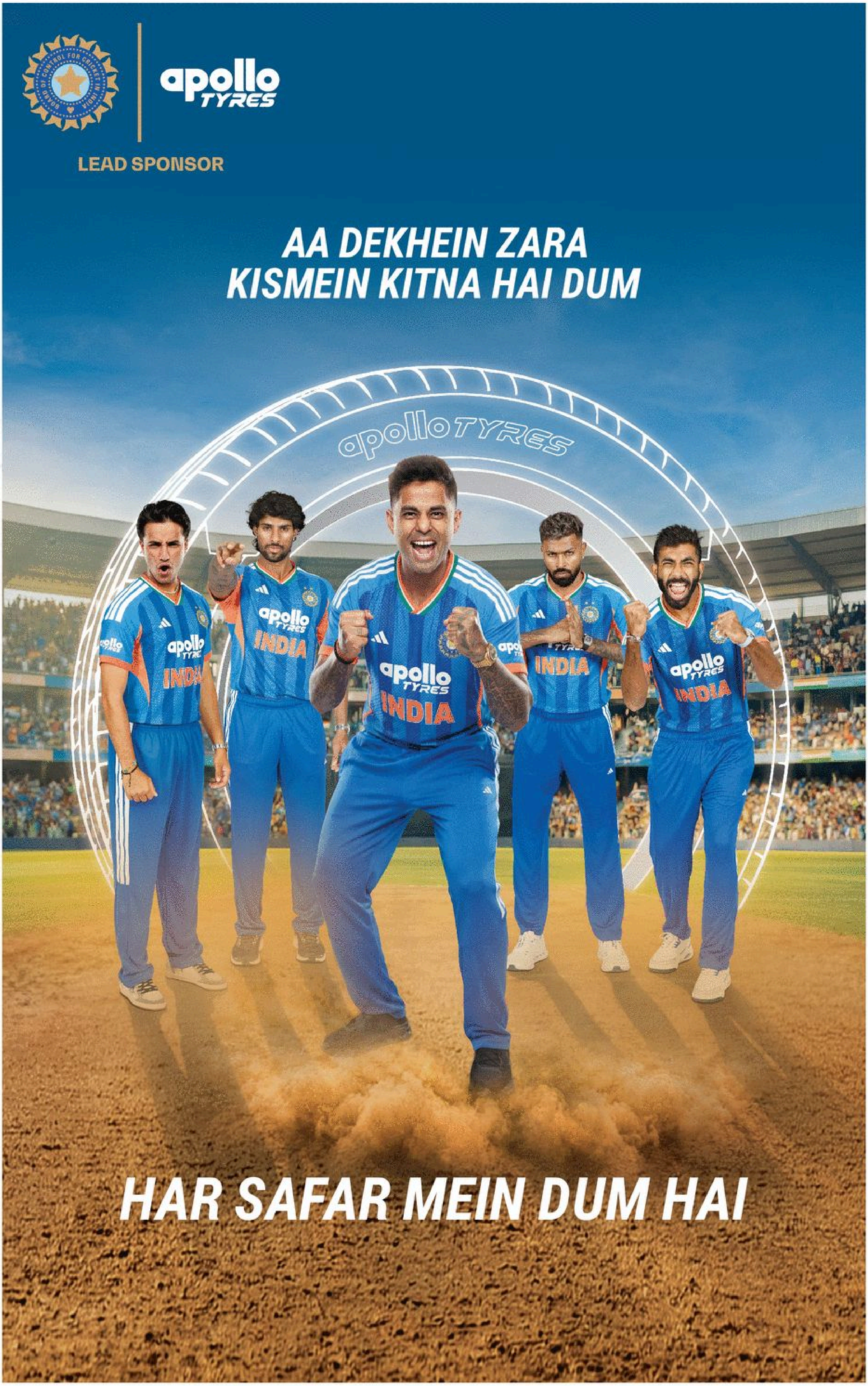

नई दिल्ली › रविवार, 15 फरवरी 2026

WATCH GOD WATCHDOG

www.nbt.in

NBT
संडे नवभारत टाइम्स

एनबीटी में विज्ञापन देने के लिए 18001203474 पर कॉल करें। नवभारत टाइम्स का अंक प्राप्त करने के लिए 18001200004 पर कॉल करें या subscribe.timesofindia.com पर जाएं।

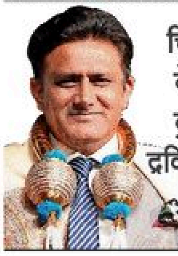

चिन्नास्वामी के दो स्टैंड कुंबले और द्रविड़ के नाम
▶ देखें अंदर

फिर से ट्रेंड में हसली की असली चमक
▶ देखें अंदर

AI से टीबी डिटेक्शन 16% बढ़ा, कुपोषण पर भी स्मार्ट निगरानी

Hemwati.Rajaura1
@timesofindia.com

■ **नई दिल्ली :** 16 फरवरी से नई दिल्ली में शुरू हो रही ग्लोबल AI इंपैक्ट समिट के दौरान दुनिया भर के देश इस बात पर चर्चा करेंगे कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) ने उनके यहां शासन, उद्योग और स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह बदला है। इस मंच पर भारत भी अपने अनुभव और उपलब्धियां साझा करेगा, खासकर हेल्थ सेक्टर में AI के इस्तेमाल को लेकर।

सरकार के मुताबिक, AI आधारित सिस्टम के इस्तेमाल से टीबी के मामलों की पहचान में करीब 16% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक्स-रे की AI आधारित रीडिंग और डेटा विश्लेषण से संदिग्ध मरीजों को जल्दी चिन्हित किया जा रहा है जिससे इलाज समय पर शुरू हो पा रहा है। इसका असर यह हुआ कि टीबी के गंभीर मामलों में 27% की कमी देखी गई। डीप CXR जैसे AI टूल डिजिटल छाती एक्स-रे को पढ़कर संदिग्ध मरीजों की पहचान करते हैं।

1.2 करोड़ मरीजों को ई-संजीवनी पर AI से डायग्नोसिस

टेलीमेडिसिन में AI की भूमिका: सरकारी प्लेटफॉर्म ई संजीवनी पर करीब 28 करोड़ से अधिक परामर्श हो चुके हैं। इनमें से करीब 1.2 करोड़ मरीजों को AI आधारित डायग्नोसिस में मदद मिली है। AI आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डॉक्टरों को संभावित बीमारियों की सूची सुझाता है।

AI Image

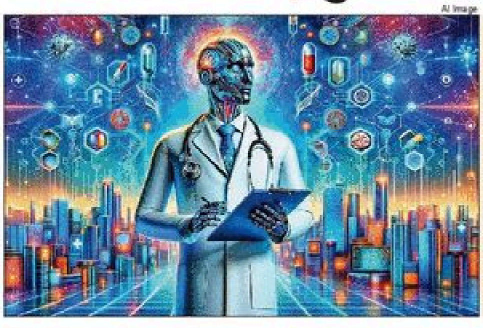

डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर

AI की मदद से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 79 करोड़ से अधिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जा चुकी हैं। इनके 6.7 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य पेशेवर पंजीकृत हुए हैं। 67 करोड़ से ज्यादा स्वास्थ्य रेकॉर्ड लिंक हुए, इस डिजिटल आधार ने AI टूल्स को प्रभावी तरीके से काम करने का प्लेटफॉर्म दिया है।

आंखों की बीमारी की पहचान

मधु नेत्र AI जैसे टूल रेटिना की तस्वीरों का विश्लेषण कर डायबिटिक रेटिनोपैथी की बीमारी शुरुआती पहचान कर रहे हैं। कैंसर इमेजिंग बायोबैंक में 20,000 से ज्यादा मरीजों के डेटा पर आधारित AI मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। कुछ जिलों में AI आधारित मशीनें बच्चों को दिए जाने वाले भोजन का विश्लेषण कर रही हैं।

AI से निगरानी, फ्रॉड पर रोक

आयुष्मान भारत योजना में एआई आधारित सिस्टम संदिग्ध लेन-देन की पहचान कर रियल टाइम निगरानी कर रहा है जिससे फर्जी दावों पर अंकुश लगा है। इन तमाम पहलुओं के चलते AI अब सिर्फ तकनीकी प्रयोग नहीं, बल्कि जमीनी बदलाव का जरिया बन चुका है। एआई इंपैक्ट समिट में भारत इन उपलब्धियों और आंकड़ों को वैश्विक मंच पर रखेगा जहां हेल्थकेयर में तकनीक के भविष्य पर चर्चा होगी।

चिड़िया-कबूतर सट्टा गैंग संचालक हुआ गिरफ्तार

■ **NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली:** सेंट्रल जिले की एंटी नारकोटिक्स सेल ने आनंद पर्वत इलाके में चल रहे चिड़िया कबूतर सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ कर उसके संचालक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 17 हजार से अधिक कैश, सट्टा पर्चियां एवं बेटिंग चार्ट बरामद हुआ है। उसकी पहचान ट्रांजिट कैंप आनंद पर्वत निवासी शहजाद के तौर पर हुई है। एंटी नारकोटिक्स सेल टीम को सूचना मिली थी कि आनंद पर्वत के ट्रांजिट कैंप इलाके में सट्टा रैकेट चल रहा है।

आनंद पर्वत इलाके में चल रहा था रैकेट, कैश भी मिला

चोरी के मामले में पश्चिम बंगाल के 3 आरोपी अरेस्ट

■ **NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली:** साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के किशनगढ़ थाना पुलिस ने चोरी के मामले में पश्चिम बंगाल के 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। उनकी पहचान पश्चिम बंगाल निवासी पूरन मुरांग (26), असम निवासी तनुन दत्ता (23) और पश्चिम बंगाल निवासी जय सुमा (23) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सैमसंग गैलेक्सी S6 टैबलेट, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, बर्तन, ट्रैवल बैग और नकदी बरामद की है।

टैबलेट, इंडक्शन, बर्तन, बैग और कैश भी मिला

पिस्टल लेकर घूम रहा शख्स गिरफ्तार

■ **NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली:** आनंद पर्वत इलाके में वर्चस्व दिखाने के लिए हथियार लेकर घूम रहे एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी पिस्टल और दो कारतूस बरामद हुआ है। उसकी पहचान नेहरू नगर आनंद पर्वत निवासी 24 साल के जतिन उर्फ देव के तौर पर हुई है। वह आनंद पर्वत इलाके का घोषित बदमाश है और पहले से कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि 11 फरवरी को गश्त के दौरान पुलिस वालों ने जतिन को घूमते हुए देखा था।

वर्चस्व दिखाने को आनंद पर्वत इलाके में घूम रहा था

SC बोला, जमानत पर भी FIR... प्रक्रिया का दुरुपयोग

हिरासत में रखने के लिए लगातार FIR दर्ज करने पर कोर्ट सख्त

Rajesh.Choudhary
@timesofindia.com

■ **नई दिल्ली :** सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर किसी आरोपी को अदालत से जमानत मिल जाती है, तो उसे जेल में बनाए रखने के लिए बार-बार नई FIR दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह तरीका संविधान के अनुच्छेद 32 (मौलिक अधिकार) के तहत सीधे हस्तक्षेप की मांग करता है।

यह मामला झारखंड का है। 20 मई 2025 को रांची के एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले में आरोपी से पूछताछ चल रही थी, तभी एसीबी हजारीबाग ने वर्ष 2010 में कथित वन भूमि के म्यूटेशन से जुड़े मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज कर दी। यह मामला करीब 15 साल पुरानी घटना से जुड़ा था। इसके बाद 2025 में दो और एफआईआर दर्ज की गईं।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर एक के बाद एक एफआईआर दर्ज कर रही है, ताकि जमानत मिलने के बावजूद आरोपी जेल में ही रहे। उनका कहना था कि यह अदालत के जमानत आदेश को बेअसर करने की सोची-समझी कोशिश है।

File

जानबूझकर किया परेशान: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने पाया कि आरोपी को जानबूझकर हिरासत में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि 17 दिसंबर 2025 को जमानत मिलने के बाद भी 19 दिसंबर को एक अन्य एफआईआर में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और 20 दिसंबर को एक और मामले में सात दिन की रिमांड दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में डॉ. बी.आर. आंबेडकर के उस कथन का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया था।

आर्टिकल 32 क्यों है अहम

सुप्रीम कोर्ट संविधान का प्रोटेक्टर है। अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह शख्स सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद-32 और हाई कोर्ट में अनुच्छेद-226 का सहारा ले सकता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में निचली अदालत नहीं जा सकते बल्कि सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद-32 की अहमियत को बताते हुए याची को रिलीफ दी है और ऐसे में निश्चित तौर पर अनुच्छेद-32 संविधान की आत्मा है।

अवैध खनन में तोड़फोड़, SC ने दी जमानत

Rajesh.Choudhary
@timesofindia.com

■ **नई दिल्ली:** सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में अवैध खनन से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों की पूर्ण निष्क्रियता पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसे भीड़ के साथ मिलकर एक घर में तोड़फोड़ करने के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मामला उस घटना से जुड़ा है, जब ग्रामीणों ने इलाके में चल रहे कथित अवैध खनन और स्टोन क्रशिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया था। अदालत ने साफ किया कि मामला केवल जमानत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वह घटना के समय उस क्षेत्र में तैनात सभी अधिकारियों के नाम और पदनाम अदालत के सामने पेश करे। अदालत ने कहा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की आवश्यकता है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

लोअर कोर्ट ने 10 साल की सुनाई थी कैद की सजा

भारत के उच्चायुक्त बोले- कनाडा के साझा मूल्यों में कोई विरोधाभास नहीं'

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

कनाडा में भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने कहा है कि भारत और कनाडा के लोकतांत्रिक मूल्यों, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक ढांचे में काफी समानता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश लोकतंत्र हैं और उनकी अर्थव्यवस्था बाजार आधारित है। इंडो-पैसिफिक से लेकर यूरोपीय संघ तक, दोनों की सोच कई वैश्विक मुद्दों पर मिलती है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ-साथ G-7 और G-20 जैसे मंचों पर भी विश्वास रखते हैं।

उच्चायुक्त ने कहा कि साझा मूल्यों में कोई टकराव नहीं है। लेकिन अगर कनाडा छोटी-छोटी बातों को लेकर द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने से हिचकता है, तो यह उसका निर्णय है। एक टीवी इंटरव्यू में व्यापार और आर्थिक रिश्तों को गहरा करने के सवाल पर उन्होंने ये बात कही। साथ ही, बिना नाम लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर निशाना साधते हुए कहा कि रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए नेताओं में दूरदृष्टि होनी चाहिए। गौरतलब है कि ट्रूडो के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे।

उच्चायुक्त दिनेश पटनायक

बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं रिश्ते

बीते साल पीएम मार्क कार्नी के सत्ता में आने के बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में सकारात्मक सहजता देखने को मिली है। विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर एक रोडमैप पर भी सहमति बनी थी। दोनों देश व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को लेकर भविष्य की दिशा पर तो काम कर ही रहे हैं साथ ही सुरक्षा और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी सहयोग को लेकर प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हाल ही में कनाडा का दौरा किया था। इस बीच माना जा रहा है कि पीएम कार्नी भी आने वाले समय में भारत का दौरा कर सकते हैं।

दुकानदार से लूट में 3 पकड़े, एक नाबालिग

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

उत्तम नगर में 7 फरवरी की रात किराना स्टोर मालिक से कैश लूट के मामले का द्वारका जिले की स्पेशल स्टाफ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी छोटू कुमार उर्फ अविनाश, उसकी गर्लफ्रेंड और एक नाबालिग भांजे को हिरासत में लिया है। तीनों जेजे कॉलोनी, सेक्टर-3 द्वारका के रहने वाले हैं। डीसीपी अंकित सिंह के अनुसार, वारदात रात करीब 9:40 बजे हस्तसाल रोड पर हुई थी। दुकान बंद कर घर जा रहे दुकानदार से दिनभर की नकदी से भरा बैग छीनकर आरोपी फरार हो गए थे। जांच में सामने आया कि नाबालिग भांजा दुकान पर काम करता था और उसी ने नकदी की जानकारी मामा को दी थी। इसके बाद छोटू कुमार ने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर लूट की साजिश रची थी।

AI Image

ट्रैवल कारोबारी के घर चोरी में 2 गिरफ्तार

■ **NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली:** डीबीजी रोड थाना पुलिस ने ट्रैवल कारोबारी के घर लाखों के गहने और करीब डेढ़ लाख रुपये चोरी करने के आरोप में दो लोगों को अरेस्ट किया है। आरोपियों की पहचान न्यू सीलमपुर निवासी अब्दुल नफीस और मीनापुर निवासी ज्वेलर मनोज कुमार वर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 3 सोने की अंगूठियां, 18 चांदी के सिक्के, एक चांदी की पायल और एक चांदी की तगड़ी बरामद की है। 18 जनवरी को करोल बाग के कारोबारी के घर चोरी हुई थी।

पहली बार इंटरनैशनल फ्लीट रिव्यू में फिलीपींस, UAE के वॉरशिप

Poonam.Pandey@timesofindia.com

■ **नई दिल्ली :** इंटरनैशनल फ्लीट रिव्यू में इस बार पहली बार फिलीपींस और UAE के वॉरशिप भी शामिल होंगे। साथ ही पहली बार जर्मनी के मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बनेंगे। 18 फरवरी को विशाखापत्तनम में आर्म्ड फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इंटरनैशनल फ्लीट रिव्यू करेंगी। पहला इंटरनैशनल फ्लीट रिव्यू (IFR) साल 2001 में किया गया था। तब 20 देशों के 97 वॉरशिप शामिल हुए थे जिनमें 24 विदेशी वॉरशिप थे। IFR का दूसरा एडिशन साल 2016 में आयोजित किया गया था। कुल 50 देशों करीब 100 वॉरशिप इसमें शामिल हुए थे।

18 फरवरी को राष्ट्रपति मुर्मु करेंगी फ्लीट का रिव्यू

फिलीपींस, UAE और जर्मनी तो पहली बार अपने एसेट्स के साथ फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बन ही रहे हैं। इसके अलावा भी कई लैंडलॉक देश (ऐसे देश जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है) भी पहली बार इसमें शामिल होंगे। जर्मनी का मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8 इंडियन नेवी के P-8I की तरह ही है। जर्मनी ने अपनी नेवी की समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका से P-8 मल्टी-मिशन मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीदा है। यह मुख्य रूप से पनडुब्बियों का पता लगाने, समुद्री सतह पर निगरानी और लंबी दूरी की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जर्मनी के लिए P-8 खास तौर पर NATO की सामूहिक सुरक्षा, उत्तरी सागर-बाल्टिक क्षेत्र में निगरानी और रूस की बढ़ती समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने के लिहाज से अहम माना जाता है। इंटरनैशनल फ्लीट रिव्यू में जर्मनी का P-8 फ्लाईपास्ट में शामिल होगा।

इसके अलावा फिलीपींस का मिगेल मलवार (BRP Miguel Malvar (FFG-06)) वॉरशिप भी पहली बार इंटरनैशनल फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बन रहा है। ये फिलीपींस नेवी का एक अत्याधुनिक गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट है। इसे पिछले साल मई में फिलीपींस नेवी में शामिल किया गया था। ये 3200 टन का है, जिसमें वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सिस्टम, एंटी-शिप मिसाइल, टॉरपीडो और आधुनिक रडार लगे हैं। UAE की नेवी का वॉरशिप Al Emarat भी पहली बार फ्लीट रिव्यू में आएगा।

File

20 से ज्यादा अफ्रीकी देश होंगे शामिल

इंटरनैशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन एक्सरसाइज में कई अफ्रीकी देश भी शामिल होंगे। ये इसलिए अहम हैं क्योंकि चीन पिछले एक दशक से अपना फोकस अफ्रीकी देशों पर भी किए हुए है। भारत के लिए अफ्रीकी देश सामरिक और व्यापारिक तौर पर अहम हैं। इंटरनैशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल होने वाले देशों में 20 से ज्यादा अफ्रीकी देश हैं।

अधिकारियों के साथ लेंगे हिस्सा

इंटरनैशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन एक्सरसाइज में शामिल होने वाले देश अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट के साथ ही वेस्ट कोस्ट से भी हैं। नेवी के मुताबिक, सेशेल्स और साउथ अफ्रीका अपने वॉरशिप के साथ शामिल होंगे, जबकि बाकी देश अपने अधिकारियों के साथ हिस्सा लेंगे।

ठक-ठक गैंग का बदमाश अरेस्ट, जूलरी मिली

■ **NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली:** ईस्ट दिल्ली के स्पेशल स्टाफ और पांडव नगर पुलिस ने ठक-ठक गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी के सोने के गहने और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हुई है। पकड़े गए युवक की पहचान संगम विहार निवासी जफर के रूप में हुई है। डीसीपी अभिषेक धानिया के मुताबिक, 6 फरवरी को पांडव नगर थाने में भभूति प्रसाद शर्मा ने शिकायत दी थी। वह परिवार के साथ कार से जा रहे थे, तभी उनके साथ वारदात हुई थी।

ईस्ट दिल्ली के स्पेशल स्टाफ, पांडव नगर पुलिस ने पकड़ा

जून में आएगा CUET-UG का रिजल्ट !

नैशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 11-31 मई के बीच एंट्रेंस टेस्ट कराने की तैयारी की

Bhupender.Sharma
@timesofindia.com

■ **नई दिल्ली :** कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET- UG 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब एग्जाम की डेटशीट को लेकर तैयारी हो रही है। नैशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के पब्लिक नोटिस के मुताबिक CUET के लिए एंट्रेंस टेस्ट 11-31 मई के बीच होगा। देश की 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज समेत 236 यूनिवर्सिटीज में CUET स्कोर के बेस पर ग्रैजुएशन कोर्सेज में दाखिला होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी संख्या में आवेदन हुए हैं। 2025 में सीयूईटी का रिजल्ट 4 जुलाई को आया था, जिसके चलते यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्रक्रिया देरी से पूरी हुई और बहुत से छात्रों ने डीयू में एडमिशन के मौके खो दिए जबकि उनका नाम लिस्ट में था। रिजल्ट में देरी के कारण छात्र किसी न किसी दूसरी यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। इसी को देखते हुए इस बार जून में ही रिजल्ट जारी करने की मांग हो रही है। एनटीए भी इस बात पर गंभीर है कि रिजल्ट को जून में ही जारी किया जाए। एनटीए बड़े एग्जाम के लिए सेंटरों की मैपिंग भी कर रहा है और पिछले वर्षों में जो भी समस्याएं आईं हैं, उनको दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

डीयू के वाइस चांसलर प्रो. योगेश सिंह का कहना है कि सीयूईटी का रिजल्ट 15 जून के आसपास आ जाना चाहिए ताकि उसके बाद यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू कर सके। जुलाई में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो और पहली अगस्त से क्लासेज शुरू हो जाएं। एडमिशन में देरी के कारण क्लासेज भी देर से शुरू हो पाती हैं। उनका कहना है कि रिजल्ट को लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ से एनटीए से बात भी की जाएगी।

AI Image

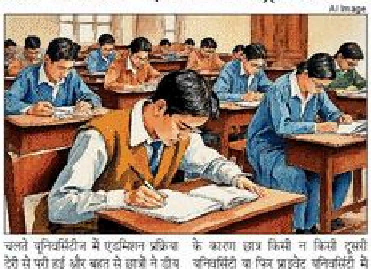

मणिपुर से यूपी तक के युवा सीख रहे जापानी भाषा

Bhupender.Sharma
@timesofindia.com

■ **नई दिल्ली :** जापान की वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत-जापान साझेदारी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत के युवा जापानी भाषा सीखकर वहां की इंडस्ट्री में काम का मौका पा रहे हैं। इस पहल को कौशल विकास मंत्रालय के संगठन नैशनल स्किल डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) ने शुरू किया और नोएडा के NSDC इंटरनैशनल सेंटर में ट्रेनिंग दी जा रही है। मणिपुर, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे अलग-अलग क्षेत्रों से उम्मीदवार ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। अभी तक जापानी भाषा के प्रोग्राम में 400 से ज्यादा उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी गई है, जिनमें से 185 जापान में काम कर रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक अभी 100 और कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग चल रही है।

मंत्रालय का कहना है कि NSDC की ओर से उम्मीदवारों की ट्रेनिंग की प्रक्रिया को देखा जाता है। जापान से भी ट्रेनर आते हैं। जापान में अधिक उम्र के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है और वहां पर वर्कफोर्स की कमी है। इसे देखते हुए भारतीय युवाओं के पास वहां पर हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन, सर्विस सेक्टर में काफी अच्छे मौके हैं। मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार अर्चना मायाराम का कहना है कि पिछले वर्ष अगस्त में भारत और जापान के नेताओं ने खास रणनीति और वैश्विक साझेदारी को लेकर एक संयुक्त विजन बनाया था। अगले 5 वर्षों में 5 लाख लोगों के ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज का एक ऐक्शन प्लान भी बनाया गया, जिसमें भारत से जापान में 50 हजार स्किल्ड प्रोफेशनल जाएंगे। NSDC के सीईओ अरुण कुमार पिल्लई ने कहा कि हम अपने युवाओं को इंटरनैशनल करियर बनाने में मदद कर रहे हैं।

AI Image

योजना का दायरा बढ़ाने की जरूरत

विदेशी भाषा सिखाने, जॉब दिलाने के लिए इंडस्ट्री के साथ जोड़ने की ये पहल तो अच्छी है लेकिन इसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही ये भी देखना होगा कि जिनके पास इस तरह के कोर्स करने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं हैं, उनको कैसे सस्ते लोन के जरिए मुख्य स्ट्रीम में लाया जा सकता है। एक फरवरी को आम बजट में भी उम्मीद है कि स्किल एजुकेशन को आसानी से जरूरतमंद को दिलाने पर ध्यान दिया जाएगा।

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 15-02-2026 Zone: MahanagarBook2 Edition: 1 Page: PP2NBMA2 User: cci Time: 02-14-2026 12:25 Color:

मकोका-मर्डर के आरोपी को नोटिस देकर क्यों छोड़ा?

फर्श बाजार मर्डर की जांच पर उठ रहे सवाल

NBT 2 मिनट में पढ़ें

■ स्पेशल सेल के केस में कई झोल होने से उठ रहे हैं सवाल, गलती या हुआ कोई 'खेल'

■ पुलिस अफसर दबी जुबान में मानते हैं कि स्पेशल सेल की जांच में ऐसी खामियां चौंकाने वाला है

Shanker.Singh
@timesofindia.com

नई दिल्ली: फर्श बाजार एरिया में 7 दिसंबर 2024 को हुए बर्तन कारोबारी सुनील जैन मर्डर केस की जांच को लेकर स्पेशल सेल फिर 'कटघरे' में है। अब कथित बुकी और गैंग फाइनैंसर हर्षपाल सिंह उर्फ रूबल को जमानत मिलने पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अफसर दबी जुबान में मानते हैं कि स्पेशल सेल जैसी 'स्पेशलाइज्ड' यूनिट की जांच में ऐसी खामियां सामने आना चौंकाने वाला है। यह चूक जिला या थाना पुलिस से होती तो अब तक कई पुलिसवाले नप जाते। लेकिन 'विशेष यूनिट्स' पर हेडक्वॉर्टर के अफसरों का आशीर्वाद होता है, इसलिए सब नजरअंदाज कर दिया जाता है।

> 'स्पेशलाइज्ड यूनिट की जांच में ऐसी खामियां सामने आना चौंकाने वाला'

हाई कोर्ट में कथित बुकी रूबल की जमानत का विरोध करते हुए पुलिस की तरफ से बताया गया कि 25 सितंबर की रात अमृतसर एयरपोर्ट से आरोपी के पकड़े जाने की सूचना मिली थी। एक टीम अमृतसर भेजी गई, जिसे 26 सितंबर दोपहर 2 बजे कस्टडी मिल गई। थोड़ी पूछताछ के बाद आरोपी को नोटिस देकर छोड़ दिया गया। उसे 27 सितंबर सुबह जांच में शामिल होने को कहा गया। वह सुबह आया तो लंबी पूछताछ की और काफी सबूत मिलने पर सुबह 11 बजे गिरफ्तारी डाल दी।

पुलिस के 26 सितंबर को छोड़ने और 27 सितंबर को दोबारा बुलाने के नोटिस में झोल होने से मंगलवार को हाई कोर्ट ने रूबल को जमानत दे दी। कानूनी जानकार कहते हैं कि स्पेशल सेल ने लुक आउट सर्कुलर (LoC) जारी करवाया तो जाहिर है उसके पास मर्डर-मकोका केस में शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य होंगे। भागने की आशंका की वजह से LoC जारी करवाई गई थी, तो फिर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के दौरान हत्थे चढ़ने के बाद नोटिस देकर छोड़ना तो घोर लापरवाही या किसी बड़े 'खेल' की तरफ इशारा करता है।

फर्श बाजार एरिया का यह सनसनीखेज मर्डर केस 31 दिसंबर 2024 को स्पेशल सेल को ट्रांसफर हुआ था। सेल ने कत्ल की साजिश में शामिल होने का दावा कर 16 फरवरी 2025 को एक सब इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया। इस केस में 21 अप्रैल 2025 को मकोका भी लगा दिया। दावा था कि हाशिम बाबा गैंग के अनवर खान उर्फ चाचा और साबिर चौधरी के ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दुबई से सट्टा ऑपरेट करने वाले नितिन जैन उर्फ सुसु और योगेश शर्मा उर्फ योगी को साजिशकर्ता बताया।

स्पेशल सेल ने 12 मई 2025 को तिहाड़ जेल में जाकर गैंगस्टर हाशिम बाबा, उसकी पत्नी जोया खान, गैंग के बदमाश समीर बाबा और अनवर चाचा की मकोका के तहत गिरफ्तारी डाली। चारों अलग-अलग मामलों में तिहाड़ में बंद थे। इन्हें 13 मई को कोर्ट में पेश कर सात दिन की रिमांड मांगी। अदालत ने स्पेशल सेल की गिरफ्तारी में कई तकनीकी गड़बड़ियां पाईं और चारों को इस केस से छोड़ने के निर्देश दिए। बहरहाल, स्पेशल सेल ने दोबारा प्रोसेस के तहत चारों की गिरफ्तारी डाल दी। इस बीच, एसआई से मकोका हटाना पड़ा।

शूटर गोलू कैसे भाग गया विदेश?

अब स्पेशल सेल की तरफ से हाई कोर्ट में हर्षपाल सिंह उर्फ रूबल की जमानत पर बहस के दौरान खुलासा किया कि उसने 22 सितंबर 2025 को नोटिस दिया था, जिसके तहत उससे 23 सितंबर को पेश होने को कहा गया था। वो जांच में शामिल नहीं हुआ तो विदेश भागने के डर से 24 सितंबर को लुक आउट सर्कुलर (LoC) जारी करवा दिया गया और वो 25 सितंबर रात को पकड़ लिया गया। इस हत्याकांड का मुख्य शूटर सचिन उर्फ मुकेश उर्फ गोलू वारदात के कई महीने तक देश में घूमता रहा, लेकिन स्पेशल सेल ने उसे पकड़ नहीं सकी और वो विदेश भागने में सफल हो गया।

अपनाएं ये चेकअप किट और साइबर खतरे से खुद को और अपनों को बचाएं

सिर्फ शरीर ही नहीं, 'डिजिटल हेल्थ' का भी रखें पूरा ख्याल

अपनाएं यह चेकअप किट
और साइबर खतरे से खुद बचे और अपनों को भी बचाएं

NBT साइबर सुरक्षा कवच

आपकी डिजिटल सेहत भी उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक। दिल्ली पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार, मोबाइल और लैपटॉप पर बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए समय-समय पर 'डिजिटल हेल्थ चेकअप' जरूरी है। जैसे आप रूटीन बॉडी चेकअप कराते हैं, वैसे ही अपने डिवाइस की सुरक्षा जांचते रहें। पेश है विशाल आनंद की रिपोर्ट।

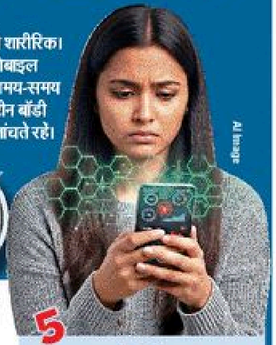

AI image

1 ईमेल आईडी चेक करें: आपकी ईमेल आईडी को चेक करने के लिए haveibeenpwned.com नाम की वेबसाइट पर जाएं। यहां अपनी ईमेल आईडी डालें। अगर आपका ईमेल किसी डेटा लीक में पाया जाता है तो यहां दिखाई देगा। इसके बाद तुरंत अपना पासवर्ड बदलें। इसके लिए 2FA/MFA (ऑथेंटिकेटर ऐप के साथ) एक्टिव करें। इससे आपका ईमेल पहले से अधिक सुरक्षित रहेगा।

2 आपके नाम कितने सिम: आज कल दस्तावेजों पर फर्जी सिम जारी कराने और अवैध गतिविधियों में शामिल होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में यह चेक जरूर करें कि आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं। इसके लिए सबसे पहले www.sancharsaathi.gov.in पर जाएं। वहां 'Know Your Mobile Connections' पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डालें, OTP से वेरिफाई करें। आपके नाम पर जारी सभी सिम की पूरी लिस्ट स्क्रीन पर दिखेगी। यहां से किसी भी अनजान सिम को तुरंत रिपोर्ट/डिसकनेक्ट कर सकते हैं। हमेशा आधिकारिक पोर्टल का ही यूज करें।

3 आधार बायोमेट्रिक्स लॉक: आधार कार्ड किसी भी डिजिटल क्राइम या म्यूल अकाउंट में यूज होने वाला प्रमुख दस्तावेज है। इसके लिए आप UIDAI.gov.in, 'My Aadhaar', 'Lock/Unlock Biometrics' पर जाएं। आधार नंबर/VID + कैप्चा डालें, OTP जनरेट करें, लॉगिन करें। देखें कि बायोमेट्रिक्स लॉक है या नहीं। लॉक करने से आपके फिंगरप्रिंट/आईरिस का मिसयूज नहीं हो सकता। जरूरत पड़ने पर ही अनलॉक करें (जैसे बैंकिंग, सिम जारी करने के लिए)।

4 WhatsApp की सुरक्षा: व्हाट्सऐप आज के समय में हर किसी से कनेक्ट होने की बुनियादी जरूरत बन चुका है। इसके सेफ रखने के लिए सदैव Two-Step Verification (6 अंकों का PIN) एक्टिव करें। WhatsApp को हमेशा अपडेटेड रखें। संदिग्ध लिंक/अटैचमेंट पर क्लिक न करें। Linked Devices की जांच करें और अनजान डिवाइस हटा दें। Block & Report का यूज करें। गैर-जरूरी चैट्स को Mute करें।

5 मोबाइल में छिपे APK की जांच करें

चालान, बिजली बिल, गैस बिल, पानी बिल, निमंत्रण कार्ड और अन्य पीडीएफ के जरिए साइबर क्रिमिनल APK फाइल इंस्टॉल कराते हैं। इससे मोबाइल हैक होने या पर्सनल डिटेल चोरी होने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। इसके लिए सबसे पहले Installed Apps देखें।

- Settings, Apps, All Apps पर जाएं। Permissions चेक करें: कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन, SMS तक पहुंच वाले अनजान ऐप्स तुरंत हटाएं।
- Device Admin Apps देखें और संदिग्ध ऐप्स की एडमिन परमिशन हटाएं। Battery/Data Usage को चेक करें। अधिक खपत वाले ऐप्स संदिग्ध हो सकते हैं। Play Protect Scan चलाएं (Google Play Store, Play Protect)।
- Unknown Sources बंद करें और केवल भरोसेमंद ऐप्स से इंस्टॉल करें। संदिग्ध APK तुरंत हटाएं।

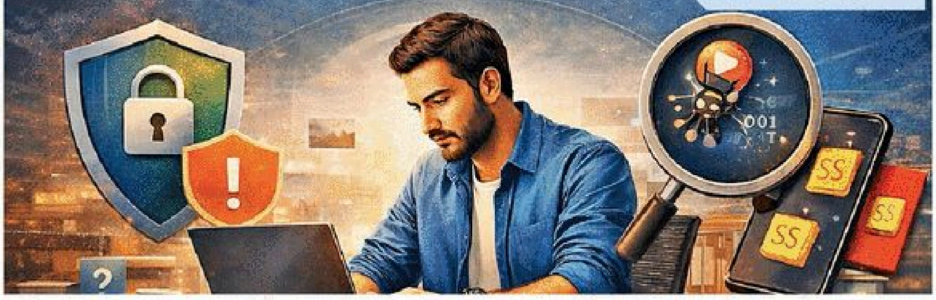

'डेयरी कॉलोनियों को रीलोकेट होना होगा'

HC ने MCD से स्टेटस रिपोर्ट और डूसिब से हलफनामा दायर करने को कहा

Prachi.Yadav
@timesofindia.com

■ **नई दिल्ली:** राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद सभी डेयरी कॉलोनियों को रीलोकेट करने पर जोर देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एमसीडी से कहा कि वह स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, जिसमें संबंधित नीति के तहत शिफ्टिंग के लिए तय की जाने वाली शर्तों के बारे में बताया जाए। रिपोर्ट में निगम को यह भी बताना है कि यहां कितनी लाइसेंस धारी डेयरियां हैं और कितनी अनधिकृत।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने इसी तरह की जानकारी के साथ दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) को भी छह हफ्तों के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। कोर्ट डेयरियों की स्थिति से जुड़ी सुनैना सिब्बल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पूर्व में कोर्ट कमिश्नर ने हाई कोर्ट को बताया था कि सभी नौ डेजिग्नेटेड डेयरी कॉलोनियों की हालत खराब पाई गई, जिनमें काकरोला डेयरी, गोएला डेयरी, नंगली शकरावती डेयरी, झड़ौदा डेयरी, भलस्वा डेयरी, गाजीपुर डेयरी, शाहबाद दौलतपुर डेयरी, मदनपुर खादर डेयरी और मसूदपुर डेयरी शामिल हैं। कोर्ट ने गौर किया था कि कुछ डेयरी कॉलोनियां में बड़े पैमाने पर निर्माण के साथ उनका शहरीकरण हो गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि इन कॉलोनियों में कोई चारागाह नहीं है और डेयरी प्लॉट आवंटियों द्वारा मवेशियों को क्रूर परिस्थितियों में बांध कर रखा जाता है।

> MCD को बताना है कि यहां कितनी लाइसेंस धारी डेयरियां

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद एक भी डेयरी कॉलोनी को रीलोकेट नहीं किया गया है। जवाब में एमसीडी के स्थायी वकील मनु चतुर्वेदी ने दावा किया कि आदेश के मुताबिक डेयरी कॉलोनियों को शहर के बाहरी इलाकों में रीलोकेट किया जाना था और ऐसा करने के लिए दूसरे राज्यों को भी इसमें शामिल करना होगा। वकील ने कहा, इसलिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लैंडफिल साइट के पास बसी गाजीपुर और भलस्वा डेयरी को गोएला डेयरी में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। उन्होंने दावा किया कि चूंकि इन इलाकों बड़े पैमाने पर गोबर जमा होता है, इसलिए गोएला डेयरी में बायोगैस प्लांट लगाया जा चुका। अन्य व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं। फिलहाल शिफ्टिंग की शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिस पर चार हफ्तों के भीतर फैसला लेने को कोर्ट ने निर्देश दिया।

भलस्वा डेयरी मालिकों की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें शिफ्टिंग में कोई आपत्ति नहीं है। डेयरी मालिकों के पुनर्वास से जुड़ी मांग पर कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को सोच-विचार कर इस पर फैसला लेना चाहिए। साथ में उसने यह भी साफ किया कि डेयरी कॉलोनियों को रीलोकेट तो होना पड़ेगा।

MCD पार्क का जिम एरिया बना तबेला

आया नगर के पार्क में लोग अपनी गाय-भैंस बांध रहे, चरने भी छोड़ देते हैं

■ **NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली:** आया नगर स्थित एमसीडी पार्क के जिम एरिया को स्थानीय लोगों ने तबेला बना दिया है। जिम एरिया के वॉकिंग ट्रैक पर कोई भैंस बांध रहा है तो किसी ने गाय बांध रखी है। स्थानीय लोग अपनी गाय-भैंसों को भी इस पार्क में घास चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, जिससे पार्क में आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों की शिकायत है कि पार्क में खुले में घूमते इन पशुओं के चलते न तो वह वॉक कर पाते हैं और न ही पार्क में अंदर बैठ पाते हैं।

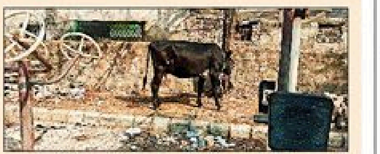

आया नगर संडे मार्केट के पास रहने वाले लोगों की शिकायत है कि आया नगर मेन रोड पर मार्केट के पास ही एमसीडी ने कुछ साल पहले एक पार्क डिवेलप किया था। इस पार्क में करीब 2 लाख रुपये खर्च कर हरी घासें लगाई गईं। जिम एरिया डिवेलप किया गया, जिसमें बच्चों के लिए झूले, जिम इक्विपमेंट और वॉकिंग ट्रैक बनाए गए थे। पार्क को डिवेलप करने में एमसीडी ने करीब 10-15 लाख रुपये खर्च किए थे, लेकिन कुछ दिनों में ही पार्क की हालत इतनी बदतर हो गई है कि लोग यहां जाते ही नहीं हैं।

नजफगढ़ में बनेंगे 5 STP, यमुना में जानेवाले पानी को ट्रीट करेंगे

Sudama.Yadav
@timesofindia.com

AI image

■ **नई दिल्ली :** नॉर्थ और नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली की कॉलोनियों से यमुना में जाने वाले गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) कंस्ट्रक्शन प्लान के बाद सरकार ने अब साउथ-वेस्ट दिल्ली के नजफगढ़ एरिया के लिए प्लान तैयार किया है। नजफगढ़ की सैकड़ों कॉलोनियों से मुंगेशपुर, नजफगढ़ और मुंडेला ड्रेन से होते हुए जो गंदा पानी यमुना में जाता है, उसे ट्रीट करने के लिए 5 एसटीपी का निर्माण किया जाएगा। मित्राऊ गांव के पास 17 एमजीडी कपैसिटी एक एसटीपी प्लांट बनाया जाएगा। दिचाऊ, खैर, कांगनहेड़ी और ककरौला में भी एसटीपी निर्माण का प्लान है। जल बोर्ड अफसरों के अनुसार, नजफगढ़ एरिया में कई गांव और इन गांवों के आसपास ही सैकड़ों अनधिकृत कॉलोनियां हैं। अर्बनाइज्ड गांवों और कॉलोनियों का गंदा पानी आसपास के ड्रेन से नजफगढ़ ड्रेन में जाता है। यही ड्रेन गंदे पानी को आगे यमुना में डिस्चार्ज करती है। नजफगढ़ ड्रेन से यमुना में रोजाना करीब 2000 एमएलडी से अधिक गंदा पानी जाता है, जो यमुना में रोजाना जाने वाले गंदे पानी का करीब 65 से 67 प्रतिशत है। जल बोर्ड अफसरों का कहना है कि अगर नजफगढ़ ड्रेन में 100 प्रतिशत ट्रीटेड वॉटर ही जाता है, तो यमुना की आधी गंदगी दूर हो जाएगी।

दो एसपीएस बनाए जाएंगे

मुंडेला खुर्द, मुंडेला कलां, खैर, मित्राऊ, सुरखपुर, सीआरपीएफ कॉलोनी, विनोबा एन्क्लेव, दिचाऊ कलां, झटीकरा, हैबतपुर, प्रेम नगर, रोशनपुरा, ककरौला और कांगनहेड़ी, ये सभी गांव मुंगेशपुर, मुंडेला और नजफगढ़ ड्रेन से घिरे हैं। यहां गंदे पानी को एसटीपी तक पहुंचाने के लिए सीवेज पंपिंग स्टेशन (एसपीएस) बनाए जाएंगे।

कौन से एरिया होंगे कनेक्ट

मित्राऊ एसटीपी से गोपाल नगर, प्रेम नगर, रोशनपुरा और आराधना एन्क्लेव को कनेक्ट किया जाएगा। ककरौला एसटीपी से ताजपुर खुर्द और आसपास के कॉलोनियों को कनेक्ट किया जाएगा। कांगनहेड़ी एसटीपी से बाकूरगढ़, नानकहेड़ी और कांगनहेड़ी गांव को कनेक्ट किया जाएगा। खैर एसटीपी से मुंडेला खुर्द, मुंडेला कलां को कनेक्ट किया जाएगा।

मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास नाला बना खतरा

10 फुट गहरे नाले में लगे स्लैब कई जगह से टूटे

यहां तीन नाले एक साथ बह रहे, इनके ऊपर बने स्लैब कई जगह से जर्जर

■ राजेश पोद्दार, जहांगीरपुरी

NBT ऑन स्पॉट

NBT रीडर नरेश कुमार ने जहांगीरपुरी इलाके में मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास के जर्जर नाले की फोटो भेजी है। उन्होंने बताया कि यहां ट्रिपल लाइन नाला है। यानी तीन नाले एक साथ बह रहे हैं। इन तीनों नालों के ऊपर बने स्लैब कई जगह से जर्जर होकर टूट चुके हैं। PWD का यह नाला जहांगीरपुरी रोड से मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते पर है। जिसकी चौड़ाई 20 फुट से अधिक बताई जाती है। नाले की गहराई 10 फुट से ज्यादा है। शिकायत मिलने के बाद NBT की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। नाले की हालत बेहद खराब और खतरनाक नजर आई। यह लंबा-चौड़ा नाला मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास से साफ दिखाई देता है। आजादपुर से बिजनेस पार्क मेट्रो स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क के ठीक नीचे से यह नाला गुजरता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई साल से इसकी मरम्मत नहीं हुई है, जिस कारण ऊपर बने स्लैब कमजोर होकर टूट चुके हैं की स्थिति में हैं।

उत्तम नगर और वेस्ट पटेल नगर की समस्या

पब्लिक का सवाल

मैं उत्तम नगर के मोहन गार्डन में रहता हूं। यहां की सड़कें से टूटी हैं और सीवर खुले पड़े हैं। ये समस्याएं कब खत्म होंगी? - *विकास पांचाल*

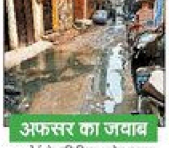

अफसर का जवाब

जल बोर्ड के इंजिनियर मनोज कुमार के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर को इस काम लिए बोला गया है। जैसे ही मशीनें उपलब्ध होंगी, गलियों में सीवर जाम को खोलने का काम शुरू किया जाएगा।

पब्लिक का सवाल

मैं वेस्ट पटेल नगर के ई ब्लॉक में रहता हूं। मेरे घर के सामने पिछले दो साल से गंदा पानी जमा है। यह दिक्कत कब तक रहेगी? - *NBT रीडर*

अफसर का जवाब

जल बोर्ड के इंजिनियर दीपक के अनुसार सीवर सफाई करने वाली कुछ मशीनों का दूसरे क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक-दो दिन में सीवर जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा।

पब्लिक की आवाज NBT करेगा बुलंद

नालों-गड्ढों में गिरना हमारी नियति नहीं है

NBT जवाब हम लेंगे

ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां लोग खुले नालों में गिर गए, बाइक सवार गड्ढों में फिसल गए। युवराज की तरह कुछ मामलों में जान चली गई, कभी लोग बाल बाल बचे। हर बार कुछ दिनों की खबरें बनती हैं, जांच के आदेश होते हैं और फिर सब कुछ वैसा ही रह जाता है।

अब नवभारत टाइम्स पूछेगा

सीधे जिम्मेदार अफसरों से कि कब तक वे इन गड्ढों और नालों को भरेंगे। या यहां पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम करेंगे। नवभारत टाइम्स शुरू कर रहा है एक अभियान, ताकि इन खामोश जानलेवा जगहों पर रोशनी डाली जा सके।

ऐसे भेजें...

हमें ईमेल कर सकते हैं
nbtreader@timesofindia.com

वट्सऐप कर सकते हैं
9220747220

सब्जेक्ट में लिखें GADDHA

हम क्या करेंगे?

- आपकी भेजी तस्वीर हम अखबार और डिजिटल प्लैटफॉर्म पर प्रकाशित करेंगे।
- संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों से सीधा सवाल पूछेंगे।
- उनसे पूछेंगे: यह कब ठीक होगा?

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 15-02-2026 Zone: MahanagarBook2 Edition: 1 Page: PP2NBMA3 User: cci Time: 02-14-2026 14:02 Color:

बीड-वर्क ब्लाउज एथनिक फैशन का नया ग्लैमर

सरोज धूलिया

एथनिक लुक को मॉडर्न ट्विस्ट देने के लिए बीड-वर्क ब्लाउज महिलाओं को खूब भा रहे हैं। सेलिब्रिटी स्टाइल से लेकर फैशन रैंप तक इनकी चमक साफ नजर आ रही है। स्टोन, क्रिस्टल और माइक्रो बीड्स की बारीक कारीगरी ट्रडिशनल ड्रेस को रॉयल और मॉडर्न टच देती है। यही वजह है कि शादी, पार्टी और फेस्टिव सीजन में बीड वर्क ब्लाउज स्टाइल और एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनकर तेजी से पॉपुलर हो रहा है।

ट्रडिशनल में ग्लैमरस टच

बीड वर्क वाले ब्लाउज हर फैब्रिक और स्टाइल में अपनी खास चमक बिखेरते हैं। फैशन एक्सपर्ट अनुजा नंबूदियार के मुताबिक, 'मनका कढ़ाई यानी बीड वर्क में रेशमी, नेट या जॉर्जेट जैसे कपड़ों पर सीड बीड्स, मोती या कोरल को सुई-धागे या आरी वर्क की मदद से खूबसूरती से सजाया जाता है। ये ब्लाउज फ्लोरल, मोटिफ्स और बॉर्डर जैसे पारंपरिक व मॉडर्न डिजाइनों में मिलते हैं। खासकर सिल्क साड़ी और लहंगे के साथ ये रॉयल और स्टाइलिश लुक देते हैं। आजकल पार्टियों और शादियों में महिलाएं इसे खूब कैरी कर रही हैं।'

डिजाइनर आयुषी सिंह कहती हैं, 'सही फिटिंग और संतुलित बीड वर्क ब्लाउज के लुक को निखारता है। हल्के रंगों में छोटी बीडिंग दिन के फंक्शन के लिए बेहतर रहती है, जबकि डार्क टोन में हैवी वर्क इवनिंग लुक को खास बनाता है। सही एक्सेसरीज और मेकअप के साथ यह स्टाइल और भी आकर्षक दिखता है।'

सेलिब्रिटी से है प्रेरित

देसी साड़ी-ब्लाउज ट्रेंड में कई सेलिब्रिटीज बीडेड और एंबेलिश्ड ब्लाउज को खास मौकों पर स्टाइल स्टेटमेंट बना रही हैं। जाह्नवी कपूर ने जहां एक मौके पर पर्ल स्ट्रिंग और चार्बेंट बीडेड ब्लाउज से अपने ट्रडिशनल लुक में ग्लैमरस टच जोड़ा, वहीं खुशी कपूर, भूमि पेडनेकर, दिशा पाटनी, करीना कपूर खान और आलिया भट्ट भी हैवी एंबेलिश्ड ब्लाउज के साथ रेड कार्पेट और दूसरे कई इवेंट्स में नजर आ चुकी हैं।

> बीड वर्क ब्लाउज में मोतियों की बारीक कारीगरी इसे रिच और एलीगेंट लुक देती है। ये आपके पार्टी और फेस्टिव लुक को खास बना देती है। -आयुषी, डिजाइनर

खुशी कपूर

हॉल्टर-नेक हाई कट, ब्लैक वेलवेट शाइन फैब्रिक और हैवी एम्बेलिशमेंट इसे ग्लैमरस और रॉयल लुक देते हैं। क्रिस्टल व ड्रॉप बीड डिटेलिंग, ड्रामेटिक इफेक्ट जोड़ती है, इसलिए जूलरी मिनिमल रखना बेहतर होता है।

स्टाइल टिप्स

- बीड वर्क ब्लाउज भारी होते हैं, इसलिए फिटिंग और लाइनिंग पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी है।
- इसके साथ साड़ी या लहंगा हल्का रखें, ताकि ब्लाउज उभरकर दिखे।
- जूलरी में बैलेंस बनाकर चलें। स्टेटमेंट नेकलेस या हल्की झुमके ही पर्याप्त हैं। नहीं तो लुक ओवरलोड हो सकता है।
- मेकअप को सिंपल रखें, ताकि ब्लाउज की डिटेलिंग और ग्लैमरस पर फोकस बना रहे।

दिशा पाटनी

इसमें मल्टी-कलर माइक्रो बीड वर्क है। जाली (नेट) पैटर्न में बीड्स को लाइन और ब्रिड शेप में लगाया गया है। लाइट शिफॉन, जॉर्जेट या नेट साड़ी के साथ आप इसे कैरी कर सकती हैं।

जाह्नवी कपूर

गोल्डन टोन के डीप नेक ब्लाउज में बीड्स, सीक्विन व स्टोन का मिक्स वर्क इसे ग्लैमरस बनाता है, जो भारी लहंगा या बनारसी-कांजीवरम साड़ी के साथ खास आकर्षक लगता है।

फिर से ट्रेंड में हसली की असली चमक

पुरानी हसली, नया फैशन ट्रेंड

सरोज धूलिया

गले पर हसली पहनने का ट्रेंड आजकल फैशन में फिर से चर्चा में है। यह ट्रडिशनल जूलरी पीस मॉडर्न स्टाइल के साथ एक बार फिर खूब पसंद किया जा रहा है।

हसली का ग्लैम लुक

हसली एक टाइट-फिटिंग चोकर-स्टाइल नेकलेस है, जो कॉलर बोन के पास फिट बैठता है। आमतौर पर सोना, चांदी या मेटल के ठोस गोल आकार में बनता है। राजस्थान और ट्राइबल जूलरी में इसे खासतौर पर पसंद किया जाता रहा है। डिजाइनर तुषा कपूर बताती हैं कि हसली को बोट नेक, डीप V-नेक, स्वीटहार्ट नेक या कॉलर वाले ब्लाउज के साथ कैरी करना सबसे अच्छा है, क्योंकि ये नेकलाइन जूलरी को हाइलाइट करती हैं।

फेस्टिव और पार्टी वियर के साथ की जा रही है कैरी

ट्रडिशनल जूलरी का अहम हिस्सा रही हसली फैशन में जोरदार कमबैक कर रही है। गले से सटी इसकी चोकर-स्टाइल डिजाइन साड़ी-लहंगे के साथ तो जंचती ही है, अब वेस्टर्न आउटफिट्स पर भी खूब स्टाइल की जा रही है। सॉलिड मेटल डिजाइन और मिनिमल एलिगेंस के कारण यह स्टेटमेंट जूलरी बन गई है। खासकर फेस्टिव और पार्टी वियर में इसका क्रेज तेजी से बढ़ा है। एक्सेसरीज डिजाइनर संतोष कुमार के मुताबिक, 'एथनिक फैशन की वापसी से ट्रडिशनल जूलरी के प्रति दिलचस्पी बढ़ी है, इसलिए हसली फिर ट्रेंड में है। हसली की खास बात है कि इसका गोल और सॉलिड डिजाइन जहां गले को भरा-भरा व आकर्षक दिखाता है, वहीं आपके लुक को क्लासिक व रॉयल टच देता है। यही वजह है कि सेलिब्रिटीज और फैशन इन्फ्लुएंसर्स भी इसे खूब कैरी कर रहे हैं।'

लेटेस्ट ट्रेंड्स

- राजपूती और राजवाड़ी डिजाइन्स: कुंदन और मीनाकारी के साथ
- मिनिमलिस्टिक लुक: हल्की-मॉडर्न डिजाइन
- स्टेटमेंट पीसेज: बोल्ड सिल्वर हसली, फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट

बबल से नाखूनों को दें खूबसूरत शाइनिंग

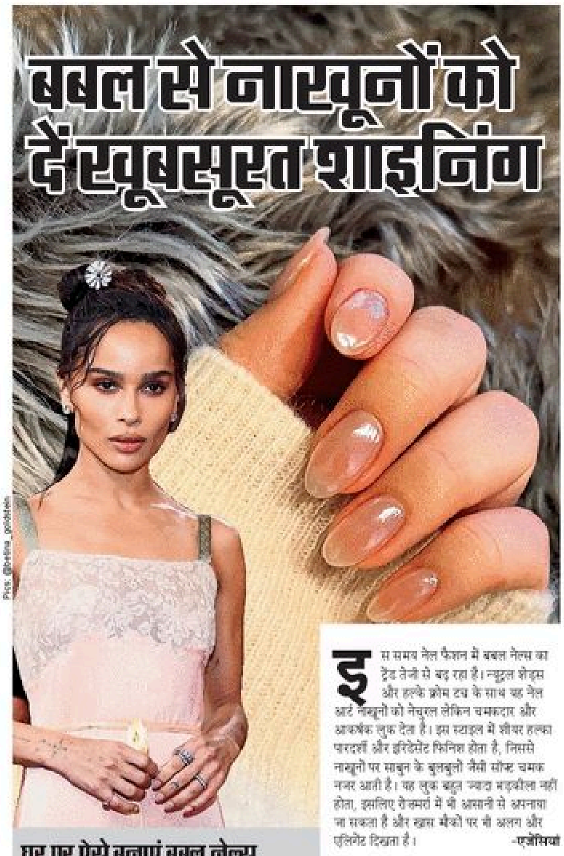

Pics: @bellina_goldstein

इस समय नेल फैशन में बबल नेल्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। न्यूट्रल शेड्स और हल्के क्रोम टच के साथ यह नेल आर्ट नाखूनों को नेचुरल लेकिन चमकदार और आकर्षक लुक देता है। इस स्टाइल में शीयर हल्का पारदर्शी और इरिडेसेंट फिनिश होता है, जिससे नाखूनों पर साबुन के बुलबुलों जैसी सॉफ्ट चमक नजर आती है। यह लुक बहुत ज्यादा भड़कीला नहीं होता, इसलिए रोजमर्रा में भी आसानी से अपनाया जा सकता है और खास मौकों पर भी अलग और एलिगेंट दिखता है। -एजेंसियां

घर पर ऐसे बनाएं बबल नेल्स

ऐसे करें शुरुआत: सबसे पहले नाखूनों को अच्छी तरह साफ करें, मनचाही शेप दें और हल्का-सा बफ करें।

बेस लगाएं: अब हल्का मिल्की या पारदर्शी बेस कोट लगाएं, जैसे सॉफ्ट पिंक, पीच या न्यूड टोन।

हल्की चमक दें: बबल जैसा ग्लो पाने के लिए शीयर या हल्की चमक वाली पॉलिश की एक परत लगाएं।

क्रोम टच दें: थोड़ा-सा पर्ल या हल्का क्रोम पाउडर लगाएं, जिससे नाखूनों पर ड्यूई और मिरर-सॉफ्ट फिनिश दिखे। इससे नाखून बेहद सुंदर नजर आएंगे।

टॉप कोट लगाएं: अब हाई-ग्लॉस टॉप कोट से नाखूनों को सील करें, ताकि चमक बनी रहे और बबल जैसा ग्लॉसी लुक आए।

क्लाउडी फ्रेंच नेल्स: सॉफ्ट और एलिगेंट का नया ट्रेंड

2026 में बबल नेल्स के क्लाउडी फ्रेंच नेल्स भी एक सॉफ्ट और एलिगेंट नेल ट्रेंड बनकर उभर रहे हैं। यह क्लासिक फ्रेंच मैनीक्योर का नया रूप है, जिसमें तेज सफेद टिप्स की जगह हल्के, धुंधले ऑफ-वाइट एज दिए जाते हैं। मिल्की-पिंक और क्रीमी वाइट नेल पॉलिश की लेयरिंग से नाखूनों पर बादलों जैसी सॉफ्ट और ट्रांसलूसेंट टिप बनती है। यह लुक नेचुरल, रिफाइंड और आरामदायक-महसूस होता है। खास मौकों के लिए अच्छा है।

20 20 WORLD CUP अल्टीमेट रोमांच

संजू सैमसन रन ढूंढ रहे है। उनका दिमाग उलझा हुआ है। टीम ने अभिषेक शर्मा की गैरमौजूदगी में उनका साथ दिया, लेकिन मुझे लगता है कि भारत अभिषेक शर्मा की वापसी की उम्मीद कर रहा होगा। - रविचंद्रन अश्विन, पूर्व क्रिकेटर

3 प्लेयर्स ने टी20 वर्ल्ड कप में 40 से अधिक मैच खेले हैं। ये हैं रोहित शर्मा (47), शाकिब अल हसन (43) और डेविड वॉर्नर (41)

फटाफट खबरें

शशि-क्लार्क से सामना

■ चेन्नै: निकी पूनाचा और पृथ्वी इसारो की शीर्ष वरीय जोड़ी ने चेन्नै ओपन एटीपी चैलेंजर के डबल्स फाइनल में जगह बनाई, जहां उनका सामना मुकुंद शशिकुमार और जे क्लार्क की गैरवरीय जोड़ी से होगा। पूनाचा-इसारो की जोड़ी ने प्रज्वल देव और नितिन कुमार सिन्हा की जोड़ी को 6-4, 6-1 से हराया। शशि-क्लार्क ने फेलिक्स गिल और एलेस्टेयर ग्रे पर 7-6, 4-6, 13-11 से जीत हासिल की।

ईसीबी ने आभार जताया

■ नई दिल्ली: इंग्लैंड ऐंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने बैटर नौरहा और जयपुर में आयोजित पांच मैचों की मिश्रित दिव्यांगता टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के सफल आयोजन के बाद भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद (डीसीसीआई) का आभार जताया है। इंग्लैंड ने सीरीज 4-1 से अपने नाम की।

लुंडुप 104वें पर रहे

■ टेरेसी: भारत के स्टैंजिन लुंडुप मिलानो कॉर्टिना विंटर ओलिंपिक्स में पुरुषों की 10 किमी फ्रीस्टाइल क्रॉस-कंट्री स्कीइंग स्पर्धा में 104वें स्थान पर रहे। लुंडुप का भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन विवादों में रहा। वह 28 मिनट 26.7 सेकंड का समय लेकर टैसेरो क्रॉस-कंट्री स्कीइंग स्टेडियम में रेस पूरी करने वाले 111 खिलाड़ियों में से 104वें स्थान पर रहे।

इगोर बने अंतरिम कोच

■ नई दिल्ली: इगोर ट्यूडर ने सीजन के अंत तक इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब टॉटेनहम हॉटस्पर का अंतरिम कोच बनने के लिए एग्रीमेंट किया है। क्लब ने इस हफ्ते की शुरुआत में थॉमस फ्रैंक को बर्खास्त किया था। टॉटेनहम ने तब ऐक्शन लिया जब वे रेलिगेशन जोन से सिर्फ पांच पॉइंट्स ऊपर थे।

बिहार से UAE जाकर पूरा किया टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का सपना

दबाव में धोनी को याद करते हैं सोहैब

UAE के बैटर सोहैब खान

■ एजेंसियां, नई दिल्ली: कनाडा के खिलाफ दबाव के क्षणों में 29 गेंद में 51 रन की पारी खेल कर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में जीत दिलाने वाले सोहैब खान ने कहा कि वह टारगेट का पीछा करते समय भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे थे। बिहार के गया से ताल्लुक रखने वाले सोहैब ने मैच के बाद कहा, 'जब मैं क्रीज पर आया तो स्थिति काफी मुश्किल थी उस समय 12 रन प्रति ओवर से अधिक की जरूरत थी। मैंने अपने तरीके से बैटिंग का समर्थन किया।' कनाडा ने सात विकेट पर 150 रन बनाने के बाद 13वें ओवर में 66 रन तक UAE के छह विकेट ले लिए थे। सोहैब ने ओपनर आर्यांश शर्मा (53 गेंद में 73*) के साथ 43 गेंद में 84 रन की साझेदारी टीम को जीत दिला दी।

याद किया उनका मंत्र: सोहैब ने लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में आखिरी ओवरों के एक्सपर्ट बैटर माने जाने वाले धोनी का जिक्र करते हुए कहा, 'हमें 12-13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने थे। एक बार महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि जब आप पिच पर होते हैं और दबाव बढ़ रहा होता है तो बस धैर्य और संयम बनाए रखें और मैंने भी यही किया।' सोहैब 27 साल के हैं और मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं।

जामिया से हुई शुरुआत: दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से अपना पेशेवर क्रिकेट शुरू करने वाले इस दाएं हाथ के बैटर ने कहा, 'मैंने अपना बचपन बिहार के गया में बिताया है। मैंने अपना पेशेवर क्रिकेट जामिया मिलिया इस्लामिया से शुरू किया था। मैंने 2014 से तीन-चार साल के लिए नॉर्थ जोन के क्रिकेट में जामिया का प्रतिनिधित्व किया है।' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे वहां मौके नहीं मिल पा रहे थे तो मुझे लगा कि एक मौका लेना चाहिए। मैंने पेशेवर क्रिकेट खेलना काफी देर से शुरू किया था। मैं कोविड-19 महामारी के समय साल 2021 में UAE गया था।'

नौकरी के लिए गए विदेश: UAE में वित्तीय सलाहकार के तौर पर काम करने वाले इस युवा बैटर ने कहा, 'मैं वहां एक कंपनी में वित्तीय सलाहकार के तौर पर काम करता हूं। जैसा कि UAE में होता है, हम आमतौर पर दिन में अपनी नौकरी करते हैं और शाम में क्रिकेट का अभ्यास करते हैं। पिछले चार-पांच महीने से लगातार क्रिकेट खेल रहा हूं।' सोहैब ने बताया, 'मेरे माता-पिता, मेरी पत्नी और मेरी बेटी यहां मौजूद थे तो मैंने सोचा कि पिछले कुछ वर्षों में जितना भी संघर्ष किया है, मेरे लिए उसे सही साबित करने का यही मौका है।'

साथी जुनैद की सराहना: सोहैब ने मैच में पांच विकेट लेने वाले अनुभवी जुनैद सिद्दीकी की तारीफ करते हुए कहा, 'जुनैद हमारे सीनियर बॉलर हैं और उनके पास किसी भी विकेट पर अच्छी बोलिंग करने का माद्दा है। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने इस मैच में पांच विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई।' प्लेयर ऑफ द मैच जुनैद ने कहा कि इस पिच पर धीमी गेंद करने की उनकी योजना कारगर रही। उन्होंने कहा, 'जब मैं बोलिंग के लिए आया मैं बल्लेबाजों के लिए मुश्किल लाइन लेंथ पर गेंद डाल रहा था। मैंने महसूस किया इस पिच पर धीमी गेंद कारगर होगी और फिर मैंने उसी योजना पर काम किया।'

कोच राजपूत को श्रेय

उन्होंने अपने खेल में आए सुधार का श्रेय कोच लालचंद राजपूत को देते हुए कहा कि यह उनका समर्थन ही था कि हाल ही में पदार्पण करने के बावजूद मुझे वर्ल्ड कप में मौका मिला। उन्होंने कहा, 'मैं अपने कोच लालचंद राजपूत को श्रेय देना चाहूंगा। जब मैं बैटिंग के लिए जा रहा था तो उन्होंने कहा कि अपना समय लेना और तुम इसे कर सकते हो। मैंने हाल ही में पदार्पण किया है। ऐसे में मेरे पर भरोसा दिखाना काफी कुछ कहता है।' पिछले साल नवंबर में पदार्पण करने वाले सोहैब का यह चौथा टी20 इंटरनैशनल है।

20 पारियों में 7 फिफ्टी ठोक चुके हैं साईतेजा

■ एजेंसियां, चेन्नै: अमेरिका के इक्कीस साल के बल्लेबाज साईतेजा मुक्कमल्ला ने नीदरलैंड्स के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 21वें मुकाबले में 79 रन की जोरदार पारी खेली। इसी के साथ वह अमेरिका की तरफ से टी20I में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने के मामले में संयुक्त रूप से 'नंबर-1' बन गए हैं। साईतेजा ने अब तक 20 पारियों में 7 बार यह कारनामा किया है। इस मामले में उन्होंने टीम के कप्तान मोनांक पटेल की बराबरी कर ली है, जिन्होंने 39 पारियों में 7 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं, एंड्रीज गौस 26 पारियों में 6 अर्धशतकों के साथ दूसरे पायदान पर हैं, जबकि 29 पारियों में 5 अर्धशतक लगा चुके स्टीवन टेलर लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

शुक्रवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में हुए मुकाबले में यूएसए की टीम ने 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए। साईतेजा ने 51 गेंदों में 4 छक्कों और 5 चौकों के साथ 79 रन बनाए।

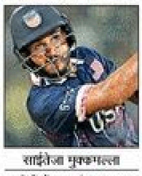
साईतेजा मुक्कमल्ला

चिन्नास्वामी के दो स्टैंड द्रविड़, कुंबले के नाम

■ एजेंसियां, बेंगलुरु: कर्नाटक स्टेट क्रिकेट असोसिएशन (KSCA) ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दो स्टैंड का नाम राज्य के दो बड़े क्रिकेटरों राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले के नाम पर रखने का फैसला किया है। यह फैसला KSCA के नवनियुक्त अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद ने लिया है जो द्रविड़ और कुंबले के साथ टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं।

भावुक हुए द्रविड़: चिन्नास्वामी में अपने नाम पर स्टैंड का नाम रखे जाने के बाद राहुल शुक्रिया व्यक्त करते हुए काफी भावुक दिखे। उन्होंने कहा, "करियर के शुरुआती दिनों में यह मैदान मेरे लिए दूसरे घर जैसा था। मैं घर से ज्यादा समय यहां बिताता था।' द्रविड़ ने कहा, 'मैं आज जो कुछ भी हूं उसमें इस जगह का सबसे बड़ा योगदान है। इस ग्राउंड ने मेरी जिंदगी में जो कुछ भी दिया है उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।' द्रविड़ ने अपने बचपन को याद करते हुए बताया कि कैसे पिता के साथ ग्राउंड पर जाने से क्रिकेट के साथ उनका जिंदगी भर का रिश्ता बना।

चिन्नास्वामी स्टेडियम के 50 साल पूरे होने पर हुए कार्यक्रम में राहुल द्रविड़ (बाएं) और अनिल कुंबले

कनाडा को मौके चाहिए, सहानुभूति नहीं: बाजवा

■ पीटीआई, नई दिल्ली: कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके जैसे सहयोगी देश क्रिकेट जगत से सहानुभूति नहीं मांग रहे, बल्कि फ्रैंचाइजी लीगों के माध्यम से लगातार प्रदर्शन और मजबूत द्विपक्षीय समर्थन चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूर्ण सदस्य टीमों के साथ हमारा गैप मुख्य रूप से हमें मिल रहे कम अवसरों के कारण है, ना कि प्रतिभाओं की कमी के कारण। बाजवा ने कनाडा में फ्रैंचाइजी क्रिकेट के उदय को उन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया, जिन्हें अन्यथा लगातार मैच अभ्यास के लिए संघर्ष करना पड़ता है, खासकर लंबी सर्दियों के दौरान।

दूसरी ओर, कनाडा के ऑलराउंडर दिलन हेइलिगर ने यूएई के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में टीम के पांच विकेट से हार के बाद कहा कि उनके गेंदबाज आखिरी ओवरों में बल्लेबाजों पर दबाव नहीं रख पाए।

वर्ल्ड कप रिऐक्शंस

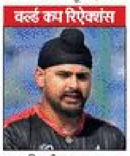
दिलप्रीत बाजवा

World Cup Special Reel

इटली की जीत में चमकी 'ब्रदर्स ब्रिगेड'

टी20 वर्ल्ड कप में इटली की ऐतिहासिक जीत सिर्फ योजना और कौशल का नतीजा नहीं थी, इसके पीछे एक अनोखी ताकत भी काम कर रही थी-फैमिली फोर्स। इटली की ओपनिंग जोड़ी, एंथनी मोस्का और जस्टिन मोस्का, ने 50+ रन की अहम साझेदारी की। दिलचस्प है कि इटली सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो भाई-जोड़ियों के साथ मैदान में उतरा। मोस्का ब्रदर्स के अलावा हैरी मैनेंटी और बेन मैनेंटी भी इस बार इटली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मोस्का और मैनेंटी भाइयों को मिलाकर, अब तक कुल आठ भाई-जोड़ियां टी20 वर्ल्ड कप में साथ खेल चुकी हैं। एक नजर डालते हैं टी20 वर्ल्ड कप में अब तक उतरी 'ब्रदरहुड ब्रिगेड' पर:

1. ओबुया ब्रदर्स
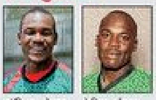
कॉलिंस ओबुया डेविड ओबुया
देश: केन्या, एडिशन: 2007

2. हसी ब्रदर्स

माइकल हसी डेविड हसी
देश: ऑस्ट्रेलिया, एडिशन: 2009, 10

3. पठान ब्रदर्स

इरफान पठान यूसुफ पठान
देश: भारत, एडिशन: 2009

4. ओ'ब्रायन ब्रदर्स

केविन ओ'ब्रायन नील ओ'ब्रायन
देश: आयरलैंड, एडिशन: 2009, 12

5. अकमल ब्रदर्स

कामरान अकमल उमर अकमल
देश: पाकिस्तान, एडिशन: 2010, 14

6. कूपर ब्रदर्स

टॉम कूपर बेन कूपर
देश: नीदरलैंड्स, एडिशन: 2014

7. मोस्का ब्रदर्स

एंथनी मोस्का जस्टिन मोस्का
देश: इटली, एडिशन: 2026

8. मैनेंटी ब्रदर्स

हैरी मैनेंटी बेन मैनेंटी
देश: इटली, एडिशन: 2026

मेरी कॉलोनी मेरा शहर

हमें कई इलाकों से सैकड़ों लोग अपने क्षेत्र की समस्याएं रोजाना भेज रहे हैं। उनमें से कुछ हम पब्लिश कर रहे हैं।

पार्क में फेंका जा रहा है कूड़ा

सुल्तानपुरी के पी-4 का ये पार्क कूड़े के ढेर में बदल रहा है यहां कुछ लोग चोरी छिपे कूड़ा फेंकते हैं, जिसकी वजह से यहां बहुत ज्यादा गंदगी और बदबू फैली हुई है।
-प्रमिला सिंह, हरि एनक्लेव सुल्तानपुरी

बदहाल सड़क, हादसे का डर

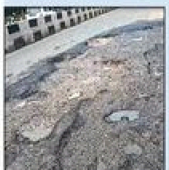

कालीदास मार्ग, गुलाब बाग की इस सड़क का हाल काफी खराब हो गया है। आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं। ज्यादातर परेशानी टूवीलर वालों को होती है। कई बार लोग चोटिल भी हो चुके हैं। संबंधित विभाग इस पर ध्यान दे, जिससे राहत मिले।
-अर्चना, गुलाब बाग

कई साल से सीवर ओवरफ्लो

पटेल नगर के जे ब्लॉक में लंबे समय से सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। लोगों को रोजाना इसी से होकर निकलना पड़ता है। गंदे पानी की बदबू से बुरा हाल है। बंद पड़ी सीवर लाइन की काफी समय से सफाई नहीं हुई है। कई बार शिकायत दी पर कुछ हुआ नहीं। -अनीता उप्रेती, पटेल नगर

डिस्ट्रिक्ट पार्क की हालत है खराब

द्वारका फेज-2 के सेक्टर 15 में मौजूद डिस्ट्रिक्ट पार्क में काफी गंदगी फैली हुई है। सफाई के लिए यहां दो डस्टबिन रखे गए हैं। साथ ही यहां पर लगी बेंच भी टूट गई है, जिससे बुजुर्गों को दिक्कत होती है।
-योजराज, धूपर द्वारका मोड़

अपने फोटो और विडियो इस वट्सऐप नंबर 9220747220 पर भेज सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करें। मेसेज में अपना नाम जरूर लिखें।

नरेला: शास्त्री मार्केट का एमसीडी पार्क बदहाल

■ NBT रिपोर्ट, नरेला

नरेला के शास्त्री मार्केट स्थित एमसीडी का पार्क पिछले कई महीनों से बदहाल स्थिति में है। पार्क की बाउंड्री वॉल जगह-जगह से टूटी हुई है। एमसीडी की ओर से मरम्मत न होने के कारण अस्थायी रूप से बांस और रस्सियों का सहारा लेकर पार्क को घेरने की कोशिश की जा रही है।

लोगों ने बताया कि पार्क की मरम्मत को लेकर कई बार प्रशासन को शिकायत भेजी गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पार्क में हर वक्त आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है।

पार्क में घूमने आए लोगों ने बताया कि परिसर में चारों तरफ गंदगी का अंबार है। सुबह एवं शाम को टहलने आने वाले लोगों को दुर्गंध और गंदगी की वजह से कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। पार्क के पास हनुमान मंदिर और बस स्टैंड भी है, जिसके कारण बड़ी संख्या में यात्री भी पार्क में बैठते हैं। ऐसे में पार्क की मेंटिनेंस जरूरी हो जाती है, लेकिन महीनों से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। पार्क में घूमने आए मुकेश ने बताया कि कुछ समय पहले नए झूले लगाए गए थे, लेकिन बाउंड्री वॉल टूटने की वजह से उनके भी खराब होने का खतरा है। बच्चे भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं।

कई महीने से यही है हालात, दीवार भी टूटी है

शकरपुर : सफाई नहीं होने से नालियां जाम

■ NBT रिपोर्ट, शकरपुर

MCD सफाई कर्मचारियों का शकरपुर क्षेत्र में नियमित सफाई नहीं होने की शिकायत बढ़ती जा रही है। प्रभावित लोगों ने बताया कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण नालियां लंबे समय से ओवरफ्लो हो रही हैं। इससे लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

एनबीटी सुरक्षा कवच ग्रुप शकरपुर से जुड़े नरेश कुमार गोला ने बताया कि W2 और H ब्लॉक की गलियों में गंदा पानी भरा रहता है। नालियों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण कचरा कई जगह जमा हुआ है। सफाई कर्मचारियों से शिकायत करने के बाद ये बताते हैं कि गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। नालियां जिस नाले से जुड़ी है उसकी सफाई नहीं हुई है। इस कारण पानी का बहाव नहीं हो पा रहा है। लोगों ने बताया कि इस बारे में कई बार MCD के लोकल ऑफिस में शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन समस्या को दूर नहीं किया गया है। संबंधित विभाग के अधिकारी बहानेबाजी कर रहे हैं।

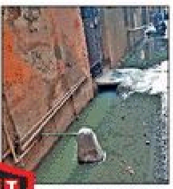

NBT सुरक्षा कवच — मिलकर बनाएं दिल्ली को ज्यादा सेफ

बवाना में अतिक्रमण की वजह से लगता है जाम

■ NBT रिपोर्ट, बवाना

बवाना चौराहे पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित ट्रैफिक के कारण लोगों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बवाना चौक पर हर समय ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन इसे लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। करीब एक साल पहले सरकार ने यहां पर एलिवेटेड रोड बनाने की पेशकश की थी, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और वह प्रोजेक्ट रुक गया। वहीं दूसरी तरफ लोगों को अब भी जाम से राहत नहीं मिल रहा है।

बवाना चौक से तीन प्रमुख रास्ते निकलते हैं। पहली रोड बवाना को नरेला से जोड़ती है, दूसरी कुतुबगढ़ और औचंदी बॉर्डर की ओर जाती है, जबकि तीसरा रास्ता पेहरा, कंझावला, रोहिणी और आजादपुर की दिशा में जाता है। लोगों के मुताबिक, तीनों दिशाओं से एक साथ ट्रैफिक आने पर चौराहा पूरी तरह जाम हो जाता है। यहां लगे ट्रैफिक सिग्नल का शायद ही कोई पालन करता है। हालात को और बिगाड़ने का काम सड़क पर खड़ी डीटीसी बसें और बड़ी संख्या में फैला रेहड़ी-पटरी का अतिक्रमण कर रहा है। रोहित कुमार ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ कभी-कभार दिखावटी कार्रवाई होती है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलता। पीक आवर्स में लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। यह जाम बवाना से होते हुए पूठ खुर्द स्थित महर्षि वाल्मीकि अस्पताल जाने वाले मरीजों के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। कई बार एंबुलेंस लंबे समय तक जाम में फंसी रहती है, जिससे दिक्कत होती है।

बवाना चौक से निकलते हैं तीन प्रमुख रास्ते

पुलिस स्टेशन के सामने ही बनी अवैध पार्किंग

■ NBT रिपोर्ट, यमुना विहार: भजनपुरा पुलिस स्टेशन रोड के बाईं तरफ की सड़क को लोगों ने अवैध रूप से अपनी कार खड़ी करने की अवैध पार्किंग बना रखी है। जहां 24 घंटों दर्जनों कार और कमर्शल वीकल खड़े रहते हैं। उनके पीछे लोग टॉयलेट करते हैं। इससे वहां से रिहायशी लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है।

यमुना विहार में रहने वाले एसपी बंसल ने बताया कि पुलिस स्टेशन के दोनों तरफ भारी अतिक्रमण है। पुलिस स्टेशन गेट के दोनों तरफ रेहड़ी पर सामान बेचने वाले खड़े रहते हैं। बगल की सड़क पर अवैध पार्किंग और स्टेशन की बाउंड्री को पेशाब घर बनाया हुआ है। इससे आने वाली तीखी बदबू और गंदगी के कारण संक्रमण रोग के प्रभाव में आने का खतरा बना रहता है। लोगों ने बताया कि सरकारी लोकर एजेंसी और पुलिस की मिलीभगत से यह अतिक्रमण कई साल से बना हुआ है। शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

कराला-मुंडका रोड पर अंधेरा

■ NBT रिपोर्ट, आउटर दिल्ली : कराला-मुंडका रोड पर रानीखेड़ा गांव से मुंडका अंडरपास तक सड़क पर फैला अंधेरा लोगों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बनी हुई है।

लोगों ने बताया कि करीब दो महीने पहले टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को शिकायत की गई थी लेकिन अब तक मरम्मत का कोई काम शुरू नहीं हुआ। मोहित कुमार ने बताया कि बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें और गड्ढों से भरी सड़कें लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी हैं। वहीं मुंडका अंडरपास से पहले DSIIDC की ओर जाने वाले मार्ग की हालत भी बेहद खराब है।

स्ट्रीट लाइटें हैं बंद, गड्ढों ने बढ़ाई दिक्कत

बाली नगर : गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान

■ NBT रिपोर्ट, बालीनगर

बाली नगर के एफ-ब्लॉक इलाके में पिछले कई दिनों से पीने का गंदा और बदबूदार पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है। लोगों का कहना है कि इस पानी का उपयोग यदि पीने, खाना बनाने या घरेलू कामों में किया जाए, तो इससे गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है।

कृष्णा त्यागी ने बताया कि नलों से आने वाला पानी न केवल मटमैला है, बल्कि उसमें तेज दुर्गंध भी आ रही है। लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर संबंधित विभाग को कई बार जानकारी दी गई, लेकिन अब तक विभाग की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

एफ ब्लॉक इलाके में है दिक्कत, की गई है शिकायत

छतरपुर : आंकड़े नहीं मिलने से नाले का रास्ता बनाने का काम अटका

■ राम त्रिपाठी, छतरपुर

असोला नाले के गंदे पानी की निकासी पिछले 20 साल से नहीं हो पा रही है। इस कारण हर मॉनसून में 3 फीट से अधिक पानी कई दिनों आसपास के इलाकों में भरा रहता है। अदालत के दिए निर्देश के बावजूद नाला की डिस्चार्ज मैनेजमेंट योजना कई साल से सरकारी फाइलों में अटकी हुई है।

5 किमी से अधिक लंबे इस नाले की निकासी नहीं होने के कारण असोला नाला से गांव फतेहपुर बेरी में आकर कई एकड़ खेती की जमीन पर फैला हुआ है। सरकारी कागजों में इस नाले की निकासी के रास्ते की कोई पहचान दर्ज नहीं है।

इसे लेकर हाई कोर्ट में अधिवक्ता की ओर से याचिका दायर की गई थी। अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने पानी की निकासी के लिए डिस्चार्ज मैनेजमेंट योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए थे।

हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करते हुए I&FC ने कोर्ट को बताया है कि नाले की निकासी का रास्ता बनाने के लिए करीब 12 एकड़ भूमि की जरूरत है। स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया है कि भूमि अधिग्रहण के लिए राजस्व विभाग से आंकड़े मांगे हैं। वह अभी तक नहीं मिले हैं। आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग (PWD) से अनुरोध किया गया कि वह असोला नाले को GNCT के मास्टर ड्रेनेज प्लान में शामिल करे। I&FC ने इस संबंध में संबंधित विभागों को कई बार पत्र भी लिखे हैं। मगर व्यवहार में कोई जवाब नहीं मिल रहा है।

राजस्व विभाग ने I&FC को नहीं दी जानकारी

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 15-02-2026 Zone: Mahanagar Edition: 2 Page: NBTMAHFP User: cci Time: 02-14-2026 23:37 Color:

नई दिल्ली > रविवार, 15 फरवरी 2026 > माघ 26, शक संवत 1947, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, विक्रम संवत 2082 WATCH GOD WATCHDOG वर्ष 22, संख्या 7 > पेज 32* > मूल्य ₹6.00 या ₹12.50* संडे टाइम्स ऑफ इंडिया सहित www.nbt.in
*मासिक खरीद पर ही लागू

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

NBT संडे नवभारत टाइम्स

एनबीटी में विज्ञापन देने के लिए 18001205474 पर कॉल करें। नवभारत टाइम्स का अंक प्राप्त करने के लिए 18001200004 पर कॉल करें या subscribe.timesofindia.com

आज के मैच

वेस्टइंडीज Vs नेपाल
मुंबई, दिन में 11 बजे से

यूएसए Vs नामीबिया
चेन्नै, दोपहर बाद 3 बजे से

इंडिया Vs पाकिस्तान
कोलंबो, शाम 7 बजे से

टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर

संडे स्पेशल

जस्ट जिंदगी — पेज 10
■ जूठा खाना-पीना सेहत के लिए नहीं अच्छा

स्पेशल स्टोरी — पेज 8
■ भगवान शिव से सीखें संतुलन बनाना

जेनरेशन वाइब्स — पेज 16
■ म्यूजिक की आड़ लेकर दूर हो रहे बच्चे

भारत VS पाक

क्रिकेट का महामुकाबला

सूर्यकुमार यादव

एक लंबे 'हां-ना' के ड्रामे के बाद आखिरकार 'महामुकाबले' के लिए मंच सज चुका है। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में होने जा रहे इस मुकाबले से पहले फैंस के जेहन में कई सवाल हैं, जिनपर आज रहेगी नजर। आइए जानते हैं:

हाथ मिलेंगे या नहीं, मिस्ट्री बोलर कौन? ये हैं 5 सवाल

1 भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पिछले साल एशिया के दौरान टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हैंडशेक नहीं किया था. सभी देखना चाहेंगे कि सूर्य इस बार क्या स्टैंड लेते हैं।

2 अजीब बोलिंग ऐक्शन यानी रुक-रुक गेंदबाजी की वजह से पाक स्पिनर उस्मान तारिक चर्चा में हैं। इस बात पर नजर है कि क्या भारतीय टीम मैच के दौरान उनके ऐक्शन को लेकर अंपायर्स से शिकायत करेंगे?

3 भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 2021 वर्ल्ड कप में पाक के खिलाफ डेब्यू किया था, तब फ्लॉप रहे थे। उस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग्स में 151वें स्थान पर रहे वरुण नंबर-1 बोलर हैं। इस बार उनका जादू चलेगा या नहीं इस पर लोगों की होंगी निगाहें।

4 दुनिया के नंबर-1 टी20 बैटर अभिषेक शर्मा पेट में संक्रमण के कारण पिछला मैच नहीं खेल पाए थे। भारतीय दुआ करेंगे कि अभिषेक फिट होकर आज मैदान पर उतरें।

5 प्रेमदासा की धीमी पिच पर भारत बोलिंग अटैक में बदलाव संग उतर सकता है। अक्षर और वरुण के साथ टीम तीसरे स्पिनर का दांव खेल सकता है। कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर में किसे मिलेगा मौका, इस पर नजर रहेगी।

पाक कप्तान सलमान आगा ने उस्मान तारिक को 'ट्रंप कार्ड' बताया

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली बोले- तारिक सिर्फ एक साधारण ऑफ-स्पिनर हैं

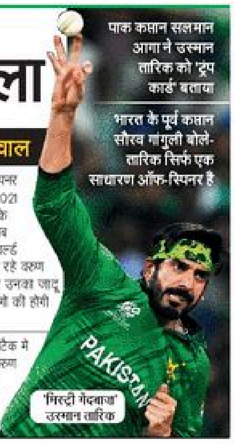

'मिस्ट्री गेंदबाज' उस्मान तारिक

आ रहा है ...

महाजाम वाला वीक...

AI समिट के बीच बोर्ड एग्जाम शुरू होने से स्टूडेंट्स टेंशन में, बंपर शादियां भी

रोज सुबह शाम सड़कों पर जाम से जूझने वाले दिल्ली के लोगों के लिए आने वाला हफ्ता कड़ी परीक्षा का है। बगैर प्लानिंग के सड़कों पर निकलना काफी दिक्कत भरा रहेगा। जगह-जगह जाम या डायवर्जन से जूझना पड़ेगा। कहां क्या दिक्कत आएगी, हम आपको बताते हैं:

AI समिट में दुनियाभर के राष्ट्राध्यक्ष

सोमवार से इंडिया AI इंपैक्ट समिट शुरू हो रही है। 16 से 20 फरवरी तक चलने वाली इस समिट को जी-20 से भी बड़ा इवेंट बताया जा रहा है। दुनियाभर के कई राष्ट्राध्यक्ष और हजारों विदेशी मेहमान दिल्ली आएंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के चलते ट्रैफिक पर असर पड़ेगा।

■ **ये है समिट के मुख्य वेन्यूज** समिट का मुख्य वेन्यू भारत मंडपम् है। इसके अलावा विज्ञान भवन और यशोभूमि में भी खास आयोजन होंगे। आखिरी 3 दिन VIP मूवमेंट रहेगा।

■ **यहां ठहरेंगे विदेशी मेहमान** समिट में आने वाले मेहमान एयरोसिटी, एसपी मार्ग, लोधी रोड, अशोक रोड, बाराखंभा रोड, जनपथ के होटलों में ठहरेंगे।

■ **राजघाट पर VIP मूवमेंट:** समिट के दौरान कई राष्ट्राध्यक्ष राजघाट भी जाएंगे, जिसके चलते वीआईपी मूवमेंट के समेत कई रास्तों पर ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होगा।

यहां घूमेंगे विदेशी मेहमान: समिट में आए कई विदेशी मेहमान घूमने के लिए लाल किला, जामा मस्जिद, हुमायूं टॉम्ब, कुतुब मीनार, दिल्ली हाट, बंगला साहिब, खान मार्केट जैसी जगहों पर भी जाएंगे। इसके लिए इन जगहों पर भी सुरक्षा बंदोबस्त किए जाएंगे।

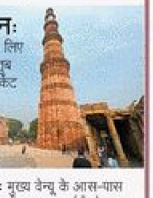

■ **सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके:** मुख्य वेन्यू के आस-पास मथुरा रोड, भगवानदास रोड, तिलक मार्ग, मंडी हाउस, आईटीओ, डीडीयू मार्ग, विकास मार्ग, प्रगति मैदान टनल रोड और एनएच-9 से राजघाट के बीच रिंग रोड पर ट्रैफिक सबसे ज्यादा प्रभावित होगा।

AI Image

CBSE एग्जाम भी
इसी हफ्ते CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। ऐसे में 17 से 20 फरवरी के बीच जिन स्टूडेंट्स के पेपर होंगे, उन्हें भी एग्जाम सेंटर आने-जाने में दिक्कत हो सकती है।

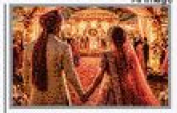

20 को बंपर शादियां
AI समिट के दौरान 19 तारीख से रमजान शुरू होने की उम्मीद है। वहीं, 20 को दिल्ली में बंपर शादियां हैं। इसके चलते शादियों के वेन्यूज के आस-पास भी भारी जाम मिलेगा।

नोएडा का मामला, जांच शुरू

कार में मृत मिले युवक-युवती, मर्डर या खुदकुशी?

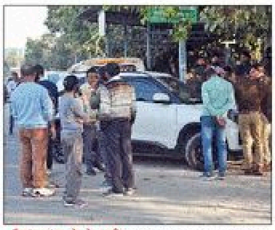

वैलंटाइंस डे ट्रेजडी... DCP ने कहा कि कार अंदर से लॉक थी और दोनों की सिर में गोली लगने से मौत हुई।

■ **NBT रिपोर्ट, नोएडा:** नोएडा के सेक्टर-107 में शनिवार दोपहर सड़क किनारे खड़ी एक कार के अंदर युवक और युवती के शव मिलने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर सेक्टर-39 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कार अंदर से लॉक थी, जिसके बाद दरवाजा तोड़कर दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। जांच में दोनों के सिर में गोली लगने की पुष्टि हुई। युवक के हाथ में पिस्टल मिली है।

युवक-युवती एक-दूसरे को करीब 15 सालों से जानते थे

मृतकों की पहचान दिल्ली त्रिलोकपुरी निवासी 32 वर्षीय सुमित और नोएडा सेक्टर-101 सलारपुर निवासी 28 वर्षीय रेखा कांत के रूप में हुई है। दोनों शुक्रवार शाम से लापता थे। दोनों के परिजनों ने थानों में शिकायत दी।

पुलिस का दावा है कि दोनों कार से बाहर गए थे और रातभर साथ रहे। इसके बाद सुनसान जगह पर पहुंचे, जहां युवक ने पहले युवती को और फिर खुद को गोली मार ली। मौके से एक स्यूसाइड मैसेज नोट मिलने की बात भी सामने आई है।

हालांकि, सुमित के चचेरे भाई सचिन ने इस थ्योरी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दोनों करीब 14-15 साल से एक-दूसरे को जानते थे और शादी करना चाहते थे। आरोप है कि जाति अलग होने के कारण युवती के घरवाले शादी के खिलाफ थे और यह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या का मामला हो सकता है।

डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि कार में युवक के हाथ में पिस्टल मिली है। मामले में जांच जारी है। ▸▸ पेज 4

नोएडा में मेट्रो का नया कॉरिडोर, लगी मुहर

बॉटनिकल गार्डन से नोएडा सेक्टर-142 तक का रूट

Bhupender.Sharma
@timesofindia.com

■ **नई दिल्ली:** केंद्र सरकार ने नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर को बॉटनिकल गार्डन से नोएडा सेक्टर-142 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 11.56 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 8 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,254 करोड़ रुपये है।

ब्लू लाइन और मैजेंटा लाइन पर इंटरचेंज की होगी सुविधा

यह विस्तार मौजूदा नोएडा मेट्रो नेटवर्क को सीधे बॉटनिकल गार्डन इंटरचेंज से जोड़ेगा, जहां दिल्ली मेट्रो की ब्लू और मैजेंटा लाइनों से कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा। रोजाना बड़ी संख्या में कामकाजी लोग, छात्र और कारोबारी इस रूट का उपयोग कर सकेंगे। बॉटनिकल गार्डन से ग्रेटर नोएडा आने के लिए अभी सिर्फ बस सेवा है, लेकिन अब मेट्रो का विकल्प भी हो जाएगा। इस नए कॉरिडोर से नोएडा के दर्जनों सेक्टरों के अलावा ग्रेटर नोएडा के लोगों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा।

इस कॉरिडोर से नोएडा में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा। इस कॉरिडोर के आसपास आईटी और कॉर्पोरेट कंपनियों की मौजूदगी है। इस एरिया में माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, हैक्सा, ईकोसिम, कॉग्निजेंट, एडोब, ओरेकल जैसी मल्टी नेशनल कंपनियां हैं। यहां बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स आते हैं।

AI Image

केंद्रीय कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले

दिल्ली-अंबाला रेल प्रोजेक्ट
3 रेल प्रोजेक्ट कसारा-मनमाड, दिल्ली-अंबाला और बल्लारी-होसपेटे मंजूर। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 जिलों से होकर गुजरेंगे।

नदी के नीचे सड़क-रेल सुरंग
असम में ब्रह्मपुत्र के नीचे देश की पहली सड़क-रेल सुरंग समेत गोहपुर-नुमालीगढ़ चार लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को 18,662 करोड़।

10,000 करोड़ स्टार्टअप को
'स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0' योजना की दूसरी किस्त को मंजूरी। ₹10,000 करोड़ का कोष निर्धारित किया।

शहरी कायाकल्प के लिए भी फंड
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1 लाख करोड़ की कुल केंद्रीय सहायता के साथ 'अर्बन चैलेंज फंड' (यूसीएफ) शुरू करने को मंजूरी दे दी।

बैड डॉक्टर/गुड डॉक्टर

Q लगातार गैस की समस्या लेकर जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो...

AI Image

बैड डॉक्टर: आपको एंटासिड लिख देता हूं या फिर इस गैस के सिरप को अभी से लेना शुरू कर दें। अगर ठीक न हुआ तो एंडोस्कोपी भी करनी पड़ सकती है। खर्चा कुछ ज्यादा पड़ेगा। एंडोस्कोपी मैं ही करूंगा।

गुड डॉक्टर: यह परेशानी कब से शुरू हुई है? गैस खाली पेट होती है या खाने के बाद। क्या चाय, कॉफी बहुत पीते हैं? डाइट सही करें। वॉक और एक्सरसाइज करें। देर रात न खाएं। जरूरत के लिए यह दवा लिख देता हूं।

-डॉ. अमितेश कुमार, सीनियर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट

मौसम

अधिकतम तापमान 27.0°
9.2° न्यूनतम तापमान

सूर्योदय रविवार 6:11 | सूर्यास्त सोमवार 6:59

राजस्थान में अगले सप्ताह हल्की बारिश की संभावना।

थाने तक हंगामा — जाति को लेकर बहस और नारेबाजी ने हंगामे को और बढ़ाया

DU में यूजीसी के नियमों पर उठे विवाद ने पकड़ा तूल, FIR दर्ज

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी इक्विटी के नियमों को लेकर हंगामे का शोर, आरोपों का दौर, बहस शनिवार को भी जारी रही। पूरे प्रकरण में जाति को लेकर बहस और नारेबाजी ने हंगामे को और बढ़ाया। विवाद शुक्रवार को झड़प और हंगामे में बदल गया था। आर्ट्स फैकल्टी के बाहर लेफ्ट समेत कुछ संगठनों ने 'ऑल इंडिया वंचित अधिकार दिवस' के तहत सभा आयोजित की थी। पुलिस की मौजूदगी में दो गुटों के बीच कहासुनी और धक्का-मुक्की हुई। मामला देर रात मौरिस नगर थाने के बाहर प्रदर्शन और आक्रोश में बदल गया। शनिवार को केस दर्ज किया गया। डीयू के वाइस चांसलर प्रफेसर योगेश सिंह ने यूजीसी इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की अपील की।

दो गुटों में धक्का-मुक्की और फिर प्रदर्शन।

आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज
ABVP ने लेफ्ट कार्यकर्ताओं पर यूट्यूबर, मीडियाकर्मियों से बदसलूकी और उपकरण तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि लेफ्ट ने एबीवीपी छात्रों पर हमला करने का दावा किया। वहीं, पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे।

जांच में जुटी पुलिस ऑल इंडिया स्टूडेंट्स असोसिएशन ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण सभा में कुछ लोगों ने जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। एक यूट्यूबर पर बदसलूकी और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। जांच जारी है।

ओवरएज वाहनों पर फिर सख्ती

■**NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली:** दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर दोबारा सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। सार्वजनिक स्थान पर खड़े या चलते मिले ऐसे वाहन जब्त किए जा सकते हैं। मालिकों को एनओसी लेकर ट्रांसफर या स्क्रैप कराने की सलाह दी गई है।

मुंबई में मेट्रो स्लैब गिरा, एक की मौत

■**पीटीआई, मुंबई:** मुंबई के मुलुंड इलाके में निर्माणाधीन मेट्रो लाइन-4 के पुल का स्लैब शनिवार दोपहर ऑटो रिक्शा और कार पर गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक राहत की भी घोषणा की गई।

असम में PM मोदी की ऐतिहासिक लैंडिंग

PTI

डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर विमान उतरा।

■**पीटीआई, गुवाहाटी**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को असम के डिब्रूगढ़ जिले में पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) पर C-130J विमान से ऐतिहासिक लैंडिंग की। वह चाबुआ एयरफील्ड से उड़ान भरकर मोरान में नैशनल हाइवे-37 के 4.2 किमी लंबे रनवे पर उतरे। करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह सुविधा जरूरत के समय वायुसेना के लड़ाकू और परिवहन विमानों के लिए काम आएगी। लैंडिंग के बाद यहां वायुसेना के विमानों ने हवाई प्रदर्शन भी किया। पीएम ने इसे पूर्वोत्तर के लिए गर्व की बात बताते हुए रणनीतिक और आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अहम बताया। पीएम ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने छह लेन वाले 'कुमार भास्कर वर्मा सेतु' का उद्घाटन किया। यह पूर्वोत्तर का पहला पुल है, जो गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ेगा। ▸▸ पेज 11

17 फरवरी को

बांग्लादेश में शपथ समारोह के लिए मोदी को न्योता

Alpyu.Singh
@timesofindia.com

■**नई दिल्ली:** बांग्लादेश में नई सरकार के 17 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निमंत्रण मिला है। हालांकि इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। 12 फरवरी को हुए संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह में लोगों ने बीएनपी पर भरोसा जताया। नतीजे आने के बाद पीएम ने बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान को बधाई दी थी। भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश के साथ सहयोगात्मक और सहज रिश्तों की दिशा में काम करना चाहता है।

* 20+8+4 DelhiTimes
इस अंक के साथ 4 पेज का सेकंड सेक्शन लेना न भूलें।

RERA REGISTRATION NO. HRERA-PKL-SNP-591-2024
https://haryanarera.gov.in/view_project/searchprojectDetail/2919
Project Name: Oneprastha Sonipat | Developer: New Sohna Warehousing Pvt. Ltd.

दीन दयाल जन आवास योजना

DEEN DAYAL AFFORDABLE PLOTS

(Under Deen Dayal Jan Awas Yojna 2016, Govt. of Haryana)

APPROVED RERA APPROVED

फ्री होल्ड आवासीय प्लॉट

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि Oneprastha सोनीपत, मुरथल, सेक्टर–87, हरियाणा में दीन दयाल जन आवास योजना के तहत आवासीय भूखंड (हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल प्लॉटेड कॉलोनी **DDJAY-2016** के तहत) पंजीकरण के लिए खुली हैं। विवरण वेबसाइट **www.deendayalaffordableplots.com** पर उपलब्ध है।

UER II OPEN | NOW IGI AIRPORT 40 MINS & GURGAON 50 MINS

शुरूआती मूल्य	आवेदन की अंतिम तिथि	आवंटन की तिथि
₹ 1.11 Cr.	**15-02-2026**	**18-02-2026**

आवेदन करने के लिए भुगतान (100% रिफंडेबल) ₹ 21,000 मात्र

Area in (Sq.Yd.)	Area in (Sq.Mtr.)	Registration Amount	10% Within 5 Days	40% Within 30 Days (Bank Loan Available)	50% On Offer of Possession (Bank Loan Available)	Total Cost*
148.424	124.1003	₹ 21,000	₹ 10,92,180	₹ 44,52,720	₹ 55,65,900	₹ 1,11,31,800
164.212	137.301	₹ 21,000	₹ 12,10,590	₹ 49,26,360	₹ 61,57,950	₹ 1,23,15,900

*PLC & Govt. Charges as Applicable

1 Sq. Mtr. = 1.196 Sq. Yd.

Registration of builder buyer agreement is mandatory after making a total payment of 10%

CONNECTIVITY

INDUSTRIAL HUB

EDUCATIONAL HUB

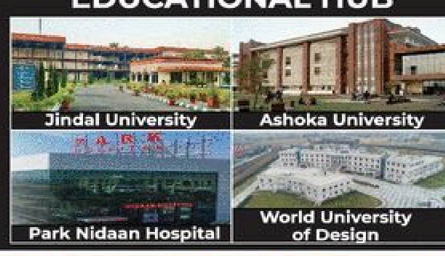

- Gated Community
- Commercial Area
- 24*7 Water Supply
- CCTV Surveillance
- Green Park
- Kids Play Area

LOCATION ADVANTAGE

- ➢ Upcoming Metro 500 Mtr.
- ➢ School 50 Mtr.
- ➢ Gurugram 50 Mins.
- ➢ IGI Airport 40 Mins.
- ➢ NH 44 Highway (GT Karnal Road) 500 Mtr.
- ➢ Delhi 20 Mins.
- ➢ UER-II 10 Mins.

Loan Available from Leading Banks

हेल्पलाइन नं. : +91-84474 95999

Register Online: www.deendayalaffordableplots.com

Scan to Apply

Disclaimer: All images and visuals are artistic impressions used solely for representational purposes. This advertisement does not constitute a legal offer or commitment. Project specifications, features, layouts, and timelines are subject to change without prior notice at the discretion of the developer or due to regulatory requirements. Travel times mentioned are approximate and may vary depending on traffic and local conditions. Terms & Conditions apply.

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 15-02-2026 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH03 User: cci Time: 02-14-2026 22:06 Color:

भारत-पाक मैच: पब-क्लबों में ऑफर्स की धूम

छक्के पर छूट और बड़ी स्क्रीन पर दिखेगा मैच, ड्रिंक्स पर भी मिलेंगे खास ऑफर्स

Abhishek.Gautam1
@timesofindia.com

■ **नई दिल्ली :** भारत और पाकिस्तान के बीच आज कोलंबो में टी-20 वर्ल्डकप का ग्रुप स्टेज मुकाबला खेला जाएगा। इसे लेकर दिल्ली में भी जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। यहां के क्लब, पब और बार में मैच को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। हालांकि, महाशिवरात्रि की वजह से कई रेस्टोरेंट, क्लब और बार में कम रौनक की ही उम्मीद है। ऐसे में यहां मैच के बहाने लोगों को आकर्षित करने की तैयारी है।

कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्सटेंशन, राजौरी गार्डन, हौज खास, मजनू का टीला समेत दिल्ली के कई इलाकों में मैच को लेकर रेस्टोरेंट, पब और क्लब में मैच के लिए बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, ताकि लोग मैच का आनंद ले सकें। FHRAI के जनरल सेक्रेटरी गिरीश ओबरॉय ने बताया कि दो या तीन ड्रिंक पर एक ड्रिंक फ्री या फिर छक्के लगने पर भी विशेष ऑर्डर करने पर कुछ छूट देने की तैयारी की जा रही है। वहीं, नैशनल रेस्टोरेंट असोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली चैप्टर के हेड संदीप आनंद गोयल ने बताया कि इस बार महाशिवरात्रि के कारण कई रेस्टोरेंट में कम भीड़ की उम्मीद है। कारोबारी नितिन भाटिया ने बताया कि 'होम पार्टी' का चलन भी तेजी से बढ़ा है।

AI image

क्लबों में छक्के लगने पर भी विशेष ऑर्डर करने पर कुछ छूट देने की तैयारी की जा रही है

एयर टिकट के दाम दोगुने

जहां क्लबों में डिस्काउंट मिल रहे हैं तो वहीं जानकारी के मुताबिक, सामान्य दिनों में दिल्ली से कोलंबो के बीच एयर टिकट की कीमत करीब 11 हजार से 13 हजार होती है, लेकिन मैच की वजह से यहां से लोग बड़ी संख्या में कोलंबो जा रहे हैं। ऐसे में कोलंबो तक के एयर टिकट के दाम दोगुने हो गए हैं। शनिवार को दिल्ली से कोलंबो के एयर टिकट की कीमत 26 हजार से 28 हजार तक थी। रविवार को एयर टिकट की कीमत करीब 24 हजार रुपये थी। वहीं, मार्च में इसकी कीमत फिर सामान्य यानी 11 से 13 हजार के बीच है।

शटर काटकर चुराई 3 करोड़ की जूलरी

■ **अश्वनी शर्मा, नई दिल्ली:** साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के आरके पुरम सेक्टर-6 में शुक्रवार देर रात शातिर सेंधमारों ने सुरक्षा के दोहरे इंतजाम को धता बताते हुए जूलर शॉप में बड़ी चोरी को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने पहले रेकी की, फिर रात 2:10 पर लौटकर पहले शटर के ताले काटे फिर दूसरे शटर को कटर से काट कर करीब ढाई से तीन करोड़ रुपये की जूलरी लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है।

आरके पुरम सेक्टर-6 में हुई वारदात, कैमरे में हुई रिकॉर्ड

जानकारी के अनुसार वसंत कुंज एनक्लेव में रहने वाले रविंद्र सिंह चौहान ने बताया कि उनकी चौहान ज्वैलर्स नाम से आरके पुरम सेक्टर-6 में शॉप है। शनिवार सुबह करीब 6 बजे पास के टेंट हाउस मालिक ज्योति शर्मा ने अपनी शॉप के बाहर जूलरी के खाली बाक्स बिखरे देखे। मामले की सूचना मिलते ही पीड़ित शॉप पर अपने बेटे के साथ पहुंचे। शॉप के अंदर शोकेस खुले पड़े थे। पीड़ित के अनुसार चोर 70-80 किलो चांदी और 250-300 ग्राम सोने के गहने ले गए। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, चोरी का माल करीब ढाई से तीन करोड़ रुपये का है।

हत्या कर शव को ट्रीटमेंट प्लांट में फेंका

■ **NBT रिपोर्ट, केएनके मार्ग :** रोहिणी इलाके में एक शख्स की लाश मिली है। धारदार हथियार से हमला करके शव को फेंका गया है। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है।

लाश के दोनों हाथ और पैर कटे हुए मिले

एडिशनल डीसीपी राजीव रंजन के मुताबिक, केएनके मार्ग थाना पुलिस को 13 फरवरी की सुबह करीब 8:46 पर PCR कॉल मिली। बताया कि हैदरपुर वॉटर कैनाल में एक लाश पड़ी है। पुलिस स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंची। जांच करने पर करीब 30-35 साल के आदमी की लाश जाल में फंसी मिली। सिर, कूल्हे से दोनों पैर और कलाई से दोनों हाथ कटे हुए थे।

नकली दवा फैक्ट्री मामले में मास्टर को-ऑर्डिनेटर अरेस्ट

■ **NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली:** दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिहार के गया में नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। नेटवर्क के मास्टर को-ऑर्डिनेटर अरुण (59) को भी गिरफ्तार किया गया है, जो इस सिंडिकेट का नौवां मेंबर है। पुलिस ने फैक्ट्री से जिंक की 1,19,800 नकली गोलियां, 42,480 नकली एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, 27 किग्रा पैरासिटामोल पाउडर, 444 नकली 'डिलोना एक्वा' इंजेक्शन के अलावा बड़े पैमाने पर दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनरी जब्त की है।

मामले में आठ आरोपी पहले हुए थे गिरफ्तार

डीसीपी (क्राइम) संजीव कुमार यादव के मुताबिक, यह इंटरस्टेट संगठित गिरोह है। ANTF के एसीपी सतेंद्र मोहन की देखरेख और इंस्पेक्टर नितेश कुमार की टीम ने आरोपी तनिष्क से पूछताछ कर अरुण को गिरफ्तार किया।

संतुलन बिगड़ने से हादसा

तेज़ रफ्तार कार की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत

■ **NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली**

एनएच-9 पेट्रोल पंप के पास शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सवार का गाड़ी से संतुलन बिगड़ गया और फुटपाथ पर जा रहे एक 76 साल के बुजुर्ग कार के चपेटे में आ गए। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी पाइक करमाई (76) के रूप में हुई है। आरोपी कार ड्राइवर नोएडा यूपी निवासी श्रेय कुमार (26) को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार रातभर इन लोगों ने नोएडा में पार्टी की थी। सुबह युवतियों को छोड़ने जा रहे श्रेय की कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। फिलहाल उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

ईस्ट जिले के डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 6 बजे गाजीपुर पुलिस स्टेशन में एक दुर्घटना की सूचना मिली, जिसे पीआईए पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। यह दुर्घटना एनएच-9 के सर्विस रोड पर एक पेट्रोल पंप के पास, गाजीपुर गांव में हुई। मौके पर एक काली स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त मिली। फुटपाथ पर एक बुजुर्ग पड़े मिले। बताया जाता है कि मुख्य सड़क और सर्विस रोड के बीच डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी फिसल गई और बुजुर्ग उसके चपेटे में आ गए।

गाड़ी के ड्राइवर श्रेय कुमार को मौके पर ही पकड़ लिया गया। गाड़ी में सवार अन्य लोग मौके से फरार हो गए। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

- डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी फिसल गई और बुजुर्ग उसके चपेटे में आ गए
- गाड़ी के ड्राइवर श्रेय कुमार को मौके पर ही पकड़ लिया गया

पति ने गला दबाकर किया पत्नी का मर्डर

■ **नवीन निश्चल, सुल्तानपुरी**

आउटर दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में वैलेंटाइन डे के दिन एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान सुमन (38) के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक महिला सुमन की बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए मंगोलपुरी के संजय गांधी हॉस्पिटल में भेज दिया है।

जानकारी मिली कि दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पत्नी को शक था कि उसके पति का दूसरी महिला से संबंध है। रविवार को दोनों में फिर झगड़ा शुरू हुआ। आरोप है कि गुस्से में आकर पति ने गला दबाकर सुमन की हत्या कर दी। सुमन की छोटी बहन पूजा ने बताया कि सुबह उसके जीजा का फोन भाई के मोबाइल पर आया था।

वह गुस्से में कह रहे थे कि तेरी बहन रोटी बनाकर नहीं दे रही है, अब तेरी बहन जिंदा नहीं बचेगी। कुछ देर के बाद मेरी दीदी का बेटा आदि आया और बोला पापा ने कुंडी लगाकर मम्मी को मार दिया। सुमन की मां ने बताया कि 15 साल पहले उसकी बेटी की शादी हुई थी, उसके दो बच्चे भी हैं। वह ड्राइवरी का काम करता है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

गुस्से में हत्या को अंजाम देने का लगा आरोप

- आउटर दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में हुई वारदात
- जानकारी मिली कि दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पत्नी को शक था कि उसके पति का दूसरी महिला से संबंध है

जनकपुरी हादसे को लेकर कैंडल मार्च

■ **NBT न्यूज, जनकपुरी:** जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरकर हुई कमल ध्यान की मौत के मामले को लेकर परिवारवाले सरकारी मदद की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। रविवार को मृतक के परिवारवाले, RWA से जुड़े लोग और उत्तराखंड दिल्ली के एक संयुक्त संगठन के द्वारा कैंडल मार्च का ऐलान किया गया है। यह कैंडल मार्च उसी जगह से शुरू होगा जहां पर दर्दनाक मौत हुई थी। इसको लेकर जानकारी देते हुए कमल के भाई करण ने बताया कि सभी लोग उनके परिवार की मदद कर रहे हैं।

गिरफ्तार तांत्रिक के ठिकाने से 2 लाख रुपये बरामद

■ **नवीन निश्चल, पीरागढ़ी:** एक कार में हुई तीन लोगों की हत्या के मामले में गिरफ्तार तांत्रिक कमरुद्दीन उर्फ बाबा (72) के ठिकाने लोनी में छापा मारकर पुलिस ने 2 लाख रुपये बरामद किए हैं।

जो रणहौला थाना इलाके के रहने वाली 76 साल की मृतक के थे। इसके अलावा सल्फास की और नींद की गोलियां भी पुलिस ने बरामद की है। फिलहाल कमरुद्दीन उर्फ बाबा 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। मृतक लक्ष्मी के मोबाइल से जिन लड़कियों के फोटोग्राफ्स मिले हैं, उनके बारे में भी पता लगाना पुलिस की बड़ी कोशिश रहेगी। क्योंकि कमरुद्दीन उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है।

पुलिस को मिला स्यूसाइड नोट, पर सुमित के भाई ने जताई हत्या की आशंका

Saurabh.Yadav
@timesofindia.com

■ **नोएडा :** दिल्ली के त्रिलोकपुरी निवासी सुमित और नोएडा निवासी रेखा का कार के अंदर शव मिलने के बाद कई अहम पैट और विडियो सामने आए हैं। युवक का एक स्यूसाइड नोट भी मिला है। इसमें उसने लिखा कि उसकी आत्महत्या की जिम्मेदार रेखा है। वह 15 साल उसके साथ रही और वादा किया था कि शादी भी करेगी। अब वह किसी और से शादी करने जा रही है, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं।

सुमित उसे चार-पांच साल से रोजाना सेक्टर 62 ऑफिस से घर छोड़ता था। शुक्रवार को भी उसने रोजाना की तरह युवती को घर छोड़ने के लिए ऑफिस के बाहर से बैठाया पर उसे घर नहीं छोड़ा।

जिला स्तरीय क्रिकेटर था लड़का

इसके बाद शनिवार दोपहर करीब 12 बजे दोनों के शव बंद कार के अंदर मिले। मृतक युवक के परिजन की तरफ से हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। सुमित के भाई सचिन ने बताया कि रेखा और सुमित कहानी की शुरुआत अशोक नगर स्कूल से शुरू हुई थी। युवक जिला स्तर का क्रिकेटर रह चुका है। सेक्टर 62 ऑफिस में युवती से मिलने आने के दौरान एक्सिडेंट में उसका हाथ टूट गया। इसके बाद क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। फिलहाल वह दिल्ली में वॉटर प्लांट का बिजनेस शुरू किया था। उस अवसर पर रेखा भी मौजूद थी। दोनों ने साथ बैठकर हवन और पूजन किया था। साथ में उसका बड़ा भाई भी था।

परिजनों ने बताया कि रेखा को छोड़ने के लिए पिछले साल दिवाली पर नई कार खरीदी थी। सुमित अपने और रेखा के नाम से नोएडा में एक फ्लैट खरीदा था। वह कई बार सुमित के घर शादी और पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हो चुकी थी। पिस्टल अवैध है। सुमित को कहां से मिली, पुलिस इसका पता लगा रही है।

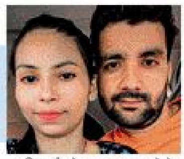
सुमित और रेखा का फाइल फोटो

नोएडा सेक्टर-39 में इसी कार के अंदर मिला सुमित और रेखा का शव

50 सीसीटीवी कैमरे खंगाल चुकी पुलिस

मृतक के भाई सचिन का कहना है कि जहां कार में लाशें मिली हैं वहां से युवती के घर की दूरी आधा किलोमीटर भी नहीं है। उन्होंने हत्या की आशंका भी जताई है। सचिन का कहना है कि पूरा मामला दो जातियों का है। युवक और युवती के बीच बीते डेढ़ दशक से संबंध थे। लड़की के परिवार को लड़के के जाति से समस्या थी।

गुमशुदा लड़की की तलाश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह लड़की (फोटो में प्रदर्शित) जिसका नाम: नरगिस बनो, पुत्री: मोहम्मद उनुस, निवासी: मकान नंबर 09, गली नंबर 03 डी–ब्लॉक, इंदर एन्क्लेव फेस–1, किराड़ी सुलेमान नगर, प्रेम नगर, रोहिणी, दिल्ली, उम्र: 16 साल, कद: 4 फुट 7 इंच, चेहरा: गोल, रंग: गोरा, शरीर: सामान्य, पहनावा: काली रंग की जींस, काला और स्लेटी रंग का स्वेटर पहने हुए, दिनांक **10.02.2026** को लगभग रात **08:00** बजे से अपने घर के क्षेत्र, थाना अन्तर्गत प्रेम नगर, दिल्ली से लापता है। इस संदर्भ में **FIR No. 82/2026, U/S 137 (2)** भारतीय न्याय संहिता, दिनांक **11.02.2026** थाना अन्तर्गत प्रेम नगर, दिल्ली में दर्ज किया गया है।

पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी अब तक इस लापता लड़की की कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाया है।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस लड़की के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।

थाना प्रभारी
थाना– प्रेम नगर, दिल्ली
फोन:+91-9315164042, 8750870322

ईमेल : cic@cbi.gov.in
वेबसाइट : http://cbi.nic.in
फैक्स : 011-24368639
दूरभाष : 011-24368638, 24368641

DP/1990/RD/2026

गुमशुदा की तलाश

अयान

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक बच्चा जिसका नाम **अयान पुत्र इदरीस पता:** कुरेशी मोहला गली नं.10, अमरोहा उत्तर प्रदेश, जो दिनांक 26.12.2025 को दोपहर 02:30 बजे अपने घर थाना क्षेत्र मुखर्जी नगर से लापता है। इस संदर्भ में **एफआइआर संख्या 845 / 2025 दिनांक 26.12.2025 Zipnet No.MP2025 12001030** थाना मुखर्जी नगर, दिल्ली में दर्ज है। गुमशुदा बच्चा का ब्यौरा इस प्रकार है :

नाम : अयान, **पिता का नाम :** इदरीस, **उम्र :** 12 साल, **कद :** 4 फुट, **रंग :** सांवला, **शरीर :** सामान्य, **चेहरा:** गोल, **पहनावा :** जो ब्राउन कलर का स्वेटर और ब्लू कलर का पैंट और पैरों में काले रंग का जूता पहने हुए है।

अगर किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई जानकारी/सूचना मिले तो कृपया निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सूचित करें।

वेबसाइट : http://cbi.nic.in
ई–मेल : cic@cbi.gov.in
फोन : 011-24368638/24368641
एक्सटेंशन–210
फैक्स : 011-24368639

थानाध्यक्ष
थाना : मुखर्जी नगर, दिल्ली
फोन: 011-27654675, 8750878480

DP/17562/NW/2025

पहचान की अपील

आम जनता को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका **नाम:** नामालूम, **पुत्र** नामालूम, **पता:** नामालूम, **उम्र:** लगभग 18 वर्ष, **कद:** 5'1'', **लिंग:** पुरुष, **रंग:** सांवला, **चेहरा:** गोल, **शरीर:** पतला, **बाल:** काले, **पहचान का निशान:** दांयें हाथ पर कट का निशान, **पहनावा:** स्लेटी रंग की लोअर व सफेद रंग की टी–शर्ट पहने है, जो दिनांक 01.02.2026 को दिल्ली कैंट रेलवे पार्किंग, दिल्ली में मृत मिला। इस सम्बंध में **डीडी नं. 39ए, दिनांक 01.02.2026, थाना: नारायणा, दिल्ली** में दर्ज है।

जिसके मृत शरीर को डीडीयू अस्पताल, दिल्ली के शवगृह में पहचान के लिए रखा गया है। यदि इसके बारे में कोई सुराग या जानकारी मिले तो तुरंत इसकी सूचना निम्नलिखित पते पर दें।

थानाध्यक्ष
थाना: नारायणा, दिल्ली
फोन: 011.25897781, 8750871122
9625887273

DP/1998/WD/2026

गुमशुदा की तलाश

सुभी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम **सुभी**, **पुत्री:** राजा राम, **पता:** म.नं. 517, गली नं. 10, एल–1, संगम विहार, नई दिल्ली जोकि **दिनांक 07.02.2026** को शाम करीब 06:30 बजे अपने घर से गुमशुदा है। इस सन्दर्भ में **FIR No. 91/2026, U/s 137(2)** भारतीय न्याय संहिता–2023, **दिनांक 09.02.2026** पुलिस थाना नेब सराय, नई दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है। नीचे गुमशुदा लड़की की पहचान दी गई है:

नाम: सुभी, उम्र: 16 वर्ष, कद: 4'6'', रंग: गोरा, चेहरा: गोल, शरीर: मध्यम, पहनावा: सफेद रंग की जैकेट, नीले रंग की जीस और पैरों में सफेद रंग के जूते।

अगर किसी को इस गुमशुदा लड़की के बारे में कोई जानकारी मिले कृप्या पुलिस थाना नेब सराय, नई दिल्ली को सूचित करने की कृपा करें।

वेबसाइट: http://cbi.nic.in, ई–मेल: cic@cbi.gov.in
फोन: 011–24368638 / 24368641, फैक्स: 011–24368639

थाना प्रभारी
पुलिस थाना नेब सराय, नई दिल्ली
फोन: 7065569305, 8826375088

DP/1908/SD/2026

पहचान की अपील

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक आदमी (फोटो में दर्शाया गया) जिसका नाम नामालूम, परिवार व पता नामालूम, उम्र: लगभग 50 वर्ष, जो दिनांक 28.12.2025 को गेट नं. 6, ऐम्स अस्पताल, दिल्ली में मृत अवस्था में पाया गया। इस संदर्भ में एक डीडी नं. 41ए दिनांक 28.12.2025 थाना हौज खास, नई दिल्ली में दर्ज है।

जिसका हुलिया नीचे दिया गया है:–

लिंग: पुरुष, आयु: लगभग 50 वर्ष, कद: 5' फीट, रंग: सांवला, चेहरा: गोल, शरीर: मोटा, पहनावा: सलेटी रंग का स्वेटर और नीले रंग की पेंट पहने हुए था।

मृतक के बारे में कोई जानकारी या सुराग रखने वाला कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित पते या टेलीफोन नंबर पर सूचित करें:–

थाना प्रभारी
थाना: हौज खास, नई दिल्ली
फोन: 011–26867878, 26510077
मोबाइल: 8750870821

DP/1925/SD/2026
(UIDB)

फैक्ट्री में भीषण आग, एक फायरकर्मी घायल

■ **NBT न्यूज, मुंडका :** बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में शनिवार को एक फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग काफी बढ़ती चली गई। अलग-अलग फायर स्टेशन से आग बुझाने वाली 16 से ज्यादा गाड़ियां भेजी गईं। आग बुझाने के दौरान एक फायरकर्मी भी घायल हो गया। उन्हें बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।

मुंडका इलाके में शनिवार रात लगी यह आग

डिविजनल ऑफिसर राजेंद्र अटवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रात 8:30 बजे आग को कंट्रोल कर लिया गया। आग को पूरी तरह बुझाने का काम देर रात तक चलता रहा। मौके पर 80 से ज्यादा फायरकर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने IGI एयरपोर्ट पर 120 एंटी मिस्ट स्प्रे सिस्टम किए शुरू

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट परिसर में स्थापित 120 एंटी-मिस्ट स्प्रे सिस्टम का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट परिसर और उसके आस-पास प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जीएमआर ने इसे लगाया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीति पर वैज्ञानिक तरीके से काम कर रही है। कार्यक्रम में दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, जीएमआर ग्रुप के निदेशक नारायण राव काडा मौजूद रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार पहले ही राजधानी की प्रमुख सड़कों और 143 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम स्थापित कर चुकी है। उसके रियल-टाइम मॉनिटरिंग नेटवर्क का विस्तार 46 मेट्रो स्टेशनों तक किया गया है, जो देश में किसी भी शहर का सबसे बड़ा नेटवर्क है। साथ ही 'वायु रक्षक' पहल के माध्यम से प्रदूषण मानकों के सख्त नियमों के पालन को सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, आने वाले सालों में 100 मिलियन यात्रियों की संख्या को पार करके विश्व के पांच बड़े हवाई अड्डे में शामिल हो जाएगा। अब एयरपोर्ट पर स्थापित मिस्ट सिस्टम यात्रियों को बेहतर एयर क्वॉलिटी का अनुभव कराएगा और राजधानी की एनवायरमेंट को लेकर जो छवि है उसमें भी सुधार होगा।

सीएम के साथ सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी रहे मौजूद

उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों पर फिर होगा ऐक्शन

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इस बाबत जारी किया है एक पब्लिक नोटिस

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के खिलाफ फिर से सख्त कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से जारी एक पब्लिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी गाड़ियां अगर सार्वजनिक स्थानों पर खड़ी पाई गईं या सड़क पर चलती मिलीं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सलाह दी है कि अगर आपके पास इस तरह की गाड़ी है, तो ट्रांसपोर्ट विभाग से एनओसी लेकर आप उन्हें दूसरे राज्य में ट्रांसफर करा सकते हैं या उन्हें स्क्रैप करवा सकते हैं।

परिवहन विभाग ने सार्वजनिक नोटिस के जरिए चेतावनी दी है कि लोग अपनी ओवर एज गाड़ियों को सार्वजनिक स्थानों से हटा लें और उन्हें सड़कों पर न चलाएं। अगर निर्धारित अवधि पूरी कर चुकी गाड़ी पब्लिक प्लेस पर मिली, तो उसे जब्त किया जा सकता है या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

क्यों फिर करनी पड़ रही सख्ती?

NBT Lens — खबरों के अंदर की बात

यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया जा रहा है। अदालत ने दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। हालांकि, पिछले साल CAQM द्वारा ऐसी गाड़ियों को फ्यूल देने पर लगाई पाबंदी के खिलाफ दिल्ली सरकार कोर्ट गई थी, जिसके बाद पाबंदी वापस ले ली गई थी। फिर प्रदूषण बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने इन गाड़ियों के परिचालन को रोकने का आदेश दिया था।

SPOTLIGHT

27 साल में पहली बार खुले जनता के लिए मुख्यमंत्री के द्वार

एक साल में रेखा सरकार ने बदल दी दिल्ली के शासन की तस्वीर ; शिकायत से समाधान तक सीधा संवाद, सम्मान और विश्वास

रेखा सरकार का जनसंवाद मॉडल

- मुख्यमंत्री जनसेवा सदन – सीधा संवाद, त्वरित समाधान
- 13 राजस्व जिले – प्रशासन जनता के और करीब
- हर जिले में आधुनिक मिनी सचिवालय
- 119 विभागों में ई-ऑफिस
- सभी जिलों में शिकायत पेटियां, सीएमओ की सीधी निगरानी
- "दिल्ली मित्र" – एकीकृत डिजिटल शिकायत प्रणाली (प्रक्रिया में)
- साप्ताहिक जनसुनवाई और समयबद्ध समाधान

दिल्ली ने शासन का ऐसा मानवीय चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। वह दौर अब बीत चुका है जब सत्ता के दरवाजे ऊंची दीवारों के पीछे बंद रहते थे और आम नागरिक अपनी समस्या लेकर दफ्तर-दफ्तर भटकता था। आज मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने न केवल अपने द्वार खोले हैं, बल्कि खुद जनता के दरवाजे तक पहुंचकर उनसे संवाद कर रही है, उनकी समस्याओं का समाधान निकाल रही है। यह केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि सेवा, सुशासन और संवाद का एक नया युग है।

मुख्यमंत्री के कार्यकाल की शुरुआत की वह तस्वीर आज भी दिल्ली के लोगों के मन में जीवित है -शालीमार बाग में उनके निजी आवास के बाहर सड़क किनारे एक साधारण मेज और एक कुर्सी, और जनता से सीधा संवाद। न कोई प्रोटोकॉल, न कोई औपचारिकता—सिर्फ संवाद, संवेदनशीलता और समाधान का संकल्प। यही वह भावना थी, जिसने आगे चलकर "मुख्यमंत्री जनसेवा सदन" का स्वरूप लिया।

मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है,"जनसेवा हमारा परम कर्तव्य है, और दिल्लीवासियों का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता।"

- शिकायत नहीं दबेगी ; अब हर आवाज को मिल रहा है जवाब
- रेखा सरकार ने जन शिकायतों को फाइलों में दबने वाली प्रक्रिया नहीं रहने दिया।
- सभी डीएम, एसडीएम और सब–रजिस्ट्रार कार्यालयों में शिकायत पेटियाँ लगाई गई।
- इनकी निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जा रही है।
- लंबित मामलों पर नियमित समीक्षा और एक्शन टेकन रिपोर्ट अनिवार्य की गई।

जनसेवा सदन: जन–जन के सम्मान और समाधान का केंद्र

4 जुलाई 2025 को सिविल लाइंस में शुरू हुआ "मुख्यमंत्री जनसेवा सदन" केवल एक भवन नहीं, बल्कि दिल्ली के नागरिकों के आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। यहाँ हर व्यक्ति सीधे अपनी बात सरकार तक रख सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाता है। यह पहली बार है जब राजधानी में शासन का केंद्र जनता के लिए इतना सुलभ और संवेदनशील बना है। आज स्थिति यह है कि हर शिकायत एक समयबद्ध प्रणाली से गुजरती है और उसका समाधान सुनिश्चित होता है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने प्रशासन को जवाबदेह बनाया है।

किसे और क्या फायदा

- **निकटता:** अब सरकारी दफ्तरों की दूरी कम हुई है।
- **तेजी:** शिकायतों का निपटारा अब अधिक केंद्रित होकर हो रहा है।
- **तालमेल:** नगर निगम और राजस्व विभाग के बीच सीमाओं का भ्रम खत्म।
- **राहत:** अधिकारियों पर दबाव कम हुआ है, जिससे काम की गुणवत्ता बढ़ेगी

'दिल्ली मित्र': भविष्य की स्मार्ट शिकायत प्रणाली

आने वाला समय और भी सशक्त होने वाला है। "दिल्ली मित्र" के रूप में एक एकीकृत डिजिटल मंच तैयार किया जा रहा है, जहां मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप, कॉल सेंटर और वेब पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। एक ही प्लेटफॉर्म से दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए, दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी और कैंट बोर्ड जैसे सभी संबंधित विभागों से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 'जवाबदेही' तय करता है। यदि समाधान से नागरिक संतुष्ट नहीं है, तो शिकायत स्वतः उच्च स्तर पर 'एस्केलेट' हो जाएगी।

प्रशासन जनता के और करीब

रेखा सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को भी जमीनी बनाया जा रहा है। राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 की गई। हर जिले में आधुनिक मिनी सचिवालय स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ कई विभागों की सेवाएँ एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।अब नागरिक को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे—सरकार खुद उनके करीब आ गई है।

ई–ऑफिस: पारदर्शिता की नई पहचान

119 विभागों में ई-ऑफिस लागू होने से फाइलों की गति तेज हुई, जवाबदेही तय हुई और हर निर्णय की डिजिटल ट्रैकिंग संभव हुई। यह बदलाव केवल तकनीकी नहीं, बल्कि प्रशासनिक संस्कृति में क्रांतिकारी परिवर्तन है।

विधायक आपके द्वार: जनसंवाद का नया अध्याय

रेखा सरकार ने जनप्रतिनिधियों को भी मिशन मोड में उतारा है।"एमएलए आपके द्वार" पहल के माध्यम से विधायक स्वयं कॉलोनियों और मोहल्लों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। अब शिकायत के लिए जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ता, सरकार खुद उनके बीच जाकर समाधान कर रही है।

सुशासन का भावनात्मक अध्याय

यह बदलाव केवल योजनाओं का नहीं, बल्कि विश्वास का है। पहली बार दिल्ली ने देखा कि सरकार जनता के सामने जवाब दे रही है, समस्याओं को सुन रही है और समाधान के लिए समयबद्ध प्रणाली बना रही है। आज दिल्ली का नागरिक यह महसूस कर रहा है कि उसकी आवाज केवल सुनी ही नहीं जाती, बल्कि उसका सम्मान भी होता है। सरकार और जनता के बीच की दूरी खत्म हो रही है, और लोकतंत्र अपनी सबसे सशक्त और संवेदनशील स्वरूप में दिखाई दे रहा है।

DIP/Shabdarth/Advertorial/0137/25-26

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 15-02-2026 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH05 User: vivek.kumar4@timesofindia.com Time: 02-14-2026 21:19 Color:

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

यातायात निर्देशिका

AI IMPACT SUMMIT भारत 2026 INDIA

एआई इम्पैक्ट समिट-2026 के संदर्भ में (16 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक)

एआई इम्पैक्ट समिट-2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्ष (HoS), सरकार प्रमुख (HoG), मंत्रीगण एवं प्रतिनिधि तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे।

सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर दिल्ली में, विशेष रूप से नई दिल्ली जिले और आसपास के क्षेत्रों में, वाहनों की आवाजाही पर विस्तृत यातायात नियम लागू किए जाएंगे। इन उपायों का उद्देश्य सभी प्रकार के परिवहन साधनों की सुचारु एवं निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना तथा आम नागरिकों के लिए यात्रा को सरल और सुविधाजनक बनाना है।

आवश्यक सेवाओं को हर समय निर्बाध आवागमन और अपने गंतव्य तक पहुँच की सुविधा प्रदान की जाएगी। चिकित्सकीय आपातकालीन वाहनों को पूरे दिल्ली में प्राथमिकता एवं अवरोध-रहित मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा। आम जनता की आवाजाही को भी निर्धारित वैकल्पिक मार्गों और परिवहन साधनों के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा।

परिवहन योग्य मार्ग (नियंत्रित क्षेत्र) (मानचित्र संलग्न):

मथुरा रोड (सुब्रमण्यम भारती मार्ग टी-पॉइंट से लोधी रोड फ्लाईओवर तक), सुब्रमण्यम भारती मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, तीस जनवरी मार्ग, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग, मदर टेरेसा क्रेसेंट, सरदार पटेल मार्ग, जनपथ, फिरोजशाह रोड, शांति पथ, सत्य मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू (भीकाजी कामा से राउंडअबाउट यशवंत प्लेस तक), कमाल अतातुर्क मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, 'सी' हेक्सागन, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, सिकंदरा रोड, अशोक रोड, पृथ्वीराज रोड, कौटिल्य मार्ग, पुराना किला रोड, शेर शाह सूरी मार्ग, तिलक मार्ग, भगवान दास रोड, सेंट्रल स्पाइन रोड, नॉर्दर्न एक्सेस रोड, रिंग रोड (सराय काले खां से एम्स तक), करिअप्पा मार्ग (किरबी प्लेस तक), लोधी रोड, नीला गुंबद, कर्तव्य पथ, रफी मार्ग, आउटर सर्किल कनॉट प्लेस, संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, अरबिंदो मार्ग (एम्स यू-टर्न से अरबिंदो मार्ग तक), तुगलक रोड, सफदरजंग रोड, पंचकुइयां रोड (मंदिर मार्ग टी-पॉइंट से कनॉट प्लेस तक), उल्लान बतर मार्ग, द्वारका लिंक रोड, एयरफोर्स पालम रोड, ब्रिगेडियर रोड, परेड रोड, एनएच-48 (रंगपुरी से धौला कुआं तक), राव तुला राम मार्ग, पंचशील मार्ग, सैन मार्टिन मार्ग, न्याय मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग।

AI IMPACT SUMMIT INDIA - 2026
CONTROLLED & PROHIBITED AREA

प्रतिबंधित क्षेत्र (मानचित्र संलग्न)

भैरों मार्ग (रिंग रोड टी-पॉइंट को छोड़कर), मथुरा रोड (सुब्रमण्यम भारती मार्ग टी-पॉइंट से डॉ. जाकिर हुसैन इलाहिया चौक के बीच)। मार्ग संचालन के दौरान सामान्य वाहनों का प्रवेश अनुमति नहीं होगा।

यातायात विनियम

1. जिन वाहनों का गंतव्य दिल्ली नहीं है, उन्हें अनिवार्य रूप से ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तथा अन्य वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ा जाएगा। ऐसे वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. यात्रियों के हवाई अड्डे और विभिन्न रेलवे स्टेशनों तक आवागमन की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यात्रा के लिए पर्याप्त समय पहले से लेकर चलें।

वैकल्पिक मार्ग

उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर
निम्नलिखित कॉरिडोर पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, और आम जनता अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इस मार्ग का उपयोग कर सकती है:
रिंग रोड - आश्रम चौक - सराय काले खां - राज घाट - आईएसबीटी कश्मीरी गेट - आजादपुर - पंजाबी बाग - धौला कुआं - एम्स - आश्रम चौक।

रेलवे स्टेशनों हेतु वैकल्पिक मार्ग

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन: आईएसबीटी कश्मीरी गेट - चूनामंडी रोड - रानी झांसी मार्ग - डीबीजी रोड | आश्रम चौक - रिंग रोड - राज घाट - जेएलएन मार्ग | बंदे मातरम मार्ग - डॉ. आंबेडकर मार्ग - पंचकुइयां रोड - आउटर सर्किल कनॉट प्लेस।

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन: आईएसबीटी कश्मीरी गेट - रिंग रोड - हनुमान मंदिर - एस.पी. मुखर्जी मार्ग | आश्रम चौक - रिंग रोड - राजघाट - रिंग रोड - हनुमान मंदिर - एस.पी. मुखर्जी मार्ग | बंदे मातरम मार्ग - डॉ. आंबेडकर मार्ग - रानी झांसी मार्ग - रानी झांसी फ्लाईओवर - चूनामंडी रोड - [illegible] मार्ग।

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन: एम्स - रिंग रोड - आश्रम चौक - मथुरा रोड | आईएसबीटी कश्मीरी गेट - रिंग रोड - राज घाट - रिंग रोड - आश्रम चौक - मथुरा रोड।

हवाई अड्डे हेतु मार्ग

मेट्रो सेवाओं के माध्यम से:
यातायात प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

सड़क मार्ग के माध्यम से:
- **गुरुग्राम से टी3, टी4, टी2:** NH-48 - राव तुला राम सिंह मार्ग - पुरानी दिल्ली गुरुग्राम रोड - सुपर एयर 8 - सर्विस रोड NH-48 - टी 3 टर्मिनल रोड
- **गुरुग्राम से टी 1:** NH-48 - महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे-1-3 रोड, NH-48 - महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे NH-48 उल्लन बतार मार्ग T-1 रोड
- **द्वारका से टी1, टी4, टी2, टी3:** सेक्टर-22 द्वारका रोड-यूईआर II (टी3 के लिए नई यातायात सुरंग)
- **नई दिल्ली एवं दक्षिण दिल्ली से टी3:** एम्स चौक - रिंग रोड - मोती बाग चौक - आईजीआई मार्ग - सलग टी-पॉइंट - सर्विस रोड NH-48 - टी3 टर्मिनल रोड

- **नई दिल्ली एवं दक्षिण दिल्ली से टी3, टी4, टी2, टी1:** एम्स चौक - रिंग रोड - मोती बाग चौक - आईजीआई मार्ग - सलग टी-पॉइंट - उल्लन बतर मार्ग
- **पश्चिम दिल्ली से टी3, टी4, टी2, टी1:** पंजाबी बाग चौक - रिंग रोड - राजा गार्डन चौक - जनकपुरी रोड - पंखा रोड - डाबड़ी-द्वारका रोड - रोड नंबर 224, डाबड़ी-गुरुग्राम रोड - सेक्टर-22, द्वारका रोड - यूईआर II - सर्विस रोड एनएच-48 - टी3 टर्मिनल रोड
- **उत्तर एवं पूर्वी दिल्ली से टी3, टी4, टी2, टी1:** आईएसबीटी कश्मीरी गेट-रानी झांसी फ्लाईओवर-रोहतक रोड-पंजाबी बाग चौक-रिंग रोड-राजा गार्डन चौक-जनकपुरी रोड-पंखा रोड-डाबड़ी-द्वारका रोड-रोड नंबर 224, डाबड़ी-गुरुग्राम रोड-सेक्टर-22, द्वारका रोड-यूईआर-II-सर्विस रोड एनएच-48-टी3 टर्मिनल रोड

बस सेवाओं के माध्यम से

डीटीसी/आईपी आवागमन के दौरान बसों को आवश्यकतानुसार वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जा सकता है।

मेट्रो सेवाओं के माध्यम से

सभी मेट्रो स्टेशनों पर मेट्रो रेल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी।

टीएसआर / टैक्सी

टीएसआर एवं टैक्सियों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करने की अनुमति होगी।

विद्यालय / विद्यार्थियों हेतु परामर्श

सीबीएसई आवागमन के मुख्य मार्गों पर स्थित निम्नलिखित 10 विद्यालयों में दिनांक 17.02.2026 से बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। छात्रों एवं विद्यालय स्टाफ को परीक्षा केंद्रों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा इन विद्यालयों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। नोडल अधिकारियों की सूची, उनके मोबाइल नंबर तथा सुझाए गए मार्गों का विवरण परिवहन विभाग को भी प्रेषित किया गया है। परीक्षा तिथियों पर विद्यालय आने-जाने में किसी प्रकार की असुविधा से बचने हेतु विद्यालय प्रबंधन से संपर्क कर वैकल्पिक मार्गों एवं नियुक्त नोडल अधिकारियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

क्र. सं.	विद्यालय का नाम, पता एवं ज़ोन	वैकल्पिक मार्ग
1	अटल आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, तिलक मार्ग, नई दिल्ली - 110001	**मार्ग-1:** सराय काले खां - रिंग रोड - आईपी फ्लाईओवर के नीचे - दाएं मुड़ें (आईपी मार्ग) - राम चरण अग्रवाल चौक - दाएं मुड़ें (बीएसजेड मार्ग) - डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक - तिलक मार्ग - बाएं मुड़ें (तिलक लेन) **मार्ग-2:** कनॉट प्लेस आउटर सर्किल - बाएं मुड़ें (मिंटो रोड) - दाएं मुड़ें (डीडीयू मार्ग) - राम चरण अग्रवाल चौक - दाएं मुड़ें (बीएसजेड मार्ग) - डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक - तिलक मार्ग - बाएं मुड़ें (तिलक लेन)
2.	अटल आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बापू धाम, नई दिल्ली - 110021	**मार्ग-1:** मोती बाग फ्लाईओवर - शांति पथ - बाएं मुड़ें (न्याय मार्ग) - बाएं मुड़ें (सत्य मार्ग) - पंचशील मार्ग - [illegible] **मार्ग-2:** वंदे मातरम मार्ग - धौला कुआं - रिंग रोड - बाएं मुड़ें (सैन मार्टिन मार्ग)
3.	अटल आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ए.पी.जे. कलाम लेन, नई दिल्ली - 110001	**मार्ग-1:** एम्स फ्लाईओवर - अरबिंदो मार्ग - अरबिंदो चौक - दाएं मुड़ें (पृथ्वीराज रोड) - बाएं मुड़ें (ए.पी.जे. लेन) **मार्ग-2:** वंदे मातरम मार्ग - धौला कुआं - रिंग रोड - बाएं मुड़ें (सैन मार्टिन मार्ग) - दाएं मुड़ें (पंचशील मार्ग) - कमाल अतातुर्क मार्ग - डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड - बाएं मुड़ें (ए.पी.जे. लेन)
4.	नवयुग वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, विनय मार्ग, नई दिल्ली - 110001	**मार्ग-1:** एम्स फ्लाईओवर - अरबिंदो मार्ग - बाएं मुड़ें (सफदरजंग फ्लाईओवर) - बाएं मुड़ें (ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग) - रेलवे ब्रिज की ओर दाएं मुड़ें - रेस कोर्स - बाएं मुड़ें (सत्य मार्ग) **मार्ग-2:** वंदे मातरम मार्ग - धौला कुआं - रिंग रोड - बाएं मुड़ें (सैन मार्टिन मार्ग) - दाएं मुड़ें (पंचशील मार्ग) - [illegible] से यू-टर्न - पंचशील मार्ग - बाएं मुड़ें (विनय मार्ग) - बाएं मुड़ें (सत्य मार्ग)
5.	एस.डी. फिरोजशाह रोड, मानसिंह मार्ग (सर्वोदय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय)	**मार्ग-1:** एम्स फ्लाईओवर - अरबिंदो मार्ग - अरबिंदो चौक - बाएं मुड़ें (सफदरजंग रोड) - बाएं मुड़ें (कमाल अतातुर्क मार्ग) - [illegible] - पंचशील मार्ग - न्याय मार्ग/पंचशील - बाएं मुड़ें (न्याय मार्ग) - बाएं मुड़ें (मानसिंह मार्ग) **मार्ग-2:** वंदे मातरम मार्ग - धौला कुआं - रिंग रोड - बाएं मुड़ें (सैन मार्टिन मार्ग) - दाएं मुड़ें (पंचशील मार्ग) - न्याय मार्ग/पंचशील - बाएं मुड़ें (न्याय मार्ग) - बाएं मुड़ें (मानसिंह मार्ग)
6.	जी.डी.एस.एस. एस. पंडारा रोड (वरिष्ठ माध्यमिक)	**मार्ग-1:** कुशाक फ्लाईओवर - लाला लाजपत राय मार्ग - लोधी फ्लाईओवर के नीचे - बाएं मुड़ें (लोधी रोड) - बाएं मुड़ें (आर्च बिशप मकारियोस मार्ग) - बाएं मुड़ें (सुब्रमण्यम भारती मार्ग) - दाएं मुड़ें (पंडारा रोड) **मार्ग-2:** आईपी फ्लाईओवर - रिंग रोड - सराय काले खां - बाएं मुड़ें (बारापुला फ्लाईओवर) - [illegible] (लाला लाजपत राय मार्ग, लोधी फ्लाईओवर की ओर) - बाएं मुड़ें (लोधी रोड) - बाएं मुड़ें (आर्च बिशप मकारियोस मार्ग) - बाएं मुड़ें (सुब्रमण्यम भारती मार्ग) - दाएं मुड़ें (पंडारा रोड)
7.	सीएम श्री स्कूल, पंडारा रोड (वरिष्ठ माध्यमिक)	**मार्ग-1:** कुशाक फ्लाईओवर - लाला लाजपत राय मार्ग - लोधी फ्लाईओवर के नीचे - बाएं मुड़ें (लोधी रोड) - बाएं मुड़ें (आर्च बिशप मकारियोस मार्ग) - बाएं मुड़ें (सुब्रमण्यम भारती मार्ग) - दाएं मुड़ें (पंडारा रोड) **मार्ग-2:** आईपी फ्लाईओवर - रिंग रोड - सराय काले खां - बाएं मुड़ें (बारापुला फ्लाईओवर) - [illegible] (लाला लाजपत राय मार्ग, लोधी फ्लाईओवर की ओर) - बाएं मुड़ें (लोधी रोड) - बाएं मुड़ें (आर्च बिशप मकारियोस मार्ग) - बाएं मुड़ें (सुब्रमण्यम भारती मार्ग) - दाएं मुड़ें (पंडारा रोड)
8.	केंद्रीय विद्यालय संख्या-2, गुरुग्राम रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली	**मार्ग-1:** रिंग रोड (आश्रम की दिशा) - धौला कुआं - रिंग रोड - मोती बाग फ्लाईओवर - बाएं मुड़ें (राव तुला राम मार्ग) - पुनः बाएं मुड़ें (राव तुला राम मार्ग) - जी.जी.आर. फ्लाईओवर के नीचे यू-टर्न **मार्ग-2:** आईजीआई - आउटर रिंग रोड - ओलोफ पाल्मे मार्ग - राव तुला राम मार्ग - जी.जी.आर. फ्लाईओवर के नीचे यू-टर्न - बाएं मुड़ें (दिल्ली कैंट स्कूल)
9.	नेवी पब्लिक स्कूल, अफ्रीका एवेन्यू रोड, चाणक्यपुरी	**मार्ग-1:** एम्स फ्लाईओवर - अरबिंदो मार्ग - बाएं मुड़ें (सफदरजंग फ्लाईओवर) - बाएं मुड़ें (ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग) - रेलवे ब्रिज की ओर दाएं मुड़ें - रेस कोर्स - बाएं मुड़ें (सत्य मार्ग) - यशवंत प्लेस से बाएं मुड़ें - अफ्रीका एवेन्यू **मार्ग-2:** वंदे मातरम मार्ग - धौला कुआं - रिंग रोड - बाएं मुड़ें (सैन मार्टिन मार्ग) - बाएं मुड़ें (पंचशील मार्ग) - [illegible] - पंचशील मार्ग से यू-टर्न - बाएं मुड़ें (विनय मार्ग) - यशवंत प्लेस - अफ्रीका एवेन्यू
10.	गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल, पुराना किला रोड	**मार्ग-1:** सराय काले खां - रिंग रोड - आईपी फ्लाईओवर के नीचे - बाएं मुड़ें (आईपी मार्ग) - राम चरण अग्रवाल चौक - बाएं मुड़ें (बीएसजेड मार्ग) - डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक - तिलक मार्ग - बाएं मुड़ें (तिलक लेन) **मार्ग-2:** कनॉट प्लेस आउटर सर्किल - बाएं मुड़ें (मिंटो रोड) - दाएं मुड़ें (डीडीयू मार्ग) - राम चरण अग्रवाल चौक - दाएं मुड़ें (बीएसजेड मार्ग) - डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक - तिलक मार्ग - बाएं मुड़ें (तिलक लेन)

उपरोक्त विद्यालयों के अतिरिक्त, कुछ विद्यालय भारत मंडपम के आसपास तथा वीवीआईपी मार्गों पर स्थित हैं। ऐसे विद्यालयों तक पहुंचने के लिए सुझाए गए मार्गों की जानकारी भी शिक्षा विभाग को नीचे अनुसार प्रेषित की गई है:

क्र. सं.	प्रभावित मार्ग	वैकल्पिक मार्ग
1.	मथुरा रोड (सिकंदरा रोड से तिलक मार्ग के मध्य)	रिंग रोड (सराय काले खां - आश्रम मार्ग से), लाला लाजपत राय मार्ग, बीएसजेड मार्ग
2.	सुब्रमण्यम भारती मार्ग	आर्कबिशप मकारियोस मार्ग / महर्षि रमण मार्ग / मौलाना आज़ाद मार्ग
3.	भैरों मार्ग	रिंग रोड (आईटीओ - आश्रम चौक) प्रगति मैदान सुरंग (अंडरपास)
4.	राजेश पायलट मार्ग	अरबिंदो मार्ग, पृथ्वीराज रोड, अमृता शेरगिल मार्ग
5.	तीस जनवरी मार्ग	अरबिंदो मार्ग, तुगलक रोड, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड
6.	अकबर रोड	अरबिंदो मार्ग, तुगलक रोड, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड, रफी मार्ग, तुगलक लेन रोड
7.	तीन मूर्ति मार्ग	रफी मार्ग, कुशक रोड, जेड. मुलानी [illegible] मार्ग, [illegible] मार्ग, [illegible]
8.	मदर टेरेसा क्रेसेंट	ताल कटोरा रोड
9.	सरदार पटेल मार्ग	सैन मार्टिन मार्ग / रिंग रोड / धौला कुआं, वंदे मातरम मार्ग, [illegible] मार्ग
10.	जनपथ	टॉलस्टॉय मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग
11.	फिरोजशाह रोड	कनॉट प्लेस, कस्तूरबा गांधी मार्ग
12.	शांति पथ	मोती मार्ग / न्याय मार्ग / सैन मार्टिन मार्ग / पंचशील मार्ग
13.	सत्य मार्ग	न्याय मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग / सैन मार्टिन मार्ग
14.	अफ्रीका एवेन्यू	अरबिंदो मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग
15.	कमाल अतातुर्क मार्ग	सैन मार्टिन मार्ग, पंचशील मार्ग, अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड
16.	एपीजे अब्दुल कलाम रोड	अरबिंदो मार्ग, तुगलक रोड
17.	'सी' हेक्सागन	महाराजा रणजीत सिंह मार्ग, बाराखंबा रोड, कॉपरनिकस मार्ग, कनॉट प्लेस, के.जी. मार्ग
18.	डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग	मथुरा रोड, नीला गुंबद
19.	महात्मा गांधी मार्ग (भीकाजी कामा प्लेस से धौला कुआं के मध्य)	आउटर रिंग रोड, राव तुला राम मार्ग, स्वामी विवेकानंद मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू, आउटर रिंग रोड
20.	सिकंदरा रोड	कनॉट प्लेस आउटर सर्किल, बाबर रोड, बाराखंबा रोड, बी.एस. जेड. मार्ग

सामान्य जनता हेतु निर्देश

- वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें और सड़क किनारे पार्किंग से बचें।
- यथासंभव सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
- विशेष रूप से रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और हवाई अड्डे की यात्रा के दौरान अपनी यात्रा की पूर्व योजना बनाएं।
- यदि कोई लावारिस वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे, तो तुरंत निकटतम पुलिस कर्मियों को सूचित करें।

आम जनता और वाहन चालकों से आग्रह की जाती है कि वे धैर्य रखें, यातायात नियमों और सड़क पर अनुशासन का पालन करें और सभी जंक्शनों पर तैनात यातायात कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें और दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in के जरिए अपडेट रहें।

आम जनता से आग्रह की जाती है कि वे मेट्रो सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और फंसाबंदी से बचने के लिए काफी समय रखें। ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनता से सहयोग की अपील की जाती है।

DP/[illegible]/2026

ट्रैफिक प्रहरी बनें | ऐप डाउनलोड करें | हमें फ़ॉलो करें: व्हाट्सएप: 8750871493 @dtptraffic @dtptraffic @dtptraffic | 24X7 यातायात हेल्पलाइन: 1095/011-25844444

उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नाम हुआ 'सेवा तीर्थ भवन'

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री ऑफिस के नजदीक है यह मेट्रो स्टेशन

दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर पड़ने वाला उद्योग भवन स्टेशन अब 'सेवा तीर्थ भवन' के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के नजदीक स्थित इस स्टेशन के नाम बदलने की वजह प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नामकरण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री के नए कार्यालय का उद्घाटन किया जिसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। अब उसी के नाम पर इस स्टेशन का भी नाम बदलने का फैसला किया गया है।

वीकेंड पर सजी फूलों की महफिल

पलाश महोत्सव में चार जगहों पर सोमवार तक खरीद सकेंगे ट्यूलिप के बल्ब

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

शनिवार से DDA का पलाश महोत्सव शुरू हो चुका है। पलाश महोत्सव में DDA की स्टॉल से लोग ट्यूलिप के बल्ब की खरीदारी कर सकते हैं। सराय काले खां के पास बांसेरा पार्क, नरेला स्मृति वन पार्क, जसोला के लाला हरदयाल पार्क और अशोक विहार फेज-4 से लोग ट्यूलिप खरीद सकते हैं। महोत्सव 16 फरवरी तक चलेगा। 50 से 300 रुपये में ट्यूलिप के यह बल्ब लोग खरीद सकते हैं। इस बार लोगों की सहूलियत के लिए महोत्सव में शामिल होने के लिए ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था भी की गई है जिसकी कीमत 25 रुपये है। इस वीकेंड के बाद अगले वीकेंड 21 और 22 फरवरी को यह महोत्सव असिता में भी होगा।

अगले वीकेंड 21 और 22 फरवरी को यह महोत्सव असिता में भी होगा

LG वी के सक्सेना ने इस दो दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ शनिवार को बांसेरा में किया। यह पहला मौका है जब एक साथ यह फेस्टिवल चार जगहों पर हो रहा है। इस फेस्टिवल में कई तरह की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। लोगों के लिए यहां फन एक्टिविटी जैसे ऊंट की सवारी करने का भी इंतजाम किया गया है।

पार्कों में खुलेंगे कल्चरल क्लासरूम

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के पहले 'ग्रीन एक्सपो' का शुभारंभ किया। सराय काले खां स्थित 'बांसेरा' में आयोजित इस दो दिवसीय एक्सपो के पहले ही दिन DDA ने दिल्ली की हरियाली और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर 'ग्रीन ग्रीन्स' लोगो और 'हॉर्टिकल्चर ग्रीन ब्लूप्रिंट-2026' भी लॉन्च की गई। एलजी ने इस आयोजन को दिल्ली के हरित, स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

ब्यूटी एक्सपर्ट से सीखें मिनटों में पार्लर जैसा मेकअप करना

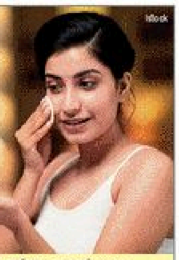

NBT रंगमंच Club

इंस्टा फोटो के लिए खूबसूरत दिखना है, मगर मेकअप करने का सही तरीका नहीं आता? पार्टी और शादी में ढेर सारी रील बनानी है लेकिन पार्लर जाने के लिए टाइम नहीं है, तो क्यों ना आप खुद ही अपनी मेकअप आर्टिस्ट बन जाएं। ऐसे में अगर आपको मेकअप करना नहीं आता और आप बार-बार पार्लर में खर्चा करने से बचना चाहते हैं तो एनबीटी रंगमंच क्लब आपके लिए लेकर आया है ब्यूटी बेसिक्स स्पेशल वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में ब्यूटी एक्सपर्ट जेनब एस. सिद्दीकी लाइव डेमो में आपको कम समय में मेकअप करने का सबसे आसान और सही तरीका सिखाएंगी, साथ ही मेकअप से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगी। तो देर किस बात की है, वर्कशॉप में शामिल होने के लिए आज ही रजिस्टर करें।

- तारीख: 18 फरवरी 2026
- समय: दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक
- स्थान: टाइम्स हाउस, बहादुरशाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली

जेनब एस. सिद्दीकी (ब्यूटी एक्सपर्ट)

लाइव डेमो में सीखें मेकअप करना
- मिनटों में पार्लर जैसा मेकअप
- शादी-पार्टी जैसा मेकअप
- मेकअप बिगड़ने पर उसे ठीक करने का तरीका
- ब्यूटी बेसिक्स होली में स्किन केयर के टिप्स

रजिस्ट्रेशन के लिए 7003890071 पर कॉल/वट्सऐप करें।

AI समिट: NDMC ने किए खास इंतजाम

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक होने वाली AI इंपैक्ट समिट के बारे में कहा जा रहा है कि इस समिट का स्केल G-20 से भी बड़ा होगा। इसलिए इस समिट के लिए वैसी ही खास तैयारियां की जा रही हैं, जैसी G-20 समिट के लिए गई थीं। NDMC ने पूरे लुटियंस दिल्ली में साफ-सफाई, सजावट और लाइटिंग के खास इंतजाम किए हैं। शनिवार को NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ समिट के मुख्य वेन्यू और अन्य प्रमुख जगहों पर जाकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एक सुरक्षित, स्मार्ट और स्वच्छ राजधानी में दुनियाभर से आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए NDMC ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

समिट की तैयारी के मुख्य बिंदु

- इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रियल-टाइम मॉनिटरिंग
- NDMC के 333 और पुलिस के 183 CCTV कैमरों के जरिए 24×7 निगरानी रखी जाएगी
- ट्रैफिक के लिए हेल्पलाइन
- GPS से सफाई वाहनों पर नजर
- 99 हॉट स्पॉट पर कूड़ा साफ
- 20 प्रदूषण सेंसरों से 628 मानकों पर हवा की जांच होगी
- NDMC के 311 ऐप पर आई शिकायतों पर तुरंत एक्शन होगा
- 41 प्रमुख सड़कों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर फिर नए अंदाज
- 15,000 गमले, 4,000 हैंगिंग बास्केट से सजेंगी सभी सड़कें
- खास लाइटिंग से सभी प्रमुख इमारतें और चौराहे जगमगाएंगे

महाशिवरात्रि के लिए सजे मंदिर

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रविवार सुबह से ही मंदिरों में भीड़ उमड़ेगी। मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारियां की गई हैं। हालांकि शिवरात्रि की तिथि को लेकर भ्रम देखने को मिल रहा है। लेकिन ज्यादातर मंदिरों में यह रविवार को ही मनाई जा रही है। कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा।

'धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है'

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: आनंद मार्ग प्रचारक संघ ने मालवीय नगर में दो दिन के सेमिनार का आयोजन किया। आयोजन की शुरुआत कीर्तन और कलेक्टिव मेडिटेशन से हुई। इस दौरान आचार्य दीपाजनानंद अवधूत, सेंट्रल ट्रेनर और आचार्य संतोषानंद अवधूत ने लोगों को संबोधित किया। इन्होंने कहा कि एक बार एक जिज्ञासु साधक ने श्रीश्री आनंदमूर्ति से प्रश्न किया कि धर्मपथ पर चलने वाले व्यक्ति के गुण क्या होते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विचार की प्रकृति कुछ विशिष्ट गुणों और विशेषताओं से निर्धारित होती है। उसी प्रकार धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की पहचान भी उसके गुणों से होती है। वेदों और शास्त्रों में ऐसे अनेक गुणों का उल्लेख किया गया है, जो मनुष्य को वास्तविक अर्थों में धार्मिक बनाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गुण धैर्य है। धैर्य का अर्थ है–किसी भी परिस्थिति में विचलित न होना।

पंजाब के अफसरों को भेजा नोटिस, 20 तक मांगा जवाब

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के बयान पर पंजाब पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई पर दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने सख्त रुख अपनाया है। समिति ने इसे विशेषाधिकार समिति का हनन मानते हुए पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस भेजकर 20 फरवरी 2026 तक अपना लिखित जवाब भेजने का आखिरी मौका दिया है। समिति ने पंजाब सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), डीजीपी पंजाब और पुलिस आयुक्त जालंधर से जवाब तलब किया है। डीजीपी को तलब किए जाने पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी शासित दिल्ली विधानसभा को पंजाब के कार्यरत डीजीपी को बुलाने का अधिकार किस आधार पर है।

डॉ. हेडगेवार की प्रतिमा का CM ने किया अनावरण

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को शाहदरा के डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पहले सरसंघचालक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. हेडगेवार ने जो विचार और लक्ष्य शुरू किया था, वह आज मजबूत और विशाल संगठन के रूप में देश सेवा कर रहा है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, पूर्वी दिल्ली के विधायक भी मौजूद रहे।

डिजिटल लोक अदालत का पहला प्रयोग रहा सफल

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की सभी जिला अदालतों में शनिवार को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें 2 लाख लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे का टारगेट था। इस बार स्पेशल लोक अदालत इस वजह से भी खास रही क्योंकि डिजिटल लोक अदालत ऐप्लिकेशन का इस दिन पायलट बेसिस पर टेस्ट किया गया। ऐसा इसलिए ताकि काम का डुप्लीकेशन खत्म हो सके, हाथ से काम कम हो और लोक अदालतों का काम बिना किसी रुकावट के चले। शुरुआत में कुछ जगहों पर शिकायतें आईं, जिसकी वजह से काम में बाधा भी पड़ी।

नजफगढ़ अस्पताल का स्टेटस बताए सरकार: HC

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने और उसमें नजफगढ़ में बने जनरल हॉस्पिटल में उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं की वास्तविक स्थिति बताने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि रिपोर्ट में बताएं कि इस अस्पताल में कौन सी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध और चालू हैं। कौन सी सुविधाएं ऐसी हैं जिन्हें चालू किया जाना बाकी है।

Bank of India BOI — प्रधान कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मुंबई ... ई-मेल: HOIT.G&E@bankofindia.bank.in
प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)
संदर्भ सं.: HO:IT(G&E):RFP:VOIP:2025-26:883 दिनांक 11.02.2026 ... GeM ... GEM/2026/B/7203018 दिनांक 11.02.2026 ... www.bankofindia.bank.in ... GeM पोर्टल ... 04.03.2026

उत्तर रेलवे
ई-नीलामी हेतु सूचना
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/मालभाड़ा सेवाएं, दिल्ली मंडल, उत्तर रेलवे ... दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर तीन निर्धारित स्थानों के लिए ... पार्सल स्कैनर ...
क्रम संख्या	ई-नीलामी के आरंभ होने की तिथि तथा समय	संसाधन जिनकी नीलामी की जानी है
1.	02.03.2026 at 11:00 hrs.	दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर तीन निर्धारित स्थानों के लिए ...
महत्वपूर्ण सूचना: ... https://www.ireps.gov.in/html/helpdesk/learning_centre.html ... 506/2026
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

TIMES interact — To book your ad — Logon to: ads.timesofindia.com or Call: 18001205474 (Toll Free) — Scan QR Code

टेंडर और नोटिस
निविदाएं (टेंडर्स)

Svelte Delhi Member of Radisson Individuals
INVITES SUPPLIERS/CONTRACTORS
Invites quotations for the supply of the under mentioned categories for the year 2026-2027.
Perishable & Food Supply
1. Fresh Indian and Imported Vegetables & Fruits
2. Fish, Chicken, Mutton & Eggs
3. Frozen Cold Cut
4. Milk & Milk Products
5. Ice Cream
6. Indian & Imported Cheese
7. Imported Groceries
8. Bakery Items
9. Indian Groceries (Pulses / Rice / Dry Fruits/Spices)
10. Frozen Potato Products
General Supply
1. General / Office Stationery
2. Industrial Salt
3. Cleaning Supplies
Quotation forms containing specifications, terms & conditions can be obtained from the office of purchase manager at the address given below, on a payment of Rs.1000/- (Non-refundable) from 16th February 2026 till 28th February 2026. Last date for submitting the form is 10th March 2026. The management reserves the right to issue / accept / reject the offer. All food vendors must attach copy of FSSAI License along with the quotation
UNIT OF ADVENT HOSPITALITY PVT.LTD
A-3 District Centre, Select City Walk, Saket New Delhi-17
TEL: 011 40512000

पंजाब नैशनल बैंक
एसएम की नियुक्ति हेतु आवेदन
पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कार्यालय: ईएलसीबी, दिल्ली, एक खाते के लिए एसएम (विशेष निगरानी एजेंसी) की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित करता है। विवरण बैंक की वेबसाइट http://www.pnbindia.in/Tender.aspx पर उपलब्ध है। दिल्ली राज्य में फार्मास्युटिकल्स – बल्क ड्रग्स क्षेत्र के लिए केवल आईबीए द्वारा अनुमोदित पैनल में शामिल एजेंसियों से ही आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं 05.03.2026 तक पीएनबी शाखा: एक्स्ट्रा लार्ज कॉर्पोरेट शाखा, प्रथम मंजिल, हर्षा भवन, मिडिल सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001 को डाक/कूरियर/हाथ से जमा की जानी चाहिए।
शाखा प्रमुख

न्यायालय सूचना
COURT NOTICE
IN THE COURT OF Ms. Mudita Gaur, Additional Civil Judge (Senior Division), Ganaur
DALIP Vs. SUBHASH ... Next Date: 23-03-2026
It is ordered that the appeal is partly allowed ... PUBLICATION ISSUED TO: ... In above titled case, the defendant(s)/respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/respondent(s) should appear in person or through counsel on 23-03-2026 at 10:00 a.m. For details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=sonipat
Additional Civil Judge (Senior Division) Ganaur
Dated, this day of of 13-02-2026

सार्वजनिक सूचना (नोटिस)
PUBLIC NOTICE - My First Stock. The public is hereby informed that My First Stock, is going to surrender the SEBI registration certificate as a Research Analyst with registration No. INH000014137 and BSE RA Enlistment No. 5960 and that if anyone has any grievance, they can lodge the grievances at scores.sebi.gov.in

व्यक्तिगत
नाम परिवर्तन
I, Hemant Kumar Arora r/o 401, T-15, EGV, New Town Kolkata-700156, have changed my name to Hemant Arora vide affidavit dated 16.01.26, sworn before 1st class JM, Barasat, Kolkata. Both names refer to same and identical person.

TIMES interact — BOOK YOUR CLASSIFIED ADS — FOR PROPERTY ADS PLEASE CONTACT SUNIL : 9999499496

THE TIMES OF INDIA — Readers are recommended to make appropriate enquires and seek appropriate advice before sending money, incurring any expenses, acting on medical recommendations or entering into any commitment in relation to any advertisement published in this publication. All creatives marked as Advertorial, Spotlight and Promotional Features are to be treated as Advertisements. The Times of India Group doesn't vouch for any claims made by the Advertisers of the products and services. The Printer, Publisher, Editor, and the owners of The Times of India Group publications shall not be held liable for any consequences, in the event such claims are not honoured by the Advertisers.

पूर्वोत्तर रेलवे
Email-dycmmgkpd@gmail.com
Website: www.ner.indianrailways.gov.in & www.tenders.gov.in
निविदा सूचना सं. 17
दिनांक 11.02.2026
ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा आमंत्रण
... www.ner.indianrailways.gov.in ... www.tenders.gov.in ... निविदा संख्या: 10259957 ... http://www.ireps.gov.in ... IREPS Portal पर ही मान्य होगा जो दिनांक 01.09.2016 से या उसके बाद प्रकाशित निविदाओं पर प्रभावी होगा। यह Global tender पर प्रभावी नहीं होगा।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/डिपो मुजाफि/एस-82 गोरखपुर
ट्रेनों में बीड़ी/सिगरेट न पियें

उत्तर रेलवे
निविदा सूचना
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/निर्माण/कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006, भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्न लिखित वस्तुओं कि आपूर्ति के लिए ई खरीद प्रणाली के माध्यम से ई निविदाएं आमंत्रित करते है।
क्रम संख्या	निविदा संख्या	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	अंतिम तिथि
1.	40265030	1600 किलोवाट-वैल्यू क्षमता (निरंतर लोडिंग), ऊर्जा दक्षता स्तर-3, बीईई 3 स्टार रेटिंग वाले नीम-सीएक्स टाइप बिल्डिंग सिस्टम ट्रांसफार्मर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग.	4 नग	16/03/2026
नोट :– 1. विस्तृत जानकारी IREPS की वेबसाइट यानी www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है। 2. मैनुअल निविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी।
सं. डिप्टी.सी.एम.एम./सी./एन.आर./40265030 दिनांक 13.02.2026 — 499/2026
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
मुख्यालय, भोपाल
क्र./गु.नि./2026/CMR-निविदा/1094524/460 भोपाल, दि. : 13.02.26
आमंत्रण सूचना
मध्यप्रदेश में "धान की कस्टम मिलिंग से निर्मित CMR चावल के गुणवत्ता का परीक्षण के लिए सर्वेयर/गुणवत्ता निरीक्षक नियोजन के लिए सर्वेयर प्रदाता एजेंसी के चयन हेतु निविदा"
कार्पोरेशन द्वारा समर्थन मूल्य पर मध्यप्रदेश में धान की कस्टम मिलिंग से निर्मित CMR चावल के गुणवत्ता का परीक्षण के लिए सर्वेयर/गुणवत्ता निरीक्षक नियोजन के लिए सर्वेयर प्रदाता एजेंसी के चयन हेतु पात्र निविदाकारों से ऑनलाइन ई-निविदा वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की जाती हैं। इस हेतु पात्र सेवा प्रदाताओं से निर्धारित निविदा दस्तावेज जिसमें निविदा कार्यक्रम (समय-सीमा), निर्देशों, शर्तें, नियमों प्रावधान का विस्तृत उल्लेख है, अनुसार आमंत्रित हैं।
निविदा दस्तावेज, नियम एवं शर्तों आदि का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in एवं www.mpscsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा दस्तावेज एवं निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन भरने हेतु संबंधित तकनीकी सहयोग व स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नंबर 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-4200462 एवं 0120-6277787 पर संपर्क कर सकते हैं।
म.प्र. माध्यम/124490/2026 — महाप्रबंधक (गु.नि.)

TIMES TRIBUTE — PAYING HOMAGE TO THE DEPARTED SOUL — To book your ad — Logon to: ads.timesofindia.com or Call: 18001205474 (Toll Free) — Scan QR Code

उठावनी

स्व. श्रीमती वीना जैन
(18/02/1953 - 14/02/2026)
अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती वीना जैन धर्मपत्नी श्री राजेन्द्र जैन का आकस्मिक निधन 14.02.2026 को हो गया है
उठावनी
रविवार, 15 फरवरी, 2026 को प्रात 10.30 से 11.30 बजे होगी
स्थान
स्टेलर रिसोर्ट्स, NH 8, निकट रजोकरी फ्लाईओवर, वाटिका कॉलोनी, रजोकरी, नई दिल्ली
शोकाकुल
राजेन्द्र जैन (पति)
रचित-रागिनी जैन (पुत्र-पुत्रवधू)
मोनिका-अनुपम जैन (पुत्री-दामाद), नीती-वीभू अग्रवाल (पुत्री-दामाद)
राखी-सुमित आनंद (पुत्री-दामाद), रीना-अनुराग गुप्ता (पुत्री-दामाद)
नाती-पोते
आनवा, अनंव, आरिका, समिका, आद्या,
आय्या, रेयान, असमी, अनाद्य, रैयान

The silent joy of remembering a loved one.
The moments you shared together.
Little moments that make life beautiful.
Share them. With Friends. Relatives. Neighbours. Colleagues. With all those whose lives the departed Soul has touched. Because while life goes on, when you share memories, they stay on forever.

Publications	Total Outlay
The Times of India Delhi/NCR	5,600
TOI+NBT (Delhi/NCR)	8,800
TOI+ET (Delhi/NCR)	6,600

REMEMBRANCE — SHARING MEMORIES
For any information call
Vinod : 9958992088
Pankaj : 8130604727

TIMES TRIBUTES — RATE CARD

Publications	Rates per sq. cms
TOID Capital + NBT (Delhi+NCR)	1295
TOID Full Run ## + NBT (Delhi+NCR)	1360
THE TIMES OF INDIA (Delhi+NCR)	780
THE TIMES OF INDIA (Delhi) Full Run##	900
NAVBHARAT TIMES (Delhi+NCR)	595
THE ECONOMIC TIMES (Delhi+NCR)	715
SANDHYA TIMES (Delhi)	100

Rates effective 5th June 2019
▸ *Placement on specified obit pages only. ▸ This rate benefit is extended up till the size of 320 sq. cm only. ▸ ## Full run includes Delhi City + NCR (Including Gurgaon + Noida) + Chandigarh + Western U.P. + Uttarakhand ▸ TOI Capital (Delhi & NCR) Includes TOI Gurgaon & TOI Noida.
To place an Obituary announcement or Remembrance message please call
Vinod: 9958992088
Pankaj : 8130604727

"Death is the golden key that opens the palace of eternity." - Milton

TO BOOK AN OBITUARY AD PLEASE CONTACT
VINOD : 99589 92088 &
PANKAJ : 81306 04727

HARERA NO.: RC/REP/HARERA/GGM/891/623/2024/118
DATE: 09.12.2024 ALSO AVAILABLE ON www.haryanarera.gov.in
REGISTRATION NO. 118 OF 2024
UNIQUE NO. GENERATED ONLINE - RERA-GRG-PROJ-1749-2024

AFFORDABLE SHOPS

RERA APPROVED

Starting from ₹51 Lakh* Only

UNDER DEEN DAYAL JAN AWAAS YOJNA 2016 POLICY, GOVERNMENT OF HARYANA

APPLICATIONS INVITED FOR COMMERCIAL SHOPS AT SECTOR-95A, DWARKA EXPRESSWAY, GURUGRAM

PROMOTER: JMS Buildwell Realty Pvt. Ltd.
PROJECT: Pride Avenue

12% ASSURED RENTAL

ONLY 9 SHOPS AVAILABLE FOR REGISTRATION

- Dwarka Expressway- 3 min
- KMP Expressway- 5 min
- Delhi Jaipur Super Expressway- 0 min
- Entertainment Hub (H5)- 5 min
- Global City- 5 min
- World Trade Hub (H6)- 5 min
- Fashion Hub (H7)- 5 min

BANG ON DWARKA EXPRESSWAY (NH-352B)

Pay Just Rs. 21,000 For Registration

Important Dates: REGISTER TODAY

आवंटन तिथि (Unit Allocation)
WEDNESDAY, 18th February 2026

Floors	Area in (Sq. Ft.)	Area in (Sq. Mtr.)	Registration Amount	10% on Allotment	25% Within 30 Days	65% as per CLP Plan	Total Cost
First	675	62.74	₹ 21,000	₹ 12,02,093.38	₹ 30,05,233.45	₹ 78,13,606.98	₹ 1,20,20,933.81
Second	375	34.82	₹ 21,000	₹ 5,81,914.27	₹ 14,54,785.68	₹ 37,82,442.77	₹ 58,19,142.72
Second	555	51.55	₹ 21,000	₹ 8,61,524.56	₹ 21,53,811.41	₹ 55,99,909.67	₹ 86,15,245.65
Third	375	34.82	₹ 21,000	₹ 5,17,257.13	₹ 12,93,142.83	₹ 33,62,171.35	₹ 51,72,571.31
Third	407	37.8	₹ 21,000	₹ 5,61,493.30	₹ 14,03,733.24	₹ 36,49,706.42	₹ 56,14,932.96

**BBA to be executed after successful Allocation | GST and Possession Charges as Applicable

Registration Amount is Refundable for Unsuccessful Applicants | High Rental Value Shops

Bank Loan Available : punjab national bank | HDFC BANK We understand your world | ICICI Bank | केनरा बैंक Canara Bank

For Online Registration :

Scan with Google Lens & Register

https://deendayalharyanashops.org/

Helpline No.: +91-73773 78558

Disclaimer: The Promoter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon any architectural impression, plan, sales, brochure, advertisements, representation, statements of whatsoever nature' and, therefore, requests to make personal judgement prior to submitting an application for allotment. unless otherwise stated, all the images, visuals materials and information contained herein are purely creative/artistic and may not be actual representation of the product and/or any amenities. Further, the actual design may vary in the fit and finished form, from the one displayed above. 75 mtr +12 +12 meter road Location is there as per master plan approved by Government of Haryana. All shops are height of 16 feet Journey time shown, if any, is based upon Google Maps which may vary as per the traffic at a relevant point of time. Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges, if applicable. T & C Apply. 1sq.mt. = 10.7639 sq.ft. BBA to be executed.

NOTE : -

[: राजस्थान पत्रिका , दैनिक जागरण delhi, नवभारत टाइम्स delhi, अमर उजाला delhi, हिन्दुस्तान delhi, Pioneer hindi delhi, जनसत्ता delhi,]

English NEWSPAPERS
[Times Of India delhi, Indian Express delhi, The Hindu delhi, Financial Express delhi, economic times delhi , the Pioneer english delhi , the tribune delhi] ETC.

We are providing all news paper pdf hindi and English want to read daily newspapers by pdf please msg me on telegram

2. आकाशवाणी (AUDIO)

whatsapp Group ka link pane ke liye Newspaper_pdf_bot par jaye.

Click here to contact:-https://t.me/Newspaper_pdf_bot
Or type in Search box of Telegram
@Newspaper_pdf_bot And you will find a channel
BACKUP GROUP LINK
https://t.me/joinchat/5P9EL1JaqoYzNTI1

Hindi-English News Paper Website:- onlineftp.in